राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–4] दसवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र का तेरहवां दिवस [संख्या–7

मंगलवार,

4 अप्रेल, 1995

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, उपाध्यक्ष, पदासीन।)

तारांकित प्रश्नोत्तर

विभागीय कार्यों के संदर्भ में नियमों का सरलीकरण

196. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या मुख्य (नीति निर्धारण) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वन विभाग के नियमों के कारण राज्य के विकास यथा, सड़क, बिजली एवं सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण आदि में काफी बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में अपने स्तर से कोई हल ढूंढने का प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या प्रयास किये गये हैं ?

(3) क्या सरकार विभागीय समन्वय स्थापित कर विकास के कार्य में बाधा डालने के निर्देश जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

वन मंत्री (श्री रघुवीर सिंह कौशल) : (1) जी नहीं। यह अवश्य सही है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के लिए अनुमति प्राप्त करने में निर्धारित प्रक्रिया के फलस्वरूप कुछ विलम्ब होता है।

(2) जी हां।

राज्य सरकार ने विकास परियोजनाओं/उद्योगों की स्थापना के लिये आवश्यकता पड़ने पर रक्षित वन क्षेत्रों को कुछ शर्तों के अधीन अनारक्षित करने का नीतिगत निर्णय भी लिया है। इसके साथ ही वन विभाग को वैकल्पिक राजस्व भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में भूमि बैंक की भी स्थापना की गयी है। सड़क निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिये भी निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

(२)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

(3) राज्य सरकार ने वन एवं खान विभाग के समन्वय के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है। इस समिति की नियमित रूप से बैठकें आयोजित कर खान विभाग एवं वन विभाग से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय सलाहकार समूह का गठन किया गया है जिसके द्वारा आवेदक विभागों की बैठक आयोजित कर प्रकरणों की स्वीकृति की अनुशंसा केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को की जाती है।

श्री महावीर भगोरा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह तो आंशिक रूप से स्वीकार किया है कि केन्द्र सरकार से अनुमति प्राप्त करने में विलम्ब होता है जिससे कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं। मेरी तो यह मानता है कि केन्द्र सरकार से चार-पांच वर्षों तक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, वह क्षेत्र जिसके लिये हम जो परियोजना लागू करना चाहते हैं समय पर प्रारम्भ नहीं होती है और पांच वर्ष के लिए वह क्षेत्र पिछड़ जाता है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न में नीतिगत निर्णय लेने की बात आपने कही है, रक्षित वन क्षेत्रों के लिए, तो वह नीतिगत निर्णय क्या लिये गये हैं, एक तो यह जानकारी हमें चाहिए सदन में। दूसरी, उदयपुर जिले में एक प्रश्न में आपने उठाया था भूमि बैंक की स्थापना के बारे में, तो उदयपुर जिले में भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गयी और उसमें कितनी जमीन जमा हुई है एक जानकारी यह चाहिए। दूसरा प्रश्न मैं दुबारा पूछूंगा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : कुछ नीतिगत निर्णय लिये गये हैं उनमें से एक निर्णय यह भी है कि प्रोटेक्टेड फोरेस्ट के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। इस सम्बन्ध में एडवोकेट जनरल से राय ली गयी और सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रोटेक्टेड फोरेस्ट में दो शर्तों के साथ हम वन भूमि में विकास योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं। एक तो उस क्षेत्र में वृक्ष न हों और सरकार सम्बन्धित विभाग दुगुनी जमीन हम को, फोरेस्ट डिपार्टमेंट को दिला दे, इन दो शर्तों के साथ प्रोटेक्टेड फोरेस्ट के लिये ली गयी हैं। सड़कों के लिये यह है कि जहां आवागमन का पहले से ही रास्ता है और यदि वहां सड़क बनती है, तो इसके लिये एक महीने पहले वहां के डी. सी. एफ. या डी. एफ. ओ. को सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित करना पड़ेगा ताकि वह इंस्पेक्शन कर लें।

श्री महावीर भगोरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों की बात जो आपने बतायी बाधा दूर करने के लिये, उदयपुर से जोधपुर सड़क जो वाया रणकपुर जाती है यह कितने वर्षों से बनी हुई है। उस सड़क को गत वर्ष एस. आर. प्रोग्राम में पी. डब्ल्यू. डी. ने लिया था और उस काम को भी वन विभाग ने रुकवा दिया, वह किस नियम के तहत उन्होंने रुकवाया, एक तो मैं यह जानना चाहता हूं। दूसरी बात, आपने एक प्रश्न के जवाब में दिया है कि

(श्री महावीर भगोरा)

राज्य स्तरीय सलाहकार समूह का गठन किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सलाहकार समूह द्वारा राज्य सरकार के कितने ऐसे प्रकरण केन्द्र सरकार को भिजवाये हैं जिनमें विशेष रूप से उदयपुर जिले के वह कब भिजवाये और जिनकी स्वीकृतियां अब तक प्राप्त नहीं हुई हैं, उनकी जानकारी कृपया सदन में दें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : जो सड़क पहले से ही आवागमन का रास्ता नहीं है, नयी सड़क बन रही है उसके लिये एक प्रोफार्मा होता है वह सम्बन्धित विभाग भर कर डी. एफ. ओ. को देता है। डी. एफ. ओ. पी. सी. सी एफ. के पास भेजता है और पी. सी. सी. एफ. गवर्नमेंट को भेजता है और गवर्नमेंट इसको केन्द्र सरकार को भेजती है और इसमें जितने केन्द्र सरकार के पास गये हैं, पी. डब्ल्यू. डी. के 21 केसेज गये थे उनमें से 6 की स्वीकृति आ गयी है, 5 की प्रथम स्तर पर स्वीकृति मिल गयी है, एक केन्द्र सरकार ने रिजैक्ट कर दिया है, बाकी के 3 वन विभाग के स्तर पर पेंडिंग हैं, और 5 सम्बन्धित विभाग में पी. डब्ल्यू. डी. में ही वापस क्वेरीज के लिये गये हुए हैं, तो जब तक सम्बन्धित विभाग चाहे वह कोई हो, जिसको वन भूमि की आवश्यकता है वह प्रेस्क्राइब्ड फार्म में भर कर नहीं देगा तब तक वन विभाग फोरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980 के अनुसार उसको काम नहीं करने देगा।

श्री महावीर भगोरा : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं! आपका हो गया है। श्री चुन्नीलाल गरासिया।

श्री महावीर भगोरा : एक मिनट, जरूरी बाकी रह गया है।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो सड़कों का निर्माण होता है उसके लिये जो गिट्टी ली जाती है उस के लिये भी वन विभाग द्वारा कोई कानून बना हुआ है कि गिट्टी न ली जाये ? जबकि उस पहाड़ी में वृक्ष नाम की कोई चीज नहीं होती, बिलकुल नंगी पहाड़ियां खड़ी हैं। वहां पत्थर निकाले नहीं जाते हैं, पत्थर वहां बीने जाते हैं उसके लिये भी वन विभाग ऐतराज करता है। क्या कानून के तहत ऐतराज किया जाता है ? या वहां कोई और दूसरा कारण फोरेस्ट का या कर्मचारियों का कुछ वेस्टेड इण्टरेस्ट होता है, यह बताने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओमप्रकाश जी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं, मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि राज्य के विकास में वन विभाग के नियमों के कारण जो परेशानी आती है उसके बारे में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर समयबद्ध तरीके से समाधान करने की कोई योजना बना रही है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछ लेता हूं आपकी इजाजत से।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, बहुत लम्बा हो रहा है।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) **:** सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर अब तक कितने किलोमीटर सड़क बन चुकी है और कितने किलोमीटर सड़क विचाराधीन है ? कृपया इस पर भी प्रकाश डालें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह बात पी. डब्ल्यू. डी. बतायेगी। यदि पी. डब्ल्यू. डी. सड़क बना रही है और हमको उसने फार्म भर कर नहीं दिया, जमीन नहीं चाही उसके बदले में, उसका उत्तर हम नहीं दे सकते। सरकार इसके लिये बहुत प्रयत्नशील है और समय समय पर माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखे हैं, स्वयं वन मन्त्री महोदय से वार्ता की है, मैंने भी फोरेस्ट मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस में सरकारी पक्ष रखा है, राज्यपाल महोदय ने भी अपने कमेंट्स भेजे हैं और इन प्रयत्नों से कुछ सरलीकरण हुआ है। किन्तु फिर भी प्रोफार्मा जो पहले जटिल था वह अब सरल हो गया है। लेकिन यह आवश्यक है कि यदि विकास योजनाओं के लिए भी फोरेस्ट की जमीन की आवश्यकता है, तो जो एक्ट में दिया हुआ है उसके अनुसार आपको फार्म भरना पड़ेगा। सरकार कई सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है। जैसे खानों के लिए, कोई बड़े काम के लिए चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी है। कुछ और छोटी योजनाओं के लिए सैक्रेटरीज का एक समूह बनाया है, तो सरकार अपने स्तर पर पूरा-पूरा प्रयास कर रही है और सरकार का यह निर्णय एडवोकेट जनरल से हमने सलाह लेकर किया है कि प्रोटेक्टेड फोरेस्ट के लिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। डीनोटिफाई किया जा सकता है बशर्ते कि दुगुनी जमीन दे दी जाए और उसमें वृक्ष न हों।

श्री महावीर भगोरा : बिजली की लाइन ले जाने के लिये क्या व्यवस्था है मन्त्रीजी ?

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) **:** उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि जो भी पुराने रास्ते चलती सड़क बनाते हैं, तो उसकी परमिशन लेकर बनायी जा सकती है। परन्तु वस्तुस्थिति यह नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां तेलकीखाड़ा गांव जिस दिन बसा होगा तब से रास्ता चल रहा है। जीपें जाती हैं, ट्रक जाते हैं, ट्रेक्टर जाते हैं। अब उसकी हमने सड़क मंजूर करा दी है। पिछले छह महीने से सड़क बन रही है। उसमें कहीं रास्ता बदला नहीं है, कहीं कोई पेड़ काटने में आया नहीं। अब डी. एफ. ओ. ने कल से वहां सड़क का काम बन्द करवा दिया। इसी प्रकार से सन् 1932 में स्टेट ने हमारे यहां कुछ गरीबों को खानों के पट्टे दिये थे। स्टेट का पट्टा है उनके पास मेघवाल लोग हैं। आज भी खुद ही खान के मालिक हैं और खुद ही मजदूर हैं। दिन भर में जितनी मजदूरी करके कातला निकालते हैं, वह कातला शाम को बेच देते हैं। उसके बाद जब से खान विभाग आया निरन्तर एन.

(श्रीमती तारा भण्डारी)

ओ. सी. जारी होकर उनकी परमिशन होती गयी। लास्ट परमिशन 6-3-1995 की है उनके पास। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इनके डी. एफ. ओ. ने उन सारे गरीबों की खानें बन्द करवा दीं। आज कम से कम 50 परिवार हैण्ड टू माउथ हो रहे हैं, डी. एफ. ओ. सुनवाई करता नहीं है। जो बड़े-बड़े मगरमच्छ हैं उनकी अवैध खानों को रोकने को हमारा डी. एफ. ओ. जाता नहीं है। अवैध खनन से लाखों करोड़ों रुपये का फ्लोराइड का खनन हुआ उसकी कोई जांच नहीं हुई, इन्क्वायरी नहीं हुई और उपाध्यक्ष महोदय, गरीब मेघवालों की आज रोजी–रोटी बन्द है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सड़क की बात माननीय सदस्या ने की है। यदि पूर्व में आवागमन का मार्ग है और वृक्ष काटने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे में फोरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन देता है। यदि कोई विशेष जो वह बात बता रही है, मेरी निगाह में लायेंगी, तो मैं उसके लिए समुचित कार्यवाही करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

निजी शिक्षण संस्थाओं से शारीरिक शिक्षा हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र

197. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कितने शारीरिक शिक्षा विद्यालय एवं कालेज सरकार एवं निजी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हैं, कहाँ-कहां पर यह स्कूल/संस्थाएं चल रही हैं तथा प्रत्येक संस्था में कितने छात्र शारीरिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

(2) क्या राज्य में इन संस्थाओं की संख्या आवश्यकतानुसार है या इनमें कमी महसूस की जा रही है ? यदि हां, तो सरकार इसकी पूर्ति के लिए क्या विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार के ध्यान में है कि राजस्थान से बड़ी संख्या में विद्यार्थी शारीरिक शिक्षा प्राप्त (पी. टी. आई. या डी. पी. ई. डी.) करने हेतु महाराष्ट्र में अमरावती और नागपुर आदि स्थानों पर जा रहे हैं और प्रति वर्ष डोनेशन के आधार पर उक्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में भी उचित संख्या में इस प्रकार की संस्था खोलने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य में शारीरिक शिक्षा के लिये कई संस्थाओं ने आवेदन किये हैं तथा उनके आवेदन अभी तक विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो ऐसी कितनी संस्थाओं ने अपने यहां पर ऐसी स्कूल खोलने की इजाजत मांगी तथा उनको स्वीकृति नहीं दी गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक राजकीय महाविद्यालय एवं तीन निजी क्षेत्र के शारीरिक शिक्षा विद्यालय संचालित हैं। विद्यालयों के नाम तथा उनके स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है—

(6)

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

	डी.पी.एड.	सी.पी.एड.	कुल
1. राजकीय शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, जोधपुर।	90	180	270
2. गांधी शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय, गुलाबपुरा, जिला-भीलवाड़ा	—	105	105
3. सनातन धर्म शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय, केकड़ी, जिला-अजमेर	—	60	60
4. महाराणा प्रताप शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय, हिंता भीण्डर, जिला उदयपुर	—	150	150
कुल :-	90	495	585

(2) शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण की मांग एवं पूर्ति की दृष्टि से वर्तमान में संचालित संस्थाओं की संख्या पर्याप्त प्रतीत होती हैं लेकिन राज्य में महिलाओं के लिए पृथक शारीरिक प्रशिक्षण विद्यालय नहीं है। उपयुक्त संस्था के प्रस्ताव प्राप्त होने पर महिलाओं के लिए शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाने पर विचार है।

(3) शारीरिक शिक्षक के पदों हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों से विदित होता है कि राज्य में अनेक विद्यार्थी राज्य के बाहर की डिग्रियां प्राप्त करते हैं। उनमें महाराष्ट्र के नागपुर एवं अमरावती विश्वविद्यालयों की डिग्रियां भी सम्मिलित हैं। इन स्थानों पर डोनेशन के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने की जानकारी विभाग को नहीं है। उपयुक्त प्रस्ताव आने पर, यह दूसरा उसी का भाग है, महिलाओं के लिए पृथक से शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाने का विचार किया जाएगा।

(4) राज्य सरकार को निम्न तीन संस्थाओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं :-

1. गांधी शिक्षण समिति, गुलाबपुरा, जिला भीलवाड़ा।

2 राजस्थान जन उत्थान संघ, शारीरिक शिक्षा विद्यालय, सुरोठ सवाई-माधोपुर।

3. महर्षि गौतम शिक्षण संस्थान, भीलवाड़ा—सी. पी. एड. एवं डी. पी. एड. हेतु।

उक्त प्रस्तावों का परीक्षण करके संस्थाओं के पास उपलब्ध संसाधनों एवं निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने प्रश्न संख्या दो के उत्तर में इन शिक्षण संस्थाओं की संख्या पर्याप्त होना दर्शाया है और मेरे प्रश्न के तीन के उत्तर में यह कहा है कि शारीरिक शिक्षक के पदों हेतु आवेदन-पत्रों से विदित होता है कि राज्य के अनेक विद्यार्थी, राज्य के बाहर से डिग्रियां प्राप्त

(श्री रामनारायण चौधरी)

करते हैं और जिनमें महाराष्ट्र, नागपुर और अमरावती के लोग भी हैं। मन्त्रीजी स्वयं मान रहे हैं, उधर तो कह रहे हैं कि पर्याप्त हैं इधर वह स्वयं मान रहे हैं कि राजस्थान के विद्यार्थी बाहर से अमरावती और नागपुर विश्वविद्यालयों में जाते हैं, वहां से डिग्रियां प्राप्त करते हैं। यह तो दो जगह की है लेकिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात भी हैं, उनका प्रश्न मैंने नहीं पूछा था। माननीय मन्त्री महोदय आप जानकारी करने की कृपा करें कि जितने आप डी. पी. एड., सी. पी. एड. विद्यार्थी लेते हैं सर्विस में उनमें 70 पर्सेंट बाहर से जो शिक्षा ग्रहण करके आते हैं उन लड़कों को जगह मिलती है, क्योंकि आपके पास पर्याप्त संख्या के अन्दर इस शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थाएं नहीं हैं जिनकी वजह से राजस्थान के युवकों को विशेष तौर से सीकर, झुंझुनूं और चूरू का जो बैल्ट है, वे बाहर जाते हैं। वहां 20-20, 30-30 हजार रुपये डोनेशन के देकर के सी. पी. एड. और डी. पी. एड. के 50 हजार रुपये देकर, वे वहां से शिक्षा लेकर यहां आपके पास आते हैं। इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि क्या पर्याप्त हैं ? आपने कहा कि पर्याप्त प्रतीत होता है। दूसरा, आपने यह मान लिया कि ऐसे लड़के आ रहे हैं, क्योंकि उनके आवेदन-पत्रों से मालूम होता है, आप जानकारी करवा सकते हैं कि 70 पर्सेंट लड़के महाराष्ट्र से आपके पास आ रहे हैं। वे कौन हैं ? वे हमारे लड़के हैं। वहां जाकर के अपने रहने की व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा 20-30 हजार रुपये ऊपर से देते हैं एडमिशन के लिए। इससे प्रतीत होता है कि आपने यहां पर कमी है। इसके लिए मैंने आपसे पूछा था कि खोलना चाहते हैं क्या ? आपने कहा कि महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए आपका सुन्दर प्रस्ताव है लेकिन महिलाओं के साथ-साथ लड़कों का भी, मैं मानता हूं कि दोनों रथ के पहिये हैं इसलिए लड़कों को इग्नोर नहीं करें। आज आपने खोल रखे हैं चार, वह उदयपुर में, भीलवाड़ा में, केकड़ी में। उस बैल्ट में औसत पांच-सवा पांच फीट हाइट के आपको जवान मिलते हैं और जहां छह फीट पौणे छह फीट और पांच पाइंट नौ और पांच पाइंट दस फीट के जवान अवेलेबल हैं जो फौजों के अन्दर जाकर पूर्ति करते हैं उनके लिये उस बैल्ट के अन्दर एक भी स्कूल आपने नहीं दे रखा है। मैंने आपसे पूछा कि क्या उधर से कोई विचाराधीन है ? आपने सूची भेजी है कि भीलवाड़ा में विचाराधीन है, दूसरी आपने भेजी है कि सूरोठ में विचाराधीन है और तीसरी आपने भेजी है भीलवाड़ा की, वह भी आपने वहीं पर विचाराधीन ले रखी है। यह आपके विचाराधीन वाली सूची बिलकुल अधूरी है। मैं जानकारी के तौर पर आपसे पूछना चाहता हूं कि यह सूची आपको किसने दी है ? मैं आपसे पूछता हूं कि यह राजस्थान सरकार की चिट्ठी एक संस्था के प्रबन्धक के पास गयी है जिसमें डी. पी. एड. और सी. पी. एड. खोलने की है। उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आप द्वारा प्रस्तावित शारीरिक शिक्षण, प्रशिक्षण विद्यालय खोलने की स्वीकृति दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण विभाग के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में निर्णय

(8)

(श्री रामनारायण चौधरी)

लेने के लिये पूर्व समिति के समस्त पदाधिकारियों से एक लिखित अण्डर टेकिंग लिया जाना आवश्यक है जो संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। इस अण्डर टेकिंग पर हस्ताक्षर करके शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें जिससे आगामी कार्यवाही की जा सके।....

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह कहां का है ?

श्री रामनारायण चौधरी : झुंझुनूं का है। विद्यार्थी भवन समिति, झुंझुनूं। यह आपका राज्य सरकार का पत्र गया हुआ है, उसको आप विचाराधीन नहीं मान रहे हैं और अण्डर टेकिंग ले ली। आपने अण्डर टेकिंग लेने के बाद उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उसको कोई विचाराधीन नहीं मानते। यह विचाराधीन की आपकी सूची है वह अधूरी है। इसके अलावा मेरी जानकारी में है कि भरतपुर के लिए भी लोगों को मैंने सेक्रेटेरिएट में घूमते हुए देखा है। जिन इलाकों में आवश्यकता है वहां तो आप विचाराधीन नहीं रखना चाहते हैं, जहां आवश्यकता है और जहां के लड़के दूसरी जगह पढ़ कर आते हैं वहां आप आवश्यकता महसूस नहीं करते। मैं आपसे पूछना चाहूंगा आसन की मार्फत और प्रार्थना करूंगा मन्त्री महोदय से कि क्या इन इलाकों में सीकर, झुंझुनूं और चूरू में, इस पूरे बैल्ट का कोई प्रस्ताव आयेगा या आपके पास विचाराधीन है ? क्या उन पर आप सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का इरादा रखते हैं ?

श्री शीशराम ओला (झुंझुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दो बात जानना चाहूंगा।....

श्री उपाध्यक्ष : आपने इतना लम्बा प्रश्न पूछ लिया है....

श्री शीशराम ओला : मैं नहीं पूछ सकता क्या, उपाध्यक्ष जी। इससे सम्बधित ही पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका इतना लम्बा हो गया, आपका उत्तर आ जाये उसके बाद आप पूछ लें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है उसमें पूर्णतया सच्चाई है कि बाहर के विद्यार्थी भी यहां सर्विस के लिये एप्लाई करते हैं उनमें अमरावती और नागपुर के हैं। वास्तव में जो इस साल हमने नियुक्तियां दी हैं उन आंकड़ों से भी आपकी बात की सच्चाई है कि हमने कुल 737 लोगों को इस बार भर्ती किया उनमें से 199 हमारे यहां के राजस्थान के डिग्रीधारी थे, उनको दिया है। 198 लोग अमरावती से आये हैं उनको नियुक्ति दी है और 340 नागपुर से जिन्होंने डिग्रीयां ली हैं, उन्हें मिली हैं लेकिन हम इसको रोक नहीं सकते हमारे यहां एप्लाई करने से, यह उनका मूल अधिकार है हमने इसका प्रयास किया था तो दो कोर्ट केसेज हमारे खिलाफ निकले कि राजस्थान ही नहीं हिन्दुस्तान के कोई भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्रीधारी व्यक्ति निश्चित रूप से एप्लाई कर सकता है, उसको आप

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

नहीं रोक सकते लेकिन स्थानीय लोगों को महत्व मिले इसके लिये हमने दस नम्बर का बोनस अंक उनको जरूर इस साल दिया, पांच ग्रामीण क्षेत्र का और पांच जिला का, उसके कारण से इनको सीधी तरह से रोकने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है कि हम उनको अपने, यहां लेने से कैसे मना कर सकते हैं। रहा सवाल प्रस्ताव का, जो प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा को मिले हैं हमारे यहां, अगर उन्होंने कॉलेज शिक्षा को सप्लाई किया तो मैं नहीं कह सकता हूं, मेरे पास जो विचाराधीन हैं इस समय, ये तीन प्रस्ताव हैं अगर अन्य प्रस्ताव भी आएंगे तो उनको भी उसमें सम्मिलित करके, मान्यता चूंकि केवल संख्या अधिक बढ़ा लेने से मैंने यह कहा कि जो कुछ आज हमारे यहां सीटें हैं, पांच सौ और समथिंग इतनी ही वेकेंसीज हमारे साल भर में रहती हैं लेकिन हम बाहर से आने वालों को रोक नहीं पा रहे हैं, किसी भी तरीके से कि उनको हम लेने से ना कर दें, न्यायालय के आदेश से भी हम प्रतिबंधित हैं और इस कारण से हमको करना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पूनम चन्द जी विश्नोई।

श्री रामनारायण चौधरी : सवाल इस बात का नहीं है कि आप बार-बार....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पूनम चन्दजी विश्नोई।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार अपनी तरफ से महिलाओं के लिए अथवा पुरुषों के लिए कोई नये फिजीकल ट्रेनिंग स्कूल या कालेज नहीं खोलना चाहती है, प्रस्ताव आएं किसी संस्था के तो खोलेंगे। प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न पूछा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं संस्था तैयार हो गयी और उसने अर्जी दे दी तो एक जगह से अर्जी देखा-देख आ जाती है, मेरे ख्याल से तो सरकार को चाहिए कि ज्योग्राफिकली जहां पर संभव हो, वहां पर खोलने का सरकार स्वयं विचार करे, क्योंकि यह बात आप जानते हैं कि नागपुर और अमरावती वाले यह तो बहुत पुराने इंस्टीट्यूशन्स हैं लेकिन नये फिजीकल ट्रेनिंग कॉलेज खोलना, उसके लिये तो सभी गेम्स के फील्ड चाहिए, जिमनेजियम वंद चाहिए और तरह-तरह के प्रशिक्षण होते हैं तो इतनी व्यवस्था, इतनी बिल्डिगें प्राइवेट कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है ऐसा मैं मानकर चलता हूं। सरकार को भी अपनी शिक्षण संस्थाओं में इसको उचित स्थान देना चाहिए।

श्री शीशराम ओला : मैं माननीय मन्त्रीजी, दो बात आपसे जानना चाहूंगा इस प्रश्न के सम्बन्ध में, एक तो यह है कि जो भर्ती होती है इनकी ट्रेनिंग के लिए उसकी क्या व्यवस्था है, मैरिट लिस्ट पर है और क्या वे एक ही क्षेत्र के हैं या पूरे राजस्थान से आते हैं ? दूसरा, यह आपके पास जो आंकड़े हैं और जो रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें जो अमरावती और नागपुर आदि-आदि से आपने बताया प्रश्न के उत्तर में, उसमें ज्यादा लोग कहां के हैं, कौन से क्षेत्र से हैं, यह जो वहां ट्रेनिंग करके आये

(श्री शीशराम ओला)

और यहां राजस्थान में उनको आपने अपाइंटमेंट दिये हैं, रिक्रूटमेंट किया है इससे स्पष्ट जाहिर है सीकर, झुंझुनूं, चूरू, भरतपुर, अलवर आदि जिलों के लड़के ही नहीं लड़कियां भी जाती हैं अनगिनत तादाद में और जैसा रामनारायणजी ने आपसे कहा पचास हजार से भी अधिक उनसे डोनेशन लिया जाता है, बहुत कोस्टली उनको प्रशिक्षण पड़ता है इसलिए क्या हम यह व्यवस्था नहीं कर सकते कि हमारे प्रांत में डिवीजनवाइज या इसकी व्यवस्था देखते हुए इस प्रकार के महाविद्यालय खोले जाएं।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मन्त्रीजी ने जो जवाब दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : श्री वी. पी. सिंह जी को बोलने दें....(व्यवधान) पहले उनको पूछ लेने दीजिए।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसींद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यही है आपके माध्यम से माननीय मन्त्रीजी, जितने भी इंस्टीटयूशंस हैं, वो कम पड़ते हैं, यह भी सही है कि आप केपिटलाइजेशन के लिये भी, रोक के लिए भी क्या कर रहे हैं? दूसरा प्रश्न यह है, यह सब इंस्टीटयूशंस का सवाल है पी. टी. आई. हो या दूसरी जगह आजकल केपिटलाइजेशन के बिना कोई एडमिशन नहीं होता है उसके लिये भी आप क्या नीति बना रहे हैं? तीसरा प्रश्न यह है कि जब भी हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, गुजरात में, महाराष्ट्र में तो वो एन. ओ. सी. मांगते हैं कि वो किस इंस्टीटयूशन से आए हैं और उस एन. ओ. सी. के कारण ही अगर राजस्थान का हुआ तो उसको एडमिशन नहीं मिलता है, इसके लिये भी आप राजस्थान के अन्दर क्या करने जा रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंह जी।....(व्यवधान)....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : राजस्थानवासी को ही प्राथमिकता दी जाए इसके लिये भी आप कुछ बताएं....(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य ने जो पूछा था, माननीय मन्त्री महोदय ने उसकी मंशा के बिलकुल विपरीत जवाब दिया है। हम यह नहीं कह सकते कि भारत के किसी भाग से आने वाले को आप रोकें, प्रश्नकर्ता का संदर्भ था कि यहां के लोग, चूंकि शिक्षण संस्थाएं यहां नहीं हैं इसलिए उनको मजबूर होकर नागपुर और अमरावती जाना पड़ता है। आपने जो जवाब दिया वह यह दिया कि उन लोगों को, हम यहां बाहर वालों को आने से रोक नहीं सकते। हम नहीं कहते कि रोकें लेकिन जो समस्या है, यहां के लोगों को, यहां के विद्यार्थियों को, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं और उसके लिये उनको मजबूर होकर बाहर जाना पड़ रहा है इसलिए उनको शिक्षा के लिये यहां स्थान आप प्रोवाइड करें। जैसा कि दूसरे माननीय सदस्यों ने कहा कि डिवीजनवाइज इस प्रकार की सरकार व्यवस्था करे, प्राइवेट संस्थाओं में तो आएंगे वह तो आप जानते हैं कि किस

(श्री शिवनाथ सिंह)

प्रकार के आएंगे इसलिए सरकार एक डिवीजन में कम से कम एक-एक या जिले वाइज करके आपकी एजूकेशन का जो डिवीजन है उसके हिसाब से एक-एक कॉलेज, एक-एक इंस्टीटयूशन करें, सरकार इस पर विचार करे। ... (व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : बहुत लम्बा हो जाएगा, एक का आ जाने दो.. (व्यवधान) ... हां-हां, बोलिये, पूछिये, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुर) ... जो संस्थाएं चल रही हैं क्या वो व्यवस्थित हैं ? जोधपुर के अन्दर जो फिजीकल ट्रेनिंग कॉलेज है उसका कई वर्षों से प्रिंसीपल का पद रिक्त पड़ा हुआ है कर्मचारियों और शिक्षकों को कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है और ऐसी उसकी दुर्व्यवस्था है, जहां वे विद्यार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं उनके भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है। क्या शिक्षा विभाग इन सारी संस्थाओं को ठीक ढंग से देखकर व्यवस्थित करने की मंशा रखता है ? माननीय मन्त्री जोधपुर आये थे, इस समस्या के संदर्भ में मैंने सारी इनको जानकारी दी थी। आज प्राचार्य का पद 15 वर्षों से रिक्त पड़ा है और शिक्षा विभाग कई बार ध्यान आकर्षित करने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, इसके लिये मन्त्रीजी क्या व्यवस्था कराएंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, माननीय मंत्रीजी, ...(व्यवधान)....दो प्रश्न में आधा घण्टे से ज्यादा लग गया।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक पी. टी. आई. लगाने की सरकार की नीति है ? यदि नीति है, तो क्या राजस्थान में जितने भी उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं वहां पी. टी. आई. हैं ? यदि नहीं हैं, तो कई वर्षों से जो पी. टी. आई बेरोजगार बैठे हैं उनको लगाने की सरकार की मंशा है ?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्रीमोहन मेघवाल (सूरसागर) : मेरा एक निवेदन है कि मंत्री महोदय अभी जोधपुर पधारे थे उस वक्त उन्होंने फिजिकल कॉलेज का मुआयना किया था। मैं मन्त्री महोदय से आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि वहां पर जिस प्रकार लड़कियों के रहने की व्यवस्था है क्या वह पर्याप्त है ? 80-82 लड़कियां हैं, उनके लिये मात्र एक लेट्रीन बाथरूम कम्बाइंड है, अब आप यह बताइए उन बच्चियों के लिये पर्याप्त है ? नहाने के लिए भी बाहर हैण्ड पम्प के ऊपर जाती हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उन बच्चियों के लिये कम से कम 3-4 लेट्रीन-बाथरूम अलग से बनाए जाएं, कम से कम यह तो सुविधा होनी चाहिए।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, भर्ती के बारे में सारे राजस्थान की एक साथ मैरिट बनती है और उस मैरिट के आधार पर जो चार संस्थाएं हैं, उनको सीटों का अलाटमेंट करते हैं। एक ही जगह जोधपुर से, पहले अलग-अलग थे

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

उसमें कुछ अनियमितताएं होती थीं इसलिए सारा सेंट्रालाइज करके एक ही जगह राजस्थान की मैरिट बनाते हैं और वहां से फिर जिसको जितनी सीटें अलोट है उतने उस क्षेत्र के अगर लोग मिल जाते हैं, तो पहले उनको वहां का प्रिफरेंस देते हैं उसके आधार पर सीटों का बंटवारा करते हैं। अमरावती और नागपुर में वास्तव में हमारे यहां के अधिकांश बालक वहां जाकर अपनी ट्रेनिंग करते हैं, यह सच है और जो भी सलेक्शन की इसमें लिस्ट है वह लगभग 95 प्रतिशत हमारे ही बालक हैं। राजस्थान के जो नागपुर और अमरावती से ट्रेनिंग करके हमारे यहां ही सलेक्शन होता है, यह भी सही है....

श्री रामनारायण चौधरी : हमारे ही लड़के वहां से पढ़ करके आते हैं। दुगुना, तिगुना और चार गुना खर्चा करके लड़के और लड़कियां आते हैं। वह नौकरी मांगते हैं और आप देते हैं उनको 10 प्रतिशत बोनस अंक कम कर दिये तो एक अन्याय और ऊपर से कर दिया। मैंने यह नहीं कहा था कि बोनस अंक कम कर दो। मैंने तो आपका ध्यान इसलिए आकर्षित किया था कि लड़के और लड़कियां बाहर जाकर शिक्षा लेकर आपके यहां आते हैं। इसके बजाय आप यहां पर व्यवस्था करो खास तौर से इस बैल्ट में जो फौजी एरिया है, सैनिक एरिया है जहां मजबूत आदमी हैं और अवेलैब्ल है और बाहर जाते हैं उनके लिये व्यवस्था यहीं हो जाए सीकर, झुंझुनूं, चूरू, अलवर, भरतपुर-यह ऐसे क्षेत्र हैं जहां अवेलेबल एरिया है इस पाइण्ट के लिए। उनको आप प्रोत्साहन दीजिए, यहां पर स्कूल खोलिये, जो प्राइवेट लोग खोलना चाहते हैं उनको मंजूरी दीजिए और नहीं आ रहे हैं वह तो सरकार की तरफ स्कूल और कॉलेज खोलने का प्रावधान कीजिए। यह मेरा प्रश्न है। बोनस अंक कम नहीं करवा रहा हूं।

श्री सीताराम झोला : उपाध्यक्ष महोदय, उनके लोकल होने की वजह से दस प्रतिशत अंक जोड़े जाएं, वह काटे नहीं जाएं, वह यहीं के हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में राज्य सरकार का केवल एक ही शिक्षण संस्थान है जोधपुर में जहां 270 बच्चों की ट्रेनिंग होती है जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, मैंने स्वयं ने जाकर उस संस्थान को देखा है। वास्तव में उसकी हालत बहुत ही दयनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं प्रयास कर रहा हूं। कुछ नियम इस समय हमारे बन रहे हैं ताकि उनके प्रमोशन होकर लग सकें। अब तक तो कोई नियम ही नहीं थे इसके कारण से प्रमोशन ही पिछले कई बरसों से रुके पड़े हैं। अगर वह नियम इस महीने के अंत तक बन जाते हैं, तो हम इसको स्वीकृति के लिए भेजेंगे, उसके कारण से जो प्रमोशन रुके हैं और 15 साल से प्रिंसिपल नहीं हैं, वह भी इसी कारण से रुका हुआ है, उसकी हम पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बार वहां जो भी लेट्रीन की और दूसरी असुविधाएं हैं....

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : और फिजिकल प्रिंसिपल नहीं है वहां पर 20 साल से।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैं ना कहां कर रहा हूं। मैं उसको स्वीकार कर रहा हूं, जो कमी है उसको मैं ना नहीं कर रहा हूं और इस साल विशेष करके बालिकाओं के लिए जो स्थान का अभाव है और असुविधा है उसके लिये हम तुरन्त अपने बजट में से कुछ राशि उनको देंगे ताकि कम से कम जो आवश्यक सुविधाएं हैं वह वहां पर उपलब्ध हो जाएं। हमारे यहां अधिक से अधिक बनें और राज्य सरकार के बनिस्पत अगर निजी शिक्षण संस्थाएं इसके लिये एप्लाई करेंगी तो हम ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में विचार कर सकते हैं। राज्य सरकार के पास जो स्टाफ आज की तारीख में है, जो नियम बने हुए हैं उनसे प्रमोशन होकर न तो पदों को आसानी से इतनी जल्दी भरा जा सकता है और सारा सेट-अप भी तैयार नहीं हो सकता। इसलिए अगर निजी शिक्षण संस्थाएं इसके बारे में अपनी इच्छा जाहिर करेंगी, तो सरकार उनके गुणावगुण के आधार पर निश्चित रूप से इसके ऊपर विचार करेगी।....(व्यवधान)....

श्री रामेश्वर लाल भाटी (सुजानगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, फिजिकल एजूकेशन से मेरा सम्बन्ध रहा है मैं इस सम्बन्ध में इस विषय में कुछ जोड़ना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अनुमति दी जाए।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : मैं यह निवेदन कर रहा था कि मूल प्रश्न का जवाब अभी तक नहीं दिया। जो मूल प्रश्न था वह तो यों का यों खड़ा है ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य दो प्रश्न पर ही पूरे 40 मिनट हो गये।.... (व्यवधान)....

श्री रामेश्वर लाल भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, सामान्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा-शिक्षा के दो महत्वपूर्ण अंग हैं.... (व्यवधान) ..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपकी बात नोट कर ली है उन्होंने।

श्री रामेश्वर लाल भाटी : .. मैं चाहूंगा कि निश्चित रूप से शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के प्रिंसिपल का पद अतिशीघ्र भरा जाए....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। श्री आर. पी. शर्मा।

जिला भरतपुर में विद्युत बिलों की राशि में अनियमितताएं

198 श्री आर. पी शर्मा (भरतपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला भरतपुर में बिजली के बिलों में अधिकांशतः उपभोक्ताओं द्वारा जमा राशि भी पुनः बकाया राशि के रूप में लगा दी जाती है ?

(2) यदि हां, तो सरकार भविष्य में सही बिल बनाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री रघुवीर सिंह कौशल) : (1) जी नहीं। भरतपुर जिले में अधिकांशतः उपभोक्ताओं के बिल वास्तविक विद्युत उपभोग की राशि के ही दिये जाते

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

हैं। इसमें जमा बिलों की राशि पुनः नहीं लगायी जाती है। लेकिन वर्तमान में बिल कम्प्यूटर द्वारा तैयार किये जाने हेतु रीडिंग व अन्य सूचनाएं निश्चित समय तक कम्प्यूटर सेन्टर को भेजनी होती है जिसके फलस्वरूप कोई उपभोक्ता नियत तिथि के पश्चात् अपने बिल की राशि जमा कराता है, तो उसके बिलों में यह राशि पुनः बकाया में सम्मिलित कर बिल दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को रसीद दिखाने पर बिलों में दुरुस्ती कर उसे वास्तविक राशि का बिल दे दिया जाता है। कम्प्यूटर का कार्यक्रम नया प्रारम्भ किया है इसलिए कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयां आ रही हैं, परन्तु शीघ्र कार्य पूरा व्यवस्थित हो जाएगा।'

(2) उपभोक्ताओं द्वारा अगर बिल नियत अवधि में ही जमा करवा दिया जाए तो बकाया राशि उन्हें लगाकर नहीं आवेगी। अतः इसमें उपभोक्ताओं का भी सहयोग अपेक्षित है।

श्री आर. पी. शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री जी ने कहा है यह बिलकुल सही बात है लेकिन मैं जो खास तौर से कहना चाहता हूं मेरा अभिप्राय यह है कि उन डोमेस्टिक कनेक्शन वालों को जो अपने बिल जमा कराने के बाद या तो फाड़ देते हैं या उनसे खो जाते हैं उनसे यह भूल होती है अक्सर और इस तरह से उनकी शिकायत आती है कि जो बिल उनके जमा हो जाते हैं उसके बाद पुनः बिल लगकर आ जाते हैं। जैसा मंत्री जी ने कहा कि ए. ई.एन. के पास जाकर करेक्शन करवा सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा आग्रह करना चाहता हूं कि अक्सर तो ए. ई.एन. कुर्सी पर नहीं मिलते हैं। या तो ए. ई. एन. के स्थान पर ऐसे बिलों में करेक्शन करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को निर्धारित किया जाए या जे. ई.एन. की ड्यूटी लगाई जाए। यह आम पब्लिक की बहुत बड़ी समस्या है। मेरा यह आग्रह है मन्त्री जी इसका निश्चित रूप से समाधान करेंगे।

दूसरा, मेरा प्रश्न था कि सरकार भविष्य में सही बिल बनाने हेतु क्या कार्यवाही करेगी तो मंत्री जी ने कहा है कि यदि सही समय पर बिल जमा होता है तो उसको पुनः नहीं जोड़ा जायेगा। यह तो बिलकुल सही बात है कि सही समय पर बिल जमा हो जायेगा तो फिर कैसे जुड़कर आ जायेगा। मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि जो नियत तिथि बिल जमा कराने की होती है उससे तीन या चार दिन पहले बिल आपके विभाग द्वारा सर्व किया जाता है। जब तीन चार दिन पहले बिल सर्व किया जायेगा तो नियत तिथि पर कैसे जमा हो जायेगा। या तो कोई छुट्टी आ जाती है या आदमी अपने काम में बिजी हो जाता है तो मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बात पर ऐसी पाबंदी लगायें कि कितने दिन पहले कम से कम अपना बिल उपभोक्ता को सर्व हो जाना चाहिए और अगर सर्व नहीं होता है तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही करेंगे, यह मुझे बतायें ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : बिल में निश्चित तिथि दी हुई होती है। उस तिथि पर बिल जमा हो जायेगा तो दुबारा लग-

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

कर नहीं आयेगा। दिक्कत वैसे यह है कि यदि विभाग ही जहां पैसे जमा करता है वहां तो कुछ व्यवस्था फिर भी की जा सकती है लेकिन कई प्राइवेट एजेंसियों को भी हमने कलैक्शन के लिए नियुक्त किया हुआ है इसलिए मैं विभाग को सतर्क करूंगा इस विषय में और माननीय सदस्य आपसे भी यह आशा करता हूं कि आप लोगों को निश्चित तिथि पर रकम जमा कराने के लिए प्रेरित करें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : कितने दिन पहले बिल मिल जाना चाहिए लोगों द्वारा सबसे बड़ी समस्या यह है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि माननीय सदस्य भी कह रहे हैं यह शोभा तो देता नहीं है, आपके डिपार्टमेंट में 30 प्रतिशत तो कर्मचारी हैं। क्या वह एफिशिएंटली बिल बनाने का और बांटने का काम टाइम पर कर सकते हैं ? इसी के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह शिकायत आपके विभाग के पास नहीं है, और किसी जगह के बारे में नहीं कहना चाहता लेकिन मेरे नैनवां विधान सभा क्षेत्र से सैकड़ों शिकायतें काश्तकार करते हैं कि बिल में राशि इसलिए बढ़ाकर दी जाती है ताकि गांव का काश्तकार दस-दस दफा, बीस-बीस दफा घूमे और जो करप्ट कर्मचारी वहां बरसों से बैठे हैं वह उनसे राशि लें, उनसे रिश्वत की राशि लें और फिर कुल मिलाकर पैसे वापस कम करें ? ऐसी शिकायत जब सैकड़ों आती हैं, तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ इमीडियेट एक्शन क्यों नहीं होता है ? आज 30 प्रतिशत जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की भरती वर्षों से नहीं हुई है और जिस तरह से की जा रही है, चोर दरवाजे से एक दो की तो क्या आप कर्मचारियों की पूर्ति करके और बिलों को टाइमली किसानों को देंगे ? यह मसला, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत ज्यादा गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।....

श्री रामनारायण मीणा : दो दिन पहले जब बिल मिलेगा, कर्मचारी नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से बिल लेट होगा और जब विभाग की गलती से बिल लेट पहुंचता है और देर से जमा होता है क्या उसके बारे में कोई व्यवस्था करेंगे ताकि उपभोक्ता को नुकसान न हो ?

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र इटावा का सब डिविजन सुल्तानपुर है और वहां से मेरा विधान सभा क्षेत्र 80 किलोमीटर दूर गुडला के रोड तक है, उस क्षेत्र में जो भी बिल उपभोक्ताओं को दिये जाते हैं, गांव में कर्मचारी बिना गये ही बिल बनाकर देते हैं और अधिक राशि के बिल दिये जाते हैं।...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये...। श्री शिव किशोर सनाढ्य।

श्री रामगोपाल बैरवा : बार-बार कोटा सम्बन्धित अधिकारियों से शिकायत

(श्री रामगोपाल बैरवा)

की लेकिन उस समस्या का निवारण आज दिन तक भी नहीं हुआ है। इस समस्या के लिये माननीय मन्त्री महोदय क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके बाद मैं बोल रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक प्रश्न में दो सप्लीमेंट्री हों तो बहुत ठीक रहेगा। अभी तीन प्रश्न ही नहीं हुए हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इसी प्रश्न के बारे में प्रश्न है कि टाइम से जो बिल नहीं आते हैं, दो दिन पहले आते हैं या तारीख डाल दी जाती है उनमें भी पैसा लगाया जाता है, एक बात। दूसरी बात, यह है कि बिल बढ़ा कर आते हैं। मैं अपने खुद के फार्म के बारे में बता रही हूं कि मेरे फार्म का कुआं 6 महीने से खराब पड़ा है और उसके बावजूद भी उसका बिल बढ़-बढ़ कर आ रहा है और जब मैं उसके साथ लेटर भेजती हूं तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता। दूसरी बार जब बिल भेजते हैं, तो पहले वाले बिल की राशि और जोड़ कर भेज देते हैं। तीन महीने से मैं बराबर पत्र भेज रही हूं। मेरे साथ यह हो रहा है तो गरीब किसान के साथ क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय ताम्बी साहब।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रसग में दो प्रश्न और उभर कर सामने आते हैं। पहला प्रश्न तो जैसा कि बार-बार चर्चा में आ रहा है कि किसान को कभी बिल समय पर नहीं मिलता, उपभोक्ताओं को कभी समय पर बिल नहीं मिलता एक दो दिन पहले मिलता है और उसके बाद वह जमा कराने जाता है या नहीं पहुंच पाता है....।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पाइंटेड प्रश्न पूछें।

श्री रतनलाल ताम्बी : दूसरा, हमारे इलाके में बिजली बराबर मिलती नहीं है उसके बावजूद बिल आ रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : तीसरा प्रश्न और सुनिये। जहाजपुर नगरपालिका 1968 से है पर बिजली विभाग ने आज भी उसको गांव मान रखा है। इसलिए वहां पर अस्पताल और वाटरवर्क्स तक को बराबर सप्लाई नहीं मिलती है, क्योंकि बिजली विभाग आज तक उसको नगर की परिभाषा में नहीं मान रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। माननीय मंत्री जी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिजली का बिल 12 दिन पहले आ जाता है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। पांच-पांच सप्लीमेंट्रीज करवा दीं....

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा) : माननीय मन्त्री महोदय, आपने यह बताया है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वैसे भी आपने यह बात कई बार उठायी है।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार : माननीय मन्त्री महोदय, टाइम पर बिल मिल जाते हैं तो टाइम पर बिल जमा भी करवा देते हैं। जब से कम्प्यूटर के द्वारा बिल बनाये जा रहे हैं, हजारों की संख्या में बिलों में गलती आ रही है। 253 का बिल या तो 2553 का हो जाता है या और गलती हो जाती है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो कम्प्यूटर के द्वारा बिल बनाये जा रहे हैं उनमें सुधार किया जाए। दो साल से यह लगातार गलतियां आ रही हैं इसकी भी व्यवस्था की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।.... (व्यवधान)

श्री राधेश्याम : उपाध्यक्ष महोदय, 100 रुपये कनेक्शन की फीस लगती है....

श्री उपाध्यक्ष : 6–6, 7–7 सप्लीमेंट्रीज हो गयीं, माननीय मन्त्री जी का जवाब सुनें।

श्री राधेश्याम : दो दिन पूर्व बिल आते हैं और समय पर बिल जमा नहीं हो पाते हैं तो कनेक्शन काट दिये जाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों के और भी प्रश्न हैं फिर वह नहीं आ पाएंगे।

श्री रामनारायण मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय विद्युत बोर्ड को देख रहे हैं फिर भी विद्युत बोर्ड एक्टिव क्यों नहीं हो रहा है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये, पूरी बात उनसे सुन लीजिये।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत बिल आने की बात कुछ अंशों में सत्य है। यह कम्प्यूटर से जो बिलिंग हो रहा है यह अभी प्रारम्भिक स्टेज है। पहले ज्यादा गलतियां आती थीं, अभी भी कुछ गलतियां आ रही हैं। यदि वह गलती लाकर बतलाई जाती है, तो उसको तुरन्त करेक्ट किया जाता है.... व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पूरी बात तो सुन लीजिए आप। पूरा मुद्दा सभी सदस्यों को दिया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : माननीय मंत्री जी, सदन को गुमराह नहीं करें।

श्री उपाध्यक्ष : जिस किसी माननीय सदस्य ने हाथ खड़ा किया है उन सब को बोलने का मौका दिया गया है....(व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजिये....

एक माननीय सदस्य : बरबाद हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब तो सुन लें।

श्री अमराराम चौधरी : तीन-तीन, चार-चार सौ के बिल आते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें। मंत्रीजी की बात को आप नहीं

(श्री उपाध्यक्ष)

सुनेंगे ? जवाब मुझ से चाहते हैं या मंत्रीजी से चाहते हैं ?

श्री अमराराम चौधरी : घर बैठे-बैठे बिल बना देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मंत्रीजी से जवाब लेना चाहते हैं तो बार-बार क्यों खड़े हो जाते हैं। माननीय सदस्य, पूरी बात तो सुनें।....(व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, बिल में सुधार किस स्टेज में किया जाता है। चीफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास जाना पड़ता है। इसमें उसकी क्या गलती है ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये, आपकी सब बातें रिकार्ड हो गयीं।

श्री रामनारायण डूडी : उपाध्यक्ष महोदय, कहीं भी सुनवायी नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी : यह लाइनमैनों से रीडिंग मत करवाओ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी, आप बार-बार खड़े हो रहे हैं, यह ठीक बात नहीं है....(व्यवधान) तीन-तीन, चार-चार बार एक ही व्यक्ति खड़ा होकर अपनी बात कह रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। माननीय सदस्यों को पूरा मौका दे रहे हैं, दस-दस, बारह-बारह सप्लीमेंट्रीज हो रही हैं उसके बावजूद आप बार-बार खड़े हो जाते हैं। माननीय मंत्रीजी को अपनी बात ही पूरी नहीं रखने दे रहे हैं आप।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : आप जवाब सुनने का साहस रखेंगे तो जवाब मिलेगा.... (व्यवधान) जवाब सुनना ही नहीं चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय सदस्यों ने यह बात रखी है कि मीटर रीडर काम नहीं करता है, लाइनमैन यह करता है। इसमें से कुछ बातें सत्य हैं, मुझे मानने में कोई एतराज नहीं है, जरूर होता होगा लेकिन इसकी व्यवस्था के लिये एस. डी. ओ. लेवल पर एक कमेटी बनायी है। एस. डी. ओ. उसके अध्यक्ष हैं और जन-प्रतिनिधि भी उसमें सदस्य हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह समिति (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : (बांदीकुई) : कोई मीटिंग नहीं हुई ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। .. (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : केवल कागजी कार्यवाही है, कोई मीटिंग नहीं हुई है, कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यह कागजी कार्यवाही का बहाना है।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री रामस्वरूपजी मीणा (व्यवधान) मंत्रीजी जवाब देने के लिये खड़े होते हैं आप चार जने एक साथ खड़े हो जाते हैं, पूरी बात भी आप

(श्री उपाध्यक्ष)

नहीं सुनना चाहते। पहले मंत्रीजी की बात तो सुनेंगे नहीं, कैसे चलेगा ? .. (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजिये आप। सुनना ही नहीं चाहते। नेक्स्ट श्री रामस्वरूपजी मीणा।

औषध वितरण केन्द्र, सवाईमाधोपुर

199. **श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) :** क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार नये औषधालय कहां-कहां और कब तक खोलने का विचार रखती है ?

(2) क्या ट्रेनिंग / शुदा वैद्य / कम्पाउण्डर्स को सरकार रोजगार देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार आयु सीमा पार होने जा रहे वैद्य को रोजगार में प्राथमिकता देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार द्वारा जिला सवाई-माधोपुर में औषधि सप्लाई डिपो को समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो वहां औषधि वितरण की क्या व्यवस्था है ?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री अचलाराम मेघवाल) : (1) आगामी वित्तीय वर्ष 1995-96 में राज्य में 20 नवीन औषधालय खोले जाने की घोषणा की गयी है। औषधालय खोलने के स्थान पर राज्य सरकार विचार कर उचित निर्णय लेगी।

(2) आयुर्वेद चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा विज्ञापन दिनांक 22-3-95 को प्रकाशित हो चुका है। आयोग द्वारा चयनित व्यक्ति उपलब्ध होने पर नियुक्ति देने की कार्यवाही की जा सकेगी।

कम्पाउण्डरों के रिक्त पदों पर नवीन नियुक्ति देने की कार्यवाही की जा रही है। सम्भागीय आयुक्तों से रिक्त पदों को भरने हेतु अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (एन.ए सी) प्राप्त की जा रही है। अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कम्पाउण्डरों के पदों पर रोजगार दिया जाना सम्भव होगा।

(3) आयुर्वेद चिकित्सक का पद राजस्थान लोक सेवा आयोग की परिधि में आता है। आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति में नियमानुसार आयु सीमा में आने वाले अभ्यर्थियों से ही आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं।

(4) जी हां। सवाईमाधोपुर जिले में सचालित विभागीय औषधालयों को राजकीय आयुर्वेद रसायन शाला, भरतपुर द्वारा औषधि वितरित की जा रही है।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह बिलकुल उचित नहीं है। एक भी मेरे पाइंट का सही जवाब नहीं दिया है। मैंने सीधा प्रश्न किया था कि सरकार नये औषधालय कहां-कहां और कब खोलने का विचार रखती है। आपने कहा कि आगामी वित्त वर्ष 1995-96 में राज्य सरकार ने 20 नवीन औषधालय खोलने

(श्री रामस्वरूप)

की घोषणा की है, औषधालय खोलने के स्थान के बारे में राज्य सरकार उचित विचार कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है आपके माध्यम से, अब ये औषधालय सरकार कब तक खोलेगी ? घोषणा कर रही है खाली। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये औषधालय कब तक खोल दिये जाएगे, पहला प्रश्न ?

दूसरा, इसी से सम्बन्धित प्रश्न है कि औषधालय खोलने के स्थान के बारे में सरकार की क्या नीति है ? और किस-किस ग्राम और किन-किन जगहों पर ? क्या इनमें एस. सी., एस. टी. क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी और औषधालय खोले जाएंगे ? कहां-कहां खोले जाएंगे ? ये दो प्रश्न मेरे सीधे हैं, इनका जवाब पहले दें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। मंत्रीजी।

श्री अचलाराम मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी बजट भाषण में यह घोषणा की है तो इसके ऊपर तो अभी विचार किया जाएगा खोलने पर। अब कहां-कहां खोलने की स्थिति है वह मानदण्ड में तय किया हुआ है उनके अनुसार हम तय करेंगे और प्रायोरिटी में कहां आते हैं वहां खोलने की हम व्यवस्था करेंगे। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम : उपाध्यक्ष महोदय, खोलने के मानदण्ड क्या हैं ? यह तो बता दो कृपा करके।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। राधेश्यामजी बिराजें। हरिसिंह जी।

एक माननीय सदस्य : जो गत वर्ष विधान सभा में बोला था वही मानदण्ड है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट सरकार ने चिकित्सा को समर्पित किया है, तो चिकित्सा का मतलब सिर्फ एलोपेथिक चिकित्सा से ही है या आयुर्वेदिक चिकित्सा से भी है और यूनानी चिकित्सा कहां गयी ? चिकित्सा को समर्पित होने वाले बजट में मंत्री महोदय आप बहुत कमजोर साबित हुए हैं। आयुर्वेद की दुर्गति कर दी गयी है....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : 20 औषधालय खोलने का मतलब यह है कि आप.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्राइंटेड प्रश्न पूछिये। माननीय सदस्य, बिराजें....(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) :....आपकी तरफ के इस बजट में अपने प्रावधान करवा लिये, देहाती इलाके आयुर्वेद को ज्यादा अपनाते हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें आप।

श्री हरिसिंह (महुआ) : होम्योपैथिक को ज्यादा अपनाते हैं, यूनानी को ज्यादा अपनाते हैं। आप अपनी वकालत करें, आप बहुत ही कमजोर मंत्री साबित हुए हैं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें । माननीय सदस्य बिराजें।

श्री अचलाराम मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी कहीं कमजोरी नहीं है। गत वर्ष की तुलना में चार गुणा अधिक औषधालय खोले गये हैं। गत वर्ष सिर्फ 5 थे, इस वर्ष 20 हैं और आपकी वकालत से. वित्त मंत्री महोदय दे देते हैं तो मैं खोल दूंगा।

श्री राधेश्याम : गंगानगर में गत वर्ष भी नहीं खुला। क्या अब खोलने का इरादा है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुनलालजी जीनगर।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री मण्डल के जितने सदस्य हैं उतने भी हिस्से में नहीं आये हैं।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चार पाइंट हैं, चारों में दो ही में मैंने क्वेश्चन पूछा है, सप्लीमेण्ट्री दूसरे ही पूछ रहे हैं, मेरा तो नम्बर ही नहीं आया है। दो और हैं साहब मेरे सप्लीमेण्ट्री ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। माननीय श्री अर्जुनलाल जीनगर।

श्री अमराराम चौधरी : क्या मंत्रीजी राजस्थान के पढ़े-लिखे आयुर्वेदिक कम्पाउण्डरों को ही नौकरी देंगे या बाहर से बुलाकर देंगे ?....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री अमराराम चौधरी : आज यहां बाहर हड़ताल हो रही है आयुर्वेदिक कम्पाउण्डरों की। जहां राजस्थान वालों को पहले अगर नौकरी नहीं देंगे, तो एक बहुत बड़ा धोखा होगा और हमारे यहां के लड़के बेरोजगार रहेंगे और रोटी के लिए उनको तरसना पड़ेगा। इसलिए पहले प्राथमिकता देकर उनको लगावें।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जवाब दिया प्रश्न का कि क्या सरकार जो ट्रेनिगशुदा वैद्य, कम्पाउण्डर हैं उनको रोजगार देगी ? मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में कितने वैद्य, कम्पाउण्डर के पद राजस्थान में रिक्त हैं ? उनको आप क्यों नहीं भर रहे हैं ? आप क्यों नहीं भर रहे हैं उनको ? आप औषधालय तो खोलो तो खोलो, आप खाली पदों को भी नहीं भर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें....(व्यवधान) ....स्पेसिफिकली पूछिये माननीय सदस्य। बिराजें....(व्यवधान) आप बिराज जाएं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सैकड़ों की संख्या में डिग्री लिये बैठे हैं। राज्य सरकार उनको कब तक रोजगार देगी इस बारे में उनके लिये उचित व्यवस्था की जाए... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ....बेरोजगार जो बैठे हुए हैं उनको .. (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय मंत्री महोदय, यह जवाब दें कि जो डिग्रीधारी आयुर्वेद स्नातक हैं उनको कब तक रोजगार दिया जाएगा ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसमें लिखा है, रिक्त पदों पर नवीन नियुक्ति देने की कार्यवाही की जा रही है....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उनकी आयु सीमा जा रही है, सरकार उनको रोजगार नहीं दे रही है....(व्यवधान) 440 दिन से उनकी हड़ताल चल रही है, बाहर धरने पर बैठे हुए हैं,+++ मंत्रीजी को.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप धरने की बात कह रहे हो या अपने प्रश्न का जवाब लेना चाह रहे हो माननीय सदस्य । (व्यवधान)....बिराजें आप । ..(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ....दूसरा कौन है जवाबदार । जवाब दिलवाइये मंत्रीजी से....

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब तो पूरा सुनिये, बिराजिये... (व्यवधान) माननीय सदस्य जवाब तो पूरा सुनेंगे भी नहीं और ....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्बन्धित मंत्री से इसका जवाब दिलवाइये कि कब तक जो बेरोजगार स्नातक हैं उनको रोजगार देने की सरकार की तरफ से व्यवस्था की जा रही है.... (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : माननीय सदस्य सुनेंगे या नहीं सुनेंगे .. (व्यवधान) कब तक भरेंगे, यह जवाब दें मंत्रीजी ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : पहले आप जवाब दिलवाइये .. (व्यवधान) सम्बन्धित आयुर्वेद मंत्री महोदय से जवाब दिलवायें कि कब-तक स्नातक बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा... (व्यवधान)... कब तक सरकार बेरोजगारों को रोजगार देगी ? कब तक पद सृजित किये जाएंगे ? कब तक उनको रोजगार दिया जाएगा ?.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें ।

श्री रामस्वरूप : पहले आप इसका जवाब दिलवाओ मंत्री महोदय से, उसके बाद... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक-एक प्रश्न पूछें ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आयुर्वेद मंत्री महोदय से स्पेसिफिक जवाब दिलवायें कि स्नातक बेरोजगारों को रोजगार कब तक दिया जाएगा ? उनकी आयु सीमा भी पार हो गयी है । उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है सरकार की ओर से । सरकार इस बात की स्पेसिफिक घोषणा करे ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें ।

श्री परसादी लाल मीणा : आप आयुर्वेद मंत्रीजी से जवाब दिलवायें ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस सवाल का जवाब राजस्व मंत्रीजी से नहीं चाहते, हमें आयुर्वेद मंत्रीजी से चाहिए ।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

श्री रामस्वरूप : जो बेरोजगार बैठे हैं....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, बेरोजगार स्नातक आयुर्वेदिक डिग्रीधारियों को रोजगार कब तक मिलेगा इसका जवाब आयुर्वेद मंत्रीजी से चाहते हैं .. (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : कब तक उनको रोजगार दे रहे है....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : वह देना चाहते हैं, आप सुनना ही नहीं चाहते हो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : कृपया आयुर्वेद मंत्री महोदय से जवाब दिलवायें (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आयुर्वेद मंत्री महोदय से जवाब दिलवायें....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजें आप, यह क्या हो रहा है....

श्री परसादी लाल मीणा : हम तो खाली पदों को भरने की बात कह रहे हैं, सरकार कब तक खाली पदों को भरेगी ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : जितने बेरोजगार जो कम्पाउण्डर बैठे हैं उनको सरकार.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री बहुत सीधी है। जो स्थान आयुर्वेदिक औषधालय में कम्पाउण्डर और वैद्यों के खाली पड़े हैं उनको क्यों नहीं भरा जाता और वे कब तक भर दिये जाएंगे ? सीधा सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(माननीय सदस्य श्री रामस्वरूप सदन के वैल में आकर धरने पर बैठे)

श्री परसादी लाल मीणा : प्रश्नकाल में एक मिनट बाकी है आप जवाब दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया)
परिशिष्ट-1 देखें।)

(12.00)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण

295. **श्री हीरालाल** (बामनवास) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य कर्मचारी पर आश्रित माता-पिता की उनके चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण हेतु मासिक आय कितनी निर्धारित की गयी है ? यह मासिक आय कब निर्धारित की गयी थी ?

(2) क्या सरकार निर्धारित मासिक आय सीमा में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों ?

(24)

उत्तर

(1) राज्य कर्मचारी पर आश्रित माता-पिता की उनके चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण हेतु मासिक आय 1000/– रुपये दिनांक 1.1.1991 से निर्धारित है।

(2) जी नहीं। वर्तमान मासिक आय सीमा पर्याप्त है, अतः राज्य सरकार उसमें परिवर्तन औचित्यपूर्ण नहीं मानती।

इन्दिरा गांधी नहर पर बसे दुकानदारों को सहायता

296. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या इन्दिरा गांधी नहर की आर. डी. 465 पर बसी हुई आबादी के कमजोर पिछड़े वर्गों के दुकानदारों का आगजनी से हुए नुकसान हेतु मुख्य मंत्री सहायता कोष से सहायता देने की मांग क्षेत्रीय विधायक द्वारा की गयी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

जिला कलक्टर, बीकानेर ने अपने पत्र कमांक सी. बी./सहा/लेखा95/3208, दिनांक 20.3.95 के तहत इन्दिरा गांधी नहर की आर. डी. 465 पर बसी हुई आबादी के कमजोर पिछड़े वर्गों के दुकानदारों का आगजनी से हुए नुकसान की रुपये 98,200/–हेतु मुख्य मंत्री सहायता कोष से स्वीकृत करने हेतु सिफारिश की। इस क्रम में राजस्थान मुख्य मंत्री अकाल एवं बाढ़ सहायता कोष से रुपये 9820/– की राशि डी. डी. संख्या 352266, दिनांक 31.3.95 द्वारा जिला कलक्टर, बीकानेर को भिजवा दी गयी है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं

297 श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा गत वर्ष कनिष्ठ लिपिकों के पद हेतु परीक्षा आयोजित की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उसके परिणाम घोषित कर दिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या वर्ष 1986 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कनिष्ठ लिपिकों हेतु ली गयी परीक्षा में उत्तीर्ण समस्त परीक्षार्थियों को राज्य सेवा में ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो कितने प्रतिशत प्राप्तांकों वाले उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को राज्य सेवा में लिया गया है ? तथा शेष कितने प्रतिशत प्राप्तांक वाले उत्तीर्ण परीक्षार्थी राज्य सेवा से वंचित रहे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1986 में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में समय-समय पर अपील की गयी है ? यदि हां, तो कब-कब ? इस सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा कब-कब क्या-क्या निर्णय दिये गये ?

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(4) सरकार द्वारा निर्णयों की किस सीमा तक अनुपालना की गयी ? न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 31.3.95 को प्रथम चरण का परिणाम स्थानीय अखबारों में प्रकाशित किया जा चुका है।

(2) जी नहीं। राज्य सेवा में निम्न प्रतिशत वालों को सेवा में लिया :–

(1) सामान्य अभ्यर्थी 60.5%
(2) अनुसूचित जाति 43.5%
(3) अनुसूचित जनजाति 30.5%

उपरोक्त प्रतिशत से कम प्राप्तांक वाले सभी अभ्यर्थी राज्य सेवा से वंचित रहे।

(3) जी हां। विवरण निम्न प्रकार है :–

	निर्णय की तिथि	
	उच्च न्यायालय	उच्चतम न्यायालय
(1) 58 याचिकाएं 1990 की हैं	1 8.90	—
(2) 2 याचिकाएं ,,	10.10.90	—
(3) 689 याचिकाएं ,,	24.11.90	—
(4) 1 याचिका 1991 की है	10.4.91	—
(5) 830 याचिकाएं 1991 की हैं	7.5.92	—
(6) 3 याचिकाएं 1993 की हैं	—	27.9.93

(4) न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों की सरकार द्वारा समय-समय पर पूर्ण पालना की गयी है। निर्णयों की प्रतियां संलग्न हैं।

(नियमों की प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व भूमि की रक्षा

298. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार की राजस्व भूमि जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है उसकी रक्षा की जिम्मेदारी राजस्व पटवारियों की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्राम खानपुर और आसोटा पटवार मण्डल आसोटा में स्थित कीमती सरकारी भूमियों पर पटवारी हल्का की मिलीभगत से लोगों ने कब्जे कर रखे हैं ? यदि हां, तो किस-किस के द्वारा कब-कब से किस-किस भूमि पर कितना-कितना कब्जा कर रखा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन सब नाजायज कब्जे वालों की अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी

(श्री हरजीराम बुरड़क)

ने नहीं की है ? यदि हां, तो कौन-कौन से मामले की ओर क्यों ? इस सम्बन्ध में पटवारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? नहीं की गयी तो क्यों तथा अब क्या कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स, 1957 के नियम 24 एवं नियम 24 (4) एवं (5) से पटवारी बाध्य है कि वह जिस मण्डल के लिए नियुक्त है उसमें अवस्थित राजस्व भूमि-पर अतिक्रमण होने से रोके। साथ ही अतिक्रमण होने की दशा में इन्हीं नियमों के नियम 89 के प्रावधानों के अनुसार खसरा परिवर्तनशील तैयार करने और रिपोर्ट करने के लिए पटवारी उत्तरदायी है।

(2) ग्राम खानपुर और आसोटा में 22 व्यक्तियों द्वारा 13 बीघा 19 बिस्वा सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण किये गये हैं। ग्राम वार नामजद सूची संलग्न परिशिष्ट (1) सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) नाजायज कब्जा करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पटवारी ने अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। जिन पर की गई कार्यवाही परिशिष्ट (1) में अंकित है। पटवारी द्वारा खरीफ गिरदावरी के दौरान रिपोर्ट पेश कर दिये जाने से उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(सूची अस्पष्ट होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में ए. सी. एम. कार्यालय

299. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में सरकार ए. सी. एम. का कार्यालय खोलना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) इस ए. सी. एम. कोर्ट के लिए क्या सरकार ने कोई भूमि आवंटित की है ? यदि हां, तो कहां ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। इस हेतु कोई भूमि का आवंटन नहीं किया गया है।

तहसील देवली की गैर-मुमकिन आराजी पर से बेदखली

300. श्री जगदीश प्रसाद मीणा (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सतवाड़ा, पटवार सर्किल बन्थली, तहसील देवली के गैर मुमकिन आराजी खसरा नं० 74 पर से अतिक्रमी श्री बाबूलाल पुत्र श्री ओंकार के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उसे वास्तविक हक से बेदखल कर मौके से अतिक्रमण को हटा दिया गया है ? यदि हां, तो ग्राम के किन व्यक्तियों के समक्ष ?

(श्री जगदीश प्रसाद मीणा)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आराजी पर वर्तमान में भी उक्त अतिक्रमी का कब्जा है ?

(3) क्या उक्त आराजी से वास्तविक अतिक्रमण हटाने हेतु सरकार एवं जिलाधीश को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह कब और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(4) क्या सरकार इस अतिक्रमण को वास्तविक रूप से हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम सतवाड़ा पटवार सर्किल बन्थली, तहसील देवली के गै. मु. आ. ख. न. 74 पर से अतिक्रमी श्री बाबूलाल पुत्र ओंकार मीणा को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर मौके पर से अतिक्रमण हटाकर बेदखल कर दिया गया था। अतिक्रमण किन व्यक्तियों के समक्ष हटाया गया, इसका विवरण उपलब्ध नहीं है।

(2) जी हां। यह सत्य है कि अतिक्रमी ने पुनः कब्जा किया है।

(3) इस प्रकार का कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ इसके सम्बन्ध में जिला कलक्टर, टौंक के कार्यालय में कार्यवाही विचाराधीन है।

(4) जी हां। अतिक्रमण को शीघ्र ही हटा दिया जायेगा।

कृषि भूमि रूपान्तरण के नियमों का सरलीकरण

301. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि भूमि रूपान्तरण के नियमों में सरलीकरण के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये हैं ?

(2) नियमों में सरलीकरण से जयपुर की कितनी सोसायटियों का नियमन हो चुका है ?

(3) कितनी सोसायटियों की भूमि का नियमन होना अभी शेष है ?

(4) सरकार शेष सोसायटियों का नियमन कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) कृषि भूमि रूपान्तरण के नियमों को सरल करने के लिये राज्य सरकार ने विचार विमर्श कर आदेश क्रमांक प–2(8) राज/भू. रु./90 दिनांक 18-2-94 जारी किये।

(2) नियमों में सरलीकरण के पश्चात् जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा सम्पादित किये गये शिविरों में अब तक 135 आवासीय योजनाओं का नियमन किया जा चुका है।

(२८)

(राजस्व मंत्री)

(3) पूर्व में भूमि रूपान्तरण कार्यालय में नियत अवधि में कुल 996 योजनाएं आवेदित हुई थीं जिसमें से 861 शेष हैं।

(4) नियमन से शेष रही योजनाओं का परीक्षण किया जाकर नियमन की कार्यवाही की जा रही है।

अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून के तहत भूमि का अधिग्रहण

302. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भरतपुर जिले में कृषि जोतों की अधिकतम सीमा संबंधी कानून के अन्तर्गत कितनी भूमि अधिग्रहण योग्य तय की गयी है? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अधिग्रहण योग्य भूमि में से कितनी भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है तथा कितनी शेष है? शेष भूमि की सूची तहसीलवार जिसमें भूमि धारकों का नाम व पता अंकित हो, सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अधिग्रहीत भूमि का आबंटन हुआ है? यदि नहीं, तो कितनी भूमि का और वह कब तक आबंटित हो जावेगी?

(4) शेष अधिग्रहण योग्य भूमि का कब्जा कब तक ले लिया जावेगा?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में कृषि जोतों की अधिकतम सीमा संबंधी कानून के अन्तर्गत 1204.51 एकड़ भूमि अधिग्रहण योग्य तय की गयी है, जिसमें से तहसील भरतपुर की 151 एकड़ भूमि आदेश दिनांक 27.7.93 के द्वारा सीलिंग से मुक्त की गयी है। अधिग्रहण योग्य तय की गयी भूमियों का तहसीलवार विवरण इस प्रकार है :–

क्र. सं.	नाम तहसील	अधिग्रहण योग्य तय की गयी भूमि
1.	भरतपुर	264.00 एकड़
2.	कुम्हेर	75.64 एकड़
3.	नदबई	13.37 एकड़
4.	कामां	81.00 एकड़
5.	डीग	254.00 एकड़
6.	बयाना	388.00 एकड़
7.	वैर	2.50 एकड़
8.	रूपवास	126.00 एकड़
		1204.51 एकड़

(2) उक्त अधिग्रहित योग्य भूमि में से 859.92 एकड़ भूमि कब्जेरांज ली जा चुकी है तथा 193.59 एकड़ भूमि अधिग्रहण (कब्जेराज) से शेष है। शेष भूमि का विवरण इस प्रकार है :–

क्र. सं.	तहसील	ग्राम का नाम जहां भूमि स्थित है।	भूमि एकड़ में	भूमिधारक का नाम एवं पता
1.	भरतपुर	कस्बा भरतपुर चक काजी	81.00	कर्नल सवाई बृजेन्द्र सिंह भू.पू. महाराजा भरतपुर।

(राजस्व मंत्री)

2. भरतपुर	सेवर कलां	7.00	श्री समंदर सिंह पुत्र धर्मसिंह जाट, सेवर
3. कुम्हेर	चैक शेह	62.22	बचनसिंह वगैरह पिस. प्रताप सिंह नि.-चैक शेह
4. नदबई	हुसनपुर	13.37	बब्बू पुत्र ज्वाली निवासी-हुसनपुर
5. डीग	कौरेर	26.00	चरनसिंह पुत्र गोविंद-सिंह जाट, नि.-कौरेर, पवन कुमार पुत्र चरन-सिंह प्रीतम-सिंह पुत्र चरणसिंह, नि.-कौरेर
		193.59 एकड़	

(3) उक्त अधिग्रहित भूमि में से 343 92 एकड़ भूमि का आवंटन हुआ है, जिसमें से 295.92 एकड़ कृषि योग्य भूमि तथा 48.00 एकड़ अकृषि योग्य है। 516 एकड़ भूमि आवंटन से शेष है जिसमें से 200 50 एकड़ भूमि के मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन होने व स्थगन होने से आवंटन नहीं हुआ है। विवाद रहित शेष 315.56 एकड भूमि में से 272.00 एकड़ भूमि कृषि योग्य तथा 43.50 एकड़ भूमि अकृषि योग्य है। भूमि के आवंटन की कार्यवाही सम्बन्धित उप खण्ड अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

(4) अधिग्रहण योग्य 193.59 एकड़ भूमि के मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं तथा स्थगन आदेश हैं। स्थगन आदेशों के प्रभावहीन होने पर कब्जा लेने की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से प्रारंभ की जायेगी।

कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों हेतु संपरिवर्तन

303. श्री खंगार सिंह (खारची) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पाली जिले में राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 1992 के अन्तर्गत 1-7-1994 से 31-12-1994 तक किस-किस अधिकारी द्वारा किस-किस गांव में किस-किस खसरे की कितनी व कौन-कौनसी भूमि का किस-किस प्रयोजन हेतु किस-किस के हक में किस-किस दिनांक को संपरिवर्तन किया गया ?

(2) प्रश्न के भाग 1 में संपरिवर्तित की गई भूमि का ग्राम की आबादी भूमि के नक्शे के साथ नक्शों में दर्शाते हुए संपरिवर्तन किया गया क्षेत्र आबादी की सीमा से कितनी-कितनी दूरी पर है ? क्या यह नक्शा व नाप बन्दोबस्त की शीट से बताया जा सकता है ?

(श्री खंगार सिंह)

(3) प्रश्न के भाग (1) व (2) का विवरण केवल एक हैक्टर तक के संपरिवर्तन किये गये क्षेत्र के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में उप खण्ड अधिकारियों एवं तहसीलदारों द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनों के लिये सपरिवर्तन) नियम, 1992 के अन्तर्गत 1-7-1994 से 31-12-1994 तक 3 मामलों में संपरिवर्तन किया गया है। सूचियां संलग्न हैं।

(2) संपरिवर्तन किये गये मामलों का क्षेत्र आबादी की सीमा से दूरी का विवरण संलग्न सूची में अंकित किया गया है। संपरिवर्तन किये गये खसरा नम्बर एवं आबादी के खसरा नम्बर अंकित करते हुए नक्शा ट्रेस की छाया प्रतियां संलग्न हैं। संपरिवर्तित भूमि का नाप बन्दोबस्त की शीट से बताया जा सकता है।

(3) एक हैक्टर तक के संपरिवर्तन के प्रकरणों का विवरण संलग्न सूचियों में अंकित किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राजकीय सीनियर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतारण में अध्यापिकाओं के रिक्त पद

304. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जैतारण विधान सभा क्षेत्र के राजकीय सीनियर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, जैतारण में कितने-कितने किस-किस श्रेणी की अध्यापिकाओं के पद कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त रिक्त पदों से अध्ययन कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, जिससे छात्राओं एवं अभिभावकों में रोष व्याप्त है ?

(3) यह रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ? क्या अध्ययन व्यवस्था को सुचारु रूप से किये जाने के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा एवं क्या व्यवस्था की गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जैतारण विधान सभा क्षेत्र के राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय, जैतारण में 2 व्याख्याताओं के पद माह अक्टूबर, 1993 से रिक्त हैं।

(2) छात्राओं के अध्ययन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गयी है।

(3) राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं डी. पी. सी. से चयनित प्रत्याशी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों की पूर्ति किया जाना संभव होगा। छात्राओं के अध्ययन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था विद्यालय में कार्यरत योग्यताधारी वरिष्ठ-अध्यापकों को अतिरिक्त कार्य देकर प्रधानाचार्य द्वारा कर दी गयी।

जिला पाली के प्रस्तावित संस्कृत विद्यालय

305. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान पाली जिले में संस्कृत विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में पाली जिले में कुल कितने संस्कृत विद्यालय कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नीमाज (जैतारण) के संस्कृत प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान पाली जिले में निम्नलिखित दो नवीन संस्कृत प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं :-

1. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, चौधरी माता की ढाणी जिला-पाली।
2. राज. प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, अनन्तबासनी, जिला-पाली।

(2) वर्तमान में पाली जिले में एक प्रवेशिका स्तर, तीन उच्च प्राथमिक तथा 19 प्राथमिक स्तर के संस्कृत विद्यालय संचालित हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) वर्ष 1995-96 में उच्च प्राथमिक स्तर की क्रमोन्नति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

शिक्षा विभाग के आंतरिक अंकेक्षण दल

306. श्री शान्तिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शिक्षा विभाग (प्राथमिक एवं माध्यमिक) के अन्तर्गत राजस्थान में कुल कितने आंतरिक अंकेक्षण दल हैं ?

(2) इन अंकेक्षण दलों पर किस स्तर के अधिकारी का सुपरवीजन होता है ?

(3) क्या इस हेतु सरकार ने कोई मानदण्ड निर्धारित कर रखे है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के मुख्य लेखाधिकारी, बीकानेर एव वरिष्ठ लेखाधिकारी, जयपुर द्वारा पिछले तीन वर्षों से सुपरवीजन के मानदण्डों की पालना की गयी ? यदि हां, तो उनके द्वारा किये गये सुपरवीजन का ब्यौरा जिलेवार एवं माहवार सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग प्राथमिक एवं माध्यमिक के अन्तर्गत राजस्थान में कुल 56 अंकेक्षण दल हैं।

(शिक्षा मंत्री)

(2) इन अंकेक्षण दलों पर वरिष्ठ लेखाधिकारी का सुपरवीजन होता है।

(3) जी नहीं । अंकेक्षण दलों के सुपरवीजन हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं हैं।

(4) मापदण्ड निर्धारित नहीं होने के कारण पालना किये जाने, ब्यौरा प्रस्तुत करने तथा कार्यवाही किये जाने की स्थिति नहीं बनती है।

सरकारी भवनों के निर्माण हेतु स्वतन्त्र प्राधिकरण का गठन

307. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि मंगल बिहारी समिति ने राज्य में सरकारी स्कूल भवनों के निर्माण के लिए एक स्वतन्त्र प्राधिकरण के गठन की सिफारिश की है ? यदि हां, तो राज्य सरकार का इस सम्बन्ध में क्या सोच है ?

(2) सरकारी स्कूल भवन निर्माण के लिए सरकार स्वतन्त्र प्राधिकरण की स्थापना कब तक करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) व (2) जी हां। मंगल बिहारी समिति द्वारा इस सम्बन्ध में की गयी सिफारिश के व्यावहारिक पहलुओं का परीक्षण किया जा रहा है। तदुपरान्त ही उचित निर्णय लिया जा सकेगा।

शिक्षा विभाग में अध्यापकों व मंत्रालयिक कर्मचारियों के रिक्त पद

308. **श्री सुन्दरलाल** (सूरजगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग में अध्यापकों व मंत्रालयिक कर्मचारियों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ? पद रिक्त रहने के कारण क्या हैं ?

(2) अनुसूचित जाति के बैकलॉग की वर्षवार स्थिति क्या है तथा यह कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। अध्यापकों के 3076 पद तथा मंत्रालयिक कर्मचारियों के 5210 पद 31 जनवरी तक रिक्त हैं। सूचना संकलित की जा रही है। यह पद पदोन्नति, पदोन्नति का परित्याग, सेवानिवृत्ति, नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करने आदि के कारण रिक्त हैं।

(2) वर्ष 1994-95 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। अतः अनुसूचित जाति के बैकलॉग की स्थिति भर्ती प्रक्रिया समाप्त होते ही संकलित कर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

राज्य में अध्यापकों के रिक्त पद

309. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जुलाई, 1994 में द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के कितने पद

(श्री ओम प्रकाश शर्मा)

राज्य में रिक्त थे ? 28 फरवरी, 1995 तक कितने शिक्षकों को पदस्थापित किया गया ? अब कितने पद रिक्त हैं ? उन्हें कब तक भर दिया जावेगा ?

(2) बूंदी जिले में जुलाई 1994 में कितने पद द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के रिक्त थे ? वर्ष 1994—95 में कितने पदों के लिए फार्म मांगे गये तथा उनमें से कितनों का पदस्थापन किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें। यदि रिक्तियों के अनुसार पूर्ण पदस्थापन नहीं किया गया तो क्यों ? अब रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जुलाई 1994 में II ग्रेड के 1489 पद तथा III ग्रेड के 6431 पद रिक्त थे। II ग्रेड में 606 तथा III ग्रेड में 4891 को माह फरवरी, 1995 तक नियुक्तियां दी गयी। शेष 883 II ग्रेड एवं 1540 III ग्रेड के पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

(2) बूंदी जिले में जुलाई, 1994 में 14 पद द्वितीय श्रेणी के एवं 115 तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के पद रिक्त थे। वर्ष 1994-95 में 24 द्वितीय वेतन श्रृंखला तथा 142 तृतीय वेतन श्रृंखला के लिये फार्म भरे गये थे। वर्ष 1994-95 में 24 द्वितीय श्रृंखलातथा 115 तृतीय वेतन श्रृंखला में पद स्थापन किये गये। तृतीय वेतन श्रृंखलामें भरने की प्रक्रिया चल रही हैं।

प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में उच्च-प्राथमिक शाला

310. श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

( ) क्या सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक उच्च प्राथमिक शाला खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त करने का सरकार का विचार है ?

(2) डग विधान सभा क्षेत्र की कुल 51 ग्राम पंचायतों में से कितनी ग्राम पंचायतों में उच्च प्राथमिक शालायें खोली जा चुकी हैं ? इन ग्राम पंचायतों में खोले गये स्कूलों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) डग विधान सभा क्षेत्र की शेष कितनी ग्राम पंचायतों में उच्च प्राथमिक शालायें खोली जाना शेष हैं एवं इन पंचायतों में सरकार कब तक उच्च प्राथमिक शालायें खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1995—96 में ऐसी ग्राम पंचायतों में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है जहां पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र डग की आठ ग्राम पंचायतों में 8 माध्यमिक विद्यालय, 21 ग्राम पंचायतों में उच्च प्राथमिक

(३५)

(शिक्षा मन्त्री)

विद्यालय हैं सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) डग विधान सभा क्षेत्र की 22 ग्राम पंचायतों में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1995-96 के प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर इनको क्रमोन्नत करने पर विचार किया जायेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

उदयपुर जिले के लेम्प्स एवं पेक्स

311. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में कितने लेम्प्स एवं पेक्स कार्यरत हैं ? उनमें कौन-कौन से पद सृजित हैं ?

(2) लेम्प्स एवं पेक्स के क्या नार्म्स एवं कार्यक्षेत्र निर्धारित हैं ?

(3) निर्धारित नार्म्सानुसार वर्तमान में कार्य किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या-क्या ?

(4) क्या इन लेम्प्स एवं पेक्स के लेखों का आडिट होता है ? यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में किस-किस लेम्प्स का कब आडिट किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या आडिट में कमी/बेशी पायी गई ? यदि हां, तो विवरण लेम्प्सवार सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या आडिट में पाई गई कमी/बेशी के लिये जिम्मेदारी का निर्धारण किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी का ? क्या उनसे वसूली की कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो अब तक कितनी वसूली की गई ? लेम्प्स व जिम्मेदार व्यक्ति के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में 71 लेम्प्स व 52 पेक्स कार्यरत हैं। लेम्प्स पेक्स में निम्नलिखितानुसार पद सृजित का प्रावधान है.—

विवरण	नाम पद
(1) पांच लाख एवं अधिक साख व्यवसाय वाले लेम्प्स में	व्यवस्थापक प्रथम ग्रेड
(2) पांच लाख से कम किंतु 50 हजार से अधिक साख व्यवसाय वाले लेम्प्स में	व्यवस्थापक द्वितीय ग्रेड
(3) जिन लेम्प्स में गैर साख व्यवसाय का कार्य किया जाता है के लिये	सहायक व्यवस्थापक
(4) पेक्स में	व्यवस्थापक

(सहकारिता मन्त्री)

(2) राज्य सरकार द्वारा दांते कमेटी की सिफारिश के आधार पर प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां (पेक्स)/वृहताकार कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियां (लेम्प्स) का वर्ष 1976 में पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन में पैक्स के लिये रेगिस्तानी व अर्द्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में 5000 हैक्टर कृषि योग्य भूमि एवं अन्य क्षेत्रों में 2000 हैक्टर कृषि योग्य भूमि का आधार रखा गया। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में लेम्प्स के लिये 4000 हैक्टर कृषि योग्य भूमि तथा 10000 की आबादी का आधार रखा गया। पेक्स/लेम्प्स के कार्यक्षेत्र सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट 1 व 2 पर उपलब्ध है।

(3) जिले में पेक्स/लेम्प्स को निर्धारित नोर्म्स के अनुसार कार्य करने के निर्देश हैं। पेक्स/लेम्प्स द्वारा मुख्य रूप से ऋण एवं अमानत प्राप्त करना, सदस्यों को ऋण वितरण करना, खाद बीज तथा पौध रसायन व उपभोक्ता सामग्री का वितरण करना एवं ऋण वसूली करना आदि कार्य किये जाते हैं। लेम्प्स में विशेष रूप से लघुवन उपज संग्रहण का कार्य भी किया जाता है।

(4) जी हां। पिछले दो वर्षों में लेम्प्स का कब आडिट किया गया है, की सूचना परिशिष्ट-3 में सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(5) जी हां। लेम्प्सवार विवरण परिशिष्ट-4 में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(6) जी हां। विवरण लेम्प्सवार व जिम्मेदार व्यक्ति के नाम सहित परिशिष्ट 5 में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया।)

राजस्थान के प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बेंक

312. श्री अमराराम (धोद) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान की समस्त प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में प्रशासक नियुक्त हैं ? यदि हां, तो भूमि विकास बैंक, सीकर का प्रशासक कौन है ?

(2) क्या अध्यक्ष भूमि विकास बैंक, सीकर का कार्यकाल पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो उन्हें अभी तक क्यों नहीं हटाया गया ?

(3) सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. ऋण समिति का अध्यक्ष कौन है और उसकी अध्यक्षता में ऋण समिति की कितनी बैठकें हुई तथा किन-किन फर्मों के माध्यम से किन-किन सदस्यों को ऋण वितरित किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सहकारी भूमि विकास बैंक लि. सीकर में दिनांक 1-4-1994 से दिनांक 28-2-1995 तक कितनी ऋण पत्राव-

(श्री अमराराम)

लियां तारीखवार प्राप्त हुई ? कितनी पत्रावलियों पर ऋण स्वीकृत किया गया तथा शेष पत्रावलियों पर क्या कार्यवाही हुई ?

(5) क्या पत्रावलियों पर वरिष्ठता के आधार पर ऋण की स्वीकृतियां दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो ऋण स्वीकृति के मापदण्ड क्या हैं ?

(6) भूमि विकास बैंक, सीकर ने पिछले तीन वर्ष में किन-किन फर्मों को कुल कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सीकर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक में निर्वाचित संचालक मण्डल कार्यरत है।

(2) जी हां। सीकर प्राथमिक भूमि विकास बैंक के संचालक मण्डल का कार्यकाल दिनांक 8-1-95 को पूर्ण हो गया है। कार्यकाल पूर्ण होने पर निर्वाचित संचालक मण्डल को हटाया जाना वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है।

(3) सीकर प्राथमिक भूमि विकास बैंक लि. की ऋण उप समिति के अध्यक्ष श्री सतोष सिंह, अध्यक्ष बैंक है। ऋण समिति की 42 बैठकें हुई हैं। ऋण वितरण जिन-जिन फर्मों के माध्यम से जिन-जिन सदस्यों को किया गया है, उनकी सूची संलग्न परिशिष्ट (अ) पर उपलब्ध है।

(4) सीकर प्राथमिक भूमि विकास बैंक लि. में दिनांक 1.4.94 से दिनांक 20.2.95 तक 1377 ऋण पत्रावलियां प्राप्त हुई। इनमें से 1272 ऋण पत्रावलियों में ऋण स्वीकृत किया गया तथा शेष 05 ऋण पत्रावलियों पर कार्यवाही जारी है। सूची संलग्न परिशिष्ट (ब) पर उपलब्ध है।

(5) जी हां।

(6) सीकर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा पिछले तीन वर्षों में जिन-जिन फर्मों को भुगतान किया गया है, उसकी सूची संलग्न परिशिष्ट (स) पर उपलब्ध है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्न संख्या-313

(स्थगित)

जिला वन समिति, बून्दी के प्रस्ताव

314. श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला वन समिति, बूंदी की बैठक दिनांक 9 जून, 1971 में वन भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित करने बाबत प्रस्ताव पारित किए थे ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रस्तावों में से प्रस्ताव संख्या 11 को संशोधित किया जाकर सचिव जिला परिषद्, बून्दी द्वारा पत्र क्रमांक 1163-67 दिनांक 16-7-1971, 10-7-1971 के जरिये उप वन अधिकारी, बून्दी एवं अन्य अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचना प्रेषित

(श्री रामनारायण)

की गई थी ? यदि हां, तो उक्त पत्र की पालना में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, जिला वन समिति, बून्दी की बैठक दिनांक 9.6.71 में कुछ वन भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित करने बाबत प्रस्ताव पारित किए गए थे। जिला वन समिति की बैठक दिनांक 9.6.71 की कार्यवाही विवरण की प्रति सदन की मेज पर परिशिष्ट–क के अनुसार रख दी गयी है।

(2) सचिव, जिला परिषद, बून्दी के पत्र संख्या 1163–67 दिनांक 16.7.71/19.7.71 द्वारा 9.6.71 की बैठक के कार्यवाही विवरण में प्रस्ताव संख्या 11 जोड़ा जाकर मंडल वन अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को प्रेषित किए गए थे। प्रस्ताव संख्या 11 में ग्राम मानपुरा (खानपुरा) में खसरा नं. 28 कुल रकबा 35 बीघा को वन भूमि से राजस्व विभाग को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव जोड़ा गया था। जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा तद्नुसार कार्यवाही की गयी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

वन विभाग के पेड़ों का वर्गीकरण

315. श्री गोपी चन्द गुर्जर (नगर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या वन विभाग द्वारा पेड़ों का श्रेणियन या वर्गीकरण किया हुआ है ? यदि हां, तो किस श्रेणी में कौन-कौन से वृक्ष आते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि वन विभाग स्वयं या अन्य विभागों एवं संस्थानों को प्रोत्साहित कर पेड़ लगवाने का कार्य करता है ? यदि हां, तो संस्थाओं एवं विभागों की सूची सदन की मेज पर रखें। विभाग किन-किन पेड़ों को प्राथमिकता के आधार पर लगवाता है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वन विभाग द्वारा पेड़ों को लगवाने में प्राथमिकता तय करने के क्या-क्या मानदण्ड हैं ?

(4) फलदार एवं वनौषधि वृक्षों को लगाने में विभाग द्वारा प्राथमिकता नहीं देने के क्या कारण हैं ?

(5) क्या सरकार फलदार एवं वनौषधि वृक्ष लगाकर अपनी आय का नया स्त्रोत बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो सरकार की क्या योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। श्रेणीवार वृक्षों का विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट 'क' के अनुसार रख दिया गया है।

(2) जी हां। संस्थाओं एवं विभागों की सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट 'ख' अनुसार रख दी गई है। वृक्षों का चयन निम्न प्राथमिकता के क्रम में किया जाता है :—

(वन मंत्री)

1. ईंधन व चारा देने वाली प्रजाति के वृक्ष
2. छोटी इमारती लकड़ी देने वाले वृक्ष
3. फलदार वृक्ष
4. छायादार, फूलदार वृक्ष
5. फूलदार झाड़ियां एवं बेलें।

(3) पेड़ों को लगाने में प्राथमिकेता तय करने के मानदण्ड निम्नानुसार हैं :–

1. स्थानीय जलवायु
2. मृदा की गहराई संरचना
3. पानी की उपलब्धता
4. स्थानीय आवश्यकता एवं ग्रामीणों की मांग।

(4) विभाग द्वारा फलदार एवं वनौषधि वृक्षों को लगाने में भी स्थानीय मांग, तकनीकी उपयुक्तता जलवायु तथा मृदा किस्म आदि के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है।

(5) वनौषधिक वृक्षों की तुलना में ईंधन व चारे की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मांग को दृष्टिगत रखते हुए अधिकांश वन विकास योजनाओं में चारा, ईंधन, उपलब्ध कराने वाले वृक्षों का रोपण अधिक किया जाता है तथापि भारत सरकार के सहयोग से केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के तहत वनौषधि एवं लघु वन उपज जिसमें फलदार पौधे भी शामिल हैं, का वृक्षारोपण विभाग द्वारा कराया जाता है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

सोजत (पाली) का ग्रिड स्टेशन

316. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

सोजत, जिला पाली में 132 के. वी. ग्रिड स्टेशन कब बनाया गया ? वहां का लोड कितने एम. डब्ल्यू का है तथा वहां अभी ट्रांसफारमर कितनी क्षमता का लगाया हुआ है ? क्या यह ओवर लोड नहीं है ? यदि हां, तो इस बाबत क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

जिला पाली के सोजत सिटी में 132 कें. वी. ग्री. एस. एस. का निर्माण 19.1.1983 में हुआ था। वर्तमान में 132 के. वी. ग्री. एस. एस. सोजतसिटी में निम्नलिखित क्षमता के ट्रांसफार्मर लगे हुए है :–

ट्रान्सफार्मर	क्षमता
1. 132/33 के. वी	10/12.5 एमवीए
2. 132/11 के.वी.	6.3/8 एम.वी.ए

सोजत सिटी में 10/12 5 एम. वी. ए. 132/33 के. वी. के ट्रान्सफार्मर पर क्षमता से अधिक लोड है। इस ट्रांसफार्मर पर वर्ष 1994-95 में (दिनांक 6.2.95) को दर्ज किया गया लोड 13.3 एम.वी.ए. है। सोजतसिटी सब-स्टेशन पर अतिरिक्त क्षमता का 10/12.5 एम.वी.ए. का अन्य ट्रान्सफार्मर लगाने का प्रावधान किया गया है। यह ट्रान्सफार्मर एन. जी. ई. एफ. कम्पनी द्वारा रवाना किया जा रहा हैं, जिसके प्राप्त होने पर लगा दिया जावेगा।

(ऊर्जा मन्त्री)

132/11 के. वी. के ट्रान्सफार्मर पर 8 एम. वी. ए. क्षमता का लोड है जो क्षमता के अनुरूप है।

राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण पर व्यय

317. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवा) एवं **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डोली) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान ऊर्जा विकास प्राधिकरण पर सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितनी राशि खर्च की जाती है ? इसमें से केन्द्र सरकार से कितनी राशि प्राप्त होती है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त राशि विभिन्न मदों पर खर्च की गई है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि किस-किस मद पर खर्च की गयी ? विगत पांच वर्षों के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अभिकरण निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कर रहा है ? यदि हां, तो किस प्रकार से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण पर राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा की गयी व्यय राशि का विवरण निम्न है (राशि लाखों में)

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा	केन्द्र सरकार द्वारा (x)
1989-90	55.08	5.82
1990-91	78.77	14.89
1991-92	137.48	36.10
1992-93	162.00	21.05
1993-94	182.90	33.26

X भारत सरकार द्वारा प्रदत्त सोलर पैनल का व्यय इस राशि के अलावा है।

(2) जी हां। अभिकरण द्वारा प्राप्त एवं व्यय के मदवार एवं वर्षवार आंकड़ों का मानचित्र संलग्न है।

(3) लक्ष्य एवं प्राप्ति विवरण संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

निर्वाचन क्षेत्र जहाजपुर के ग्रामों में सौर ऊर्जा लाइटें

318. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति जहाजपुर, पंचायत समिति कोटडी (निर्वाचन क्षेत्र जहाजपुर) के ग्रामों में कहां-कहां कितनी सौर ऊर्जा लाइटें लगी हुई हैं ? गांवों की नामावली ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लाइटें बंद हैं ? यदि हां, तो क्यों व कब से तथा इनकी संधारण व्यवस्था कौन करता है ?

५०

(श्री रतनलाल ताम्बी)

(3) क्या सरकार इन लाइटों का भौतिक सत्यापन कराकर संधारण की नियमित एवं स्थायी व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि इनकी बैटरियां खराब हो रही हैं अथवा बेकार हो जाने से जनता को मिलने वाली सुविधा समाप्त हो गई है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति जहाजपुर एवं पंचायत समिति कोटड़ी (निर्वाचन क्षेत्र जहाजपुर) के ग्रामों में स्थापित सौर ऊर्जा लाइटों की संख्या निम्न प्रकार से है।

क्र. सं.	पंचायत समिति	ग्राम का नाम	सौर ऊर्जा लाइटों की संख्या
(i)	जहाजपुर	1. बिहाड़ा	20
		2. अडीमलजी का खेड़ा	5
		3. झोझर	5
		4. बदनपुरा (पण्डेर)	5
		5. मण्डवरा (रोपा)	5
		6. अखेपुरा (रोपा)	5
		7. देवरा (रोपा)	5
		8. आगोलाई (पण्डेर)	5
		9. फन्ता का खेड़ा (मानपुरा)	5
		10. केसरापुरा (टीकड)	5
		कुल लाइटों की संख्या	65
(ii)	कोटड़ी	1. गाडरी खेड़ा	6
		2. गणेशपुरा	6
		कुल लाइटों की संख्या (ब)	12
		कुल लाइटों की संख्या (अ+ब)	77

(2) हां, यह सही है कि जहाजपुर एवं कोटड़ी पंचायत समिति के ग्रामों में लगी लाइटें बन्द है। यह लाइटें मुख्यतया: बैटरी खराब हो जाने के कारण बन्द है। इनकी संधारण व्यवस्था संबंधित विकास अधिकारी करता है। राजस्थान ऊर्जा विकास

(ऊर्जा मन्त्री)

अभिकरण विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत ही इनकी मरम्मत का कार्य हाथ में लेता है।

(3) हां, इन लाइटों के भौतिक सत्यापन कर संधारण की नियमित एवं स्थाई व्यवस्था रेडा के आई. आर. ई. पी. ब्लाक अधिकारी माण्डलगढ़ जिला-भीलवाड़ा की देख-रेख में प्रशिक्षित युवकों के माध्यम से जारी है तथा इन लाइटों को अप्रेल, 1995 तक ठीक करवाने की कार्यवाही जारी है।

(4) यह सही है कि इन लाइटों की बैटरियां खराब हो चुकी हैं क्योंकि इनकी उपयोग में लाने की अवधि करीब तीन वर्ष होती है एवं रेडा द्वारा कोटड़ी एवं जहाजपुर पंचायत समिति के गांवों में लाइटें वर्ष 1986-87 एवं 1988-89, 1989-90 के दौरान स्थापित की गयी थी। इन लाइटों को ठीक करने का कार्य हाथ में लिया जा रहा है तथा अप्रेल, 1995 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है।

ग्राम जलोदा खालियान (कोटा) का विद्युतीकरण

319. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति इटावा जिला कोटा के ग्राम जलोदा खालियान को पिछले तीन-चार वर्षों से विद्युतीकृत घोषित किया हुआ है ?

(2) यदि हां, तो इस गांव को अब तक विद्युतीकृत नहीं किये जाने के क्या कारण रहे तथा सरकार अब कब तक इस गांव को विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, पंचायत समिति इटावा के ग्राम जलोदा खालियान को मार्च, 1992 में विद्युतीकृत घोषित किया गया था।

(2) ग्राम जलोदा खालियान में वर्ष 1993-94 में पोल खड़े किये गये थे लेकिन किसी भी श्रेणी में किसी प्रकार का आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण विद्युतीकरण की अग्रिम कार्यवाही नहीं की गयी अब तार खींच कर ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दे दिये गये हैं ताकि आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही की जा सके।

फैज प्रोग्राम में गांवों का विद्युतीकरण

320. **श्री अमरचन्द मिड्ढा** (सूरतगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अप्रेल, 1990 से दिसम्बर, 1994 तक कुल कितने गांव विद्युतीकरण हेतु फैज प्रोग्राम में घोषित किये जाने के बाद भी विद्युतीकृत नहीं किये गये ?

(2) इन बकाया गांवों को सरकार कब तक विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ?

(3) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में कितने गांव विद्युतीकरण योजना के

(श्री अमरचन्द मिड्ढा)

अन्तर्गत नहीं आये हुए हैं ? सूची पंचायत-वार सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में कितने गांव विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत नहीं आये हैं ?

(5) सन् 1975 के पश्चात् सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जिन गांवों की बढ़ोतरी हुई है, उनमें क्या सरकार विद्युतीकरण हेतु प्रतिवर्ष के बकाया गांवों के प्रतिशत के हिसाब से गांवों को फैज प्रोग्राम में घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो 1995–96 के घोषित किये जाने वाले गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में अप्रेल, 1990 से मार्च, 1994 के 474 ऐसे ग्राम हैं जिन्हें फैज प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया था पर जिनका इस अवधि में विद्युतीकरण नहीं हो सका। पिछले वर्षों में भौतिक लक्ष्यों के अनुपात में बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण भी कई गांवों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा नहीं हो सका है।

(2) सभी ग्रामों का एक साथ विद्युतीकरण सम्भव नहीं है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार प्रति वर्ष शनैः शनैः ही ग्रामों का विद्युतीकरण संभव हो सकेगा। विस्तार से अधिक सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है ताकि उपभोक्ताओं की सेवाओं में गिरावट न आये।

(3) विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में कुल 1061 गांव हैं, जिनमें से मार्च, 1995 के अन्त तक 263 गावों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। अविद्युतीकृत गांवों में से 131 ग्राम क्षेत्र में चल रही ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में स्वीकृत हैं तथा पंचायत समिति अनूपगढ़ में 637 ग्राम व सूरतगढ़ पं. स. में 30 ग्राम अस्वीकृत हैं।

(4) प्रदेश में 1981 की जनगणना के अनुसार 37,124 ग्रामों में से मार्च, 1994 के अन्त तक 2,970 ग्राम विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत आने शेष हैं।

(5) यह एक नीतिगत प्रश्न है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार जो ग्राम जनगणना पुस्तिका, 1981 में अंकित हैं और जो विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हैं उनमें से पंचायत समितिवार ग्रामों को वार्षिक विद्युतीकरण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 1995–96 का विद्युतीकरण कार्यक्रम अभी घोषित नहीं हुआ है। अतः ग्रामों की सूची देना सम्भव नहीं है।

जोधपुर जिले में प्रस्तावित 33 के. वी. सब स्टेशन

321. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में किन-किन स्थानों पर 33 के. वी. सब स्टेशन के निर्माण के प्रस्ताव विद्युत मण्डल को प्राप्त हुये हैं एवं कहां-कहां पर स्वीकृत हुये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

(2) क्या बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में उदलियावास रिया, खांगटा में 33 के. वी. सब स्टेशन निर्माण की कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में निम्नलिखित स्थानों पर 33 के. वी. के सब स्टेशन बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

(1) गज सिंह पुरा (2) मोगराकलां (3) संडिया कलां (4) राजासनी (5) लोहाजाटावास (6) कुण्डल (7) शेतानसिंह नगर (8) मालार (9) रालावास (10) बनाड (11) बुचकला (12) मातोडा (13) धोबफन्टा (14) हरलिया (15) अनवारा (16) बनाकावास इनमें से क्रम संख्या 1 से 4 तक के प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया गया है। क्रम संख्या 5 से 8 तक के अधीक्षण अभियन्ता (जिला वृत), जोधपुर से प्राप्त संशोधित प्रस्तावों की तकनीकी जांच की जा रही है। क्रम संख्या 9 व 10 के भी पुर्ननिरीक्षित प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता (जोधपुर) से अपेक्षित है। क्रम संख्या 11 से 16 तक के प्रस्तावों की तकनीकी जांच की जा रही है।

(2) बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में उदलियावास रिया, खांगटा में 33 के. वी. सब स्टेशन के निर्माण का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

नागौर जिले में कृषकों को विद्युत आपूर्ति

322. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि माह दिसम्बर 1994 से फरवरी 1994 तक विद्युत मण्डल द्वारा नागौर जिले में किसानों को सिंचाई हेतु मात्र 4-5 घण्टे प्रतिदिन विद्युत उपलब्ध कराई गई ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस अघोषित विद्युत कटौती से किसानों की खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ ? यदि हां, तो इसकी क्षतिपूर्ति हेतु सरकार क्या उपाय करने जा रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि अनेकों स्थानों पर कर्मचारियों की लापरवाही से विद्युत आपूर्ति में बाधा पहुंची थी ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार कब तक क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। दिसम्बर, 1994 से फरवरी 1995 तक किसानों को विद्युत आपूर्ति उपलब्धतानुसार औसतन 8 से 5 घण्टे प्रतिदिन पारी में कृषि प्रयोजनार्थ उपलब्ध करायी गयी है। पिछले वर्षों में विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी नगण्य हुई है जबकि खपत में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई है। उसी मात्रा में बिजली का उपयोग करने वाले हजारों उपभोक्ताओं की संख्या में जब वृद्धि प्रतिवर्ष हो जाती है तब विद्युत उपलब्धता में कमी होना स्वाभाविक है।

(५५)

(ऊर्जा मंत्री)

(2) प्रदेश में दो तीन माह पूर्व विद्युत उपलब्धि में मांग के अनुपात में आपूर्ति कम रही। जिसके फलस्वरूप बृहत् उद्योगों पर कटौती कर बड़े शहरों में लोडशेडिंग कर व किसानों को निर्धारित घण्टों से कुछ कम विद्युत उपलब्ध करवाकर विद्युत की मांग एवं आपूर्ति में सामंजस्य रखने के प्रयास किये गये हैं एवं काफी कम उपलब्धि की स्थिति में भी किसानों को निरन्तर उपलब्धतानुसार विद्युत आपूर्ति के प्रयास किये गये हैं जिससे किसानों को फसल आदि का नुकसान न हो। अतः क्षतिपूर्ति का प्रश्न ही नहीं है।

(3) आपूर्ति में कमी विद्युत उपलब्धि में कमी के कारण रही। नागौर क्षेत्र में किसी व्यक्ति विशेष कर्मचारी/अधिकारी की लापरवाही से विद्युत आपूर्ति में कोई बाधा पहुंची हो, ऐसी कोई शिकायत विभाग के पास नहीं है। अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

ग्राम भेरा (दौसा) का विद्युतीकरण

323. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत चांदराना के ग्राम भेरा, जिला दौसा को सरकार द्वारा विद्युतीकरण के लिए वर्ष 1984 में चुना गया था ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम में खम्भे लगाने के लिए विभाग ने खम्भे दिनांक 18 फरवरी, 1991 को डाले थे तथा इसके बाद माह दिसम्बर, 199' एवं जनवरी, 1995 के मध्य भी खम्भे डाले गये थे ?

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल दौसा के रिकार्ड में उक्त ग्राम को दिनांक 31 मार्च, 1991 को विद्युतीकृत करने के आदेश किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) अब तक उक्त ग्राम को विद्युतीकृत न करने के क्या कारण रहे, इनमें कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी रहे हैं ? क्या दोषियों के खिलाफ सरकार कार्यवाही करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त ग्राम की 1500 से अधिक की आबादी को ध्यान में रखते हुए उक्त ग्राम में शीघ्र ही विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत चांदराना के ग्राम भेरा जिला दौसा के ग्रामीण विद्युतीकरण ओ. बी. स्कीम, पंचायत समिति दौसा के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में स्वीकृत किया गया था। यह विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित था, इसके लिए अलग से आदेश नहीं दिये गये।

(2) जी हां।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) जी नहीं। ग्राम भेरा को रिकार्ड में 31.3.1990 को ही विद्युतीकृत घोषित कर दिया गया था।

(4) वर्तमान में इस ग्राम में खम्भे खड़े कर लाइन खींच दी गयी है। पूर्व में ग्रामवासियों के आपसी विवाद के कारण लाइन नहीं खींची जा सकी। इसलिये कोई अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी नहीं है।

(5) वर्तमान में ग्राम विद्युतीकृत है और लाइन खींची हुई है। मण्डल द्वारा नियमानुसार कनेक्शन देने की प्रक्रिया जारी है।

बालोतरा सब डिवीजन के ग्रामों में वोल्टेज की कमी

324. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बालोतरा सब डिवीजन के ग्राम आसोतरा, कीटनोदी बिठूजा, भिण्डाकुआ और सराणा में वर्ष 1994-95 में विद्युत वोल्टेज की भार, कमी के कारण हजारों किसानों की मोटर्स जल गयीं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ ?

(2) क्या सरकार वोल्टेज की भारी कमी वाले ग्रामों में भविष्य में वोल्टेज पूरे मिले, इसके लिए ग्राम आसोतरा में विद्युत सब स्टेशन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) बालोतरा उपखण्ड के ग्राम सराना को विद्युत आपूर्ति 11 के. वी. कानाना-सराना फीडर से की जाती है जिसके वोल्टेज रेगुलेशन निर्धारित सीमा में हैं अतः वोल्टेज की कमी नहीं है। ग्राम आसोतरा, कीटनोद, बिठूजा भिण्डाकुआ आदि को 11 के. वी. फीडरों पर विद्युत वोल्टेज रेगुलेशन निर्धारित सीमा से कुछ अधिक है लेकिन इसके कारण किसानों की मोटरें जली हों, यह सही नहीं है। सामान्यतया मोटर किसानों द्वारा मोटर व स्टार्टर आदि के उचित रख रखाव नहीं करने, केपेसिटर नहीं लगाने या स्वयं की बिजली फिटिंग में खराबी के कारण जलती हैं।

(2) आसोतरा गांव में 33/11 के वी. उप चौकी के निर्माण की कोई योजना स्वीकृत नहीं है, किन्तु एक अलग से 11 के. वी. फीडर बालोतरा-आसोतरा-मिन्डाकुआ ग्रामीण विद्युतीकरण योजना पंचायत समिति बालोतरा के तहत स्वीकृत है, जिसके वित्तीय संसाधनों एवं सामान की उपलब्धतानुसार पूरा किये जाने पर वोल्टेज में सुधार हो जायेगा।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी एवं पंचायत समिति चाकसू के ग्रामों का विद्युतीकरण

325. **श्री कन्हैया लाल मीणा** (बस्सी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी एवं पंचायत समिति बस्सी व चाकसू में अब तक कितने-कितने गांवों में विद्युतीकरण हो

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

चुका है ? अब इस वित्तीय वर्ष में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है ? वित्तीय वर्ष 1995-96 में किन-किन गांवों का विद्युतीकरण किया जावेगा ? प्रस्तावित गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र बस्सी में 1990 से अब तक सरकार द्वारा स्वीकृत गांवों में विद्युत लाइन डालने पर भी कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक इनको कनेक्शन जारी कर दिये जावेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? वर्ष 1990 से अब तक स्वीकृत गांव एवं कनेक्शन जारी करने वाले गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में अब तक पंचायत समिति बस्सी व पंचायत समिति चाकसू में कुल 232 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। वर्ष 1994-95 में 7 ग्रामों का विद्युतीकरण करना शेष था। वित्तीय वर्ष 1995-96 में गांवों के विद्युतीकरण का कार्यक्रम अभी तक तय नहीं किया गया है इसलिये अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि किस-किस गांव का विद्युतीकरण किया जावेगा। अविद्युतीकृत ग्रामों को संसाधनों की उपलब्धि के अनुरुप ही आगामी वर्षों के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में शनैः शनैः सम्मिलित किया जा सकेगा। सभी ग्रामों का एक साथ विद्युतीकरण किया जाना संभव नहीं है। राज्य में मार्च, 1994 के अन्त तक 80.82 प्रतिशत गांव विद्युतीकृत हो चुके हैं। इसके मुकाबले पंचायत समिति बस्सी व चाकसू में क्रमशः 89.47 व 74.1% ग्राम विद्युतीकृत हैं। अतः इस क्षेत्र की स्थिति काफी अच्छी है। विस्तार से अधिक आवश्यकता सुदृढ़ीकरण की है ताकि सेवाओं में गिरावट नहीं आये।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में वर्ष 1990 से अब तक विद्युतीकृत किये गये 8 ग्रामों में लाइन डालने के बाद भी कनेक्शन सुलभ नहीं कराये गये हैं जिनका पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शाया गया है। वर्ष 1990 से अब तक 28 गांवों को विद्युतीकृत कर उनमें कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं, उन गांवों की सूची परिशिष्ट 'ब' संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–5 देखें।)

भरतपुर तहसील के ग्रामों की सड़कों का जीर्णोद्धार

326 श्री आर. पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने भरतपुर तहसील के कौन-कौन से ग्रामों में सड़कों का निर्माण कार्य कब-कब कराया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों के निर्माण के बाद आज तक भी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत नहीं की गयी ? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत कब तक कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा भरतपुर तहसील में निर्माण कराई गई, 21 सड़कों का ब्यौरा परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। सम्पर्क सड़क मथुरा रोड़ से हथैनी को वर्ष 91-92, सेवर से चितोंकरी एवं फतेहपुर सीकरी रोड़ से नंगला बरताई, सुनारी की वर्ष 93-94 में मरम्मत का कार्य कराया गया है। एवं महुआ से घौर सड़क पर वर्ष 94-95 में डामर कार्य किया गया है। शेष सड़कों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर कराया जाना प्रस्तावित है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ में विभिन्न योजनाओं के संचालन का अभाव

334. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की प्रवृत्तियां चालू नहीं की हुई हैं?

(2) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां चालू करने के लिए क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? क्या यह मानदण्ड भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति के लिए लागू होते हैं? यदि हां, तो अभी तक वहां आंगनबाड़ी पोषाहार जैसी प्रवृत्तियां आज दिन तक क्यों नहीं प्रारम्भ की गई?

(3) निकट भविष्य में सरकार उक्त पंचायत समिति में आंगनबाड़ी पोषाहार जैसी प्रवृत्तियां कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। भैंसरोडगढ़ क्षेत्र में विभाग द्वारा महिला एवं बालकों के विकास की कोई भी प्रवृत्ति चालू नहीं की हुई है, लेकिन विभाग द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में महिला विकास कार्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति जारी कर आदेश संख्या 15237 दिनांक 20.3.95 के द्वारा परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण की नियुक्ति कर दी गयी है। पंचायत समिति के चयन की प्रक्रिया विचाराधीन है। महिला विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति आगामी वित्तीय वर्ष में की जायेगी।

विभाग द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालकों के विकास की योजना (ड्वाकरा) प्रारम्भ करने की स्वीकृति भी इसी वर्ष (94-95) के दौरान जारी की गयी है।

(2) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विकास परियोजना प्रारम्भ करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड निम्नानुसार हैं :-

(i) एक ग्रामीण विकास खण्ड का भौगोलिक क्षेत्र जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति की बाहुल्यता।

(ii) क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन।

(48)

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

(iii) सूखाग्रस्त एवं पोषाहार की कमी वाले क्षेत्र।

(iv) एक लाख की अनुमानित जन-संख्या।

उक्त मानदण्ड भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति पर लागू होते हैं या नहीं, इसका मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। विभाग के अधीन वर्तमान में स्वीकृत/संचालित परियोजनाओं द्वारा 177 विकास खण्डों को कवर किया जा चुका है। शेष 60 विकास खण्डों, जिनमें भैंसरोडगढ़ भी सम्मिलित है, में बाल विकास परियोजना स्वीकृत करने हेतु भारत सरकार को वांछित समस्त आधारभूत सूचनाऐं पत्रांक 10977 दिनांक 22-3-94 तथा 51592 दिनांक 13-9-94 द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं।

(3) प्रश्न के बिन्दु संख्या 2 के उत्तर के अनुसार।

पाली जिले की पंचायत समितियों में स्वीकृत कार्य

327. **श्री सुखलाल सेंणचा** (रायपुर): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भू-संरक्षण विभाग द्वारा पाली जिले की रायपुर, जैतारण, सोजत पंचायत समिति क्षेत्र में गत दो वर्षों में कितनी राशि के कितने कार्य स्वीकृत किये गये? कितना कार्य पूरा करा दिया गया एवं कितना अधूरा है? अधूरा काम कब तक पूरा कराने का सरकार विचार रखती है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रायपुर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत पचानपुरा के कालब कला गांव के लिए कालीया ढावा एनीकट स्वीकृत हुआ था?

(3) क्या यह सही है कि राशि कम होने से यह एनीकट नहीं बन सका? सरकार यह एनीकट भविष्य में कब तक बनाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग की पाली जिले की रायपुर जैतारण सोजत पंचायत समिति क्षेत्र में गत दो वर्षों में रुपये 195.87 लाख के 9 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। 3 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं, तथा शेष 6 कार्य अधूरे हैं। अपूर्ण कार्यों के पूर्ण होने की अवधि संबंधित विभाग/अभिकरण द्वारा इन कार्यों पर उपलब्ध करायी जाने वाली राशि पर निर्भर करेगी। जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

कृषि उपज मंडियों में रोस्टर प्रणाली से पदोन्नति

328. **श्री नाथूराम अहारी** (डूंगरपुर): क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री नाथूराम अहारी)

(1) क्या राज्य की कृषि उपज मंडियों में रोस्टर प्रणाली लागू है ? यदि हां, तो वर्ष 1985 से 1994 तक रोस्टर के अनुसार कितने कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया तथा विभागीय पदोन्नति समिति कब-कब बिठायी गयी ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन मंडियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राथमिकता दी गई है ? यदि हां, तो जिलावार कर्मचारियों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1985 से 1994 तक रोस्टर के अनुसार 56 मंडी कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति की बैठकों की दिनांक का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) मण्डियों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रोस्टर में आने वाले पात्र अनु. जाति/जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति दी गयी है। जिलेवार कर्मचारियों को पदोन्नत नहीं किया जाकर खण्डवार किया जाता है। पदोन्नत कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

उदयपुर जिले में डी. पी. ए. पी. के तहत संचालित कार्य

329. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान में भू-संरक्षण विभाग द्वारा कितने कार्य कहां-कहां चलाये जा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उदयपुर जिले के विधान सभा क्षेत्र फलासिया के कितने गांवों में कितने कार्यों के लिये विभाग ने प्रस्ताव भेजे ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्रस्तावों को स्वीकृत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) पंचायत समिति झाड़ोल की ग्राम पंचायत मगवास के दमाणा तालाब के मेडबन्दी या वाटरसेट हेतु क्या स्थानीय जनता एवं जन प्रतिनिधि ने जिला कलेक्टर एवं सरकार को कोई प्रस्ताव भेजे हैं ? यदि हां, तो विगत 5 वर्षों में कब-कब प्रस्ताव किस-किस के द्वारा प्राप्त हुये तथा उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? प्राप्त प्रस्तावों की प्रतियां एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त ग्राम को नाले से बचाने हेतु कोई योजना बनाने का

(श्री कुबेर सिंह)

विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम अन्तर्गत वर्तमान में जलग्रह विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा 17 कार्य चलाये जा रहे हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	कार्य का नाम		पंचायत समिति
1.	पालावाड़ा प्रथम	जलग्रहण क्षेत्र	झाड़ोल
2.	पालवाड़ा द्वितीय	,, ,,	,, ,,
3.	आमोड़	,,	,,
4.	कबछीवाड़ा	,,	,,
5.	कन्धारिया	,,	,,
6.	कातरवास प्रथम	,,	खेरवाड़ा
7.	कातरवास द्वितीय	,,	,,
8.	लिताड़ी	,,	,,
9.	डबायच	,,	,,
10.	गतराली	,,	,,
11.	बिलाख	,,	,,
12.	मोमटावाड़ा	,,	,,
13.	लूक	,,	कोटेड़ा
14.	गुरा	,,	,,
15.	आजना	,,	,,
16.	मामेर	,,	,,
17.	पाबटी	,,	,,

(2) उदयपुर जिले के फलासिया विधान सभा क्षेत्र के 11 कार्यों के प्रस्ताव भेजे गये, कार्यों की ग्रामवार सूची निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	कार्य	गांव
1.	तूरगढ़, जलग्रहण	1. तूरगढ़ 2. आमलिया 3. श्यामपुरा 4. करेल 5. ढाला 6. शिशवी 7. जालमपुरा 8. आमलेट 9. आमीवाड़ा
2.	पालावाड़ा-I जलग्रहण क्षेत्र	1. पाकड़ा देव 2. सेलाना
3.	पालावाड़ा-II जलग्रहण क्षेत्र	पालावाड़ा
4.	आमोड़, जलग्रहण क्षेत्र	1. आमोड़ 2. सेमला 3. ढेडीबेरी
5.	बिछीवाड़ा जलग्रहण क्षेत्र	1. बिछीवाड़ा
6.	कन्धारिया जलग्रहण क्षेत्र	1. कंधारिया
7.	कोचला ,,	1. कोचला
8.	कितावतों का बास	1. कितावतों का बास
9.	नालननाम	1. नालननाम
10.	नयागांव	1. नयागांव
11.	बांसीवाड़ा	1. बांसीवाड़ा

(3) उपरोक्त सभी कार्य स्वीकृत

(राज्य मंत्री कृषि)

किये जा चुके हैं। वर्तमान में सभी कार्य प्रगति पर हैं।

(4) जी नहीं।

(5) उक्त ग्राम को नाले से बचाने हेतु इस विभाग में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

कृषि उपज मण्डियों द्वारा सम्पर्क सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया

330. **श्री जुबेर खान (रामगढ़)** : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सम्पर्क सड़कों के लिए मास्टर प्लान बनने से पहले कृषि उपज मण्डियों द्वारा सम्पर्क सड़कों के निर्माण की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती थी ?

(2) जिन सम्पर्क सड़कों का निर्माण शुरू कर दिया गया और वह सड़कें अधूरी पड़ी हैं उन्हें पूर्ण कराने की सरकार की क्या योजना है ?

(3) कृषि उपज मंडी समिति अलवर के अधीन ऐसी कौन–कौन सी सम्पर्क सड़कें हैं जो कि अभी तक भी अधूरी हैं एवं स्वीकृत ग्रामों से नहीं जुड़ पाई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार इन अधूरी सड़कों को ग्रामों से जोड़ने का कब तक विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सम्पर्क सड़कों के मास्टर प्लान दिनांक 26.5.93 बनने से पूर्व सम्बन्धित मण्डी समितियों द्वारा दिनांक 16.2.93 तक सड़क निर्माण के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को प्रेषित किये जाते थे तथा बोर्ड राज्य सरकार को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रेषित करता था। इसके पश्चात् सड़क निर्माण के प्रस्ताव निदेशक, कृषि विपणन के माध्यम से प्रशासनिक स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाये जाते थे।

(2) कृषि उपज मण्डी समितियों के अन्तर्गत स्वीकृत सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु मण्डी समितियों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त की जा कर निर्माण कार्य करवाये जाते हैं। जो स्वीकृत लम्बाई की सड़क अधूरी रह जाती है उसको पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित मण्डी के बजट में वित्तीय प्रावधान कराया जाकर स्वीकृति के अनुसार निर्माण कार्य कराया जाता है। जो सड़कें स्वीकृत लम्बाई के बावजूद गांवों से नहीं जुड़ पाती हैं, उनकी शेष लम्बाई नवीन सम्पर्क सड़कों की संज्ञा में आती है तथा उनकी स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति की कार्यवाही की जाती है।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर के अधीन अधूरी सड़कें जो गांवों से नहीं जुड़ पायी हैं, वे निम्न हैं:—

(52)

(राज्य मंत्री कृषि)

क्र.सं	सड़क का नाम
1.	विजय मन्दिर से ठेकड़ा
2.	बीजवा से अलावड़ा
3.	राजगढ़ डौली मस्ताबाद
4.	मन्नाका लोहारवाड़ी चोरोटी पहाड़
5.	पाटा फलसावड़ा, जलरामपुर अधिका पाटन मेवान
6.	जुमरावरा से सैथली
7.	मुण्डावरा से मानावास
8.	माचडी से थोलीघाटी
9.	अलखड़ा से तिलवाड ईदपुरा
10.	नीकच रोड से घडी थनेटा
11.	ऊटवाला सैंसोतका
12.	चांदोली से पडोसल
13.	लोहारवाड़ी से साहडोली
14.	भीकमपुरा से रामजी का ग्वाडा
15.	पडाक से आमका

(4) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता नीति के अनुसार सड़कों के प्रस्ताव मण्डी समिति से प्राप्त किये जा रहे हैं। पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर मण्डी समिति के पास उपलब्ध धन राशि को दृष्टिगत रखते हुए सड़कों के निर्माण की स्वीकृति पर विचार किया जाना सम्भव हो पायेगा।

राज्य के कृषि फार्मों को सिंचाई सुविधा

331. **श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां):** क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कृषि विभाग द्वारा राज्य में कितने कृषि फार्म चलाये जा रहे हैं ?

(2) क्या इन कृषि फार्मों पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है ? यदि हां, तो इनसें कितने क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ?

(3) आस-पास के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं कराये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) कृषि विभाग द्वारा राज्य में 2 कृषि फार्म (1) समदडी (बाड़मेर) एवं (2) लावासरदारगढ़ (राजसमंद) में चलाये जा रहे हैं।

(2) समदड़ी (बाड़मेर) कृषि फार्म पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है एवं लावासरदारगढ़ (राजसमंद) के कुओं का पानी खारा होने के कारण सिंचाई योग्य नहीं है।

(3) प्रश्न स्पष्ट नहीं है। किस कृषि फार्म के आस-पास किस क्षेत्र विशेष के बारे में जानकारी चाही जा रही है, स्पष्ट नहीं किया गया है। वैसे इस प्रश्न का उपरोक्त खण्ड एक में पूछे गये मूल प्रश्न से सम्बन्ध भी नहीं है।

छीपा बड़ोद कृषि मण्डी समिति

332. **श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा):** क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) छीपा बड़ोद मण्डी समिति के प्रांगण के लिये कितनी भूमि का कब्ज अधिग्रहण किया गया ?

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

(2) उपरोक्त कार्य के लिये कितनी राशि का सरकार द्वारा आवंटन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) मण्डी समिति के भवन का निर्माण सरकार द्वारा कब तक किया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) छीपा बड़ोद गौण मण्डी प्रांगण हेतु 25 बीघा भूमि का दिनांक 10.3.92 को अधिग्रहण किया गया है।

(2) उक्त कार्य के लिये 1,20,120.00 रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति दिनांक 30.1.92 को जारी की गई है।

(3) मण्डी समिति द्वारा वर्ष 1995-96 में चारदीवारी, आन्तरिक सड़क, निलामी चबूतरा एवं जल व्यवस्था, निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रस्तावित किये हैं, जो शीघ्र बनवाये जायेंगे।

अजमेर जिले में श्रम निरीक्षकों के कार्य का आवंटन

333. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्रामीण श्रम निरीक्षकों के कार्य के बंटवारे का क्या मानदण्ड एवं प्रक्रिया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अजमेर जिले में वर्तमान में कौन-कौन व्यक्ति श्रम निरीक्षकों के पद पर कहां-कहां पदस्थापित हैं ? क्षेत्र के नाम सहित नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि अजमेर जिले में पदस्थापित श्रम निरीक्षकों में से कुछ श्रम निरीक्षकों को अभी तक कार्य का आवंटन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस श्रम निरीक्षक को किस-किस कारण से ? कारण सहित नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) कार्य के बंटवारे में विलम्ब करने के लिये कौन अधिकारी दोषी हैं ? क्या सरकार दोषियों को दण्डित करने व अविलम्ब कार्य का बंटवारा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्रामीण श्रम निरीक्षकों को केवल विभिन्न पंचायत समितियों में राज्यहित में आवश्यकतानुसार पदस्थापित किया जाता है। वर्तमान में कार्यरत ग्रामीण श्रम निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र का विवरण परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(2) सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(3) यह सही नहीं है। अजमेर जिले में पदस्थापित सभी श्रम निरीक्षकों को कार्य का आवंटन किया हुआ है।

(राज्य मन्त्री श्रम)

(4) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ में विभिन्न योजनाओं के संचालन का अभाव

334. **श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं)**: क्या महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है पंचायत समिति भैंसरोडगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की प्रवृत्तियां चालू नहीं की हुई हैं ?

(2) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां चालू करने के लिये क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित हैं ? क्या यह मानदण्ड भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति के लिये लागू होते हैं ? यदि हां, तो अभी तक वहां आंगनबाड़ी पोषाहार जैसी प्रवृत्तियां आज दिन तक क्यों नहीं प्रारम्भ की गई ?

(3) निकट भविष्य में सरकार उक्त पंचायत समिति में आंगनबाड़ी पोषाहार जैसी प्रवृत्तियां कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। भैंसरोडगढ़ क्षेत्र में विभाग द्वारा महिला एवं बालकों के विकास की कोई भी प्रवृत्ति चालू नहीं की हुई है, लेकिन विभाग द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में महिला विकास कार्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति जारी कर आदेश संख्या 15237 दिनांक 20-3-95 के द्वारा परियोजना निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण की नियुक्ति कर दी गई है। पचायत समिति के चयन की प्रक्रिया विचाराधीन है। महिला विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति आगामी वित्तीय वर्ष में की जावेगी।

विभाग द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालकों के विकास की योजना (ड्वाकरा) प्रारम्भ करने की स्वीकृति भी इसी वर्ष (94-95) के दौरान जारी की गई है।

(2) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बाल विकास परियोजना प्रारम्भ करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड निम्नानुसार हैं:-

(I) एक ग्रामीण विकास खण्ड का भौगोलिक क्षेत्र जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति की बाहुल्यता।

(II) क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन।

(III) सूखाग्रस्त एवं पोषाहार की कमी वाले क्षेत्र।

(IV) एक लाख की अनुमानित जनसंख्या।

उक्त मानदण्ड भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति पर लागू होते हैं या नहीं, इसका मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। विभाग के अधीन वर्तमान में स्वीकृत/संचालित परियोजनाओं द्वारा 177 विकास

(राज्यमंत्री महिला एवं बाल विकास)

खण्डों को कवर किया जा चुका है। शेष 60 विकास खण्डों, जिनमें भैंसरोड़गढ़ भी सम्मिलित है, में बाल विकास परियोजना स्वीकृत करने हेतु भारत सरकार को वांछित समस्त आधारभूत सूचनाएं पत्रांक 10977 दिनांक 22.3.94 तथा 51592 दिनांक 13.9.94 द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

(3) प्रश्न के बिन्दु संख्या 2 के उत्तर के अनुसार।

पाली जिले के महिला एवं बाल पोषाहार कार्यक्रम

335. **श्री माधवसिंह दीवान (सोजत):** क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में महिला एवं बाल पोषाहार कार्यक्रम कहां-कहां, कब-कब से से चला रहे हैं ?

(2) पंचायत समिति सोजत में इसे कब से आरम्भ करने का सरकार का विचार है ?

(3) इस कार्यक्रम को आरम्भ करने का क्या मानदण्ड हैं ?

उत्तर

(1) वर्तमान में पाली जिले में चार ग्रामीण विकास खण्डों, बाली, जैतारण, रायपुर, रोहट तथा शहरी क्षेत्र पाली नगर में बाल विकास परियोजना संचालित की जा रही है। परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नाम परियोजना	स्वीकृत वर्ष	परियोजना का प्रकार	स्वीकृत केन्द्र
1.	बाली	1982—83	ग्रामीण	153
2.	जैतारण	1983—84	,,	146
3.	रायपुर	1985—86	,,	125
4.	रोहट	1989—90	,,	80
5.	पाली शहर	1984—85	शहरी	100

(2) विभाग के अधीन वर्तमान में 178 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 162 केन्द्रीय तथा 16 राज्य क्षेत्र की हैं। राज्य के 237 ग्रामीण विकास खण्डों में से 177 खण्डों में बाल विकास परियोजना प्रारम्भ कर दी गई है। शेष 60 खण्डों के लिए जिसमें सोजत भी सम्मिलित है, स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा आधारभूत सूचनाएं भारत सरकार को पत्रांक 11 (3) 24/मो./म. बा. वि. /10977 दिनांक 22.3.94 तथा 51592 दिनांक 13.9.94 द्वारा उपलब्ध करवायी जा चुकी हैं। भारत सरकार से स्वीकृति अपेक्षित है।

(3) ग्रामीण क्षेत्र की परियोजना प्रारम्भ करने के मापदण्ड भारत सरकार द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित हैं :-

1. अनुसूचित जाति/जन जाति की बाहुल्यता।

(राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास)

2. क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन।

3. अत्यधिक कुपोषित एवं सूखाग्रस्त क्षेत्र।

4. एक ग्रामीण विकास खण्ड की सीमाओं में परियोजना प्रारम्भ की जाती है।

5. एक लाख की जनसंख्या वाला क्षेत्र (सामान्यतया)।

पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व की इमारतें

336. श्री शान्ति कुमार धारीवाल (हिण्डोली): क्या कला, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार के संरक्षण में पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व की कुल कितनी इमारतें हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार के संरक्षण की इन इमारतों में से किस-किस इमारत की मरम्मत/जीर्णोद्धार पर वर्ष 1991, 1992, 1993 एवं 1994 में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है ? इमारतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन इमारतों की मरम्मत/जीर्णोद्धार पर किसी निजी संस्थान से भी कोई सहयोग प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो किस रूप में और किस-किस इमारत पर कितना-कितना ?

(4) क्या सरकार ने इस आशय का कोई सर्वेक्षण करवाया है कि राज्य में पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व की कुछ ऐसी इमारतें भी हैं जिन्हें अभी तक राज्य सरकार के संरक्षण में नहीं लिया जा सका है और वे उपेक्षा की शिकार हो रही हैं ? यदि हां, तो ऐसी इमारतें कौन-कौन सी हैं, कहां-कहां पर हैं, उन्हें संरक्षण में लिए जाने के सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या प्रयास किए गए हैं और उन्हें अब कब तक संरक्षण में लिए जाने की सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व की कुल 222 इमारतों को सरक्षित घोषित किया हुआ है। जिला स्तर पर सूची संलग्न है।

(2) विगत चार वर्षों में संरक्षित स्मारकों की मरम्मत / जीर्णोद्धार पर पुरातत्व विभाग द्वारा कराये गये कार्य का विवरण संलग्न है।

(3) विगत चार वर्षों में किसी सरक्षित स्मारक की मरम्मत /जीर्णोद्धार में किसी निजी संस्थान का सहयोग पुरातत्व विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) राज्य में पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व की इमारतों का सर्वेक्षण पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग करता है। सर्वेक्षण के दौरान ऐतिहासिक

(राज्य मंत्री कला, संस्कृति एवं पुरातत्व)

एवं धार्मिक महत्व की इमारतें, जो संरक्षित करने योग्य उभरती हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर संरक्षित घोषित करने हेतु कार्यवाही विचाराधीन है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

ग्राम पंचायत दुगारी (बूंदी) द्वारा कुएं की खुदाई पर व्यय की गई राशि

337. **श्री हरिनारायण बैरवा** (खण्डार): क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम दुगारी (जिला बूंदी) में निजी व्यक्तियों द्वारा निर्मित 'बड़ा घानागुजरों का मौहल्ला दुगारी' नाम के कुए को गहरा करने के नाम पर ग्राम पंचायत दुगारी ने सरकारी राशि रुपये 3285/– वर्ष 1990 में खर्च किए हैं? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है?

(2) क्या उक्त राजकीय राशि की वसूली के लिए दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है? यदि नहीं, तो राजकीय राशि वसूली हेतु कब तक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम दुगारी जिला बूंदी में निजी व्यक्तियों द्वारा निर्मित 'बड़ा घाना गुजरों का मौहल्ला दुगारी' के नाम से निर्मित सार्वजनिक कूप को गहरा कराने के लिए जिला कार्यालय बूंदी की स्वीकृति सं. 550–616/90 दिनांक 12.3.90 के अनुसरण में जवाहर रोजगार योजना द्वितीय (जो उस समय अकाल राहत के नाम से जानी जाती थी)/ अकाल वर्ष 1990 में रु. 3285/– राशि का व्यय किया। चूंकि यह राशि राजकीय आदेश के तहत व्यय की गयी थी। अतः इसके लिए कोई व्यक्ति दोषी नहीं है।

(2) चूंकि राजकीय राशि के व्यय में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः इसके लिए कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। अतः राशि की वसूली के लिए किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं में इन्दिरा आवास योजना के तहत निर्मित आवास

338. **श्री चुन्नीलाल धाकड़** (बेगूं): क्या विशिष्ठ योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में विगत दस वर्षों में कितने और कहां-कहां मकान इन्दिरा आवास योजना में बनाये गये?

(2) प्रत्येक मकान पर कितनी लागत लगी और कब-कब?

(3) क्या यह सही है कि इनमें से कुछ मकान पूर्ण हो गये जबकि कुछ अधूरे ही छोड़ दिये गये हैं? यदि हां, तो कहां–कहां कितने-कितने पूर्ण व

(58)

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

अधूरे हैं ? प्रत्येक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इन अधूरे मकानों पर भी पूर्ण हुए मकानों के बराबर राशि खर्च की गई ? यदि हां, तो इन अधूरे मकानों को पूरा करने हेतु क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में विगत दस वर्षों में इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत पं. स. भैंसरोडगढ़ में 305 एवं पं. सं. बेगूं में 246 मकान बनाये, जिनका ग्रामवार एवं ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) प्रत्येक मकान पर लगी लागत और वर्षवार (कब) का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। पं. स. भैंसरोड़गढ़ में कुल 305 आवास निर्मित हुए हैं जिनमें से 7 आवास कालोनियों में 87 एव 218 आवास व्यक्तिगत रूप से निर्मित कराये गये हैं। 7 कालोनियों में निर्मित 87 आवासों में से 87 आवास ही पूर्ण निर्मित हुए हैं। परन्तु इनमें 20 आवास निर्माण होने के बाद क्षतिग्रस्त हो गये हैं। 218 व्यक्तिगत आवासों में से 204 आवास अपूर्ण है। पंचायत समिति बेगूं में कुल 246 आवास निर्मित हुए हैं जिनमें से 5 आवास कालोनियों में 74 आवास एवं व्यक्तिगत रूप से 172 आवास निर्मित करवाये गये हैं। कालोनियों के 74 आवासों में से 74 मकान पूर्ण निर्मित हो गये परन्तु 42 मकान पूर्ण होने के बाद क्षतिग्रस्त हो गये हैं। 172 व्यक्तिगत आवासों में से 118 आवास पूर्ण हैं व 54 आवास अपूर्ण हैं। पूर्ण एवं अधूरे आवासों का विवरण परिशिष्ट- "अ" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(4) जी नहीं। अधूरे मकानों पर राशि उनके निर्माण की स्टेज के अनुपात में ही खर्च हुई है। क्षतिग्रस्त आवासों में आवश्यक मरम्मत करा रहने योग्य करने तथा अपूर्ण रहे या निर्माणाधीन कार्य में पूर्व में स्वीकृत राशि के खर्च हो जाने के बावजूद अपूर्ण रहने की दशा में विकास एवं पंचायत राज्य विभाग द्वारा देय आवासीय अनुदान रु. 1600/- प्रति आवास की सहायता स्वीकृत कर पूर्ण कराने के आदेश जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को दिये जा चुके हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

फलासिया (उदयपुर) में ग्राम पंचायतों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत राशि

339. **श्री कुबेरसिंह** (फलासिया) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष

(श्री कुबेरसिंह)

1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 में विभिन्न ग्राम पंचायतों को कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त राशि का सभी ग्राम पंचायतों द्वारा उपयोग कर लिया गया ? यदि नहीं, तो किस-किस ग्राम पंचायत द्वारा उपयोग नहीं किया गया ? उपयोग नहीं करने के क्या कारण रहे ? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सम्पूर्ण राशि का उपयोग नहीं करने हेतु किसी को दोषी मानती है ? यदि हां, तो किस-किस को तथा क्या दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या उक्त राशि का दुरुपयोग भी हुआ है ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत में किस-किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कितनी-कितनी राशि का तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया के पं. समिति झाडोल एवं कोटड़ा में वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 में विभिन्न ग्राम पंचायतों को जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत 2,17,48, 462/- रुपये, आवंटित किये गये हैं। पंचायतवार राशि का वर्षवार आवंटन, परिशिष्ट-1 पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) वर्ष 1992-93 एवं 93-94 में दी गई राशि का उपयोग सभी ग्राम पंचायतों द्वारा कर लिया गया है। वर्ष 1994-95 में आवंटित राशि का उपयोग प्रगतिरत कार्यों पर किया जा रहा है तथा सभी पचायतों से वास्तविक व्यय की सूचना तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त होंगे।

(3) वर्ष 1992-92 एवं 1993-94 में ग्राम पंचायतों ने आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग कर लिया है। अतः किसी को दोषी मानने का प्रश्न नहीं है। वर्ष 1994-95 में आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग नहीं करने पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(4) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, उदयपुर ने सूचित किया है कि किसी भी ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारी द्वारा आवंटित राशि के दुरुपयोग की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें।)

जयपुर में कर्मचारियों के चिकित्सा पुनर्भरण बिलों का भुगतान

340. श्री रामनारायण चौधरी मण्डावा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) आयुर्वेद विभाग में जयपुर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के कम्पाउण्डर्स के चिकित्सा पुनर्भरण बिल (वर्ष 1987-88 से अब तक) का भुगतान नहीं होने से किन-किन के किस-किस कारण से व कितनी-

(श्री रामनारायण चौधरी)

कितनी राशि के लम्बित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त बिलों के भुगतान के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है तथा सरकार इन बिलों का भुगतान अब कब तक करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उपरोक्त बिलों की समयावधि समाप्त होने की जिम्मेदारी विभाग द्वारा किस-किस अधिकारी/कर्मचारी पर निर्धारित की गई है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) क्या जयपुर ग्रामीण "अ" क्षेत्र के औषधालयों में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो माह जुलाई, 1995 में सेवा निवृत होने को हैं, के भी चिकित्सा पुनर्भरण व्यय बिल भुगतान हेतु बकाया हैं ? यदि हां, तो किस-किस कर्मचारी के, कितनी-कितनी राशि के ? सरकार इसके बकाया चिकित्सा पुनर्भरण के बिलों का कब तक भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत जयपुर जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थापित नर्स/कम्पाउण्डर्स के बकाया चिकित्सा पुनर्भरण बिलों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। आवश्यक बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण यह भुगतान होना बकाया है।

(2) बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर वरीयता अनुसार भुगतान की कार्यवाही चालू वित्तीय वर्ष 1995-96 में करने का प्रयास किया जावेगा।

(3) चिकित्सा पुनर्भरण बिलों की समयावधि समाप्त होने के लिए विभाग के किसी अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि आवश्यक बजट प्रावधान के उपलब्ध नहीं होने के कारण भुगतान नहीं हुआ है।

(4) जी हां। जिला आयुर्वेद अधिकारी, जयपुर "अ" क्षेत्र के अधीन संचालित ग्रामीण आयुर्वेद औषधालयों में कार्यरत निम्न नर्स/कम्पाउण्डरों के चिकित्सा पुनर्भरण बिल बकाया हैं :—

1. श्री मनफूल	1836.00 रुपये
2 श्री सदाशंकर	4468.00 रुपये

बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर वरीयता अनुसार भुगतान की कार्यवाही चालू वित्तीय वर्ष 1995-96 में करने की कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

आयुर्वेदिक औषधालयों में विभिन्न रिक्त पद

341. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) एवं श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के आयुर्वेदिक औषधालयों में चिकित्सकों, कम्पाउण्डरों एवं चतुर्थ

(श्री परसादीलाल मीणा)

श्रेणी कर्मचारियों के कुल कितने-कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने कई बार चिकित्सकों के रिक्त पदों के लिए आवेदन लेने के बाद भी नियुक्तियां नहीं दी हैं ? यदि हां, तो पिछले एक वर्ष में कितनी बार आवेदन मांगे गये एवं कितने चिकित्सकों को नियुक्तियां दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में आयुर्वेद विभागान्तर्गत संचालित आयुर्वेद चिकित्सालयों/औषधालयों में वर्तमान में चिकित्सकों, नर्स/कम्पाउण्डरों एवं परिचारिकों के रिक्त पदों की संख्या निम्न प्रकार है :–

पद का नाम	नवीन नियुक्ति हेतु स्पष्ट रिक्त पद	अन्य कारणों से रिक्त पद	कुल रिक्त पद
1. आयुर्वेद चिकित्सक	174	66	240
2. नर्स/कम्पाउण्डर	79	22	101
3. परिचारक	232	2	234

चिकित्सालय एवं औषधालयवार रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी नहीं। पिछले एक वर्ष में केवल एक बार दिनांक 17.2.94 को 100 रिक्त आयुर्वेद चिकित्सकों के पदों पर तदर्थ नियुक्त के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। किन्तु उच्च न्यायालय जयपुर में दायर की गई रिव्यू पिटीशन 57/94 के अन्तर्गत उक्त विज्ञापन के क्रम में प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं करने बाबत स्थगन आदेश न्यायालय द्वारा जारी किये जाने के फलस्वरूप उक्त आवेदनों में से नियुक्ति नहीं की गयी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

आयुर्वेदिक औषधालय महेश्वरा कलां (दौसा) में कर्मचारियों के वेतन में असंगति

342. श्री राजपाल सिंह शेखावत (बनीपार्क) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री रामस्वरूप शर्मा जो वर्तमान में राजकीय आयुर्वेद औषधालय महेश्वरा कलां (दौसा) में कार्यरत है तथा जून, 1996 में सेवा निवृत होने वाले हैं की नियुक्ति तिथि सितम्बर, 196[illegible] है जबकि श्री रामचरण शर्मा जो वर्तमान में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, बैरावाड़ा (दौसा) में कार्यरत हैं की नियुक्ति तिथि 1964 की है ? क्या विभाग ने श्री रामचरण शर्मा का वेतन 1981 में रुपये 740/–निर्धारित किया और श्री रामस्वरूप शर्मा का रु. 660/– निर्धारित किया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

(2) क्या सरकार श्री रामस्वरूप शर्मा का भी वर्ष 1981 में रुपये 740/- पर वेतन निर्धारित कर 1981 से ऐरियर का भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो फिक्सेशन कब तक कर दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या श्री रामस्वरूप शर्मा को जिला दौसा से 1992 से अब तक मेडिकल बिलों एवं यात्रा भत्तों का भी भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक इनको भुगतान कर दिया जावेगा ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मचारी की जी. पी. एफ. की पास बुकों में 1985 से अब तक की कटौतियों का इन्द्राज भी नहीं कर रखा है ? यदि हां, तो 1985 से अब तक की कटौतियों की प्रति सदन की मेज पर रखें। अब कब तक इनकी पास बुक में कटौतियों का इन्द्राज कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां । श्री रामस्वरूप शर्मा का वेतन, राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 1983 के वेतनमान में दिनांक 1.9.81 से रुपये 660/- निर्धारित किया गया है, जबकि श्री रामचरण शर्मा का वेतन राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 1983 के वेतनमान में दिनांक 1.4.82 से रुपये 740 निर्धारित किया गया है। श्री रामचरण शर्मा द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 1983 के वेतनमान में दिनांक 1.4.82 से वेतन नियतन करने हेतु विकल्प पत्र दिये जाने एवं श्री रामस्वरूप शर्मा द्वारा ऐसा कोई विकल्प नहीं देने से, यह वेतन विसंगति उत्पन्न हुई है। कर्मचारी के विकल्प अनुसार ही वेतन स्थिरीकरण किया जाता है। अतः वेतन विसंगति के लिए कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार है।

(2) जी नहीं । राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 1983 के नियम 14 (ख) (4) के अनुसार विकल्प पत्र के आधार पर हुई वेतन विसंगति मान्य नहीं होने से पुनः वेतन निर्धारित करने का मामला नहीं बनता है।

(3) जी नहीं । श्री रामस्वरूप शर्मा द्वारा दिनांक 31.3.94 तक प्रस्तुत सभी मेडिकल व यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान किया जा चुका है। इसके बाद प्रस्तुत मेडिकल व यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान संबंधित मद में धनराशि के अभाव में नहीं किया गया है। संबंधित मद अनुसार वरीयता के आधार पर ही उक्त व्यय विपत्रों का भुगतान किया जाता है। संबंधित मद में धनराशि प्राप्त होने पर वरीयता अनुसार भुगतान किया जा सकेगा।

(4) जी नहीं । श्री रामस्वरूप शर्मा की जी. पी. एफ. की कटौतियों का इन्द्राज पास बुक में फरवरी, 1995 तक का किया जा चुका है।

राज्य के पशुपालन एवं वृषभ केन्द्र

343. **श्री बाबूलाल वर्मा** (डग) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बाबूलाल वर्मा)

(1) राजस्थान में पशु-प्रजनन एवं वृषभ पालन केन्द्र कितनी संख्या में चल रहे हैं ? इनकी स्थापना कब-कब की गई थी एवं इनकी स्थापना के क्या उद्देश्य थे ?

(2) वर्तमान में चल रहे केन्द्रों में पिछले 5 वर्षों से उपलब्ध सभी प्रकार के पशुओं का विवरण वर्षानुसार सदन की मेज पर रखें।

(3) इन केन्द्रों पर सरकार द्वारा कितना व्यय पिछले 5 वर्षों में किया गया है एवं इन केन्द्रों द्वारा उपलब्ध पशुओं से कितनी आय प्राप्त हुई है ? वर्षानुसार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(4) डग (झालावाड़) पशु प्रजनन एवं वृषभ पालन केन्द्र द्वारा कितनी भूमि अधिगृहीत की गई है ? उस पर खेती करने के लिए केन्द्र द्वारा कितनी राशि खर्च की गई एवं कितनी राशि की फसल प्राप्त की गई है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 3 पशु-प्रजनन केन्द्र चल रहे हैं। उनकी स्थापना कब की गई एवं उनके उद्देश्य क्या थे, सूची "क" में दर्शाया गया है।

(2) चल रहे केन्द्रों में पशुओं का विवरण वर्षवार सूची "ख" संलग्न है।

(3) इन केन्द्रों पर गत 5 वर्षों में कितना व्यय किया गया एवं पशुओं से प्राप्त आय का ब्यौरा सूची "ग" में दर्शाया गया है।

(4) डग (झालावाड़) पशु प्रजनन केन्द्र द्वारा कुल 129.31 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत की गयी है। इस वर्ष 45.26 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि पर खेती करने के लिए केन्द्र द्वारा 32249/– रुपये की राशि खर्च की गई तथा निम्न फसलों का उत्पादन किया गया :–

फसल	उत्पादन जनवरी, 95 तक	आय जनवरी, 95 तक
1. हरा चारा	919 क्विं.	36760 रु.
2. सूखा चारा	815.5 क्विं.	81550 रु.
	योग :	118310 रु.

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

स्थगित प्रश्न

(शुक्रवार, दिनांक 24 मार्च, 1995)

जिला टोंक के राजस्व ग्रामों के समीप स्थित चरागाहों की ढाणियां व मजरे

16. श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार की जानकारी में है कि टोंक जिले में राजस्व गांवों के पास के चरागाहों में ढाणियां व मजरे बस गये हैं ?

(2) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं जिनमें उन बसने वालों से पेनल्टी वसूल की जा रही है ?

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

(3) क्या सरकार ऐसे मामलों का नियमन करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) टौंक जिले में 582 मामले हैं तथा इनसे नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही और पेनल्टी वसूल की जा रही है।

(3) परिपत्र क्रमांक एफ. 6 (10) राज./ग्रुप-4/77 दिनांक 23.4.17 के अन्तर्गत चारागाह भूमि पर दिनांक 1.7.75 तक के निर्मित आवास गृहों के नियमन हेतु पूर्व से ही प्रावधान है।

(12.00)

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

1. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा), सदस्य, विधान सभा की ओर से बालोतरा शहर में सायंकाल व रात्रिकाल में बिजली की आपूर्ति नहीं किये जाने से विद्यार्थियों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

2. श्री रामगोपाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के खेतों के केचमेंट के कर्जे माफ करने के सम्बन्ध में।

3. श्री जितेन्द्र नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत अमरसिंह का गढ़ा पंचायत समिति भवन में पंचायत की बैठक के दौरान महिला सरपंच के साथ कथित दुर्व्यवहार के दर्ज मुकदमें में पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

4. श्री नारायण लाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से धरियावाद उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे मशीन नहीं होने से रोगियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

5. श्री बनवारी लाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी संस्थान, टौंक में पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति किये जाने एवं कार्मिकों के सेवा नियम बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को प्रक्रिया नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर सर।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मोशन तो मेरा पहले है, पाइंट आफ आर्डर मेरा पहले है।...(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुआ) : वी. पी. सिंह संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सर, जान ए पाइंट आफ क्लेरिफिकेशन। एक मान्यता प्राप्त पत्र के अन्दर आपकी तरफ से एक

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

बात ग्रायी है कि "टोकाटोकी पर फटकार," इसके बारे में मैं ग्रापसे यही जानकारी चाहता हूं कि इसमें दो इश्यूज हैं। एक इश्यू तो यह है कि ग्रापकी उदारता के कारण कोई फायदा उठाते हैं ग्रौर टोकाटोकी होती है। हैबीच्युग्रल कोई टोकाटोकी करता हो उसको ऐसी फटकार मिले तो समझ में ग्राये। दूसरी बात, उदारता की बात जो ग्रायी है उसमें मैं तो सोचता था कि श्री मनमोहनसिंहजी ही उदार नीति लेकर ग्राये हैं लेकिन ग्राप भी उदार नीति नयी यहां पर लेकर पधारे हैं, इसका मुझे पता नहीं है। तीसरी बात जो ग्रायी है, मेरा तो नाम ही नहीं था फिर किसकी समझ में ग्रा गया कि ग्रापने मुझे फटकार लगायी ...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने ग्रापको कभी कोई बात नहीं कही है ग्रौर मैंने तो सभी माननीय सदस्यों से कहा है कि हाउस को चलाने के लिए बाकायदा नियन्त्रण में रहें ग्रौर पर्सनली मेरा किसी से कोई कहना नहीं है। बिराजिये ग्राप।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : धन्यवाद, मैं सतुष्ट हूं।... (व्यवधान) ...

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : सदन का नेता कैसा हो वी. पी. सिंह जैसा हो।

सूचना-प्राप्ति प्रश्न

मुख्या मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन प्रश्न पर व्यवस्था

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राज सुबह करीब 9-9.15 बजे के बीच में मैं ग्रापके चैम्बर में हाजिर हुग्रा था। मैंने एक प्रिविलेज मोशन पेश किया था। उसके बारे में ग्रापने मुझे विश्वास भी दिलाया कि ग्राप उसको गंभीरता से देखकर मुझे मौका देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रर्ज करना चाह रहा हूं कि 23 तारीख से जब से हाउस शुरू हुग्रा है तब से मैं ग्रनुरोध करता ग्रा रहा हू कि मेहरबानी करके हाउस सिर्फ चेयर ही चलाये। टोकाटोकी भी हुई, धमकियां भी मिलीं ग्रौर जब से यह दसवीं विधान सभा शुरू हुई है, उपाध्यक्ष महोदय, इस हाउस में जो भी मैंने इश्यूज उठाये हैं, भले ही वह राजवी प्रकरण हो या मुख्य मंत्रीजी के +++ व्यवहार का विवरण हो, उनके बारे में यहां पर +++ रिपोर्ट, सी बी. ग्राई. की रिपोर्ट हुई नहीं उस पर रुलिंग भी ग्रा गयी। ग्रध्यक्षजी ने जो रिपोर्ट दी ग्रौर जो उन्होंने निर्णय दिया वह तो सिर माथे पर लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सी. बी. ग्राई. के कार्यालय में जाकर पूछा कि पी. एन. भण्डारी की चिट्ठी पर कोई इन्क्वायरी हुई या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, ग्रभी यह क्या पाइंट ग्राफ ग्रार्डर उठा रहे हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पाइंट ग्राफ ग्रार्डर यह है, उपाध्यक्ष महोदय, 23 तारीख से लेकर ग्राज तक कभी तो ग्रखबारों के थ्रू धमकियां, ग्रब मैं ग्रापको पढ़कर सुना दूं जो मैंने....

+++ शब्द ग्रध्यक्ष पीठ के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित किये गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा): यह पाइंट ग्राफ ग्रार्डर है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बिराजिये ग्राप। ग्राप बिराजिये। मैंने ग्रापने जो पत्र ग्राज दिया है....

श्री नरेन्द्रसिह भाटी : पढूंगा तो सही, हाउस को पता तो लगे।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैं पढ़ने की ग्रनुमति नहीं दूंगा। उसको एग्जामिन करवाने के लिये दे दिया है।

श्री नरेन्द्रसिह भाटी : यह मुख्य मंत्रीजी की ग्रोर मुख्य सचेतक का +++ यहां नहीं चलेंगी। ग्राप प्रोटेक्शन दीजिए, नहीं तो पीछे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एग्जामिन कर रहे हैं... (व्यवधान) ...

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि माननीय सदस्य ने जो कहा है उसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रापने जो 9.45 पर पत्र दिया, मैं उसको एग्जामिन करवा रहा हूं।

श्री किशनगोपाल कोगटा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है उसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री नरेन्द्रसिह भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी हाउस में 1988 में.... (व्यवधान)

श्री किशनगोपाल कोगटा : माननीय सदस्य ने वक्तव्य दिया है, जो ग्रारोप लगाये हैं, उनको सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री नरेन्द्रसिह भाटी : इसी हाउस की रूलिंग हुई है 1988 में....

श्री किशनगोपाल कोगटा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ माननीय सदस्य ने ग्रारोप लगाये हैं, ग्राक्षेप लगाये हैं उनको कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री उपाध्यक्ष : एग्जामिन करवा रहा हूं मैं।

श्री नरेन्द्रसिह भाटी : इसी हाउस की रूलिंग हुई है 1988 में।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राज ग्रापने दिया है मैं उसको एग्जामिन करवा रहा हूं। माननीय सदस्य विराजिये ग्राप।.... (व्यवधान)

श्री किशनगोपाल कोगटा : ग्राक्षेप सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित नहीं हैं।

श्री नरेन्द्रसिह भाटी : ग्रापकी इसी हाउस की रूलिंग हुई है ...

श्री उपाध्यक्ष : ग्राज ग्रापने 9.45 पर मुझे पत्र दिया, उसको मैं एग्जामिन करवा रहा हूं।

+++ शब्द ग्रध्यक्ष पीठ के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित किया गया।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : माननीय मुख्य मुख्य मंत्रीजी, वर्तमान सदन के नेता श्री भैरोंसिंह जी शेखावत और उनके.... (व्यवधान) ...

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय सदस्य ने जो भी आरोप लगाये हैं उनको एक्सपंज किया जाए।....

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : रिकार्ड नहीं किया जाए।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इस हाउस की व्यवस्था हुई है उसकी तरफ मैं आपका ध्यानाकर्षण कर रहा हूं.... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : मैं कोई एट रेंडम लेने का आदी नहीं हूं। मैंने इसके बारे में कह दिया कि एग्जामिन करवा रहा हूं, आपने जो पत्र दिया है उसको मैं एग्जामिन करवा रहा हूं और समय आने पर रूलिंग दूंगा।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं उनको सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बोलें। ....(व्यवधान) श्री अमराराम चौधरी।

श्री किशन गोपाल कोगटा : मेरा यह निवेदन है कि माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये हैं वह सदन की कार्यवाही से निकाले जाएं।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज कर दी जाए, अभी की कार्यवाही एक्सपंज कर दी जाए। श्री अमराराम चौधरी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बालोतरा शहर में बिजली की आपूर्ति

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत बालोतरा शहर में सायंकाल 7 से 10 बजे तक बिजली की आपूर्ति बिजली विभाग द्वारा नहीं किये जाने के सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, निवेदन है कि वर्तमान समय में विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही हैं, परन्तु पिछले एक माह से बालोतरा शहर में व आस-पास के ग्रामों में ठीक सात बजे बिजली काट दी जाती है जो करीब रात्रि के 10 बजे तक बन्द रहती है, फिर सुबह चार बजे बिजली काट दी जाती है जो सुबह सूर्योदय होने पर आती है। जब कई बार स्थानीय बिजली के अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जयपुर टेलीफोन लगाया हुआ है, बिजली सिरोही से गयी है और बिजली पर नियंत्रण जयपुर से एक अधीक्षक अभियन्ता करते हैं।

इस प्रकार हजारों रुपये शहर के व्यक्तियों को टेलीफोन में खर्च करने पड़ते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाई से महरूम रहना पड़ता है जिसके कारण विद्यार्थियों का

(श्री अमराराम चौधरी)

जीवन बरबाद हो रहा है। अतः मेरा श्रीमान से निवेदन है कि अतिशीघ्र इस आशय का आदेश दिलाने की कृपा करें कि बालोतरा शहर व आस-पास के ग्रामों में शाम को 7 बजे से 11 बजे तक व सुबह 4 बजे से 6 बजे तक बिजली में कटौती नहीं करें।... धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा। (व्यवधान)....

श्री रामनारायण मीणा : माननीय उपाध्यक्षमहोदय, जीरो आवर में 295 उसके बाद में आता है। मैंने आपको एक अहम मसले पर जीरो आवर में बोलने के लिए निवेदन किया था। मैं उस मसले को पाईंट आफ इन्फार्मेशन के जरिये भी निवेदन कर सकता था लेकिन मैंने जीरो आवर में समय देने के लिए निवेदन किया। पिछले 15 दिन में बूंदी जिले में भयंकर स्थिति पैदा हो रही है, मानीय मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये अभी, मैं आपको अवसर दूंगा। श्री रामगोपाल बैरवा। चलिये पढ़िये। मैं यह चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य डिबेट में भाग ले सकें। श्री रामगोपाल बैरवा।

पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र के खेतों के केचमेंट के कर्जे माफी

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के अन्तर्गत केचमेंट के कर्जे माफ करने के सम्बन्ध में मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के अन्तर्गत गत वर्षों में किसानों के खेतों में केचमेंट किया गया। इस केचमेंट के माध्यम से जहां किसानों के खेतों को ठीक करने का वायदा किया था वहीं पर किसानों को राहत देने के बजाय किसानों के खेतों को टुकड़ों में बांट दिया गया तथा किसानों के जमीन का रकबा भी कम कर दिया गया तथा केचमेंट पर जो राशि खर्च की गयी उस राशि का प्रशासन व अधिकारियों ने जमकर दुरुपयोग किया, किसानों को भारी कर्जे से लादा गया, वहां का हर किसान राजकीय कर्जे में डूब गया, बैंकों द्वारा उसकी जमीन को रहन रखा गया व बार-बार नोटिस दिया जिससे वहां के किसान बैंकों से ऋण लेने से भी वंचित हो गये।

उक्त कर्जे माफी को लेकर किसानों ने समय-समय पर सरकार को ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया और चुनावों के समय भी किसानों ने इस बात को रखा, इसी बात को लेकर वर्तमान मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने नवीं विधान सभा के चुनावों के समय विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र पीपल्दा के इटावा में भाषण में केचमेंट के कर्जे माफ करने की घोषणा की थी, जिससे किसानों को कुछ आशा हुई थी लेकिन कर्जे माफ नहीं होने से किसानों की

(श्री रामगोपाल बैरवा)

आशा निराशा में बदल गयी और आज भी किसान कर्जे में डूबे हुए हैं।

अतः मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने दिये गये भाषण के आधार पर केचमेंट के कर्जे माफ करने की घोषणा करें जिससे किसानों को राहत मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जितेन्द्र नीनामा। (व्यवधान)....

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 295 का मेरा भी प्रस्ताव दिया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आज नहीं आया है तो कल लग जाएगा।

श्री शंकरलाल अहारी : कब आएगा साहब ?

श्री उपाध्यक्ष : आज नहीं आये वह कल लग जाएंगे।

व्यवस्था का प्रश्न

कार्यवाही अंश का अपलोपन

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डरसर। क्या चेयर ने व्यवस्था दी है कि जो कुछ भी बिन्दु यहां उठाये गये हैं उनको एक्सपंज कर दिया जाए ?

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या पाइंट आफ आर्डर है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर यह है कि एक्सपंज किस ग्राउण्ड पर किये जा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : यह तो अध्यक्ष की मर्जी से किया गया है। जो बात आपको उठाने की नहीं थी, मैंने आपको कह दिया कि मैं आपको व्यवस्था दूंगा, मैं इसको एग्जामिन करवा रहा हूं, उसके बावजूद आप मरजी आये आये जो बोलना चाहें तो वह तो एक्सपंज ही होगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : तो मैंने कौनसी, उपाध्यक्ष महोदय, आप कब तक....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह हाउस कब तक हमारा +++ रखेगा।

श्री किशनगोपाल कोगटा : आपकी परमिशन के बिना जो भी बोला गया.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह क्या मतलब हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है इस पर। आप बिराजिये।

श्री किशनगोपाल कोगटा : उसको एक्सपंज करने का आपको अधिकार है।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : जितेन्द्र जी नीनामा।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने इसको कैसे एक्सपंज कर दिया, जरा आप बताइये तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको कह दिया कि मैं एग्जामिन करवा रहा हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह : बट आपने यहां क्या एक्सपंज किया है, अब वह प्रोपर्टी हाउस की है, आपकी प्रोपर्टी नहीं है। आपने क्या एक्सपंज किया है और क्यों एक्सपंज किया है, वह हमें बताइये। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी माननीय सदस्य के शब्दों को एक्सपंज करने के बराबर नियम है। अपशब्द का हो, मानहानिकारक हो, असंसदीय हो

श्री किशनगोपाल कोगटा : बिना पूछे बोला गया हो, बिना अध्यक्ष की आज्ञा के बोला गया हो।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : तो उस तरह के जो होते हैं, लेकिन यदि कोई माननीय सदस्य अनधिकृत रूप से बोले तो वह यहां रिकार्ड नहीं होगा और उसमें से निकाल दिया जायेगा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि ऐसा कोई नियम नहीं है।

श्री किशनगोपाल कोगटा : बिना अध्यक्ष की आज्ञा के यदि कोई बोला जायेगा उसे एक्सपंज कर दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये माननीय सदस्य। श्री जितेन्द्रजी नीनामा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य स्वयं अध्यक्ष रहे हैं और मैं यह समझता हूं.... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप यह गलत परम्परा डाल रहे हैं। हम इस विषय के अन्दर .. (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : और मैं यह जानता हूं कि माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार के सवाल के सवाल पर एक विशेषाधिकार का सवाल दिया है, यह कह कर कुछ इस प्रकार के निन्दनीय जो कहें जायं, ऐसे शब्द माननीय मुख्यमंत्रीजी के और उसके ऊपर उन्होंने आक्षेप लगाये....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : असत्य वचन तो आपके मुख्य मंत्रीजी करते हैं माननीय सचेतकजी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : बिना आसन की अनुमति के यदि कोई भी माननीय सदस्य किसी के ऊपर मानहानिकारक या इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है या बिना नोटिस के, तो उसको एक्सपंज करने का आसन को अधिकार है।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जितेन्द्रजी नीनामा।

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष जी, आपने जो एक्सपंज करने का आर्डर दिया है वह मेरे ख्याल से बिलकुल+++ दृष्टिकोण है।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री महावीर प्रसार जैन : आप स्वयं आसन पर बैठे हैं, आपको तो पता है, आपने कई बार अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो, यह आपने कई बार व्यवस्था दी है, कई बार आपने यह भी व्यवस्था दी है कि बिना आसन की अनुमति के कोई भी सदस्य बोले वह अंकित नहीं हो।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इसके लिए पहले व्यवस्था दी जानी चाहिए कि अब अंकित नहीं होगा। लेकिन एक्सपंज तो वही होगा जो परिभाषित है अपने नियमों के अन्दर, वह आप पढ़ लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप एक गलत परम्परा डाल रहे हैं, कई बार ऐसे मौके आते हैं कि ...

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर मैंने जो भी टिप्पणी की है, इस हाउस में मैंने 119 का नोटिस देकर सर्व करके और वह बिंदु पूर्व में मैंने उठाया है, उसके अलावा अगर मैंने कुछ कहा हो तो आप उसको एक्सपंज करें लेकिन.....

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसको देख लूंगा, आप बिराजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं तो आप, देख लेंगे, क्या देखेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं देखूंगा।

एक माननीय सदस्य : क्या है इसमें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं, तो उस समय तक यह एक्सपंज नहीं हो सकता।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप एक गलत परम्परा डाल रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस मामले में अभी रूलिंग जो है रिजर्व है। बिराजिये आप ... (व्यवधान) माननीय नीनामाजी।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर एक गलत परम्परा आपने डाली तो ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जितेन्द्र जी नीनामा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप एक बड़े वरिष्ठ वकील हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप बहुत सज्जन हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आप सबकी इज्जत करता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : लेकिन इस चेयर से गलत परम्पराएं न डालें उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा आपसे ..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको कहा मैं एग्जामिन करवा रहा हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : हाथ जोड़ कर विनती है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको मना नहीं किया है, मैं कह रहा हूं, मैं एग्जामिन करवाऊंगा इसको।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अभी जो मुख्य सचेतकजी ने कहा कि साहब, ऐसे-ऐसे शब्द प्रयोग किये हैं भाटी ने जो कि हाउस के....

श्री उपाध्यक्ष : मैं देखकर.... (व्यवधान) मैं इसमें देख लूंगा। आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप अपनी व्यवस्था देने के बाद....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : एक तरफ तो आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं प्रोसीडिंग्स में देखूंगा क्या आया है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : एक्सपंज के बाद क्या देखेंगे। किस नियम के तहत एक्सपंज किया है। आप नियम तो बताइये उपाध्यक्ष महोदय।... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराज जाएं। .. (व्यवधान) ...

श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल) : नहीं, कैसे कह रहे हैं, आपने एक व्यवस्था दे दी और उस व्यवस्था देने के बाद और आपके द्वारा मना करने के बाद भी आसन के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं यह और बोले जा रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं.... (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : रूल 294 के अन्दर क्या पाइंट आफ आर्डर होता है उसके बारे में मैं कुछ आपसे निवेदन करना चाहता हूं। रूल 294 के अन्दर पाइंट नम्बर पांच–"A point of order is not a point of privilege." Number one.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं मेरे पैरों पर खड़ा हूं, यह श्रीमान्जी कहां से बोल रहे हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह " (6), A member shall not raise a point of order-(a) to ask for information :...." यह इन्फोर्मेशन पूछ रहे हैं। He can not ask for information.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : क्या यह रिकार्ड हो रहा है सर ?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : पाइंट आफ आर्डर के अन्दर आप इन्फोर्मेशन नहीं पूछ सकते।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हाउस तो उपाध्यक्ष महोदय, नियमों से चलेगा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : "(6) A member shall not raise a point of order-(b) to explain his position :... "

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : तो यह पाइंट आफ आर्डर कैसे हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। मीनामाजी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी आपसे मेहरबानी करके जानना चाहता हूं, किन नियमों के

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

तहत यह एक्सपंज हुआ, यह बताइये आप और मुझे यह बता दीजिये कि एक्सपंज हुआ या नहीं हुआ ।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सब गरिमा वाले हैं ...

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : आपने एक्सपंज कर दिया क्या, यह तो बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस सारे मामले को देख रहा हूं, मैंने आपको पहले ही कह दिया है ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : एक्सपंज तो नहीं किया न अभी ।....(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र बुडानिया : एक्सपंज हुआ कि नहीं, यह तो बता दीजिये कम से कम ।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : यही तो कमिटमेंट लेना है, और क्या है, आपने एक्सपंज नहीं किया है, आप एग्जामिन कर रहे हैं ।

श्री लक्ष्मणसिंह : एक्सपंज कर दिया तो आप क्या देखेंगे । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक बार जब मैंने आपको कह दिया है कि मैं इसको एग्जामिन करवा लूंगा, मैं इसको देख लूंगा, उसके बाद आप बार-बार इस बात को क्यों उठा रहे हैं ।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 298 में आप देखेंगे....

श्री हरजीराम बुरड़क : बार-बार यह कह रहे हैं साहब कि आपने एक्सपंज कर दिया है तब तो आप देखेंगे क्या, नहीं किया है तो कह दीजिये कि नहीं किया है और मैं देखूंगा । बस बात खतम हुई ।

श्री जगदीप धनखड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं नियम 298 की ओर, वाद-विवाद से शब्दों को निकाला जाना । यदि अध्यक्ष की यह राय हो वाद-विवाद में ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र हैं, तो यह स्वविवेक से आदेश दे सकेंगे कि उन शब्दों को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए ।

श्री देवीसिंह भाटी : आगे पढ़ो ।

श्री जगदीप धनखड़ : आगे कुछ हो तो पढ़ूं ।

एक माननीय सदस्य : पढ़ते जाओ । (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : आगे नहीं है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आपके समक्ष, आपके माध्यम से सदन के समक्ष यह बात कही कि उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, अनेक साधन इस बात के लिए काम में लिये जा रहे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, नियम 298 के तहत यह मुद्दा नहीं आ सकता और उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य एवं पूर्व अध्यक्ष महोदय ने....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इसी का जवाब मैं देता हूं सर। इसी रूल को मैं कोट करके आपको जवाब देता हूं, रूल 298 का, जिसका जिक्र किया जा रहा है--"If the Speaker is of opinion that words have been used in debate which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified, he may, in his discretion...."

श्री जगदीप धनखड़ : विश्नोईजी ने जो बात कही है, मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसको एक्सपंज करना न्यायहित में नहीं हो सकता और जब यह सूचना दी जा रही है कि उनको एक्सपंज कर दिया तो माननीय पूर्व वक्ता सदस्य का एग्जामिन क्या होगा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : "....in his discretion....". The word is discretion.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूं....

श्री जगदीप धनखड़ : तो मेरा, उपाध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराज जाएं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह :... आपके पास पावर है कि आप एक्सपंज कर सकते हैं, इसका जवाब दे दें आप....

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको बैठाइये। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले में हमारी अभिव्यक्ति का अधिकार है, हमारा राइट आफ एक्सप्लेनेशन है और यदि सदन में ही हम विचार व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो वह कौन सा स्थान है जहां विचार व्यक्त कर पाएंगे। मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि आप इस बात पर अपनी व्यवस्था दें कि माननीय सदस्य ने जो यह कहा कि उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, अनेक साधन इसके लिये डिप्लाय किये जा रहे हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इससे ज्यादा खतरा और क्या हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री जगदीप धनखड़ : तो मेरा, उपाध्यक्षजी, आपसे निवेदन है कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे को 9.45 पर मिला, मैंने उसी समय एग्जामिन के लिये लिख दिया, उसके बाद आपका क्या रहा.... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं-नहीं, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री जुबेर खान : सवाल तो यह है कि एक्सपंज किया है या नहीं, क्या जितने भी लोग बोले हैं, सारे एक्सपंज किये ? (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : एक्सपंज वाली बात पर व्यवस्था दें कि क्या एक्सपंज कर दिया, किस नियम में कर दिया, क्या कर दिया, क्यों कर दिया ?

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन सबसे.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं, माननीय सदस्य, यह कह रहा हूं, यदि इसमें असंसदीय बात होगी तो उसको एक्सपंज कर दिया जायेगा।

श्री रामनारायण (नैनवां) : यह मामला नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : उसको मैं एग्जामिन कर लूंगा, देख लूंगा मैं।

श्री रामनारायण : यह बात आगे बढ़ चुकी है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। प्रश्न यह है... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : अगर इस सदन के सदस्य को....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई बात असंसदीय होगी तो उसको निकाल दूंगा। विराजिये आप।....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह : डराया जायेगा तो यहां आकर नहीं कहेंगे तो कहां जाएंगे अपनी बात कहने।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये आप। जितेन्द्रजी नीनामा।

श्री रामनारायण मीणा : कोई भी सदस्य सुरक्षित नहीं है इस प्रजातंत्र में.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कोई भी असंसदीय बात होगी तो उसको निकाल दिया जायेगा, एक्सपंज कर दिया जायेगा। मैं एग्जामिन करने के बाद कहूंगा इसको।

श्री रामनारायण मीणा : हाउस में कोई माननीय सदस्य बोल नहीं सके....

श्री उपाध्यक्ष : क्या रिकार्ड हुआ है, मैं इसको देखूंगा, कोई असंसदीय बात होगी तो उसको एक्सपंज किया जायेगा। आप विराजिये अब। आप विराजिये माननीय सदस्य।.. (व्यवधान)....अब आप क्या चाह रहे हैं ?

श्री लक्ष्मणसिंह : जो हमारा अधिकार है उसको रोका जा रहा है, फ्रीडम आफ एक्सप्लेनेशन हमारा कांस्टीट्यूशनल राइट है, आप हमको यहां बोलने से रोक रहे हैं।

श्री रामनारायण मीणा : हमारा जो अधिकार है ..

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने अभी तक एक्सपंज नहीं किया है....

श्री लक्ष्मणसिंह : इन माननीय सदस्य को यहां पर धमकी दी जाती है, इनकी बात कहने से इनको रोका जाता है, यह यहां नहीं आएंगे तो फिर कहां जाएंगे.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप एग्जामिन हाल में बैठे हैं क्या, एग्जाम दे रहे हैं ? मैंने आपको

(श्री उपाध्यक्ष)

कहा है कि मैं देख लूंगा और उसके बाद कोई आयेगा, असंसदीय बात होगी तो उसको एक्सपंज कर दिया जायेगा। बिराजिये आप। अब बिराजिये आप। जो है जो इसमें है, रिकार्ड में है। आप बिराजिये अभी।

श्री जगदीप धनखड़ : अभी तक कोई एक्सपंज नहीं हुआ ?

श्री रामनारायण : आपको मेरी बात सुननी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये न, हो गयी बात।

श्री रामनारायण मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है, मामला यह है कि डराया, धमकाया जा रहा है, आसन क्या व्यवस्था दे रहा है। आसन क्या व्यवस्था दे रहा है, सदस्य के मुंह को सिला जा रहा है....

श्री जुबेर खान : हम यह जानना चाह रहे हैं कि अभी एक्सपंज किया है या नहीं किया है।

श्री रामनारायण मीणा : आसन क्या व्यवस्था दे रहा है, सदस्य के मुंह को सिला जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन से कही गयी बातों के बाद में प्रश्नोत्तर कर रहे हैं ?

श्री रामनारायण मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : मैं इस सदन का सदस्य होने के नाते यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदस्य को इस तरह से डराया जाए, धमकाया जाए, ज्यादतियां की जाएं और आसन हमारी सुरक्षा नहीं करे, हमें सुरक्षा की गारंटी चाहिए आसन से। यह आसन हमसे कह दे कि सदन में बैठने का आपका अधिकार नहीं है, आप चले जाइये।

एक माननीय सदस्य : सदन के ऊपर आक्षेप कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : हमारी सुरक्षा के लिए क्या है, आप इस बात का जवाब दीजिये। हम जब बाहर निकलेंगे, हमारे साथ क्या ज्यादती होगी सरकार के द्वारा....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामनारायण मीणा : आप हमें इसका जवाब दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने सबसे पहले कह दिया है कि मैं इसको एग्जामिन करवा रहा हूं। आपने जो दिया उसको मैं एग्जामिन करवा रहा हूं।

श्री रामनारायण मीणा : मैं एक टांग से खड़ा हूं आपके सामने इस मामले में। डराया धमकाया जा रहा है।

(श्री रामनारायण मीणा बैंच पर एक पैर पर खड़े हो गये)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह क्या कर रहे हैं आप ?

श्री रामनारायण मीणा : डराया धमकाया जा रहा है, शासन हमारी सुरक्षा करे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह क्या कर रहे हैं आप ?

श्री रामनारायण मीणा : शासन हमारी सुरक्षा करे, सीधा-सा सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने कह दिया है, कोई असंसदीय बात होगी तो उसको एक्सपंज कर दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : यह+++ आदमियों के माध्यम से हमारे साथ ज्यादतियां कर रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : रामनारायण जी, बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण जी, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : डराया धमकाया जा रहा है, ज्यादतियां की जा रही हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : रामनारायण जी, बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : गांवों में ज्यादतियां की जा रही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे कह रहा हूं, आप बिराजिये।... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : जो हालत जा रही है सरकार द्वारा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, रामनारायण जी का नाम पुकार रहा हूं। आप बिराजिये। (व्यवधान) मैं आपका नाम पुकार रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : भ्रष्टाचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा नहीं कर रहा है शासन। हमें तो शासन से सुरक्षा चाहिये। भ्रष्टाचारी लोग शासन में बैठे हुए हैं, हम शासन से सुरक्षा चाहते हैं। हम गिना दें एक-एक आदमी का कारनामा (व्यवधान) माननीय, एक-एक आदमी का हम कारनामा गिना दें। हमको आश्वस्त कीजिये, हमारे साथ ज्यादतियां हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये आप।....(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : ज्यादतियां हो रही है, लिमिट से ज्यादा ज्यादतियां हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपका नाम पुकार कर कह रहा हूं, आप बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : आपने व्यवस्था दी, वह एक्सपंज क्यों नहीं होगा।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण जी, विराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : आपके उसके बारे में कहेंगे कि एक्सपंज नहीं किया, आप व्यवस्था दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपने क्या सुना फिर ? क्या सुना आपने ?

श्री रामनारायण मीणा : आपको व्यवस्था देनी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : सुना नहीं आपने। मैंने यह कहा था कि यदि कोई बात होगी, उसको देख लूंगा और असंसदीय बात होगी तो उसको एक्सपंज करूंगा। बार-बार आप खड़े हो रहे हैं, कितनी बार कह दिया है इस बात को ? आप बिराजिये।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जितेन्द्र जी नीनामा। मैं 6 बार रिपिटेडली कह चुका हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : थोड़े समय के बाद आपका बहुत आक्रामक रूख होगा, उधर।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

पंचायत समिति भवन में घुसकर रिकार्ड फाड़ने पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही न करना

श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत नियम प्रक्रिया 295 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत अमरसिंह का गढ़ा पंचायत समिति भवन में जबरदस्ती घुसकर रिकार्ड फाड़ने पर प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न होने पर विशेष उल्लेख करता हूं।

महोदय, निवेदन है कि श्रीमती कमला माल पंचायत अमरसिंह का गढ़ा की नव निर्वाचित अनुसूचित जनजाति की महिला सरपंच है। यह कि घटना दिनांक 9.3.95 की है कि कमला (सरपंच) अपने पंचों व सचिव के साथ पंचायत भवन में बैठक ले रही थीं, तब ग्राम भेरजी आड़ों का रहने वाला अभियुक्त हरगोविंद सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह राजपूत जबरन पंचायत में प्रवेश कर उस अनुसूचित महिला सरपंच को अपमानित करते हुए एवं गाली-गलौज करते हुए गला दबाते हुए रिकार्ड मांगने लगा। जब सचिव बचाने आया तो उसके साथ मारपीट की गयी एवं रिकार्ड फाड़ दिये।

जब उसकी रिपोर्ट पुलिस थाना लोहारिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 38/95 दर्ज करा दी गयी। अनुसूचित जनजाति महिला सरपंच के रिपोर्ट दर्ज कराने से दूसरे दिन, यानि दिनांक 10.3.95 को अभियुक्त ने फिर सरपंच के घर जाकर धमकी दी कि मेरे खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया है वह वापस नहीं लिया तो तेरे साथ मारपीट के साथ-साथ बलात्कार भी करूंगा। मुकदमा दर्ज होने तथा धारा 447, 332, 353, 322 आई. पी. सी. व 3 (10) एस. टी./एस. सी. एक्ट लगने के बावजूद आज तक पुलिस प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की है।

(श्री जितेन्द्र मीनामा)

सरपंच अनुसूचित जनजाति की गरीब महिला होने से कार्यवाही नहीं हो सकी है।

क्या यह सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। अतः सारे घटना क्रम व बिन्दुओं पर सरकार व गृह मंत्रीजी को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इसकी सारी जानकारी सदन में रखें और अभियुक्त को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करवाने की कार्यवाही करें। आज भी अभियुक्त धमकियां देते हुए खुले आम घूम रहा है, जिससे महिला सरपंच को जान-माल की हानि होने का अंदेशा है।

अतः अभियुक्त को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करवाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायण लाल।

धरियावाद उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्सरे मशीन नहीं होने से परेशानी

श्री नारायण लाल (लसाड़िया): विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत माननीय चिकित्सा मंत्री का धरियावाद उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्सरे मशीन नहीं होने से क्षेत्र के बीमारों को होने वाली कठिनाई के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया के तहसील मुख्यालय धरियाबाद में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आजादी के 47 वर्ष बाद भी एक्स-रे मशीन नहीं है जिससे जिला मुख्यालय उदयपुर से 150 किलोमीटर दूर स्थित होने के कारण इस क्षेत्र की जनता को समय पर इलाज नहीं हो पाता है। नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मैं माननीय चिकित्सा मंत्री का इस लोक महत्व के बिंदु की ओर ध्यान आकर्षित कर अविलम्ब एक्स-रे मशीन लगाने हेतु आग्रह करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बनवारी लाल जी बैरवा।

मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी संस्थान के ग्रंथों का उपयोग

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के तहत ध्यानाकर्षित कराना चाहता हूं।

मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी संस्थान में अमूल्य एवं दुर्लभ मूल स्रोतों पर आधारित अरबी फारसी एवं उर्दू ग्रन्थों से सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध है और उसके आधार पर इस संस्था ने देश विदेश में इतनी ख्याति प्राप्त की कि टोंक जैसे छोटे एवं पिछड़े जिले का नाम विश्व के मानचित्र में उभरा है और देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी अच्छी संख्या में शोधकर्ता एवं विद्वानों को आकर्षित किया है। गर्व की बात है कि हमारे देश के सर्वोच्च व्यक्ति अर्थात् महामहिम राष्ट्रपति ने भी टोंक पधार कर इस

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

संस्थान को देखा और यहां उपलब्ध सामग्री की भूरि-भूरि प्रशंसा की तथा किये जा रहे कार्यों की सराहना की, किंतु आज इस संस्थान की स्थिति दयनीय हो रही है।

संस्थान आज उपेक्षा का शिकार है फलस्वरूप इस संस्थान के बजट में कटौती कर दी गयी है। अरबी फारसी की कक्षाएं, कैलीग्राफी कक्षाएं, रीजनल कार्यालय फेलोशिप, स्कालरशिप स्कीमें बन्द कर दी गयी हैं। संस्थान की गतिविधियां पूर्णकालिक निदेशक के अभाव में मृत प्रायः हो गयीं। संस्थान के सेवा नियम नहीं बनाये जाने के कारण नियुक्त दिनांक से आज तक वहां कार्यरत कर्मचारियों को न तो पदोन्नति मिली और न ही चयनित वेतन लाभ। इस स्थिति में संस्थान में निराशा का वातावरण बना हुआ है और इसके अनिश्चित भविष्य के विषय में संस्थान के भीतर एवं बाहर आशंका बनी हुई है।

इस राष्ट्रीय धरोहर को गतिशील बनाये रखने के लिए मेरा सुझाव है कि वहां पूर्णकालिक निदेशक जिनको अरबी, फारसी भाषा आदि की जानकारी हो, लगाया जाए। वहां संधारित सामग्री का हिन्दी में अनुवाद करवाया जाए और हिन्दी भाषा में संस्थान की एकेडमिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को जन सम्पर्क माध्यम से सजीव बनाया जावे। संस्थान में वर्षों से रिक्त जन सम्पर्क अधिकारी (ओरियण्टल स्टडीज) के पद को तुरंत संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों में से पदोन्नति से भरा जाए अथवा इस पद को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाए। इस संस्थान को जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एम. ए. फारसी की कक्षाएं अविलम्ब प्रारम्भ की जानी चाहिये ताकि संस्थान में संधारित फारसी ग्रंथों को पढ़ने और उन पर शोध करने के लिये व्यक्ति उपलब्ध हो सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिनारायण जी बैरवा। यह जीरो आवर के प्रश्न हैं और थोड़ा जल्दी–जल्दी आप अपनी बात कह दें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हरिनारायण (खण्डार) उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 27 मार्च को मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बापड़ा उप-तहसील चौथ का बरवाड़ा में खलिहानों में आग लग गयी जिसके कारण कई काश्तकारों की फसल जल गयी जिसमें सरसों, गेहूं और जौ थी। पटवारी की रिपोर्ट भी गयी जिसमें करीब 6 लाख का माल जलकर राख हो गया है। इन किसानों को मुआवजा दिलवाया जाए और सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर अग्निशमन सेवा की जो मोटर है वहां पर एक गाड़ी का इन्तजाम और करवाया जाए क्योंकि वहीं पर गैस फैक्ट्री है और वन विभाग का बाध परियोजना क्षेत्र भी जिला मुख्यालय में लगा हुआ है। ताकि जिले में कहीं भी, कभी भी ऐसी घटना घटे तो उस पर जल्दी काबू पा लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: बिराजिये । श्री रामगोपालजी बैरवा । श्री रामनारायण जी ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने पहले भी निवेदन किया है बूंदी जिले में बहुत भंयकर स्थिति होती जा रही है । किसी भी समय ग्रुप लड़ सकते हैं और ये ग्रुप बड़ी तादाद में हैं । ट्रक यूनियन के मामले में, गृह मंत्रीजी यहां बैठे हैं । गृह मंत्रीजी एक ट्रक यूनियन में गये थे और कुछ कर आये वहां कबाड़ा, उधर दूसरे व्यापारियों ने कबाड़ा कर रखा है, दूसरे कैबिनेट मंत्री ने । दो कैबिनेट मंत्रियों की लड़ाई बूंदी में खुली हो रही है । दोनों, एक तो व्यापार मण्डल में जाता है, चाय पीता है । एक ट्रक यूनियन में जाता है, चाय पीता है और अब समझ में नहीं आ रहा है, 15 दिन से मण्डी बन्द है । ट्रक वाले कहते हैं कि हमारे साथ गृह मंत्री हैं और उधर व्यापारी कहते हैं हमारे साथ तो बड़ा मंत्री, सैकण्ड मुख्य मंत्री है । अब संकट यह हो रहा है कि व्यापार चौपट हो रहा है, काश्तकार बरबाद हो रहे हैं । बैलगाड़ी वाले काश्तकार बूंदी में जो आते थे वह कोटा में जा नहीं सकते, जयपुर में आ नहीं सकते । गरीब आदमी को रोजी–रोटी का लाला पड़ रहा है । ट्रक वाले भी गरीब हैं, हालात खराब है । और उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है । मैं इसलिये निवेदन कर रहा था, माननीय उपाध्यक्षजी, यह अल्टीमेटम दिया है कि इस मामले में समझौता या सुलह नहीं हुई तो 5 तारीख को पूरे बूंदी को बन्द किया जाएगा और कल भी काफी व्यापारियों की मीटिंग हुई, ट्रक वालों की अलग से मीटिंग हुई । प्रशासन बिलकुल मौन रहकर के सारे नाटक को देख रहा है । सरकार की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं जा रहे हैं । मैं तो इसलिये निवेदन करना चाहता हूं, सरकार यहां बैठी हुई है, इस मामले का निपटारा अतिशीघ्र और आज ही हो जाए, तो कल का हादसा टाला जा सकता है । कभी भी किसी समय कोई भी हादसा हो सकता है । सरकार इस बारे में ध्यान दे और इस का पूरा निराकरण करे । यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये । श्रीमान् गोविन्दसिहजी गुर्जर ।

श्री गोविन्दसिह गुर्जर (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत शिक्षा मंत्री जी का ध्यान अजमेर में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसकी परीक्षा के फार्म गत शनिवार को अजमेर के बाजार में पड़े हुए मिले और एक व्यक्ति ने उन फार्मों को लाकर एक पत्र, जो अजमेर से निकलता है, प्रतिष्ठित पत्र है, उसके यहां जमा कराये । मैं इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इससे पूर्व भी, 15 तारीख को यह खबर अखबार में आयी थी कि हजारों फार्म जिसके साथ टी. सी. भी हैं और उनकी ओरिजिनल मार्कशीट्स भी हैं, वह खो गये हैं और उनकी जगह दूसरे नम्बर देकर परीक्षार्थियों को परीक्षा में अलाउ किया जा रहा है । इस तरह के तीन फार्म, जो खेतड़ी के परीक्षार्थियों के थे, उनके अजमेर में पाये गये । बोर्ड के अधिकारियों ने इसका खण्डन किया कि इस तरह के कोई फार्म नहीं गये हैं । जबकि वास्तविक रूप

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

से वह फार्म आज भी उस पत्र कार्यालय में उपलब्ध हैं। इस तरह के करीब हजार-डेढ़ हजार फार्म गुमे हैं और उनकी जगह वैकल्पिक नम्बर देकर उन लोगों को अलाउ किया गया है। मैं शिक्षा मंत्रीजी से मांग करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में विभाग जो लीपापोती कर रहा है, उसको रोक कर इसकी निष्पक्ष जांच कराएं और जो इसके लिए दोषी हैं, जिन्होंने गलत खण्डन किया है ...

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : या जो अभी भी इसकी जिम्मेदारी को दूसरों पर टाल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलालजी मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ढाणी चौवली, ग्राम पंचायत हिराणा में 21.3.95 को भयंकर अग्निकाण्ड हो गया, 25 परिवारों के 66 घर जल गये कोई सामान नहीं निकाला जा सका। एक लड़की, तीन भैंस, कुछ बकरियां जलकर मर गयीं। मैं जिलाधीश महोदय को तो धन्यवाद देता हूं कि वह और एस. पी. वहां पर गये और उन्होंने सरकारी नार्म्स के हिसाब से दो सौ रुपये बकरी के, पांच सौ रुपये भैंस के, इस हिसाब से उनको वितरित किये। मैं सरकार से आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि वह 25 परिवार आज खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। उनको चयनित मानकर इन्दिरा आवास की उनको सुविधा दी जाए ताकि उनका काम चल सके। यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। श्री परसादी लालजी (अनुपस्थित)। श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, कल हमारे सिरोही में एक बी एससी. का छात्र था विकास अग्रवाल। उसका बी. एससी. फाइनल का एग्जाम था, वह चाय पीने जा रहा था, एक टैंकर से उसकी टक्कर हो गयी। छात्र को हाथों-हाथ हास्पिटल ले गये। 40 मिनट तक, उपाध्यक्ष महोदय, उसको न किसी डाक्टर ने देखा, न किसी नर्स ने अटेंड किया, न कोई कम्पाउंडर आया। उस छात्र ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। इस प्रकार की स्थिति से कल सारा सिरोही, सिरोही की जनता, सभी छात्र बहुत गमगीन हुए और बहुत उत्तेजित और बहुत आंदोलित हुए। उपाध्यक्ष महोदय, वह छात्र जो बी. एससी. फाइनल का था, किसी का लाडला, सुमेरपुर से सिरोही पढ़ने आता था। एग्जाम एग्जाम करते उसके प्राण निकल गये। उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही नगर हाई-वे के चारों तरफ, हाई-वे होने से, बीचों-बीच आया हुआ है। आये दिन ऐसे हादसे होते हैं। अभी 15 दिन पहले रेवदर में एक जीप की दुर्घटना हो गयी, पांच व्यक्ति मौके पर मर गये, दो व्यक्ति हास्पिटल ले जाते और वहां भर्ती करने के बाद, एक भी डाक्टर उपस्थित

(श्रीमती तारा भण्डारी)

नहीं होने के कारण मर गये। 20 लोग घायल हुए। एक भी डाक्टर नहीं था उनको पालन पर और गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, रेवदर में छह डाक्टरों की पोस्टें हैं, उनमें से दो डाक्टर पोस्टेड हैं और वह दो डाक्टर भी उस दिन गायब थे। उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही के तीनों तरफ नेशनल हाई-वे होने से प्रति दिन ही लगभग एक न एक दुर्घटना होती रही है। 20 रोज पहले एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ। उसमें सरिये भरे हुए थे। जैसे ही ट्रक लुढ़का सरियों से सीधे छेद हो गये। जितने भी लोग उसमें बैठे हुए थे, हास्पिटल लाये, इलाज नहीं मिला, लोग मर गये। इस प्रकार की आये दिन हमारे यहां स्थिति होती रहती है। मैं डाक्टरों की कमी के हिसाब से पिछले एक वर्ष से डिप्टी सैक्रेटरी, हैल्थ सैक्रेटरी, हैल्थ डायरेक्टर, हैल्थ मंत्री महोदय, कोई दरवाजा ऐसा नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने नहीं खटखटाया हो....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इतने दस्तक अगर परमात्मा के दरवाजे पर देती तो निश्चित रूप से मेरे सिरोही अस्पताल की हालत, अव्यवस्था दूर हो जाती....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, बिराजने का सवाल नहीं। सिरोही अस्पताल, 1886 में निर्मित हुआ था। 1886 का निर्मित हुए अस्पताल की जगह-जगह टूट-फूट हो गयी, वायरिंग सारी सड़ गयी। जनाना अस्पताल की, उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि शौचालय में बड़े-बड़े गड्ढे और गन्दगी भरी रहती है। वहां महिलाएं स्वस्थ होने आती हैं मगर रोगग्रस्त होकर जाती हैं। कल्पना कीजिये, उपाध्यक्ष महोदय, कहीं रिपेयरिंग का कोई काम नहीं। सफाई वहां होती नहीं, इतनी जबरदस्त लापरवाही जिसका कोई हिसाब नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने भी सिरोही की अव्यवस्था स्वयं जाकर देखी है और जब वहां के लोग मिले, उन्होंने कहा कि यह मुख्यालय का अस्पताल है या नर्क का दरवाजा या मौत का कारखाना....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया कि मैं इसकी व्यवस्था जयपुर जाते ही ठीक करूंगा। एक साल हो गया उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मेरा तो इतना ही निवेदन है कि मेरे सिरोही मुख्यालय का अस्पताल 1886 में हमारी महारानी राठोड़ी जी ने बनवाया था। यह राठोड़ हैं. अपनी बहन की स्मृति में हमारे अस्पताल की व्यवस्था कर दें तो मैं समझती हूं कि उस विकास अग्रवाल को सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तरफ से यही होगी। धन्यवाद।

श्री प्रभूराम गरासिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मीना जी अग्रवाल को बोलने दीजिये। बिराजिये आप।

(८५)

श्री प्रभूराम गरासिया : उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही के लिये बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : बोल देना, बिराजिये आप। माननीय मीनाजी अग्रवाल।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि अलवर शहर में पीने के पानी की समस्या काफी गहरी है। अभी इसी समय अलवर में तीन बार जिलाधीश का घेराव और धरने आदि हो गये हैं। इस समय परीक्षा का समय भी है, बच्चे परीक्षा दें या पीने का पानी लायें। महिलाओं की और भी बुरी हालत है। एक-दो किलोमीटर से खाली मटके और बाल्टी लेकर घूमती रहती हैं। पानी के लिये इतनी भीड़ होती है कि कई बार झगड़ा भी हो जाता है। यहां तक कि 75 साल के लोग भी, वे भी पीने के पानी के लिये कभी-कभी झगड़े करते हैं, कभी लाइन में खड़े रहते हैं, कभी दूर भी जाना पड़ता है, उनको भी भारी परेशानी हो रही है और पशु-पक्षी की हालत तो बहुत खराब है। उस भीड़ के अन्दर पशु भी घुस जाते हैं, जिससे मटके घड़े भी फूटते हैं। कई बार महिलाओं और बच्चों के चोट भी आ जाती है। इसलिए इस पानी की समस्या के लिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करती हूं कि इसको बहुत गहराई से लेवें, क्योंकि गर्मी का मौसम हमारे सामने है। कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि जनता में इतना भारी रोष है क्योंकि पानी भी नहीं मिलता और बिल भी बढ़-चढ़ कर आ जाते हैं और बिल कम कराने के लिये चक्कर लगाते हैं, तो अधिकारी/कर्मचारी आफिस में नहीं मिलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्रीमती मीना अग्रवाल : और दौरे पर दिखा दिये जाते हैं।

मैं यह बताना चाहूंगी कि यहां भी जयपुर में एम.एल.ए. क्वार्टरों में पानी का बिल बढ़-चढ़ कर आ रहा है और हम लोगों को चक्कर लगाकर कम करवाना पड़ता है। इस विषय में अधिकारी से बात करते हैं, तो कहते हैं कि पानी की समस्या के लिये, बोरिंग फेल हो गयी....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्रीमती मीना अग्रवाल : हैण्ड पम्प फेल हो गये। कुएं सूख गये। पुराने इलाके में पाइप लाइन पुरानी है, वह उस समय के हिसाब से दो-तीन इंच की डाली गयी थी, आज जनसंख्या बढ़ गयी है इसलिये पानी की समस्या है। कई बार मोटर चलाने वाले कर्मचारियों की भी लापरवाही सामने आती है, टाइम पर मोटर नहीं चलाते। इस बारे में मैंने मंत्रीजी को भी ध्यान दिलाने की कोशिश की, परन्तु मंत्री जी ने यह कह कर टाल दिया कि पी.ए. से बात करो। उसके बाद पानी की समस्या अभी तक ठीक नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्रीमती मीना अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष जी, अलवर को रेगिस्तान नहीं बनाना है, यह मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रभूराम जी गरासिया।

श्री प्रभूराम गरासिया (पिंडवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी-अभी ताराजी ने बताया कि सिरोही में जितने मरीज हास्पिटल में भर्ती होते हैं, वहां के वहां ही वे बैठे रहते हैं। वहीं उनको सुलाते हैं। लेकिन वहां उसको न तो कोई देख-भाल करते हैं और कुछ भी नहीं है। वहां गन्दगी इतनी पड़ी रहती है, न तो कोई वहां देखने वाला है। ऐसी की ऐसी, इससे भी खराब कंडीशन आबूरोड में है। मैं कई बार आबूरोड हास्पिटल में गया। वहां इतनी गन्दगी है कि मरीजों के सोने के लिये बिस्तर नहीं हैं। बिस्तर ऐसे खराब पड़े हैं कि जिनको एक तरफ रखते हैं। आदिवासी लोग जाते हैं, उनके लिये न तो वहां चद्दरें बिछाते हैं, न कोई और है। कोई भी आदमी वहां जाकर खड़ा भी नहीं रह सकता, इतनी गन्दगी वहां पर है। वहां पर जो डाक्टर है, जो इन्चार्ज है, एक बार एक लेडी की डिलीवरी होने वाली थी, उस डिलीवरी पीरियड में उसको अन्दर लेकर गये। उप सरपंच वहां पहुंचा बाजुपुरा का। उसको फटकार कर निकाला गया कि आप ले जाओ अपने घर पर, यहां हम डिलीवरी नहीं करेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सिरोही और आबूरोड के लिये अवश्य ध्यान दें और जितने भी डाक्टर हैं, वह....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री प्रभूराम गरासिया : अपने घर पर अस्पताल चलाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : हां, बिराजिये आप। हो गया।

श्री प्रभूराम गरासिया : और वहां टाइम पर नहीं आते हैं। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर जी भाभड़ा (उप मुख्य मंत्री), उद्योग विभाग की दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं उद्योग विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं—

(1) अधिसूचना संख्या एफ. ला. 3(10)/1036, दिनांक 2 मई, 1994 जिसके द्वारा दी राजस्थान फाइनेंशियल कारपोरेशन (स्टाफ) रेग्यूलेशन, 1958 के रेग्यूलेशन क्रमांक 111 में संशोधन किये गये हैं, एवं

(2) अधिसूचना संख्या आर. एफ.सी./एफ.ला. 3(25), दिनांक 4 फरवरी, 1995 जिसके द्वारा दी राजस्थान फाइनेंशियल कारपोरेशन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड रेग्यूलेशन, 1958 के रेग्यूलेशन क्रमांक 7 व 9 (1) में संशोधन किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रोहिताश्व कुमार जी (परिवहन राज्य मंत्री) राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 सदन की मेज पर रखेंगे।

(८६)

प्रतिवेदन

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन, 1993–94

श्री रोहिताश्व (राज्य मन्त्री, यातायात) : सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 30 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993–94 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद । श्री विष्णु मोदी ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष जी, उन अधिसूचनाओं का क्या हुआ जो माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय को प्रस्तुत करनी थीं ? माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय को जो अधिसूचनाएं रखनी थीं, उनका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : रख दीं।

श्री जगदीप धनखड़ : किसने रखीं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललितकिशोर जी चतुर्वेदी ने अनुमति से रखी हैं, बिराजिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं, अनुमति क्या पहले आपको सूचना देकर ली थी ?

श्री उपाध्यक्ष : हां, बैठिये आप।

श्री जगदीप धनखड़ : सदन शुरू होने से पहले....

श्री उपाध्यक्ष : हां, पहले भी कहा है, अभी भी अनुमति से कहा है।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं-नहीं, सदन शुरू होने से पहले क्या माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय ने आपसे स्वीकृति ली थी ?

श्री उपाध्यक्ष : हां, बिलकुल ली, बिराजिये आप।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : स्वीकृति ले ली थी और मैंने पत्र दे दिया था। मैंने पूछ लिया था, मैं बोल गया।

श्री उपाध्यक्ष : अभी आपको भाषण देना है इसलिये बैठें आप। श्री विष्णु जी मोदी को बोलने दीजिये। ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य के आ जाएं इसलिये जल्दी करें आप। ...(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : ऐसा आब्जेक्शन तो मुंसिफ कोर्ट में खड़ा होने वाला भी नहीं उठाता है।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन भी करता हूं और विरोध भी करता हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पिछली बात हटा दो, बाद की रख लो। (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दीजिये।

श्री विष्णु मोदी : मैं समर्थन तो इसलिये करता हूं कि राज्यपाल महोदय पधारे

(श्री विष्णु मोदी)

तो इस सरकार के दर्शन हुए और यह हमारे सौभाग्य की बात है कि इस सरकार के दर्शन हुए। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। और विरोध इसलिये करता हूं कि इसमें सरकार वास्तव में कोई दिशा नहीं दे सकी कि वह किस तरह प्रदेश में उन्नति और खुशहाली ला सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण को पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि इसके तीन वाचन होने चाहिये। प्रथम वाचन में तो सरकार की प्रशंसा, बधाइयां और देश में एक मात्र बुद्धिमान सरकार होने का सर्टिफिकेट देते हैं। दूसरे वाचन में प्रत्येक पैराग्राफ में जो बात है, उस पर कुछ न कुछ बात कहने का मन होता है इसलिए मेरा भाषण लम्बा भी हो, और तीसरे वाचन में इसकी गुणवत्ता पर या क्वालिटेटिवली पर बात हो, तब कहीं जाकर इस अभिभाषण के ऊपर बहस हो सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल भर से जब से यह सरकार सत्ता में आयी है, जब से यह एक मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद् नहीं होकर के एक नीति-निर्मात्री परिषद् रह गयी है। नीति-निर्मात्री परिषद् बन गयी है। कोई औद्योगिक नीति आयी, कोई खनिज नीति आयी, सड़क नीति, कृषि नीति, पर्यटन नीति और पता नहीं अब कितनी और नीतियां आनी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, याद दिलाना चाहता हूं, आपके माध्यम से सदन को....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आराम से बोलने दीजिये, क्या दिक्कत आ रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दीजिये।

श्री विष्णु मोदी : और उन नीतियों में, विशेष कर सरकार खुद ही कहती है कि गौरव की बात है, हार्दिक प्रसन्नता की बात है, और तहेदिल से अपनी प्रशंसा, उन नीतियों में करने में लगी है। आपके माध्यम से मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं, कि भारत सरकार ने जब औद्योगिक नीति बनायी थी तो संसद के अन्दर एक रिजोल्यूशन लाकर वह नीति बनायी और संसद के अन्दर उसके ऊपर बहुत लम्बी बहस हुई। चर्चा हुई थी और उसमें सभी तरह के सुझाव आये थे और उन सुझावों को इनकारपोरेट करके वह औद्योगिक नीति बनी थी, जो आज भी हमारे लिये एक माइल स्टोन है। लेकिन यह सरकार अपनी ही प्रशंसा करने के लिये नीतियां बनाती रहती है और उससे कोई वास्तविक लाभ नहीं है। वह नीति वास्तव में इस प्रदेश के लिये, अच्छाई के लिये है, या पंचों की राय सिर-माथे पर, परनाला वहीं गिरेगा। बात तो सबसे कर ली, लेकिन अपनी जो विहम्स हैं, उसके अनुसार वह नीति बनाते चले जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले तो जो मेरा अमेण्डमेंट है उस पर आता हूं। पिछले प्रस्ताव में राज्यपाल महोदय ने 24 फरवरी के अभिभाषण में कहा था कि बिजली की आपूर्ति दरें इस प्रकार की जानी चाहिए कि उससे महंगाई

(88)

(श्री विष्णु मोदी)

भत्ता, कच्चा माल का मूल्य, माल भाड़ा आदि की वृद्धि का भार मण्डल स्वयं वहन कर सके। इस खर्चे की पूर्ति के लिए एक निश्चित सीमा तक विद्युत दरों में वृद्धि करने का निर्णय मण्डल अपने स्तर पर ले। इस प्रकार की स्वायत्तता विद्युत मण्डल के देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। पिछले अभिभाषण में यह कहा कि यह कच्चा माल, लागत और इस सब पर यह वहन नहीं करना पड़े, तो उस पर सरकार इस तरह की स्वायत्तता दे, उस पर विचार कर रही है। लेकिन मुझे अफसोस है कि इस बार के अभिभाषण में, क्योंकि मैं समझता हूं कि यह सरकार अपने बजट भाषण, पहले के अभिभाषण को शायद ध्यान में रखना भूल जाती है और जो कुछ आता है वह गवर्नर साहब से कहला देती है। अब की बार इन्होंने कहलाया है कि विद्युत मण्डल द्वारा उत्पादित और क्रय किये जाने वाली बिजली की लागत और विक्रय मूल्य में बड़ा अन्तर रहता है जिसके कारण मण्डल को बड़ा घाटा उठाना पड़ रहा है।

यह कोई नयी बात तो नहीं है। पहले अभिभाषण में कहा था एक पोजिटिव डायरेक्शन की बात की थी। इसका वहन वह खुद करे, इस तरह की स्वायत्तता देने पर हम विचार कर रहे हैं लेकिन अब की बार उस बात को भूल गये और वापस इस बात पर आ गये कि घाटा उठाना पड़ रहा है। आपने पहले सोचा था कि आप इस दिशा में कोई कदम उठाएंगे पर चूंकि आप के अन्दर पालिटिकल विल नहीं, इस सरकार के अन्दर इच्छा-शक्ति नहीं है और आज राजस्थान की जो हालत है, राजस्थान के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने कहा है कि 44 प्रतिशत बिजली की कमी रहने वाली है। आज इस स्टेट में इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जिस स्टेट में बिजली की कमी हो तो उसका इण्डस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा, उसकी रेवेन्यू कैसे बढ़ेगी और आज जिन भौगोलिक परिस्थितियों में राजस्थान है उसका हम कैसे विकास कर सकेंगे ? तो मैं समझता हूं कि कोई डेफिनेट, आपने पहले जो कहा उस बात को तो आपने याद नहीं रखा और आज उस बात को भी आयी गयी कर गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : नहीं, याद तो है लेकिन आपका मत क्या है ?

श्री विष्णु मोदी : वह तो मैं आगे बताऊंगा, आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी बता दो।

श्री शिवनाथ सिंह : इनका मत तो वही है जो आप....(व्यवधान) ...

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी अभिभाषण में पंचायतों के चुनाव की बड़ी प्रशंसा की है। पंचायत के चुनाव हुए लेकिन जिस तरह से तोड़-मरोड़ कर आपने चुनाव कराये, आपने यही नीयत रखी कि पंचायत राज सुदृढ़ नहीं हो, आपकी पार्टी सुदृढ़ हो। पहले सरपंच के चुनाव कराने चाहिए थे, फिर दूसरे चुनाव कराने चाहिए थे लेकिन आप इस तरह से

(श्री विष्णु मोदी)

उलटे आये और साथ में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिश: यह मानता हूं कि पंचायती राज का श्री गणेश इस देश में राजस्थान से हुआ और यह जो सैण्ट्रल एक्ट आया, जिस तरह से आपने कानून बनाया और जिस तरह से चुनाव हुए, मैं समझता हूं कि अगर राजस्थान सरकार इस पंचायती राज की शुरूआत, जो राजस्थान से हुई थी, उसको मजबूत करने का मन रखती, तो यह सैण्ट्रल गवर्नमेंट को कहती कि इस एक्ट में डिफेक्ट है, यह एक्ट पंचायती राज को सुदृढ़ नहीं करेगा। पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करेगा। अगर इस तरह की कोई बात यह सरकार कह कर आती तो यह समझ में आता कि सरकार की मंशा पंचायती राज को मजबूत करने की है। लेकिन पंचायती राज में भारतीय जनता पार्टी का पहले कभी कोई आधार नहीं रहा....

श्री रमाकांत (थानागाजी) : माननीय सदस्य, यह एक्ट नहीं है, कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट है।

श्री विष्णु मोदी : साहब, इसी से एक्ट बना है, कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट, सैण्ट्रल एक्ट जो मैंने कहा है।

श्री रमाकांत : कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट में कुछ नहीं कह सकते।

श्री विष्णु मोदी : वह कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट है जिससे आपने सैण्ट्रल एक्ट के कारण पंचायती राज एक्ट बनाया था।

श्री रमाकांत : धन्यबाद, आपके करेक्शन के लिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : इसमें ही तो आपने घोटाले किये हैं, यही बात कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको एक ही शब्द याद है।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : जो आपको याद रहता है वह इनको रहता है।... (व्यवधान).... वह आपने इनको ट्रांसफर कर दिया। ....(व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कर दिया, ठीक है।

श्री विष्णु मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी अभिभाषण में, जो अभी हाल ही में राजस्थान में राजेन्द्र मिर्धा का अपहरण हुआ उसमें पुलिस की जो भूमिका रही उसकी प्रशंसा की है। नि:संदेह राजस्थान पुलिस ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है और वह बधाई की पात्र है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का है कि इतनी बडी घटना घट गयी, हमारी सी. आई. डी. फेल, इंटेलीजेंस फेल और पुलिस थानों के सामने बड़े-बड़े नामी टेररिस्ट आकर इस शहर के अन्दर बस गये। हथियारों की तस्करी हो रही है। मादक पदार्थों की तस्करी हो रही है और प्रशंसा तो आपने, वह कहते हैं न कि तकदीर बलवान तो सब पहलवान, तो आपको वह चांस मिल गया और आप प्रशंसा लूटने लगे। सवाल इस बात का है कि

(श्री विष्णु मोदी)

आप अपनी अन्तरात्मा में झांक कर देखिये कि राजस्थान की राजधानी में, बाकी शहरों की तो और क्या स्थिति होगी, इतनी लम्बी सीमा मिलती है वहां क्या स्थिति होगी। आपको आज यह आत्म-विश्लेषण करना चाहिए, इस बात का निरीक्षण करना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, इस बारे में जानकारी क्यों नहीं मिली ?

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर) : दिल्ली में होता है वह तो ठीक है न ?

श्री विष्णु मोदी : अब, मान्यवर, आप तो कुछ ग्रसित हैं, इसका तो मेरे पास इलाज नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस हुआ पैराग्राफ 11 पढ़कर, क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी को लम्बे अरसे तक विरोध में रहने का मौका मिला है, सरकार में कभी-कभी आते हैं लेकिन पूरा समय पूरा नहीं कर पाते लेकिन गाली निकालने के, सरकार पर आरोप लगाने के आदी हैं। मानसिकता में, बैंक ऑफ माइण्ड में, चाहे आज मुख्य मंत्री हैं लेकिन उस बात से दूर नहीं। तो अभी चूंकि सरकार खुद की है और इसलिए भारत सरकार के लिए कहीं न कहीं, कुछ न कुछ मौका ढूंढ कर कहना है। पैराग्राफ 11 में कहा है, "आजादी के बाद के पहले चार दशकों में हमारी विकास अवधारणा में सार्वजनिक उपक्रमों को अर्थव्यवस्था में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया था। कंट्रोल एवं लाइसेंस प्रणाली इसकी सहज परिणति थी जिसने विभिन्न प्रकार के प्रतिबन्ध लगाकर हमारे देश की उद्यमिता को जकड़ दिया था। बड़े पैमाने पर प्रशासन-तंत्र का विस्तार किया गया। इसके परिणामस्वरूप राज्य के खर्चे बढ़े। निरन्तर घाटे की व्यवस्था के कारण मुद्रास्फीति बढ़ी, विश्व व्यापार पर आधारित अन्तरराष्ट्रीय विकास का हम पूरा लाभ नहीं उठा पाये। निर्यात की कमी के कारण, आयात, विदेशी मुद्रा, वाणिज्य" और जो खास बात उन्होंने कही, "आर्थिक नीति व योजना बनाने वालों को अब इस गलती का अहसास हुआ है।" मतलब 40 साल में जो हमारी इकानामिक पालिसी थी उसमें सरकार गवर्नर साहब से यह कहलाना चाहती है कि उनको अब यह महसूस हुआ कि हमने गलत नीतियां बनायीं। फिर आगे जाकर गांधीजी को कोट किया है, "गांधीजी कहा करते थे हमें अपने कमरे की सारी खिड़कियां खुली रखनी चाहिए ताकि उसमें उन्मुक्त रूप से सभी दिशाओं से हवा आती रहे पर हमारे पैर ठोस धरती पर हों ताकि बाहरी हवा से हम लाभान्वित तो हों पर हवा में उड़ नहीं जाएं, धरातल हो।" मैं धन्यवाद देता हूं बी. जे. पी. को कि कम से कम उनको गांधीजी की याद तो आने लगी।

श्री देवीसिंह भाटी : मोदीजी, आज जम नहीं रहे हो। यों टुकड़ों में कहां से आ रहे हो ?....(व्यवधान) ...

श्री विष्णु मोदी : गांधीजी को कोट किया और यह कहलाया कि 40 साल में जो नीति निर्धारक थे उन्होंने गलती की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले गांधीजी को ही कोट करना चाहता हूं। 1931 में गांधीजी ने कांग्रेस के खुले अधिवेशन में कहा, मैं कोट कर रहा हूं,

(श्री विष्णु मोदी)

"In independent India, the State shall own, control the key industries and services, mineral resources, railways, waterways, shipping and other means of public transport."

गांधीजी, देश तो 1947 में आजाद हुआ लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के वह नेता, देश आजादी के बाद किस तरह प्रगति करेगा इसके ऊपर भी विचार मन्थन में लगे हुए थे। 1931 में गांधी जी ने यह बात कही और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्लानिंग कमीशन बनाया और उस प्लानिंग कमीशन के वह चेयरमैन थे।

"The Planning Commission was formed. The Chairman was Jawahar Lal Nehru. The members included leading capitalists like Purushottam Das, Thakur Das, JRD Tata, G.D. Birla, Shri Ram Kastur Bhai, Lal Bhai, A. D. Shroff, Adeshwar Dalal and John Mathai."

1938 में जो प्लानिंग कमीशन बनाया उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद चेयरमैन थे और यह लोग जिनके मैंने नाम पढ़े, यह उसके मेम्बर थे और इन्होंने डिटेल्ड डिस्कशन की कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद में हम किस तरह से प्रगति कर सकेंगे। तो उन्होंने इस बात का फैसला किया और यह रिकमंडेशन की कि चूंकि ब्रिटिश का राज रहा है हिन्दुस्तान में, पिछड़ा हुआ है तो यह इंटरनेशनली कैसे आगे आएगा, कैसे उठेगा। तो उस वक्त यह पब्लिक सेक्टर, कृषि आधारित उद्योग और इन सब बातों का फैसला 1938 के प्लानिंग कमीशन ने किया।

(13.00)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उस वक्त जितनी पालिसीज बनायीं, उन पालिसीज का जो सार था वह एक शब्दों में उन्होंने कहा है "ग्रोथ विद जस्टिस" कि ग्रोथ हो लेकिन जस्टिस में हो। और उसी कारण आज हमारा देश जो विकासशील देश कहलाने की श्रेणी में आने लगा है, आज विकासशील देशों के साथ कई सारी साइंस एण्ड टैक्नोलाजी और दूसरी बातें उसमें खड़ी हैं, उसका कारण एक मात्र यह रहा है कि पिछले चालीस सालों में जो हमारी नीतियां थीं, वह उस वक्त की थीं, बिलकुल ठीक थीं। उस वक्त के जो नीतिनिर्धारण करने वाले थे उन्होंने इस देश के लिये जो बढ़िया से बढ़िया नीति हो सकती थी, उस नीति के अनुरूप में यह नीति बनायी और आज आप यह कहें कि उनको यह महसूस हो गया है। जिस वक्त 1989 से लेकर, 1991 में आप भी भागीदार थे केन्द्र में और सरकार में, और उस वक्त क्या स्थिति बनी ? हमारी आर्थिक स्थिति क्या हो गयी थी और हमारे एक्सपोर्ट्स कितने घट गये थे, इम्पोर्ट्स के लिये हमारे पास एक हफ्ते का पैसा नहीं था, सोना तक हमको गिरवी रखना पड़ा। और उसके बाद में जो मनमोहनसिंह जी, नरसिंहराव की सरकार

(श्री विष्णु मोदी)

आयी और उन्होंने जो उदारवाद की नीति अपनायी, वह उदारवाद की नीति एक अचानक वाली नीति नहीं थी। चूंकि उस वक्त 1947 में हमारा देश जब आजाद हुआ, उस वक्त खाली हिन्दुस्तान ही आजाद नहीं हुआ था, सौ से अधिक मुल्क आजाद हुए थे और उस वक्त दुनिया के अन्दर जो मेनस्ट्रीम थी उसमें हिन्दुस्तान रहा और 1991 के मेनस्ट्रीम में, आज जब दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तब हिन्दुस्तान ने भी अपनी उन्हीं नीतियों को और जो औद्योगिक नीति थी, उसको नहीं बदला। लेकिन उसमें आज जो परिवर्तन आयें, वह मात्र वक्त के तकाजे के परिवर्तन थे। आज दुनिया में जो परिवर्तन हुये, वही हिन्दुस्तान में परिवर्तन हुये। तो आज यह कहें कि वह नीतियां गलत थीं और गांधी जी का नाम लेकर आप भ्रमित करना चाहें तो मैं समझता हूं कि आर्थिक नीति में भारतीय जनता पार्टी का कभी कोई मतलब ही नहीं रहा। एक तरफ स्वदेशी की बात करते हैं तो दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के सेक्रेटेरिएट में वर्ल्ड बैंक के लोग रोज बैठे रहते हैं। अभिभाषण में भी, बजट में भी कि हम बाहर से इतने सारे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, इतने सारे करोड़ रुपये ला रहे हैं और पॉवर प्रोजेक्ट्स के लिये इतने सारे करोड़ रुपये लेकर आ रहे हैं, वह रोज खुद बात करते हैं। अभिभाषण हो, बजट हो, चाहे कोई अपवाद हो उसमें रोज फोरेन कैपिटल, फोरेन मनी की बात करते हैं और दूसरी तरफ स्वदेशी की बात करते हैं। तो इनका आर्थिक नीति से न पहले कोई ताल-मेल था, न आज है, और न कोई सोच है। मैं इस सरकार को खाली इतना ही सचेत, आगाह, निवेदन, करना चाहता हूं कि गवर्नर बाध्य हैं आपके मन्त्रिमण्डल का पास किया हुआ अभिभाषण पढ़ने का तो कम से कम आप उनसे केन्द्र सरकार के खिलाफ जहां जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो उसमें इस तरह की बातें नहीं कहलायें और आप क्या करने वाले हैं, आप कौनसे डायरेक्शन में ले जाने वाले हैं उसको बताएं तो वह ज्यादा राज के लिये सार्थक होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इण्डस्ट्रियल पालिसी की बात है। मिनरल पालिसी की बात है। इण्डस्ट्रियल पालिसी के सम्बन्ध में मुझे भी सौभाग्य मिला था किसी कारण उस मीटिंग में जाने का, अच्छी बात है, लेकिन इण्डस्ट्रियल पालिसी निकली क्या ?... (व्यवधान) आपको अगर है तो कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि क्वालिटेटिव चेंज आने की कोशिश तो है, अपर लेवल पर तो चेंज आया भी है, लेकिन अभी राइट टू दी डाउन, यह पोलोराइज्ड नहीं है। आज राजस्थान की जो स्थिति है, आज एक तरफ हरियाणा है, एक तरफ गुजरात है, एक तरफ मध्य-प्रदेश है, आज उनकी वार्षिक योजनाएं कितनी हैं ? आज वहां पर कितने कंसेशंस हैं ? मुझे तो इस बात का अफसोस है कि आप जिन कंसेशंस की बात करते हैं वह कंसेशंस एक सिंगल विंडो की बात करते हैं, यह सिर्फ एक लिखने में, आपने नकल कर ली। मध्य-प्रदेश की इंडस्ट्रियल पालिसी आयी थी चूंकि आज स्थिति यह है कि आज अगर कंसेशंस मध्य-प्रदेश में ज्यादा हैं, तो कोई आदमी वहां आकर उद्योग नहीं लगाने

(श्री विष्णु मोदी)

वाला। एट पार होने के लिये आपको कुछ न कुछ करना पड़ा। लेकिन क्वालिटेटिव चेंज अपर लेवल पर तो आया है, नीचे लेवल पर नहीं आया है। अभी भी आपका मन साफ नहीं कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। औद्योगिक नीति सिर्फ एक नकल है और इसके अलावा कुछ नहीं।

एक भूमि रूपान्तरण की बात, लैंड कंवर्जन की बात। आज भी राजस्थान के अन्दर यह स्थिति है कि इण्डस्ट्रियल लैंड कंवर्ट नहीं होती और कंवर्जन के अन्दर, आपने एक डिपार्टमेंट बना रखा है चीफ टाउन प्लानर। माननीय मुख्य मंत्रीजी अगर राजस्थान का विकास करना चाहते हैं, तो इस विभाग को तो आप कम से कम खतम कर दीजिये। यह सिवाय आब्सटेकल पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं करता। आज अगर एक लैंड का यूज मास्टर प्लान में है या प्रपोज्ड मास्टर प्लान में है, कुछ दिखाया हुआ है वहां इंडस्ट्री आना चाहती है तो वह कलक्टर के यहां एप्लाई करे। कलक्टर टाउन प्लानर के यहां भेजे, टाउन प्लानर वापस कलक्टर के यहां भेजे। कलक्टर फिर सेक्रेटेरिएट भेजेगा, सेक्रेटेरिएट वापस चीफ टाउन प्लानर के पास भेजेगा। चीफ टाउन प्लानर वापस अपने टाउन प्लानर के पास भेजेगा, फिर वह टाउन प्लानर चीफ टाउन प्लानर के पास भेजेगा, फिर वह सेक्रेटेरिएट में आएगी और फिर वह मंत्री साहब तक आकर उस फाइल का डिस्पोजल होगा। और भंवरलाल जी के पास फाइल पहुंचने के बाद में तो छह महीने पड़ी रहेगी कि बारह महीने पड़ी रहेगी, उसका कुछ पता नहीं। आपने जो कुछ भी घोषणाएं औद्योगिक नीति में की हैं, यह मेरा कहना मान लीजिये, निवेदन मान लीजिये, माननीय मुख्य मंत्रीजी, सिर्फ आपने कह दिया है, इम्प्लिमेंटेशन के नाम पर जीरो है। आप राजस्थान के पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हैं, यह सर्वांगीण विकास से ही होगा। लेकिन जब तक औद्योगिकीकरण नहीं होगा, क्योंकि औद्योगिकीकरण होगा तो स्टेट की रेवेन्यू बढ़ेगी और रेवेन्यू बढ़ेगी तभी आप दूसरे मदों में पैसा खर्च कर सकेंगे, लेकिन उसके लिये वातावरण बनाने की आवश्यकता है राजस्थान के अन्दर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज, एक आफ-सी इण्टरनेशनल कम्पनी है एक्सप्लोयटेशन में, उनके चीफ इंजीनियर अजमेर के रहने वाले हैं, वह आये हुये थे। मैंने उनसे बात की तो उनका निश्चित मानना है, क्योंकि उन्होंने ओ. एन. जी. सी. में पहले नौकरी की थी, अब वह उस कम्पनी में जो सुई और मारी, जो पाकिस्तान की तरफ गैस फील्ड्स और आयल फील्ड्स हैं, उसको भी वही लुकआफ्टर कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि निश्चित रूप से हमारे यहां इस राजस्थान के अन्दर आयल और नेचुरल गैस के बहुत बड़े भण्डार हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उनका एक्सप्लोयटेशन हो। लिग्नाइट, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि जो लिग्नाइट पर सांप बनकर के जो स्टेट बैठी हुई थी, खाली पावर जनरेशन की बात करती थी, उसको आपने इंडस्ट्रियल यूज के लिये शुरू किया है, वह भी एक माइल स्टोन

(श्री विष्णु मोदी)

होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम क्वालिटेटिव चेंज हमारे अन्दर लायें। खाली पालिसी बनाकर और यह कहलाकर कि इसकी सर्वत्र प्रशंसा है, राजस्थान का कुछ नहीं होने वाला।

आपने मिनरल पालिसी बनायी, अच्छा प्रयास किया। लेकिन जहां-जहां पांव पड़े सन्तन के, वहां-वहां हुआ बंटाधार, जहां सरकार की नजर पड़ गयी कि वह अच्छा होते हुए भी, वहां पर सत्यानाश हो गया। आपने उसके तहत एक मिनरल पालिसी बनायी, मिनरल पालिसी अच्छा प्रयास था, कोशिश की थी। लेकिन सिर्फ वह बातें थी जो भारत सरकार कर चुकी थी। चूंकि भारत सरकार ने अपने यहां अमेंडमेंट जारी कर दिये, आपको करने थे तो आपने मिनरल पालिसी के नाम पर वह सारे अमेंडमेंट कर लिये और खनिज नीति बनाकर वाहवाही लूटने की बात की। उसके अन्दर अगर आपको वाहवाही लूटनी थी, तो वह बातें भी पूरी नहीं की जो भारत सरकार ने की। भारत सरकार ने लीज पीरियड बढ़ा दिया और उन्होंने आटोमैटिकली बढ़ा दिया। आपने बढ़ा तो दिया लेकिन जो एग्जिस्टिंग लीजेज हैं, उनका नहीं बढ़ाया क्योंकि उनकी फाइल नहीं आएगी, जब तक कैसे डायरेक्टर, मिनिस्टर, सेक्रेटरी, डिप्टी-सेक्रेटरी, बाबू, उसके पास कागज आएंगे। अगर एक ही कलम से फैसला करते तो यह समझ में आती कि आपकी वास्तव में मान्यता है, मानसिकता है। आप उन बातों का तो अक्षरश: रूप से पालन करते हैं जिनको भारत सरकार ने किया।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी उस इलाके से आते हैं जहां मार्बल डवलप होता है। इस सरकार ने एक मार्बल पालिसी बनायी और मार्बल पालिसी बनाकर, सिर्फ मार्बल का जितना डवलपमेंट इस स्टेट में हुआ था, उसका सत्यानाश कर दिया। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को, जो पालिसी बनाने वाले थे, उसके पहले भी मैंने पत्र लिखा, लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पालिसी बनायी। आप कुछ करना चाहते हैं उसके अन्दर तो मेहरबानी करके जो नान-एरियाज हैं, आपकी पालिसी कितनी सक्सेसफुल होगी, आज आपने पूरे राजस्थान में एक एस्टोपल ला दिया। मार्बल का विकास नहीं होगा। मार्बल का विकास पिछले दस सालों में जो हमारी नीतियां थीं, जो हमारे कानून थे उसी के कारण हुआ। अगर आप कोई एक एक्सपेरीमेंट भी करना चाहते हैं तो जरूर करें लेकिन वह नान-एरियाज में करें। पूरे राजस्थान में आपके पास इतने इन्फ्रास्ट्रक्चर ही नहीं। जिस तरह से मार्बल पालिसी को आप इम्प्लिमेंट करना चाहते हैं, आपका इन्फ्रास्ट्रक्चर ही नहीं। आज आप राजसमंद करिये, आंधी करिये, डूंगरपुर करिये लेकिन सारी पालिसी की डेलिनिएट करेंगे, प्लाट बनाएंगे, उसके बाद में आक्शन करेंगे या उसको देंगे, उसको देंगे। आपके न तो डेलिनिएशन होना है, न प्लाट बनने हैं, न कुछ बनना है और जो भी कुछ बनेंगे वह नान-एरियाज में है, उसमें बना लीजिये। अगर सांगानेर तहसील में कोई आदमी कोशिश करता है, ढूंढता है और मार्बल डवलप करता है, तो जिस दिन डवलपमेंट हो जाए, उस दिन आप अपनी नजरें गाड़ लीजिएगा, उस दिन उसका

(श्री विष्णु मोदी).

सत्यानाश करिएगा। लेकिन राजस्थान के विकास को क्यों आप अवरुद्ध करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अपनी बात मैं इसी बात पर समाप्त करता हूं कि यह सरकार नीति बनाये, निश्चित बनाये लेकिन सदन में लाकर। और कम से कम मेरा यह करबद्ध निवेदन है कि अब कृषि नीति आप बनाने जा रहे हैं। तो कृषि नीति तो कम से कम इसी सत्र में इस विधान सभा में लाकर और विधान सभा का भी आप समर्थन लें, लोगों के सुझाव लें। आप आपके मन में आएगा वह तो करेंगे ही लेकिन उसमें सार्थक योगदान हो सके, जरूर बनायें, लेकिन विधान सभा को बाई पास नहीं करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वी. पी. सिंह जी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसींद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय विष्णु मोदी जी ने इस चर्चा पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर विरोध भी किया, समर्थन भी किया। मैं तो खाली समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जब-जब भी अभिभाषण होता है, गवर्नर साहब की स्पीच होती है, तो उसे यह नहीं मानना चाहिए कि औपचारिकता के कारण ही उन्होंने यहां पर आकर भाषण या अभिभाषण दे दिया। इससे राजस्थान के अन्दर, वर्ष के अन्दर क्या हुआ, एक लेखा-जोखा पूरे वर्ष का और अगले साल में क्या करने जा रहे हैं वह पूरी नीति निर्धारित और एक प्रोग्राम हमारे सामने रखा जाता है। इस अभिभाषण के अन्दर भी, इसके अन्दर ने तो खाली एक प्रोग्राम रखा गया, उसके अन्दर प्रोग्राम के साथ में प्रायोरिटी दी है कि इस प्रायोरिटी से हम वर्ष के अन्दर काम करेंगे।

मैं निवेदन करूं जो लेखे-जोखे की बात है। पहली बार, राजस्थान में इतने स्कूल खुले उस पर नहीं जाकर जो इम्पोर्टेंस, डेडिकेशन और जो पूरा बजट लास्ट ईयर का हम लोगों ने डेडिकेट किया था शिक्षा पर, वह एक शुरूआत है। आज दुनिया के अन्दर यह बात आ रही है कि हमें ई. एफ. ए. लागू करना चाहिए, एजूकेशन फार आल। कहीं पर भी समिट हो जाए। अभी कोपनहेगन के अन्दर समिट हुआ था, उससे पहले ब्राजील में हुआ था। सब ने कहा था कि विकसित देशों के लिए, विकासशील देशों के लिये सबसे पहले जो प्रोग्राम लेना चाहिए ई. एफ. ए. का लेना चाहिए। चाईना आगे बढ़ गया। उन्होंने ई. एफ. ए. का प्रोग्राम दस-बारह साल पहले ले लिया था और उसी के कारण वह हमसे बहुत आगे निकल गया। यह पहली बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शुरूआत की है। मैं चाहता हूं उसे ई. एफ. ए. में ही कंवर्ट करके एजूकेशन फार आल ले लें। एक बार अपन शुरूआत कर लें।

मेरा दूसरा निवेदन है, इस साल जो बजट आगे आएगा उस पर ज्यादा चर्चा बाद में हम करेंगे आज तो मैं नहीं कर रहा हूं। आज मैं यही निवेदन करूंगा, जैसा विष्णु जी ने कहा कि हमने इतनी नीतियां बना दीं, इतना कुछ कह दिया। मैं इन्फार्मेशन के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि यह सही है, आप कोई भी

(96)

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

नीति बनायें उस एक नीति के अन्दर सब बिन्दु नहीं लिये जा सकते। विकास के अन्दर, यह जो विकास चालू रहता है, साइकल है वह कभी बन्द नहीं होती। गांव के अन्दर भी आज आपने उनको सड़क दे दी, स्कूल दे दिया तो वह आगे मिडल स्कूल से सैकण्डरी मांगेंगे। सैकण्डरी से कालेज मांगेंगे और करते-करते आगे बढ़ते जाएंगे। जो प्राथमिकता है वही इस अभिभाषण के अन्दर हम लोगों ने तय करके आपके सामने रखी है। यह एक बर्डस हाई व्यू है पूरे राजस्थान के अन्दर कि क्या-क्या हम कर रहे हैं और कर लिया है। मैं निवेदन करता हूं कि इस बर्डस आई व्यू और प्रोग्राम हम जो देते हैं, यह एनेक्रोनिस्टिक नहीं होना चाहिए, रिट्रोग्रेटिव नहीं होना चाहिए कि पीछे तो नहीं जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। वह ज्यादा इम्पार्टेन्ट है। और इन नीतियों से हमें ऐसा लगता है कि हम रास्ता आगे जाने का ही कर रहे हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो अभी अभी मैंने जिक्र किया था कोपनहेगन समिट का, उस पर मैं चर्चा करूं, तीन बिन्दु, 120 या 126 नेशन साथ में मिलकर, उन्होंने यह तय किया ठीक है, हमें जो तीन बिन्दु पर बात करनी है और जिस पर उन्होंने विचार व्यक्त किया जिसमें श्री नरसिंहराव जी भी गये थे और सब अध्यक्ष गये थे उसमें थे वीमन्स एजूकेशन एण्ड इमेन्सीपेशन, दूसरा पावर्टी इरेडिकेशन और तीसरा अनएम्प्लायमेंट। इन पर फिर हम विचार करने लगे हैं। आज आप जानते हैं कि अगर जयपुर से जालौर जाना पड़े तो 12, 13, 14 घण्टे लग सकते हैं मंत्री महोदय को भी। पर कोपनहेगन या इंग्लैंड या अमेरिका जाना चाहें आप, उससे कम समय लग जाता है। इसलिए दुनिया एक बहुत छोटी बनती जा रही है। जो भी कुछ वहां होता है हमारे यहां उसका असर पड़ता है। आज तीन बिन्दु लिये हैं। यह बात सही है इस पर जब जब भी चुनाव आते हैं एक थोथा नारा लेकर वोट की नीति के लिये उनको उठा देते हैं। याद आएगा आपको, स्मरण करें विष्णु जी, आप लोगों ने ही कहा था इन्दिरा लाओ, गरीबी मिटाओ। कुछ हुआ नहीं, 12, 15 साल पुरानी बात थी। गरीबी नहीं मिटी। इस पर हम फिर विचार करने लगे हैं।

मैं दूसरी बात जो आज आपके सामने रखता हूं, इण्डस्ट्रियल पालिसी के बारे में जो विष्णु जी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है। सबसे बड़ा हमारे सामने जो मुद्दा है कि कैसे हम यह M. N. Cs. मल्टी नेशनल कार्पोरेशंस के सामने हम खड़े हो सकते हैं या नहीं। आज मनमोहन सिंह जी के सामने भी फिक्की और दूसरों ने, जो कैप्टंस आफ इण्डस्ट्रीज हैं उन्होंने यही बात रखी है, लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यह है कि हमारे यहां पर तो एक फियेट गाड़ी है और विलायत की है मर्सीडीज, दोनों की रेस कर लें। जयपुर से अजमेर पहुंचना है मर्सीडीज के सामने फियेट कहां चलेगी।

दूसरा उदाहरण, यहां की एक हाकी टीम या क्रिकेट टीम ले लें, जयपुर की या

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

विधान सभा की ओर उनको खड़ा कर दें हम इन्टरनेशनल टीम्स के सामने, वेस्ट इण्डीज की या साउथ अफ्रीका की या इण्डिया की टीम के सामने उनके सामने हम कहां आयेंगे ? इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात हमारे यहां रखी है इसमें कहा है कि उद्यमी अपने स्वय की क्षमता का विस्तार करें तथा प्रतिस्पर्धा में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मुकावला कर सकें। यह बात रखी है। मनमोहन सिंह जी के भी जो वजट के अन्दर ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप तो स्वदेशी ला रहे हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : बोलने दें आप, फिर आप भी बोल लेना। मुझे टोका-टोकी पर एक बात याद आ गयी। बहुत ज्यादा टोका-टाकी हो रही थी और आपने बात ऐसी कही। विंस्टन चर्चिल हाउस आफ कामंस के अन्दर ऐसे ही बोल रहे थे और ऐसे ही टोका-टोकी हो रही थी, वर्ल्ड वार-टू की बात थी कि क्या करना चाहिए और जब ज्यादा टोका-टोकी हो गयी, तो विंस्टन चर्चिल ने कहा और बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने कहा। लोग माने नहीं। फिर टोका-टोकी हुई तो उन्होंने कहा, उनका विट आफ ह्यूमर बहुत गजब का था, हाउस आफ कामंस में उन्होंने कहा– Crackling of the thorns underneath the pot does not disturb me. वही हाल है। कांटे जैसे किट-किट न करें आप लोग। मैं निवेदन कर रहा था...

श्री शिवनाथ सिंह : ऐसा सारगर्भित भाषण हमने सुना नहीं इसलिए हम खुश होकर कर रहे हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात रखी है कि हमारे छोटे-छोटे उद्योग जो बाहर से आ रहे हैं, उनके सामने कैसे खड़े रह सकेंगे या नहीं। यह बहुत बड़ी बात है। इस पर पहली बार किसी ने विचार रखा है। मनमोहन सिंह जी ने भी विचार नहीं रखा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मन्त्रीजी को....

श्री रतनलाल ताम्बी : मामला जमेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : बात ठीक है, विवाद ठीक नहीं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं निवेदन कर रहा था, बिजली के बारे में विष्णु जी और दूसरे सदस्यों ने भी यह कहा था कि पहली बार थिंकिंग की है कि लिग्नाइट के हमारे पास जो इतने भण्डार हैं उनका उपयोग करें। एक और बड़ी बात जो यहां आयी है कि उनको आपत्ति है कि वर्ल्ड बैंक वाले यहां पर आकर मुख्य मन्त्रीजी से मिले। मुझे तो यह बात समझ में नहीं आयी कि इनको क्या आपत्ति हो सकती है। हार्वी साल्गो जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं उन्होंने किसी मुख्य मन्त्री को इतना समय नहीं दिया जितना हमारे मुख्य मन्त्री जी को दिया और पहली बार वर्ल्ड बैंक ने यह कह दिया, जो एम. ओ. यू., एम ओ. ए., टी. पी. ए. और इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, चार होते हैं, उनकी तारीफ कर दी कि राजस्थान में पावर प्रोजेक्ट के लिये

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

जो नीति अपनायी है वही सारी स्टेट्स को, सभी जनों को अपनानी चाहिये। अब मैं इसके अन्दर अपने थोड़े सुझाव देना चाहता हूं, इसको आप गलत नहीं लें....

श्री जुबेर खान : हम तो गलत नहीं लेंगे, वह लें तो अलग बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो आपके कहने पर ही गलत नहीं लेता इनसे कहने पर लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अपना तो स्वभाव ही नहीं है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं निवेदन कर रहा था कि यह कहा है कि हम इतनी जल्दी पावर की समस्या को हल कर देंगे, यह नहीं हो सकता और डेढ़ साल में भी नहीं। सही बात तो यह है जेस्टेशन पीरियड बहुत लम्बा होता है लिग्नाइट का और जो हम नीति अपना रहे हैं, जब तक हम साइन करेंगे और उसके बाद पांच-छह साल जैस्टेशन पीरियड लगेगा इसलिए हमारा जो अगला टर्म आयेगा, उस समय हम कुछ कर सकेंगे, पर पहली बार हम लोगों ने, क्योंकि जब-जब भी माननीय भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री बने वह ढाई साल, ढाई साल ही....

श्री परसादीलाल मीणा : आगे भी ढाई साल ही होंगे।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : और जब तक यह प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने लगते थे, तब तक आप लोग आकर इसको रीट्रोगेड कर देते थे इसलिए हम पीछे रह जाते थे। अब पांच साल मिलते ही यह एक बार चालू हो जाए....

श्री रतनलाल ताम्बी : अनुष्ठान कराओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह अनुष्ठान तो हुआ है कि आप वापस नहीं आओ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : जो 6 × 100 मेगावाट के 6 प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए हम कह रहे हैं कि एक उदयपुर के अन्दर, एक भिवाड़ी के अन्दर, मैं उससे सहमत इसलिए नहीं हूं कि आप छह जगह लगाओगे। छह जगह आप जमीन लोगे। उद्योगों में एनवायर्नमेंट की भी आपको छह जगह समस्या होगी और यह लोग आग्यूमेंट यह देते हैं कि यह कैप्टिव पावर प्लांट होंगे इंडस्ट्री के लिए। कैप्टिव पावर प्लांट इंडस्ट्री जहां हैं उनके लिए ही होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा निवेदन यह है कि आप इन छहों को एक जगह लगा दो। जमीन एक जगह होगी, सिविल वर्क्स एक जगह होंगे, ओवर हैड एक जगह होंगे, एक ही जगह आप कण्ट्रोल कर सकेंगे। आज तो बिजली ऐसी चीज है कि एक जगह आपने प्लगिंग कर दिया, निकालना है जैसलमेर निकाल दो, भिवाड़ी निकाल दो, कहीं भी निकाल दो। यह तो मतलब नहीं है कि यही बिजली आप दे रहे हो इंडस्ट्री को, ऐसा नहीं होता। इसलिए इन छहों को एक जगह लगायें, एक ही जमीन पर लगायें और जल्दी भी आएंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये बिजली का नाम है वही इंडस्ट्री के लिए जायेगा। बिजली तो बिजली होती है उसमें आप फर्क नहीं कर सकते। इसलिए

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

मैं कह रहा हूं कि छह जगह लगाने की बजाय एक ही जगह, जल्दी भी आएगी, इम्प्लीमेंट भी जल्दी हो जायेगा, जमीन भी आपको एक जगह ज्यादा उपलब्ध हो जाएगी, नहीं तो मुश्किल आ जाएगी, एक मेरा सुझाव यह है।

दूसरा, मेरा इस पर सुझाव है कि आज हम कहां जा रहे हैं। आज आप देखें इजरायल, आयरलैण्ड और दुनियां की जितनी भी समस्याएं थीं, साउथ अफ्रीका की, सब हल होती जा रही हैं। मैं तो आशावादी हूं। पाकिस्तान और हमारा जो झगड़ा है शायद वह भी अभी निपट जायेगा। लोग भी विचार करने लगे हैं कि एन. पी. टी. कैपिंग जल्दी आ जायेगा। एन. पी. टी. कैपिंग अगर आ जाता है, आना भी चाहिए और हमारा अच्छा समझौता और अच्छे रिलेशन हो जाते हैं पाकिस्तान से, तो एटोमिक पावर प्लांट या फिर हाइडल है यह चीपेस्ट वे आफ गेटिंग पावर है जो 50 पर्सेण्ट के अन्दर, 50 पैसे की एक यूनिट मिलती है। आज आप यह भी लगाने गये 2 40 या 2.80 से ज्यादा खर्च आयेगा, पर यूनिट कास्टिंग आयेगी। यह लिग्नाइट वाली जो बात है, यह भी ओब्सोलीट होने लग गये है। पालैण्ड, जर्मनी के अन्दर लिग्नाइट से जितनी भी यूनिट लगी हैं सब लोगों ने बन्द कर दी हैं। यह अगर अपन यहां सैकण्ड हैंड भी ले लें 10-12 साल तो वह भी चल जाएँगे। पी. एफ. सी. भी आज आपको रिनोवेशन के लिये प्रोग्राम देती है कि 25 साल का टाइम खत्म हो गया है, तो उनको रिनोवेशन करके लगा सकते हैं। सीमेंस, एलेक्ट्रोम ऐसी-ऐसी कम्पनियों को आज आप कह दो, उनको जॉब दे दो कि यह हम आपको देते हैं और यह वन ट्वंटियथ आफ दी कोस्ट आपको लग जाएंगे। Gestation period is the biggest thing about generation of power. इसको कम करने के लिए ढाई साल के अन्दर यह लग सकता है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं इस पर भी विचार करें। अच्छी अच्छी कम्पनी अगर यहां लिग्नाइट पर, मैं बताता हूं, सैकण्ड हैंड सैट्स पड़े हुए हैं। वह तो बिलकुल ही नाकाम या बेकार पड़े हैं। वन ट्वंटियथ आफ दी प्राइस जैसे आज जो कास्टिंग आ रही है एक मेगावाट पर तीन करोड़, एनरोन वालों ने 4 करोड़ का दिया है। यह लोग आपको हन्ड्रेड मेगावाट का 20 करोड़ रुपये में देने के लिये तैयार है।

दूसरी बात, मैं निवेदन कर रहा था कि टूरिज्म पालिसी अभी तक नहीं आयी है, दूसरी सब पालिसीज आ गयी हैं। इसलिए मैं इस बात पर विष्णु जी से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पालिसी नहीं आयी उस पर तो अपना विचार रख लें। हमारी मंत्री महोदया भी यहां विराजी हुई हैं। यह जल्दी आने वाली है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर हम सैक्रेटेरिएट में बैठकर और कहीं पर भी बैठकर अपन नीति बना देते हैं, तो जिस जगह पर समस्या आती है उसके बारे में पूरा जिक्र नहीं होता है। मैं कहता हूं, कि मैं ले चलता हूं टूरिज्म मिनिस्टर को आमेर, एक ही जगह। नीचे से क्या होता है आप देखो। आप हैरान हो जाओगे कि

(1100)

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

यह हाल हैं टूरिस्ट के। टूरिस्ट एक बार वहां पहुंच जाता है। उतरते ही पहले तो बेगर्स आकर कोई उनका कपड़ा खींच रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मुश्किल से वह हाथी पर चढ़े, तो हाथी चढ़ रहा है और जीपें भी चल रही हैं आगे पीछे। एक टक्कर भी हो गयी है और एक हाथी गिर गया और उसके चोट आ गयी, यह सब चीजें देखने की बात है। वह हाथी वाला नीचे आता है टूरिस्ट उतारने के लिये, जैसे पहले शादी के टाइम नहीं उतारते हैं हाथी से पैसे लिये बिना, कोई हाथी पर बैठा हो, शादी की हो, याद आवे तो, वैसे ही टूरिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि सौ रुपये और दो। ढाई सौ रुपये तो रेट है ऊपर जाने की, नीचे उतारने के सौ रुपये और दो, नहीं तो मैं तो नहीं उतारता। यह कुछ ऐसी छोटी-छोटी चीजें हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, आपको पता है कि यहां पर जयपुर के अन्दर 40 टूरिस्ट गाइड हैं। आप क्यों नहीं उनको और लगाते ? 25-25 हजार रुपये देकर गाइड बन कर तैयार होते हैं। तो वह कोई और लेकर आ जाता है। तो यह क्या है ? आप तो कहते हैं कि अन-एम्प्लायमेंट प्राब्लम है। 500 जनों को आप गाइड बना दो तो 500 जनों की नौकरी लग गयी कि नहीं लगी ?...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, संक्षिप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बहुत अच्छे सुझाव आ रहे हैं, बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छे हैं लेकिन थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री जुबेर खान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय सुझाव आ रहे हैं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : छोटी बात है। हमारे धारीवाल साहब पधारे थे वैष्णो देवी और सब जने जाना चाहते हैं। जब से ट्रस्ट ने वहां व्यवस्था की है, वहां पर ऐसी सुविधाएं हैं बाथरूम इतना क्लीन है। एक लाख आदमी रोज वैष्णो देवी जाते हैं और क्या व्यवस्था कर रखी है। हम क्यों नहीं व्यवस्था कर सकते ? व्यवस्था की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री जुबेर खान : बोलने दें, साहब, आज तो 500 रुपये के लड्डू आयेंगे उधर से (व्यवधान)....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं आज इतना ही कहूंगा। बजट पर अगर आप लोग ऐसे ही मेरे को मौका देंगे, तो फिर और आपको सुझाव देऊंगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आप अच्छा बोल रहे हैं।

श्री जुबेर खान : उपाध्यक्ष महोदय, आपने अन्तर्राष्ट्रीय ज्ञान दिया और मांग करेंगे कि इनसे 500 रुपये के लड्डू कल सबको खिलाये जाएं।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, एक सबमिशन है। आपने समय का बंटवारा करते वक्त हम लोगों की तरफ ध्यान दिया था जिनके भरोसे सरकार

(श्री शिवनाथसिंह)

टिकी हुई है और अभी तक निर्दलीय सदस्य में से एक को भी अवसर नहीं दिया। एक घण्टे 40 मिनट हमारा रखा गया था। मेरे ख्याल से समय का ध्यान रखते हुए आप न्याय कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : सबको दिया है। पहले अमेण्डमेंट वालों को दिया है।

श्री शिवनाथ सिंह : अमेण्डमेंट वाले हैं तो समय पूरा हो जाएगा फिर यह विश्वास करिये कि हमको अपना समय नहीं मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सबको मौका दूंगा। श्री धारीवालजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित न हो, मैं इस पक्ष में खड़ा हुआ हूं। मेरा जो संशोधन था, वह संशोधन मैंने इसलिए पेश किया था, उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस वक्त मुख्य मंत्रीजी द्वारा सदन में यह घोषणा की गयी कि आने वाले नगरपालिकाओं के चुनावों में और पंचायत राज के चुनावों में दो से अधिक बच्चों वाले दम्पत्तियों को चुनाव के लिये नियोग्य बना दिया जाएगा। मैं यह समझता हूं कि उनकी इस घोषणा की न केवल इस सदन के सदस्यों द्वारा बल्कि पूरे राजस्थान और बल्कि पूरे देशवासियों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। मैं भी प्रशंसा करता हूं। इतना, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के लिये नाम तो संजय गांधी का कमाया, आप लोगों ने बदनाम करने की भी कोशिश की लेकिन उनकी मृत्यु के बाद आज उनको लोग सराहते हैं। माननीय, मुख्य मंत्री महोदय अगर आप इसी बात पर कायम रहते, जो घोषणा आपने उस वक्त की थी, तो मैं यह समझता हूं कि इतिहास में जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिये आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता लेकिन आपके कार्यकर्ताओं की वजह से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वजह से आपने इस फैसले को बदला। राजनैतिक महत्व समझते हुए आपने इसको बदलना जरूरी समझा। अगर आप नहीं बदलते तो आपकी कुर्सी खतरे में। आपने शायद यह महसूस किया कि मैं शायद खुद खतरे में आ जाऊंगा और आपने कुल मिलाकर इस जनसख्या की वृद्धि को रोकने के लिये जो एक शानदार कदम उठाया था, उससे आप पीछे हट गये। इस पीछे हटने से वे लोग जो कि फैमिली प्लानिंग में रुचि रखते थे उनकी आत्मा को ठेस पहुंची है। मैं यह समझ कर चलता हूं कि जितना काम आपने अपने जीवन में अच्छा किया होगा उन सब पर चोट लगी है। आपकी स्वयं की छवि एक इस मुद्दे को लेकर के काफी धूमिल हुई है।

मेरा आपसे निवेदन यही है कि आपने अभिभाषण में जो कुछ राज्यपाल से कहलवाया, लेकिन मेहरबानी करके जो आप काम पूरी राजनैतिक शक्ति से करना चाहते हैं, इच्छा शक्ति से करना चाहते हैं, उन्हीं बातों को अगर आप कहलवाएंगे चाहे वह कम हो, आपने कुल मिलाकर के उनसे 94 पैराग्राफ पढ़वा दिये। कोई जरूरी नहीं है मुख्य मंत्री महोदय कि इतनी मोटी

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

किताब उनसे पढ़वाई जाए। आप इस राजस्थान की जनता के हित के लिए 15 या 20 ही बिन्दु उनसे पढ़वा लेते और उस पर कायम रहते तब ही आपकी क्रेडिबिलिटी बन पाएगी राजस्थान की जनता की निगाह में। अदरवाइज इस तरह की बातें करना कि हमने यह किया, यह करेंगे उससे छवि नहीं बन पाएगी।

मैं एक मोटी बात आपसे कहता हूं, यह अभिभाषण राज्यपाल महोदय का चालू होता है और पहले ही पैराग्राफ में, तो सैकण्ड लिखा हुआ है लेकिन कायदे से पहला ही कहलाएगा। पहले ही पैराग्राफ में आपने नगरपालिका और पंचायती राज को राज्य में आरक्षण देने के लिये और इनको मज़बूत करने के लिए जो बातें कही हैं। 74वां संविधान का जो संशोधन था, उसके अनुच्छेद 242 (डब्ल्यू) के अन्तर्गत राज्य सरकारों पर यह पाबन्दी लगायी थी कि राज्य सरकार इतने अधिकार नगरपालिकाओं को देगी, पंचायतों को देगी कि वह सैल्फ गवर्नमेंट का स्वरूप ले पाये, लेकिन हालत बिलकुल विपरीत है। आप देखें कि लाखों मतदाताओं के द्वारा चुने हुए लोग जो बोर्ड में जाकर बैठते हैं उनके फैसले को एक एस.डी ओ., एक ए.डी एम. और एक कलक्टर एक लाइन में बदल

(13.39)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

देते हैं। उनको कोई सफाई कर्मचारी भी रखना है, बजट पास करवाना है, तो डायरेक्टर, लोकल बोडीज के यहां चक्कर काटने पड़ते हैं। जो लोग लाखों मतदाताओं से चुने हुए हैं उनकी यह हालत है, यह सैल्फ गवर्नमेंट का स्वरूप जो देखने को मिलता है, वह मैंने आपको अर्ज किया है।

श्री देवीसिंह भाटी : सुझाव दे दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सैल्फ गवर्नमेंट पर सुझाव क्या देना है। सैल्फ गवर्नमेंट तो यह है कि जो बोर्ड ने कर दिया उनका निर्णय अन्तिम है उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये। वह अधिकारी हस्तक्षेप करे जो सिर्फ एस.डी.ओ. लेवल का हो, ए.डी.एम. लेवल का हो। एक कलक्टर लेवल का आदमी जो है वह एक चुने हुए बोर्ड के फैसलों को बदल देगा एक लाइन में। इसको आप सैल्फ गवर्नमेंट कहना चाहेंगे ? उनको स्वायत्तता दें यही सबसे बड़ा सुझाव है। जिस तरह के कानून आपने बना रखे हैं कि एक डायरेक्टर, लोकल बोडीज से सैंक्शन लेनी पड़ेगी आपको बाबू एपाइंट करने के लिये, एक व्हीकल खरीदने के लिये उस चुने हुए बोर्ड को डायरेक्टर, लोकल बोडीज के यहां जूतियां चटकानी पड़ें। आपकी यह व्यवस्था है, और आप लोकल बोडीज, सैल्फ गवर्नमेन्ट की बात कहते हैं।

हालत यह है, सभापति महोदया, 1991 में करीब 27 करोड़ की जनसंख्या शहरों की थी और 2700 नगरपालिकाएं देश में विद्यमान थीं। राजस्थान में 181 थीं। माननीय मंत्री महोदय आज यहीं बैठे हुए हैं, श्रीमान् शर्माजी, आपके माध्यम से आपको ही निवेदन करना चाहूंगा कि 181 नगरपालिकाओं की जो प्रति व्यक्ति आय है

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

वह देखिये और उन पर 2700 नगर–पालिकाओं की, जो देश के दूसरे राज्य में विद्यमान हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय देखिये। 319 रुपये प्रति व्यक्ति आय है और राजस्थान की नगरपालिकाओं की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 231 रुपया है। आप 1989-90 का ले लीजिए, प्रति व्यक्ति आय 158 रुपये थी, 1990–91 में घटकर 131 रुपये हो गयी, 1991–92 में 173 हो गयी और 1992–93 में 191 हो गयी और आज जाकर के वह 210 रुपये करीब बन पायी है। हालत यह है कि जब देश की दूसरी नगरपालिकाओं की औसत आय तो 319 रुपये हो और राजस्थान की नगरपालिका की औसत आय सिर्फ 230 रुपये हो तो किस तरीके से डवलपमेंट के काम होंगे। खर्चा देखिये आप, 120 रुपये सफाई कर्मचारी पर खर्चा हो जाता है, 80 रुपये स्टाफ की तनख्वाह में चला जाता है, दो सौ रुपये तो ये पूरे हो गये, अब बचे 30 रुपये और 27 रुपये बिजली पर खर्च, पांच रुपये पैट्रोल पर खर्च, 12 रुपये जन–सुविधाओं पर खर्च, अब विकास और निर्माण की बात करना ही बेमानी है। कहां से हम विकास के नये काम करवायें, डवलपमेंट के कौनसे काम छेड़ें। नगर–पालिकाओं की हालत आपने यह बना रखी है। आप कुल मिलाकर देते कितने हो नगरपालिका को ? दस रुपये प्रति व्यक्ति। और पूरी आपकी +++सफाई कर्मचारियों की जगह एपाइंट करने की इजाजत हम। बजट पास कैसे होगा। हर जगह आपकी दखलंदाजी सिर्फ दस रुपये की खातिर। तो सैल्फ गवर्नमेंट की बात आपने जो इस बजट अभिभाषण में की है वह बिलकुल बेमानी है। हालत नगरपालिकाओं की यह है कि 70 से ज्यादा नगरपालिकाएं तो माननीय मन्त्री महोदय ऐसी हैं जो कर्म–चारियों की तनख्वाहें नहीं चुका पा रही हैं, 40 करोड़ रुपये कर्मचारियों के जी.पी.एफ., पेन्शन आदि के नगरपालिकाओं में बकाया हैं। और 50 पर्सेण्ट नगरपालिकाएं भी राजस्थान में ऐसी नहीं हैं जो न्यूनतम सेवाएं भी उपलब्ध करवाती हों, न्यूनतम सेवाएं, हालत यह है कि आपके राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट में करीब 27 तो ड्यूटीज बता रखी हैं म्यूनिसिपैलिटीज की, जो उनको पूरी करनी ही है, आवश्यक कर्तव्य 27 तो वो हैं और इसके अलावा इस सैक्शन नाइंटी एट में, 27 नहीं 23, मैं गलत बोल गया, 23 तो अनिवार्य कर्तव्य हैं जिनमें से 50 पर्सेण्ट की भी पूर्ति नहीं हो पाती और बाकी हालत, वह साहब यों पूरी नहीं हो पाती कि आपकी 181 नगर–पालिकाओं में से सिर्फ 12 नगरपालिकाएं ऐसी हैं जिनमें फायर ब्रिगेड उपलब्ध हैं बाकी 181 में से आप 12 को निकाल दें, फायर ब्रिगेड तक नहीं है उन म्यूनिसिपैलिटीज में, यह आपकी नगरपालिकाओं की हालत है। 23 तो आपके अनिवार्य कर्त्तव्य हैं सैक्शन नाइंटी एक्ट में लिखे हुए हैं। नाइंटी नाइन और हण्डरेड वन को ले लें आप तो ट्वन्टी सिक्स ड्यूटीज और हैं और अगर चौहत्तरवें संविधान संशोधन ने जो आशा व्यक्त की है, वह यह आशा व्यक्त की है कि ट्वैल्थ शिड्यूल में 18 और ऐसी

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

चीजें हैं जिनको कि म्यूनिसिपलिटीज को पूरी करनी चाहिए। वे कुल मिलाकर के सिक्सटी सेवन कर्तव्य, ड्यूटीज हो गये जो नगरपालिकाओं को पूरा करने के लिए कानून जो है वह आशा रखता है। अगर यह 67 कर्त्तव्य... ....

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क) : 18 कौन-कौनसी हैं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वे तो शिड्यूल में दे रखी हैं साहब, अगर आप कहें तो मैं पढ़कर बताऊँ ? बता दूं, आप कहें तो मैं पढ़कर बता दूं वरना आप लिख लें एक जगह 243 w में जो सेवन्टी फोर्थ अमेंडमेंट है, उसके 243 w में जो ट्वेल्थ शिड्यूल दे रखा है उसमें ड्यूटीज 18 बता रखी हैं, चाहें तो पढ़ लें आप फरमायें तो मैं पढ़ दूं मुझे पढ़ने में शर्म नहीं आएगी। कुल मिला करके मन्त्री महोदय, 67 ड्यूटीज हैं जिनको अगर पूरी करने लगी ये नगरपालिकाएं तो अर्थ–व्यवस्था पर कितना भार पड़ेगा, यह देखिये आप।.......

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मन्त्री महोदय को तो बुला लें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा आपसे निवेदन यह है कि राजस्थान सरकार ने नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को और पंचायत राज की वित्तीय स्थिति को कभी गम्भीरता से नहीं लिया। वित्त आयोग का गठन कर दिया। बेरोजगारों को रोजगार दे दिया। 8–8 महीने चुनावों को हो गये, नगरपालिकाओं के चुनावों के और नगर–निगमों के चुनावों के 8–8 महीने पूरे कम्पलीट हो गये लेकिन उस वित्त आयोग की आज तक रिपोर्ट नहीं। क्या कारण है कि उसकी रिपोर्ट नहीं आ रही ? इसीलिए तो मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं जानता हूं, साहब, और वह का वह ढांचा चला आ रहा है पांच साल के लिए निर्वाचित की गयी हैं ये नगरपालिकाएं और ग्राम पंचायतों का पांच साल में से यह साल पूरा हो गया। वित्त आयोग की रिपोर्ट आएगी। आने में पूरा सालभर और लग जाएगा और फिर राज्य सरकार सोचने बैठेगी, मन्त्रिमण्डल की बैठकें होंगी, बैठक होकर फैसले होने लगेंगे, फिर पुनः विचार के लिए रख दिया जाएगा और कुल मिलाकर वहीं पांच साल फिर निकाल दिए जाएंगे। इस प्रकार से यह स्थिति, जो वित्तीय स्थिति आज ग्राम पंचायतों की है, नगरपालिकाओं की है वह की वह बनी रहेगी, बल्कि उनकी दुर्दशा दिन-प्रति-दिन और भी होती जाएगी। मेरा आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि कम से कम इस बात को गम्भीरता से लें। आप जयपुर को रिप्रजेन्ट करते हैं, खास शहर को रिप्रजेन्ट करते हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जयपुर का नगर निगम फिर भी वित्तीय साधन की दृष्टि से कुछ मजबूत हो सकता है लेकिन वे बाकी 180 नगरपालिकाए, नगर निगम और नगर परिषदें उनकी कितनी बुरी हालत है, उसको नजरन्दाज नहीं करें, गम्भीरता से लें।

अभिभाषण में उद्योगों की रुग्णता के लिए जिक्र किया गया है। कोटा शहर से पधारने वाले माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी विराजमान हैं। सुदर्शन टैक्स-

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

टाइल्स मिल बन्द पड़ी है और ओरिएन्टल पावर केबिल मिल बन्द हो गयी । अब इंस्ट्रूमेंटेशन बन्द होने जा रहा है । राज्य सरकार कान में तेल डालकर के सो रही है । जहां अपने मतलब की बात होती है, जहां यह जमीन चाहती थी, इंस्ट्रूमेंटेशन से, वहां पर उन्होंने जमीन की किस्म बदल दी और उनको दे दी और एवज में उससे बढ़िया जमीन ले ली । मदद के लिए वे रोते फिरे कि यह आइडेंटिटी कार्ड हमसे बनवा लो लेकिन उनको आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिये गये । आइडेंटिटी कार्ड बनाने का ठेका रीको से मिलकर एक ऐसी प्राइवेट कम्पनी को दे दिया गया लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन को नहीं दिया गया जिसको कि जरूरत थी । जिसको इस बात की जरूरत थी कि किसी प्रकार से वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए. वह संसाधन । मुख्य मन्त्रीजी व राजस्थान सरकार को यह चाहिए था कि केन्द्र सरकार से बात करके कोई न कोई ऐसा प्रस्ताव भेजते जिससे कि इंस्ट्रूमेंटेशन की हालत सुधरती और वह आर्थिक संकट से उबर सकता लेकिन वह नहीं किया । तीन बड़े-बड़े कारखाने बंद होने जा रहे हैं, लिखते हैं कि राज्य में रुग्णता के लिए तैयार किया गया पैकेज बना रहे हैं । यह कतई अव्यावहारिक चीज है । सभापति महोदय, इस तरह से एक-एक उद्योग जो पुराने हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा कमायी, जिन्होंने सैंकड़ों-हजारों लोगों को रोजगार दिया, देश का नाम ऊंचा किया, आज वे बीमारी की हालत में चलते जा रहे हैं और बन्द होते जा रहे हैं । एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो कुछ विद्यमान है, वही आज बन्द होते जा रहे हैं । बिजली पैदा करने के लिए योजनाएं बनाने की बात कही । पहले तो कहा कि साहब, फलानी तारीख को इतना हो जाएगा, फलानी तारीख को यह हो जाएगा । अब कहते हैं कि साहब, केन्द्र सरकार गारन्टी नहीं दे रही है । निजी क्षेत्र में बिजली के कारखाने लगाने वाले गारन्टी मांगते हैं । विश्व बैंक के पास जाना पड़ रहा है । वी.पी. सिंह साहब भाषण दे रहे थे कि विश्व बैंक के डायरेक्टर मुख्य मंत्रीजी की बहुत बढ़िया बड़ाई कर गये । पता नहीं काहे की बड़ाई कर गये, गुलाबजामुन की बड़ाई कर गये या रसगुल्लों की, जो उन्होंने खिलाये हों, हमने तो कहीं नहीं पढ़ा । आप बराबर विश्व बैंक को *कोसते रहे हो, आई.एम.एफ. को *कोसते रहे हो फिर भी इंटरनेशनल मोनीटरिंग इस्टीट्यूशंस हैं, सबको आपने वक्त-वक्त पर *कोसा है और बल्कि भारत सरकार के ऊपर वक्त-वक्त पर यह भी आरोप लगाया है कि आप विश्व बैंक से प्रभावित होकर अपनी नीति को बदल रहे हो । आप उसके दबाव में आकर के यह काम कर रहे हो, जबकि आप हर बात के लिए विश्व बैंक की तरफ देखते हो ।

पी०डब्ल्यू०डी० मिनिस्टर विराजमान हैं । आपकी कौनसी सड़क पी०डब्ल्यू०डी० बनायेगी और कौनसी मण्डी कमेटी बनायेगी इस बात का फैसला आज भी विश्व बैंक

*शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार प्रतिस्थापित किया गया ।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

करता है। हर चीज में उनका दखल है। आप दिनोंदिन इस राजस्थान की सरकार को ऐसी संस्थाओं के सामने + + + मजबूर कर रहे हो जो कि निन्दनीय प्रयास है। आपको स्वयं इस प्रकार से अपनी तैयारी करनी चाहिए कि अगर केन्द्र सरकार गारण्टी नहीं देती है किसी भी प्राइवेट सैक्टर को तो आप स्वयं उसको किसी प्रकार से संतुष्ट करें और यह एश्योरेन्स दे दें कि तुम्हारे बिजली का पैसा किसी भी प्रकार से हम चुकायेंगे। लेकिन यह विश्व बैंक के पास छोटी-छोटी बात को लेकर जाना अपने आत्माभिमान को ठेस पहुंचना है।

वन विकास की बात हुई। अरावली योजना में वन विकास करेंगे। आज के एक अखबार को पढ़कर बताता हूं आपको। "अरावली योजना से अफसरों के पौ बारह"। माननीय वन मन्त्रीजी यहां हैं नहीं, यह लिखा गया है इस अभिभाषण में कि जापान सरकार ने राज्य के 14 जिलों के लिये 145 करोड़ रुपयों की एक वानिकी विकास परियोजना स्वीकृत की है जिसकी क्रियान्विति अगले वर्ष से हो जाएगी। वानिकी कार्य की जांच दलों ने प्रशंसा की है यह हमारे लिए सन्तोष की बात है। यह अभिभाषण में लिखा है और असलियत यह है कि परियोजना की ही प्लानिंग मानीटरिंग एण्ड रिसर्च की जो शाखा है उसने वृक्षारोपण का जो आंतरिक मूल्यांकन किया है, वह कुल मिलाकर 25 प्रतिशत वृक्षारोपण बताते हैं। मतलब 75 प्रतिशत वृक्षारोपण जेबों में हो रहा है। 25 प्रतिशत वृक्षारोपण फारेस्ट की जमीन पर हो रहा है। ऐसे अभिभाषण पर, सभापति महोदया यह सरकार + + + देकर हमसे समर्थन मांगना चाहती है, कतई नहीं देंगे।

आपके ही शहर की बात है, चम्बल को प्रदूषण से बचाने के लिये। ...(व्यवधान) चम्बल नदी के प्रदूषित जल को साफ करने की इसमें बात कही गयी है। मैं आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, कोटा से केशोरायपाटन तक चम्बल को साफ करने की बात है, मेहरबानी करके इसको आगे बढ़ायें। कोटा से बैराज के नीचे से लेकर कम से कम 5-7 किलोमीटर बैराज के अपस्ट्रीम से लें। वहां से साफ करवाने की बात है। क्योंकि जितना पेयजल के लिए पानी पी.एच.ई.डी. उठाती है, पम्प करती है, उससे कम से कम भी 4-5 किलोमीटर दूर की साइट होनी चाहिए। कृपया इसको जरूर आप ध्यान में रखने की कोशिश करें।

चिकित्सा मन्त्रीजी चले गये। पूरा बजट वह ले गये अब की बार। समर्पित करवा गये। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता था, सभापति महोदया, कि बड़े-बड़े लोग चाहे वह हिन्दुजा हों, चाहे बिड़ला हों, चाहे चौथराम हो या जसलोक जिन्होंने बनाया वह हों, अगर सरकार के पास इतना पैसा नहीं है तो वह सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा सकती सरकार जिन-सुविधाओं की आज के बीमार को आवश्यकता

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

है। तो इसमें अपनी नाक नीची नहीं होती। उन लोगों को बुलाकर यहां बड़े अस्पताल खुलवा दें, उनको आमन्त्रित करें, उनको पूरी फेसिलिटीज दें, सस्ती जमीन दें, हर तरह की सुविधाएं उनको उपलब्ध करवायें और हर तरह की मदद उनको दें ताकि यहां के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। आज छोटी-सी बात को लेकर कभी बम्बई और कभी दिल्ली बीमार को लेकर जाना पड़ता है। वह लोग अगर इन्टरेस्टेड हैं और यह कई बार छप चुका है कि यहां पर वह बड़े अस्पताल चलाने में इन्टरेस्टेड हैं, दिक्कत क्या है राजस्थान की सरकार को उनको आमंत्रित करने में और उनको यहां पर अस्पताल के लिये प्रोत्साहित करने के लिये कि वह एक ऐसा अस्पताल डालें जिसमें हर तरह की सुविधाएं हों। अपोलो अस्पताल वाले हों या कोई भी हों।

टूरिज्म मिनिस्टर विराजमान हैं। पिछले चार सालों से यह हल्ला है कि नजूल सम्पदाओं का संयुक्त क्षेत्र में हैरिटेज होटल के रूप में विकसित करने की बात कही गयी है। यह पिछले चार साल से हल्ला इस बात का हो रहा है। मंत्री बने आपको एक साल दो महीने ही हुए हैं लेकिन पिछले चार सालों से बराबर इस बात का हल्ला है कि नजूल सम्पत्ति को आइडेंटीफाई किया जाएगा और एक कमेटी बनायी जाएगी और आर टी डी सी. को दी जाएगी। आर.टी.डी.सी. इसका किराया लेगी। फिर यह होगा, फिर यह होगा, फिर यह होगा। लेकिन आज तक इस बारे में स्थिति साफ नहीं है। सैंकड़ों क्या हजारों की तादाद में ऐसी नजूल प्रापर्टी आपकी बेकार पड़ी हुई है जिनको कि विकसित हो जाना चाहिए था। अगर वह विकसित हो जाती तो निश्चित तौर पर यहां पर जो टूरिस्ट ट्रेफिक है उसमें कम से कम चार गुना वृद्धि होती। लेकिन अनिर्णय की स्थिति राजस्थान सरकार की होने की वजह से आज यह सारी की सारी पर्यटन की योजनाएं पड़ी हैं। जैसा अभी वी. पी. सिंह साहब ने बताया कि फारेन टूरिस्ट जब चलता है तो कोई पेंट खींचता है, कोई क्या करता है और हाथी वाले क्या करते हैं, हालत बिलकुल यह है बल्कि इससे भी गिरी हुई स्थिति है। यह तो इन्होंने लिहाज करके कम बोला वरना टूरिस्ट की यह हालत है और आपकी तरफ से अलावा भाषण के, उद्घाटन के और चाटन के कुछ नहीं है आपके डिपार्टमेंट की तरफ से। तो मेहरबानी करके नजूल प्रापर्टी जो बेकार पड़ी हुई है उसको दीजिए जो चलाना चाहते हैं। वह चलाएंगे, आपको तो आराम से पैसा मिलेगा। अगर वह उसमें होटल चलाना चाहते हैं या होटल बनाते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर में कोई ज्यादा चेंजेज नहीं करते हुए चलाना चाहते हैं तो उसमें आपत्ति क्या है आपको? आज जर्जर हालत में पड़ी हुई हैं वह प्रापर्टी। आपको उससे आमदनी होगी। इसमें कोई निर्णय लेने में क्या आपत्ति हो रही है? क्यों देरी कर रहे हैं आप इसमें? कोई कारण तो हो।

देवस्थान विभाग के बारे में भी इसमें बोला गया है। अब यह तो भगवान भूखे हैं। यह तो पूर्व में ही कह दिया सनाढ्य

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

साहब ने। समर्थन हमसे दिलवाना चाहते हैं। भगवान तो भूखे रहें, सभापति महोदया, और धन्यवाद हम देवें।

वित्तीय अनुशासन की बात पर भी आखिर में निवेदन करना चाहता हूं। सबसे बड़ी कमी अगर कुछ इस अभिभाषण में लगती है' तो वह यह है कि 94 पैराग्राफ राज्यपाल महोदय से बुलवाये लेकिन एक भी पैराग्राफ में दो लाइन तो बुलवा देते बेरोजगारों के लिये और गरीबी मिटाने के लिये। बेरोजगारों को किस प्रकार से रोजगार उपलब्ध करायेंगे, किन योजनाओं में उनको खपाने की बात राजस्थान सरकार सोचती है। एक शब्द भी बेरोजगारों के आंसू पोंछने के लिये नहीं कहा गया इस भाषण में। सभापति महोदया, ऐसा कोई भाषण नहीं हो सकता किसी भी सरकार का, जो राज्यपाल के द्वारा दिलवाया जाए जिसमें कि राज्य में व्याप्त बेरोजगारी के बाबत एक शब्द नहीं कहा जाए। आखिर में निवेदन करता हूं....

एक माननीय सदस्य : सरकार भी ठेके में जा रही है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : विकास की बात करते हैं, जीवन स्तर ऊँचा उठाने की बात करते हैं परन्तु आंकड़े यह बताते हैं कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय में लगातार गिरावट आयी है....

श्री रतनलाल ताम्बी : यह तो मैं बोल रहा था।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप बोल लें। इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदया, मैं जमकर इसका विरोध करता हूं।

श्री सभापति : श्री रमाकांत जी शर्मा।

श्री रमाकांत (थानागाजी) : सभापति महोदया, अभी थोड़ी देर पहले पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि संसार के सारे के सारे देशों के अन्दर स्थिति में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। संभवतः उनका इशारा मार्केटिंग इकोनामी से था। एक प्रकार की बाजार अर्थव्यवस्था जो सारी दुनिया में पनप रही है उससे उनका मतलब था। मैं दो उदाहरण देकर उनसे निवेदन करना चाहूंगा। एक ओर स्थिति यह है कि जिस दुनिया के लोगों की आप बात कर रहे हैं, अमेरिका ने अभी पिछले तीन महीने पहले जितनी यूरोप से वाइन आती है, उस पर 30 पर्सेन्ट ड्यूटी लगा दी। वाइन ज्यादातर फ्रांस से ही आती है। तो फ्रांस ने तत्काल दूसरे दिन स्पेशल सदन बुलाकर सदन में कहा कि अमेरिका से जितना सोयाबीन आता है, उस पर 40 प्रतिशत ड्यूटी लगायी जाती है। दो दिन के अन्दर अमेरिका की आंख खुल गयी और उसने वह ड्यूटी समाप्त कर दी और फ्रांस ने भी नहीं लगायी। अब उस अर्थव्यवस्था की हालत देखिये। हमारे यहां से सैंकड़ों-करोड़ रुपये के स्कर्ट्स, जिन्हें देशी घाघरे बोलते हैं, वह अमेरिका में गये। एक ऐसी अननोन संस्था, जिसके बारे में कोई जानता नहीं, ने कोई एक बात उछाल दी कि इनके अन्दर कुछ रेयस हैं जिनकी वजह से आग लग सकती है इसलिए इनको काम में नहीं लेना चाहिये। जो

(श्री रमाकांत)

लोग बेच चुके थे वह भी वापस आ गये और सैंकड़ों-सैंकड़ों करोड़ रुपये का जो गरीब आदमियों ने एक्सपोर्ट किया था, उसका बहुत बड़ा नुकसान आज भी वह भुगत रहे हैं। क्या हम में यह साहस है कि संसार की जो इस समय बाजार अर्थ-व्यवस्था बन रही है, इस उदारीकरण के साथ-साथ हम उनका मुकाबला कर सकेंगे ?

आपने पैराग्राफ 11 पढ़ा होगा। उधर से भी इसका सेंटेंस पढ़ा गया परन्तु उसके अन्दर आखरी बात नहीं पढ़ी। राज्यपाल महोदय ने कहा है कि यदि हमारे उद्यमियों को समान धरातल नहीं मिला तो वे बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का सामना नहीं कर पाएंगे और धीरे-धीरे ये कम्पनियां हमारे उद्योगों को आत्मसात करती चली जाएंगी। यह बहुत बड़ा गम्भीर प्रश्न है जो हमें भी देखना है और सारे हिन्दुस्तान को देखना है।

सभापति महोदया, इस उदारीकरण के नाम पर पूंजीवाद का आक्रांत साम्राज्य इस देश के अन्दर लोग लाना चाहते हैं। इस पूंजीवादी आक्रांत साम्राज्य का परिणाम क्या होगा ? अनन्त पूंजीवाद, अमानवीय दरिद्रता, लोगों में असमानता, गरीबों को असुरक्षा और आर्थिक मन्दी इतनी आ जाएगी कि साधारण आदमी व्यवसाय कर नहीं सकेगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इस प्रकार राज्यपाल महोदय ने जो आगाह किया है, यह सारे के सारे देश के लिये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। यदि हमने इस बात को मजाक में टाल दिया और हम इस बात को सोचते रहे कि इस उदारीकरण से हमारा बहुत बड़ा इण्डस्ट्रियलाइजेशन होगा, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, परन्तु अभी तक तो यह हो रहा है कि आलू की फैक्टरियां लग रही हैं, साबुन की फैक्टरियां लग रही हैं, कोई तेल की और कोई सेंट की फैक्टरियां लग रही हैं, यह सारी की सारी उपभोक्ता वस्तुएं हैं, नम्बर वन तो यह है कि जिनको हम आसानी से बना सकते हैं, बना रहे हैं, पचासों सालों से बना रहे हैं, उनके अन्दर एक प्रकार का कम्पीटिशन आ गया है, मैं नहीं जानता कि आने वाले सालों में कितनी फैक्टरियां बन्द हो जाएंगी और किस प्रकार की बेरोजगारी फैलेगी। असल में हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने हमें बहुत लेगडाउन किया है। इसमें भी जिक्र किया गया है लेफ्टिज्म का, कंट्रोल्ड मार्केट का, पब्लिक सैक्टर का और वही बुद्धिजीवी उसको सब भूल गये। उदारीकरण की चीज इस प्रकार चल रही है। राष्ट्रीय उदारीकरण, देश का कोई व्यक्ति काम करना चाहता है उसको तत्काल काम करने की सुविधा मिले, उसके ऊपर किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं हो, उसे प्रोत्साहन मिले उसके बजाय इस उदारीकरण के नाम पर बाहर के लोगों को हमने यहां पर बसने दिया, बाहर के लोगों को यहां पर हमने पनपने दिया, बाहर के लोगों को कम्पीट करने दिया। हम उन लोगों के साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे। अब मैं अपनी बात पर आता हूं। सभापति महोदया, यह कुछ परम्परा सी है कि कितनी ही अच्छी बात सत्ता पक्ष की ओर से कही जाए, कितना ही अच्छा अभिभाषण हो, कितना ही अच्छा बजट हो, कितनी ही अच्छी नीति हो, विरोधी तो उसका विरोध

(श्री रमाकांत)

करेगा । यह एक परम्परा है । दुर्भाग्य से यह जो परम्परा है, विकासशील डेमोक्रेसीज हैं उनके अन्दर है । डेमोक्रेसी की यह एक स्वाभाविक कमजोरी है, यह स्वाभाविकता है परन्तु विकासशील डेमोक्रेसी की है, विकसित डेमोक्रेसी की नहीं है । अमेरिका के अन्दर यदि कोई बात गलत कही गयी है तो सत्ता पक्ष भी उसको कहेगा कि बिलकुल गलत बात है, बिलकुल नहीं होने देंगे और यदि अच्छी बात कही गयी है तो प्रतिपक्ष उसकी सराहना करता है । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ अभिभाषण हमारे सामने आया है, हम यदि किसी भी चीज की बड़ाई करना चाहते हैं या उसकी बुराई करना चाहते हैं तो उसको एक प्रकार से टेस्ट ट्यूब में डालिये । मैं तो वैज्ञानिक हूं और मेरी तो आदत इस बात की है कि जब तक उस चीज को परीक्षण के लिये टेस्ट ट्यूब में नहीं डाल दिया जाए तब तक मैं नहीं कह सकता कि अच्छी चीज है या बुरी चीज है ।

दो बातें मोटे तरीके से हैं । आज राजस्थान सरकार की वित्त व्यवस्था की तारीफ हो रही है । जिस प्रकार से मितव्ययता की गयी है, जिस प्रकार से करों की बेहतर वसूली की जा रही है, इसकी श्री प्रणव मुखर्जी ने भी तारीफ की है, इसकी योजना आयोग ने भी तारीफ की है, इसकी सारे के सारे इकनामिस्ट्स ने भी तारीफ की है, रिजर्व बैंक ने भी तारीफ की है । जो एक प्रकार का वित्तीय समाज है, जो इस बात का परीक्षण करता है, उसने कहा है कि राजस्थान की आज जिस प्रकार से वित्त व्यवस्था है वह सर्वोत्कृष्ट है । इसके कारण से हमको दो लाभ मिले हैं । एक लाभ तो यह है कि योजना आयोग में किसी भी प्रकार की स्कीम जाती है तो वहां पर ज्यादा वाद-विवाद नहीं होता है, राजस्थान से आयी है, राजस्थान इस बात का अच्छा वित्तीय कन्ट्रोल करेगा, इसको शीघ्र करना चाहिए । मैं बजट के समय इस बात को बताऊंगा कि योजना के अन्दर हमारी जिस प्रकार से वृद्धि हुई है साल दर साल, उसका मुख्य कारण हमारा वित्तीय प्रबन्ध है....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इसीलिए आपकी बैकवर्ड स्टेट है ।

श्री रमाकांत : इसी प्रकार से वित्तीय व्यवस्था के साथ-साथ जो दूसरी बात हमारे यहां कंसिस्टेन्टली चली आ रही है, वह सोशल जस्टिस की है । संविधान के अन्दर सोशल जस्टिस की बात थी, उसकी बराबर उपेक्षा रही है । मैं देखता हूं कि आज हमारे सामने जो भी राजस्थान सरकार के डाकूमेंट्स आ रहे हैं और खास तौर से इस अभिभाषण के बारे में, जो अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा, सोशल जस्टिस के बारे में इसमें आद्योपान्त जिक्र है । प्रारम्भ से लेकर आखिर तक जो कोई मूल मंत्र रखा गया है तो वह सोशल जस्टिस की बात है ।

जैसा मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यदि इस अभिभाषण को टेस्ट ट्यूब में रखा जाए तो मेरे ख्याल से कोई भी अभिभाषण चार चीजों के बारे में क्या कहता है, कोई अच्छा कहता है या बुरा कहता है, तो हम कह सकते हैं कि इस अभिभाषण के अन्दर जो राज्यपाल महो-

(श्री रमाकांत)

दय ने बात कही है वह अच्छी है या बुरी है। पहली बात, इस अभिभाषण में ऐसा दिशा दर्शन है जिससे बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। दूसरी बात, हमारी जो मिनिमम नीड्स हैं, जिसे मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं और मूलभूत आवश्यकता के अन्दर शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे ज्यादा आता है, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा गया है। तीसरी बात, गरीबी और अमीरी के बीच जो बढ़ा हुआ गैप है, इसके अन्दर इस अभिभाषण के दिशा निर्देशन के आधार पर कमी आने वाली है। चौथी बात एक प्रकार से राजस्थान के अन्दर पिछले सालों के अन्दर हैपहैजर्ड तौर-तरीके से काम करने से जो क्षेत्रीय असंतुलन आ गया है, इस दिशा-दर्शन से हम क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने की कोशिश करने जा रहे हैं।

इन चार बातों पर बहुत संक्षेप में, माननीय सभापति महोदया, आपसे निवेदन करना चाहूंगा। अभी कहा गया कि सारे के सारे अभिभाषण में बेरोजगारी का जिक्र नहीं है। वैसे तो मैंने अभी एक पैराग्राफ पढ़ा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, वह पैराग्राफ ही बेरोजगारी से प्रारम्भ होता है। मैं बात यह निवेदन करना चाहूंगा कि रोजगार देने के लिये किस प्रकार के कामों को लिया जाए जिसके अन्दर ज्यादा रोजगार पनपे उतने रुपये खर्च करने पर। इसमें कहा गया है कि हम चर्म उद्योग को प्राथमिकता देंगे, चर्म उद्योग को प्रोत्साहन देंगे, चर्म उद्योग को सहायता देंगे। इसी प्रकार से ऊन उद्योग है जिसके अन्दर सैकड़ों और हजारों आदमी हमारे लगे हुए हैं, ऊन उद्योग को भी प्राथमिकता दी जाएगी। पर्यटन को भी प्राथमिकता दी जाएगी। मैं समझता हूं कि तीन ऐसी चीजें हैं राजस्थान के अन्दर, बाद में आकर बताऊंगा कि मार्बल और ग्रेनाइट भी ऐसी चीज है जिसके अन्दर हजारों आदमी लगे हुए हैं। तो जो खान, मार्बल, ग्रेनाइट, पर्यटन, चर्म उद्योग, ऊन उद्योग, इस प्रकार की बातों का खास तौर से इस अभिभाषण में वर्णन किया गया है, फिर इससे और ज्यादा बेरोजगारी की बात क्या की जा सकती है? इससे जितना रोजगार बढ़ेगा, उसके बारे में मैं इस समय, नहीं कहूंगा क्योंकि उचित समय नहीं है, मैं सब्जिक्वेंटली जब बजट पर बात करूंगा, तो बताऊंगा कि कितने लाख आदमियों का इससे नया रोजगार पैदा होगा।

सभापति महोदया, कृषि और उद्योग को यदि समान स्थान दिया जाए तो इससे ज्यादा और बड़ी व्यवस्था नहीं हो सकती। रोजगार ज्यादा पनपाने के लिए कभी-कभी हम गलती से इस प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन देने लग जाते हैं जो बहुत ही एडवांस उद्योग होते हैं जैसे कि बाहर के लोग, विदेशी आकर लगाने जा रहे हैं। उससे बेरोजगारी दूर नहीं होगी। परन्तु यदि हम कृषि को भूलें नहीं और कृषि को बराबर उतना ही प्रोत्साहन दें जितना कि उद्योग को, तो बेरोजगारी की समस्या निश्चित ही दूर होगी। साथ ही साथ इसी अभिभाषण के अन्दर बहुत जगह जोर दिया गया है, एक जगह नहीं कम से कम तीन पैराग्राफ में जोर दिया गया है कि राजस्थान की जो हस्तकला है, राजस्थान का जो हैण्डीक्राफ्ट है, उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया

(श्री रमाकांत)

जाएगा।

अनुसूचित जाति, जनजाति ग्रामीण विकास निगम है वह ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर इस तरीके से अब विनियोजन करेगा। विनियोजन भी बताया गया है कि कितना विनियोजन करेगा। उससे भी किसी प्रकार वे लोग जिनको किसी प्रकार का रोजगार नहीं मिल पा रहा है उनको रोजगार मिलेगा। तो बेरोजगारी की बात पर इस अभिभाषण के अन्दर बहुत अच्छे तरीके से, विस्तार से, बहुत समझ के साथ ध्यान दिया गया है।

दूसरा जो पाइन्ट मैंने निवेदन किया था, मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में ज्यादा विस्तार में नहीं जा करके मैं कहना चाहूंगा, पिछली बार में जिस प्रकार से शिक्षा को समर्पित बजट था और शिक्षा के बारे में क्या आमूलचूल क्रांतिकारी परिवर्तन आये हैं और आज यह बात कहना, आगामी साल के अन्दर सारे राजस्थान को सम्पूर्ण साक्षरता के प्रोग्राम के अन्दर ले आयेंगे और यदि इस कार्यक्रम को सफलता मिल गयी और अगले साल, दो साल के अन्दर या 5साल के अन्दर भी हम यदि सारे प्रान्त को सम्पूर्ण साक्षर कर सकें, तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती, इससे बड़ी देश की, हमारे प्रान्त की कोई सेवा हो नहीं सकती।

दूसरी बात मूलभूत आवश्यकताओं के अन्दर स्वास्थ्य की आती है। स्वास्थ्य के अन्दर कितने ही प्रकार के जो नये चिकित्सक लगाये गये हैं या पदोन्नति में दिक्कतें आ रही थीं, उन छोटी–छोटी बातों पर तो मैं जाना नहीं चाहूंगा, परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक ऐसी नीति बनायी गयी है जिससे अब आने वाले समय में जितनी भी हमारी स्वास्थ्य की संस्थाएं हैं, चाहे प्राइमरी हैल्थ सेंटर हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हो और चाहे जिले के और जयपुर के बड़े अस्पताल हों, उनके प्रबन्ध के अन्दर जन-प्रतिनिधियों की या जनता की भागीदारी हो। यह बहुत बड़ी बात है। यह बात तो बहुत दिनों से कही जा रही है, अभी भी मुझे शक होता है कि यह बात जो कही गयी है, इसकी वास्तव में क्रियान्विति होगी। परन्तु यदि क्रियान्विति होगी तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात होगी।

सभी मेडिकल कालेजेज के अन्दर कोबाल्ट की यूनिट लग जाएगी। कैंसर का बढ़ता हुआ जो प्रकोप है, कैंसर के रोगी को देखने से जो हृदय के अन्दर कम्पन-सा पैदा होता है, यह बीकानेर में भी होगा, जोधपुर में भी होगा, उदयपुर में भी होगा, जयपुर में तो है ही, उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। सब जगह पर उन कैंसर के रोगियों को इससे लाभ मिलने जा रहा है। इस तरह की जो बातें बतायीं गयी हैं, दवाइयों के बजट को दुगुना कर दिया गया है, 9 करोड़ से 18 करोड़ कर दिया गया है, टी.बी. के बारे में एक परीक्षण चारों तरफ से एक बहुत वृहद आधार पर किया जाएगा, इन सब के डिटेल्स में नहीं जाकर, मेरे कहने का मतलब यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जो इस अभिभाषण के अन्दर चिन्ता प्रकट की गयी है, दिशा-दर्शन दिया गया है और इस बारे में जो सरकार

(श्री रमाकांत)

बातचीत करने जा रही है उसके लिए वह बहुत ही धन्यवाद की पात्र है, साधुवाद की पात्र है।

तीसरा पाइंट मैंने यह बताया थो कि गरीबी और अमीरी के बीच में जो असमानता पैदा हो गयी है, बहुत ज्यादा जो गैप है, उस गैप को दूर करने के लिए क्या कुछ प्रयास किये जा रहे हैं या नहीं किये जा रहे हैं। सभापति महोदया, गरीबों के लिए जो काम करने वाले हैं उन कामों के मैं 4-5 ही उदाहरण देकर अपने पाइन्ट को बताना चाहूंगा कि इस बारे में क्या ध्यान दिया गया है। हाथकरघों के विकास की परियोजना को बहुत महत्व दिया जाएगा। हाथकरघों के विकास की योजना का मतलब यह कि जो गांव के अन्दर छोटा से छोटा जो गरीब अनुसूचित जाति का आदमी है, इन हाथकरघों के अन्दर गलीचा उद्योग भी है, आज राजस्थान के अन्दर गलीचा उद्योग इस श्रेणी में पहुंच गया है कि सारा हिन्दुस्तान उसका मुकाबला नहीं कर सकता।

इसी प्रकार से पशुओं की खालों के उपयोग के बारे में सोचा जा रहा है। गरीबी उन्मूलन का जो कार्यक्रम है, आज तक केवल मात्र जो छोटे से गांवों के अन्दर पंचायत समितियों के माध्यम से था, वह एक लाख के जो शहर हैं, उन शहरों के अन्दर भी इस प्रोग्राम को लिया जाएगा। 14 जिलों के अन्दर महिला विकास के कार्यक्रम लिये जाएंगे। पंचायती राज संस्थाएं हैं उनमें सभी वर्गों की आज भागीदारी पैदा हुई है। ठीक है, कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट वहां से हुआ है पर कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट के अन्दर यह बात नहीं है जिस प्रकार कि हमने पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषदों के अन्दर सभी वर्गों की, महिलाओं की जो भागीदारी की है। इतने विस्तार के अन्दर जो सोचा गया है, यह एक बहुत ही साधुवाद की बात है। मैंने जैसे पहले कहा कि अनुसूचित जन जाति निगम 6 करोड़ के बजाय 24 करोड़ रुपये का विनियोजन करने जा रहा है। तो जो गरीबों के उत्थान की बात इस अभिभाषण के अन्दर ली गयी है, मैं समझता हूं, राजस्थान के इतिहास के अन्दर पहले किसी अभिभाषण में इस बारे में सोचा तक नहीं गया है।

इसी प्रकार से क्षेत्रीय असंतुलन की बात जो चौथा मुद्दा एक टैस्ट ट्यूब के अन्दर रखा हुआ है कि हमारा यह क्षेत्रीय असंतुलन जो आज हो गया है, अभी-अभी जिक्र चल रहा था कि सारे के सारे शारीरिक शिक्षण या और प्रकार के जो स्कूल हैं, वे उदयपुर ही उदयपुर में आ गये हैं। उदयपुर में, भीलवाड़ा में, अभी सवेरे प्रश्नकाल में बात थी। मेरा निवेदन यह है कि जब हमारे सामने ये नीतियां बनीं....

श्री रामनारायण चौधरी : अलवर में हैं क्या ?

श्री रमाकांत : नहीं हैं, मैं यही तो कह रहा हूं कि असंतुलन पैदा हो गया। आज असंतुलन कई प्रकार का पैदा हो गया। एक जगह पर 3–3 आई. टी. आई., एक जगह पर एक भी नहीं है। एक जगह पर कई प्रकार के स्कूल, विद्या निकेतन, सेवा सदन और न जाने क्या-क्या, इतनी बड़ी चीजें और दूसरी जगह बिलकुल नहीं हैं।

(श्री रमाकांत)

माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर जो नीतियों पर बल दिया गया है, चाहे पर्यटन नीति हो, चाहे वह सड़क नीति हो, चाहे वह खनिज नीति हो, चाहे औद्योगिक नीति हो, इन सारी की सारी नीतियों के अन्दर सबसे ज्यादा ख्याल यह रखा गया है कि जहां जिस स्थान की आवश्यकता है, उस आवश्यकता के आधार पर करें। इन नीतियों के आधार पर लोग गलत कर नहीं सकेंगे, हैपहैजर्ड तरीके से विकास कर नहीं कर सकेंगे और हैपहैजर्ड तरीके से चाहे जहां पर एक चीज को मल्टीप्लाई करते रहे दूसरी जगह पीछे रह जाए, वह स्थिति अब मैं समझता हूं, नहीं रहेगी।

मैं बहुत ज्यादा लम्बी बात नहीं करके एक बात अभी माननीय वी. पी. सिंह जी ने कही, उनको जरूर निवेदन करना चाहूंगा, इंजीनियर के नाते निवेदन करना चाहूंगा। इन्होंने कहा है कि 6 जगह डीजल इंजन नहीं लगा करके एक ही जगह लगा दिये जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। जो बिजली 24 घण्टे उत्पादन होती है जैसे कि थर्मल प्लांट हैं और जैसे कि हाइडल प्लांट हैं, उसको ग्रिड में देना जरूरी होता है, क्योंकि 24 घण्टे न जाने किस कोने के अन्दर एक प्रकार से कंट्रोल के आधार पर जो सारी की सारी बिजली को पैदा होने वाली को, पूरी तरीके से उपयोग में लाएगा। परन्तु जो बिजली आज इमिजिएटली एक मिनट के अन्दर स्टार्ट कर सकते हैं, एक मिनट के अन्दर बन्द कर सकते हैं, डीजल इंजन का सबसे बड़ा उपयोग यह है कि अभी आप लोड है तो स्टार्ट कर दीजिये, लोड नहीं है तो बन्द कर दीजिये। इसलिये डीजल इंजन की जहां-जहां भी स्थापना होती है, वहां होती है जहां कंसंट्रेटेड लोड होता है। वहां पर रखी जाती है। मैंने तो कोई बातचीत की नहीं है कि आर. एस. ई. बी. ने क्यों किया इस तरह का, परन्तु मेरे अपने अनुमान से इस तरह की बात है। जहां कंसंट्रेटेड लोड है, वहां पर डीजल इंजन का एक स्टेशन लगाया जाए जिससे ग्रिड में जाने की जरूरत नहीं है, उसके पास के अन्दर जितना लोड है उस लोड की पूर्ति हो जाएगी और वहां पर जो ग्रिड का लोड आता था वह वहां पर देने की आवश्यकता नहीं होगी। उसको दूसरी जगह दे दिया जाएगा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह परमानेंट है, यह कैप्टिव वाला नहीं है जो.... (व्यवधान)

श्री रमाकांत : कैप्टिव की आवश्यकता नहीं है, कंसंट्रेटेड लोड है वहां मैंने निवेदन किया ना....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : 6 वाले की बात कर रहे हैं ना, 100 मेगावाट के हैं और यह पूरे 24 घंटे चलने वाले हैं। 6 × 100 मेगावाट की बात जो है, यह 6 जगह 100 पर्सेंट चलने वाले हैं और यह भी नेफ्था पर ही चलेंगे, पर....

श्री जुबेर खान : यह तो पार्टी मीटिंग में तय हो जाएगा।

श्री जगदीप धनखड़ : नो क्रास टाक्स।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : डीजल पर नहीं चलते हैं, डीजल पर तो बहुत महंगा पड़ जाएगा।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री रमाकांत : डीजल और नेपथा में कोई अन्तर नहीं है, फ्यूअल में कोई अन्तर नहीं है। टेक्नोलोजी वही है। खैर, मैंने मेरी बात कह दी... (व्यवधान) क्षमा करें।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन तो करता ही हूं, साथ ही साथ अभिभाषण के अन्दर जो बातें कही गयी हैं, उनकी बहुत सराहना करता हूं। परन्तु एक शब्द निवेदन करना चाहता हूं कि कभी-कभी बहुत अच्छी-अच्छी बातें जैसे गीता में कही हुई हैं, गीता के पन्नों में रह जाती हैं, बहुत बातें कही गयी है परन्तु जो हमारी क्रियान्विति का स्तर है, वह इतना खराब है, इतना खराब होता चला जा रहा है कि यदि उस क्रियान्विति के स्तर पर हमने अपना कंट्रोल नहीं किया, तो स्थिति यह है कि हमारे यहाँ पर थानागाजी में 4 वर्षों से एनीकट्स सैंक्शंड हैं, काम होता है कि नहीं होता है, लाख-लाख के एनीकट्स 4 वर्षों के अन्दर नहीं बन पाते हैं। बांध के लिए 6 वर्षों से रो रहे हैं। स्कूल के हैड मास्टर साहब थानागाजी में बैठे हुए हैं, 2 किलोमीटर वहां पर नहीं जा पाते हैं। निवेदन यह है कि क्रियान्विति के स्तर पर यदि हमने इन चीजों को नहीं देखा तो इतनी अच्छी बात जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इतने मन से, इतने हृदय से गरीबों के उत्थान के लिये, देश के इस प्रांत को दिशा देने के लिये रखी है, इस प्रांत की वित्तीय व्यवस्था सुधारने के लिये, इस प्रांत को आगे ले जाने के लिये जो परिश्रम किया है, उसका लाभ हम नहीं उठा पा सकेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री भीमराज भाटी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय सभापति महोदया, महामहिम राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण था उसके ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में मुझे आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं।

उसमें सबसे पहले जो गुणगान किया गया है राजस्थान की सरकार द्वारा, वह है म्युनिसिपैलिटीज के चुनावों का और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के बारे में। नगरपालिकाओं और नगर परिषदों के चुनावों में पिछले समय में राज्य मंत्री महोदय के भाइयों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, मंत्रिपरिषद् के सदस्य मतपेटियां उठाकर ले गये, वे सारी बातें थीं और जो भी गड़बड़ियां हुईं, वह बहुत पुरानी बात हो गयी,....(व्यवधान) मंत्री के खिलाफ भी हुई वहां मतपेटियां उठाकर ले जाने की, तो वे सारी बातें पुरानी हो गयीं। आपकी निष्पक्ष चुनाव कराने की, जिस भावना से नगर परिषद् और नगरपालिका को सत्ता सौंपना चाहते हैं वह उसके ऊपर एक रिफ्लेक्शन है लेकिन अभी जो ताजा चुनाव हुए, पंचायती राज संस्थाओं के जनवरी और फरवरी में चुनाव हुए,

(श्री भीमराज भाटी)

चूंकि यह ताजा बात है इसलिए उसके बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदया, सबसे पहले पंचायत चुनावों में प्री-पोल की माल प्रेक्टिसेज के बारे में मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा। प्री-पोल में पंचायत के चुनाव में सर्टिफिकेट देने की परम्परा थी और एक प्रक्रिया चालू की गयी थी, ओ. बी. सी. के लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ओ. बी. सी. की कुछ जातियों को चुनाव के ऐन समय पर घुसाया गया और उसके लिए तो मुख्य मंत्रीजी और राज्य सरकार धन्यवाद की पात्र है ही है लेकिन उन ओ. बी. सी. के सदस्यों को कितनी मुश्किलों से सर्टिफिकेट मिला, उसकी कल्पना शायद मुख्य मंत्रीजी स्वयं भी नहीं कर सकते कि कितनी तकलीफों से सर्टिफिकेट मिला। लेकिन, खैर, सर्टिफिकेट भी मिला और जैसे-तैसे चुनाव भी हुए। तो मैं सबसे पहले सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जो प्री-इलेक्शन प्रेक्टिसेज हुई उनके बारे में।

माननीय सभापति महोदया, हमारे यहां पर गिरधारी सिंह राजपुरोहित हैं, वह मुझे स्वयं को वहां सोडावास, बूसी में चुनाव प्रचार करते हुए मिला। एक सरकारी अधिकारी, जो एक पंचायत समिति का मास्टर है, चुनाव प्रचार करते हुए मिला। मैंने उनके बारे में उसी दिन शिकायत की। उसके पूर्व में गूंदोज ग्राम, जो आयुर्वेद मंत्रीजी की कांस्टीट्यूएंसी थी, सुमेरपुर क्षेत्र था, मुझे आयुर्वेद मंत्रीजी के क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हुए मिला। हमने उनकी शिकायतें कीं, कोई फायदा नहीं हुआ। गूंदोज में उन्होंने मतदाताओं को डराया-धमकाया, गाली-गलौच की। उसकी शिकायत जिलाधीश के पास हुई, शिक्षा सचिव के पास हुई, उसके बारे में कुछ नहीं किया गया। लेकिन दुःख की बात तो तब होती है जब उसी अध्यापक के हाथ की, हैण्ड-रिटन एक पर्ची जिसमें उन्होंने लिखा है, मैं यह टैम्पू भेज रहा हूं, उसमें पैट्रोल भरवा दिया गया है, उस पर्ची की फोटो कापी नोटरी पब्लिक से अटेस्टेड कराकर हमने मुख्य चुनाव अधिकारी और शिक्षा विभाग के सचिव को भेजी और सारी शिकायत लिखित में भेजी, रजिस्टर्ड ए. डी. से भेजी, फैक्स द्वारा भेजी लेकिन उसके बावजूद भी उस सरकारी अधिकारी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। यह तो आपके काम करने का तरीका था।

इसी तरह प्री-पोल माल प्रेक्टिसेज के बारे में सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपके जोनल मजिस्ट्रेट की गाड़ी में वोटर्स लाये गये। जोनल मजिस्ट्रेट की गाड़ी में वोटर्स को लाते हुए मैंने स्वयं देखा, चूंकि मैं वहां का रहने वाला नहीं था, उस इलाके में आता-जाता नहीं था तो वहां पर वोटर्स लाये गये। जब वोटर्स लाये गये, उसके बाद में मैं जोनल मजिस्ट्रेट के पास में खड़ा था, मदन मोहन सिंह उदावत जोनल मजिस्ट्रेट था, मैंने उनसे कहा कि यह सरकारी गाड़ी में

(श्री भीमराज भाटी)

क्या आपके वोटर्स आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको क्या मतलब है, आप अपना काम कीजिये, आपने वोट दिया था कि नहीं दिया। मैंने कहा, मैं वोट देने नहीं आया हूं, मैं तो यहां मेला देखने आया हूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेला देखना है, तो थानेदार को बुलाया और कहा कि इसको बाहर निकालो। तब मैंने उनसे कहा कि श्रीमन्, आप यहां पर क्या ड्यूटी पर हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं जोनल मजिस्ट्रेट हूं। तो मैंने कहा कि जोनल मजिस्ट्रेट की गाड़ी के अन्दर, जिसके ऊपर यह लेबल लगा हुआ है, क्या यह आपकी ही गाड़ी है ? तो उन्होंने कहा कि हां, मेरी गाड़ी है। मैंने उनसे फिर निवेदन किया कि माननीय, मैं राजस्थान विधान सभा का × × × सदस्य हूं, तब उनको समझ में आयी। मैंने उनको लिखित में दिया, लिखित में उनसे एक्नालेजमेंट ली, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। हमने उसी दिन जिलाधीश महोदय के नोटिस में वह बात लायी फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन प्री-पोल में जो माल प्रेक्टिसेज थी, उस दिन तो वोट पड़ गये। अगले दिन काउंटिंग भी हो गयी और काउंटिंग में भी जब सत्ताधारी पक्ष के लोग हार गये तो उन लोगों ने, उस गांव के जमींदार और सामंतों ने, उस इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अनुसूचित जन जाति के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को और वहां पर एक अन्य पिछड़ी जाति के जो छोटे-मोटे काश्तकार थे उनके उन लोगों के कुओं पर जाकर के उन्होंने मारा, पूरा गांव उसके विरोध में था। औरतों को मारा, उन लोगों ने बच्चों को पीटा, साइकिलें अन्दर पटक दी, कुओं के ऊपर जो आयल-इंजिन लगे हुए थे वे अन्दर पटक दिये। उनके जो सोने के बिस्तर और रजाइयां थीं, वे सब अन्दर पटक दीं, रात के 11.30 बजे पुलिस गयी। पूरा गांव वहां पर अगले दिन आया। कोई 17 एफिडेबिट और 17 एफ. आई. आर. उन गांव वालों ने दर्ज करायीं लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। सारे अखबारों में ये सारी बातें आयीं, सारा गांव का गांव वहां पर उमड़कर आया। मेरे पास में उन लोगों की, जो उन्होंने एफ. आई. आर्स. लाज करायीं, उन एफ. आई. आर. की एक्नालेजमेंट हैं पुलिस की, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तो यह तो प्री-पोल और पोस्ट-पोल की माल प्रेक्टिसेज थीं। अब कोई जीता, कोई हारा। कहीं से किसी को कोई उठाकर ले आया, कहीं से कहीं भी कुछ करके ले गये, तो वह तो जो होना था वह सब हो गया, लेकिन यह जो आप स्वरूप देना चाहते हैं, यह जो आप इस तरह से पंचायत के चुनावों में, नगर परिषद् के चुनावों में आपने हरकतें की हैं, उससे कोई अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं पड़ता। जब हम पंचायत राज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के लोगों को और अन्य पिछड़ी जाति को भागीदार बनाना चाहते हैं, तब सरकार द्वारा यदि इस तरह की हरकत होती है तो सरकार की कोई अच्छी छवि नहीं बनती लोगों में ... (व्यवधान)

× × × शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : यह तो लोक सभा का ट्रेलर हो रहा है आपके यहां। लोक सभा के चुनाव आ रहे हैं 1996 में, और लोक सभा के उप नेता आपके पाली से खड़े हो रहे हैं ...

श्री भीमराज भाटी : वह तो बाद की बात है। सदन के माननीय मुख्य मंत्रीजी के स्वयं के इलाके का... (व्यवधान) माननीय सभापति महोदया, माननीय वी. पी. सिंह साहब.... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : वे मेरे सगे बहनोई हैं, आपको कोई आपत्ति है ?

श्री भीमराज भाटी : मैं अभिभाषण पर ही बोलता हूं। यह सबसे पहला पैराग्राफ ही है, पहला, दूसरा, तीसरा।

माननीय सभापति महोदया, मैं मुख्य मंत्रीजी के स्वयं के विधान सभा क्षेत्र की बोया पंचायत का एक किस्सा बताना चाहूंगा यहां सदन में। अनुसूचित जाति के नरसिंह नाम के एक आदमी को अनुसूचित जाति का तहसीलदार द्वारा प्रमाण-पत्र दिया गया। उस प्रमाण-पत्र की कापी भी मेरे पास है। उस प्रमाण-पत्र को 4-5 दिन बाद गांव के जागीरदारों के दबाव में आकर कैंसिल कर दिया गया। वह मेघवालों के समाज का गुरु था। सबसे बड़ी ××× की बात यह है कि जिस नरसिंह नाम के व्यक्ति का, जो मेघवालों के समाज का गुरु था, सर्टिफिकेट कैंसिल किया गया, वह शुरू से ही बी. जे. पी. और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यक्रमों से बंधा हुआ था, जिसका दंड उसे कांग्रेस के राज में मिला था और आज भी वह वन कल्याण परिषद् से और भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न कल्याणकारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। आप ही की पार्टी के आदमी को, आप ही की पार्टी की नीतियों में चलने वाले सरकारी अधिकारी को, जो अभी रिटायर हो गया महज सिर्फ अपने निजी स्वार्थों के कारण कुछ लोगों द्वारा, उसकी जो नीतियां थीं, उसका जो चाल-चलन था, वह उसे अपनी सरकारी नौकरी में पसन्द नहीं आया क्योंकि वह मैनेजेबल नहीं था इसलिए उस आदमी का आप ही की कांस्टीट्यूएंसी में उसे तहसीलदार द्वारा सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया गया। आज की तारीख में उसके पास पुराना सर्टिफिकेट भी मौजूद है और इससे पहले जो सर्टिफिकेट लिया था वह भी मौजूद है। इसलिए मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप राज्यपाल महोदय के मुंह से बड़ी-बड़ी बातें कहलवा देते हैं, बड़े-बड़े अचीवमेंट की बातें कहलवा देते हैं कि हमने महिलाओं को भागीदारी दी, हमने अनुसूचित जाति के लोगों को भागीदारी दी लेकिन दूसरी तरफ आप इस तरह के कार्य करते हैं। ठीक है, राज्यपाल महोदय का तो फर्ज है कि केबिनेट जैसा अभिभाषण उनको बनाकर देगी वही यहां आकर जैसा किताब में लिखा है या जैसा अभिभाषण तैयार किया गया है, पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन आपकी कथनी और करनी में इतना लम्बा

××× शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भीमराज भाटी)

थोड़ा अन्तर, यह बात कोई समझ में आने वाली नहीं है।

रहा सवाल कानून और व्यवस्था का, राजेन्द्र मिर्धा का अपहरण हुआ उसके बाद उन्हें सकुशल उनके परिवार को लौटा दिया उसके लिये तो सरकार बहुत-बहुत धन्यवाद की पात्र है, पुलिस बधाई की पात्र है इसमें कोई दो राय नहीं है। गुलशन माखीजा की हत्या का काण्ड आपने खोल दिया, उसके लिये भी, सरकार बधाई की पात्र है और पुलिस के अधिकारी और पुलिस के लोग बधाई के पात्र हैं लेकिन एक और ऐसे मशहूर कोई दलाल हैं, मुझे तो पता नहीं है, आपके जयपुर के ही हैं, उनका रोज अखबारों में आता है, आज भी आया था या कल भी आया था, वह कोई मि. भाटिया हैं, गोविन्द भाटिया हैं या क्या हैं, उनके अपहरण का अभी कुछ पता ही नहीं है।

माननीय सभापति महोदया, रोज ऐसे किस्से होते हैं। बच्चों का अपहरण होना, बच्चों को उठाकर ले जाना, यह एक आम बात हो गयी है। मैं पहले भी सदन में इस सम्बन्ध में निवेदन कर चुका हूं और अभी भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी गैंग राजस्थान में बच्चों के अपहरण के लिये बड़े स्तर पर काम कर रही है। मेरे ही गांव का एक बच्चा था जो कल अजमेर में मिला है, 10 महीने के बाद वह 14 साल का बच्चा जिसको उठाकर ले गये थे, वह अजमेर में कहीं कल ही मिला है। इस सदन के विधायक श्री जगदीश चन्द्र दरक, जिनका कि स्वर्गवास हो गया है, के रिश्तेदार हैं ब्यावर में, उनके घर से जो बच्ची गयी है उसका अभी तक कहीं कोई पता नहीं लगा है। ऐसे छोटे-छोटे बच्चों के अपहरण की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं।

दूसरी बात, आप मानें चाहे नहीं मानें, यह बात तयशुदा है कि राजस्थान आतंकवादियों की बहुत बड़ी शरणस्थली बन चुकी है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की तारीख में भी आप चाहे श्री राजेन्द्र मिर्धा को तो सकुशल लौटा लाये हों, वह चाहे उनकी किस्मत समझ लीजिए या उनके कोई पूर्व जन्म का पुण्य समझ लीजिए, एक आतंकवादी को तो उस मुठभेड़ में गिरा दिया लेकिन शेष जो दो आतंकवादी थे उनका अभी तक कोई पता नहीं है, उनके साथ जो महिला थी उसका भी अभी तक कोई पता नहीं है, उसके साथ जो बच्चा था उसका भी अभी तक पता नहीं है और मुझे किसी ने बताया है कि एक कुत्ता भी था उस कुत्ते का भी अभी तक पता नहीं है।

तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि राजस्थान की सीमा से नेशनल हाईवे का बहुत बड़ा एरिया जो राजस्थान में से जाता है, बहुत बड़ा एरिया कवर होता है, उस नेशनल हाईवे पर अपनी पैट्रोलिंग की व्यवस्था नहीं है। उस नेशनल हाईवे से बहुत बड़ी हेरोइन आदि की तस्करी होती है। कई बार छोटे-मोटे किस्से पकड़े जाते हैं, वह लाइट में आ जाते हैं उनका तो बहुत प्रचार हो जाता है लेकिन हकीकत में कितनी स्मगलिंग हो रही है इसका तो आप

(श्री भीमराज भाटी)

अन्दाजा भी नहीं लगा सकते हैं। मैं आपको कई गांव ऐसे बता सकता हूं कि जहां के लोग ये धन्धा करते हैं, उनके आप जाकर मकान देख लीजिए, बंगले के बंगले खड़े हैं, उनकी आय का कोई साधन नहीं है, कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं है उसके बावजूद भी वह इन धंधों में लगे हुए हैं और काफी चीजों के धंधे में लगे हुए हैं। उसकी रोकथाम के लिए भी मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा। नेशनल हाईवे पर पैट्रोलिंग के लिये और इस तरह के अपराधों की रोक-थाम के लिये आपकी पुलिस को और अधिक साधन मुहैया कराने पड़ेंगे, अधिक पुलिस को मोबाइल करना पड़ेगा, अधिक साधनों और जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं उनसे पुलिस को लैस करना पड़ेगा। ....(व्यवधान) कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, कुछ न कुछ स्टेट को फायदा होगा। नहीं तो जो आप बाहर के उद्योगों को इंवाइट करने की बात कर रहे हैं, उन उद्योगों को भी एक बार फिर सोचने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है कि राजस्थान बहुत पीसफुल था, राजस्थान में तो कभी ऐसी बात ही नहीं सुनी थी लेकिन यह क्या-क्या नया डवलपमेंट हो रहा है। अभी बम्बई बम काण्ड का एक आदमी था वह भी शायद अपने यहां पकड़ा गया था। कल परसों के अखबार में पढ़ा था। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, उनसे राजस्थान के बाहर रहने वाले जिन लोगों को अपने यहां इंवाइट करना चाहते हैं, आपके उद्योग मंत्रीजी दूसरे प्रदेशों में बाहर जाते हैं तो उनमें भी थोड़ा बहुत संदेह पैदा अवश्य होता है। मैं अभी कल कहीं पढ़ रहा था कि पर्यटकों की संख्या में भी निरन्तर कमी आ गयी है, इसकी रेवेन्यू में भी आपको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। इसलिए इसको सुदृढ़ बनाना अत्यन्त आवश्यक है।

दूसरी बात, मैं निवेदन यह कर रहा था कि भ्रष्टाचार की बात करने से तो कोई फायदा ही नहीं है। मात्र 14 अधिकारियों को दण्डित किया गया, 73 को आरोपित किया गया और 14 को राज्य सेवा से हटाया गया। मतलब यह है कि भ्रष्टाचार तो बहुत मामूली बात है। जबकि मेरा यह मानना है कि भ्रष्टाचार तो जैसे कैंसर घर करता है वैसे घर कर चुका है। इसलिए भ्रष्टाचार के बारे में तो ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात करने से कोई फायदा ही नहीं है। जब अपने पूरे स्टेट में ही 14 अधिकारियों/कर्मचारियों को दंडित किया गया है या सरकारी सेवा से हटाया गया, 68 को यह किया, 74 को यह किया, यह संख्या 3 फीगर भी क्रास नहीं कर रही है, इसको मुख्य रूप में ले लिया कि यह तो सुविधा शुल्क है, इसमें कोई खास बात ही नहीं है इसलिए इसके बारे में ज्यादा बात करने से कोई फायदा ही नहीं है।

एक बात मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है, राजस्थान में किसानों का विशेष महत्व है, माननीय मुख्य मंत्रीजी और राजस्थान की सरकार धन्यवाद की पात्र है कि इन्होंने उद्योग नीति डिक्लेयर की। जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, अभी माननीय श्री रमाकांतजी साहब कह रहे थे कि उसके

(श्री भीमराज भाटी)

इम्प्लीमेंटेशन में कुछ गड़बड़ी हुई, तो हम 6 साल से रो रहे हैं और हम 2 साल से रो रहे हैं। उद्योग नीति आपने बनायी, खनिज नीति भी आपने बनायी, सड़क नीति भी आपने बनायी, पर्यटन की नीति भी आप बनाने जा रहे हैं, पर सारी नीतियों के बनाने में आपने कृषि को पीछे छोड़ दिया, कृषि के बारे में आप साइलेंट हैं, कृषि की नीति भी बनायें। मेरा आपसे निवेदन है कि कृषि की नीति भी आप बनाने जा रहे हैं या बनायेंगे या मान लो जब भी आपकी समझ में आएगी इसको उस प्रायोरिटी के हिसाब से लेंगे। लेकिन जो मैं पिछले 12 महीने में समझ पाया हूं उस हिसाब से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको एक तबादला नीति भी बना देनी चाहिए राज्य कर्मचारियों के लिये ताकि हम जो एम. एल. एज. हैं वह दूसरे कोई काम सुविधा से या ढंग से कर सकें, ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी कांस्टीट्यूएंसी के लोगों की सेवा कर सकें। इसलिए एक तबादला नीति भी कोई न कोई बनवा दीजिए कम से कम सरकारी कर्मचारियों के लिये।

माननीय सभापति महोदया, मेरा सदन से आपके माध्यम से आग्रह है कि तबादला नीति बन जाने से कम से कम राज्य कर्मचारी, जो चाहे वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे छोटे से छोटे कर्मचारी हैं उनको यह तो संतोष मिलेगा ही मिलेगा कि मैं कम से कम 3 साल के लिये जहां हूं वहां हूं उससे पहले मुझे यहां से कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और वह अपने परिवार के प्रति भी व्यवस्थित तरीके से, बच्चों की पढ़ाई के लिये और पालन-पोषण के लिये कम से कम आश्वस्त होकर सेवा कर सकेगा, नहीं तो उसको तो एम. एल. एज. साहिबान को या मंत्री महोदयों की सेवा में लगा रहना पड़ता है या जो भी पावरफुल आदमी हो या जो भी सत्ताधारी दल हो, उसके पीछे डोलते रहना पड़ता है। इस कारण वह अपना जो सरकारी काम है उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, इस वजह से उसके सरकारी काम पर भी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए वह कम से कम आश्वस्त हो जाए कि 3 साल तक यहां हूं, 3 साल तक यहां बाबू भी हूं, या तीन साल तक यहां बी. डी. ओ. हूं, या 2 साल ग्राम सेवक हूं, या 2 साल तक एस. पी. हूं, वह कम से कम उस हिसाब से चलता रहेगा और उस हिसाब से काम करता रहेगा। दूसरे, उससे बाकी लोगों पर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा लेकिन भ्रष्टाचार पर भी उससे कम से कम थोड़ी तो रोक लगेगी और वह आम जनता से भी जो पैसे लेता है वह सिर्फ इसलिए लेता है कि मैं तो यहां लाख रुपये देकर आया हूं। पता नहीं किस को लाख रुपये देता है, किसको नहीं देता है लेकिन यह जो कह-कर के लोगों से पैसे लेने की बात है उसमें भी इससे फर्क पड़ेगा। (व्यवधान) अब जो हो जायेगा तो ठीक है, मेरा निवेदन है, सदन से आग्रह है, सभापति महोदय के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से आग्रह है और रहा सवाल....

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात) : जो जयपुर में एम. एल. ए. रहते हैं, उनसे पूछो।

श्री भीमराज भाटी : उनसे क्या पूछूं, आपका कहना यह है कि एम. एल. एज. +++यों ? तो फिर क्या पूछूं ?

श्री रोहिताश्व : आप मिलते नहीं हो उनको।

श्री भीमराज भाटी : नहीं-नहीं, मिलते क्यों नहीं हैं। मिलते हैं तो वह, हम लोग कोई विकास की बात करें या किसी के ट्रांसफर के ही चक्कर में फिरते फिरें। नहीं तो सरकारी अधिकारी एक ही एक काम करता रहता है।

तो, माननीय सभापति महोदय, महा-महिम राज्यपाल के श्रीमुख से राज्य सर-कार ने और भी कई ऐसी बातें कहलवाई हैं लेकिन जैसे-जैसे यह होगा, आगे बजट के उसमें आएगी, मैं और भी निवेदन करूंगा, मेरा इतना ही मानना है कि राज्य सरकार एक तो जैसे माननीय सदस्य रमाकांतजी ने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। मुझे खुशी है कि सरकार एक निश्चित नीति के अनुसार या निश्चित दृष्टिकोण से चल रही है लेकिन निचले स्तर पर जो इम्प्लीमेंटेशन है, वह जिस भावना से काम करना चाहते हैं उस भावना से निचले स्तर पर काम होता नहीं है, उसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। यही मेरा आग्रह है। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जगदीपजी धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैंने काफी प्रयास किया कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बात कही जाए ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो आज तक नहीं कही।

श्री जगदीप धनखड़ : जिसमें सरकार को कुछ सम्बल मिले पर....

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री): जैसा रोज कहते हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पर मत लगाओ।

श्री जगदीप धनखड़ : मेरा प्रयास चाहे कितना ही सीन्सियर हो, मैं सफलता हासिल नहीं कर पाया। राज्यपाल महोदय ने....

एक माननीय सदस्य : यह हकीकत है।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह तो उम्मीद ही थी।

श्री जगदीप धनखड़ : जब दसवीं विधान सभा के प्रथम सत्र में अपना अभि-भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के मतदाताओं ने विधान सभा के सत्तावन आरक्षित क्षेत्रों में से वर्तमान सरकार में अपने तैंतीस विधायक भेजकर जिस प्रकार से सरकार को सम्बल प्रदान किया है हम उसके लिये उनके विशेष रूप से कृतज्ञ हैं।

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री जगदीप धनखड़)

इस विश्वास और आस्था के कारण सरकार का विशेष दायित्व बनता है कि इन वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये प्रभावी कदम उठाये जायें। एक बहुत ही पोजीटिव बात कही है और यह भी कहा कि हम क्यों इनके प्रति ओब्लाइज्ड महसूस करते है।

सभापति महोदय, जब दूसरा अभिभाषण माननीय राज्यपाल महोदय ने पढ़ा, उसमें भी इन्होंने यही बात दोहरायी और स्पष्ट तौर से कहा गया कि इस वर्ग के उत्थान के लिये हम बिल्कुल कमिटेड हैं। पैरा 28 में कहा है, अगले वर्ष, जिस वर्ष का हम लेखा-जोखा वर्तमान में कर रहे हैं, अगले वर्ष सरकार का यह विशेष प्रयास होगा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के प्रतिभाशाली बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिये आवासीय शालाओं की शुरूआत की जाए और कहा गया कि सभी प्रकार से पिछड़े वर्ग के विकास के लिये हम कार्यशील रहेंगे। सभापति महोदय, इस अभिभाषण में भी इस प्रकार की बात को अंकित किया गया है। अब यह सरकार करीब-करीब अपनी टर्म के मिड में है जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी जब भी सदन के नेता होते हैं और जो भी कार्यकाल आज तक रहा है उस हिसाब से।

सभापति महोदय, जो आंकड़े हैं वे भयंकर चिंता के विषय हैं। इस वर्ग के साथ वर्तमान सरकार ने जितना सौतेला व्यवहार किया है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ट्राइबल डवलपमेंट के लिये स्पेशल सेण्ट्रल असिस्टेंस दी जाती है। माननीय मुख्य मंत्रीजी भली-भांति परिचित हैं, राजस्थान राज्य एक ऐसा राज्य है जहां स्पेशल सेण्ट्रल असिस्टेंस करोड़ों रुपये में खर्च नहीं की जा सकी है। सभापतिजी, भारत सरकार का जो एक स्टेटमेंट है जिसमें स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस कब रिलीज की गयी और कितनी इस सरकार ने खर्च की और कितनी यह सरकार ट्राइबल डवलपमेंट के लिये खर्च नहीं कर पायी, उसकी ओर मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, श्रम) : कौन से सन् का है।

श्री जगदीप धनखड़ : वर्तमान सन् का भी बताऊंगा, पहले का भी आचरण ऐसा ही था। पहले तो 1990-91 में देखिये। 15 करोड़ 83 लाख रुपये सैंक्शन किये गये और 2 करोड़ 1 लाख का खर्चा यह सरकार तब नहीं कर पायी। 1993-94 में 26 करोड़ 64 लाख रुपये रिलीज किये गये और यह सरकार 11 करोड़ 89 लाख स्पेंट नहीं कर पायी। अब तक जो स्थिति है, टोटल अनस्पेंट अमाउण्ट 20 करोड़ 50 लाख है। वर्तमान में इनका क्या है, गत वर्ष का इसमें भी देख लिया है। 10 करोड़ 47 लाख रुपये इनको रिलीज हुए, 1994-95 के फिगर्स हैं, और जो आंकड़े भारत सरकार को दिये इन्होंने, उसके हिसाब से 9 करोड़ 64 लाख रुपये खर्च नहीं कर पाये।

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, श्रम) : 9 करोड़ 70 लाख।

श्री जगदीप धनखड़ : 9 करोड़ 64 लाख 68 हजार खर्च नहीं कर पाये।

श्री नन्दलाल मीणा : कारण बताऊं ?

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, कारण कुछ भी हों

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, श्रम) : यह मार्च के आखिरी सप्ताह में आये हैं इसलिए खर्च नहीं हो सके और भारत सरकार ने हरदम यही किया है, मार्च के आखिरी सप्ताह में पैसा आवंटन किया जाता है इसलिए वह खर्च नहीं होता है।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इसलिए आकर्षित कर रहा हूं कि भविष्य में इस प्रकार की बात न हो। This is a positive contribution.

मेरा, माननीय सभापतिजी, यह कहना है कि वह कौनसे कारण हैं कि राजस्थान की गरीब जनता के विकास के लिये, ट्राइबल डवलपमेंट के लिये आप खर्च नहीं कर पाये और एक बार हो जाए, समझ में आता है, जब भी आप सत्ता में आते हैं, ट्राइबल डवलपमेंट को नेग्लेक्ट किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले का हिसाब देऊं।

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, सदन के नेता, इस गम्भीर मामले में, केन्द्र ने जो स्पेशल असिस्टेंस दी है ट्राइबल डवलपमेंट के लिये दी है, उसमें करोड़ों रुपये खर्च नहीं कर पाये, पहले का क्या हिसाब बतायेंगे, अपना हिसाब बताइये। तो मेरा, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपसे अनुरोध है, हो सकता है आपके ध्यान में यह बात पहले नहीं लायी गयी हो, हो सकता है

श्री सांवरलाल जाट (राज्य मंत्री, सहायता) : अपनी सरकार के टाइम का भी ध्यान है ?

श्री जगदीप धनखड़ : क्योंकि राज्यपाल महोदय ने जो पहला अभिभाषण दसवीं विधान सभा में पढ़ा, तो सरकार ने उनसे यह कहलवा दिया कि इस वर्ग पर हम विशेष ध्यान देंगे। अब, माननीय सभापतिजी, Is it not criminal ? Is it not insensitivity to these works ? माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपकी कथनी और करनी में कितना फर्क है, इस पर मैं समझता हूं कि मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है चार करोड़ से ज्यादा राजस्थान की जनता भली-भांति परिचित है पर कम से कम अब सैंट्रल असिस्टेंस को यूज न करने के मामले में जो भी दोषी अधिकारी हैं या राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है उसमें कुछ न कुछ रिवीजन होना चाहिए।

माननीय सभापतिजी, यदि मामला सिर्फ सैंट्रल असिस्टेंस तक ही सीमित होता तो समझ में आता। राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी समिति को मैंने किशनगढ़ के दो व्यक्तियों को टैम्पो लोन पर देने के लिये लोन सैंक्शन करने के लिये निवेदन किया। उन्होंने कहा, साहब, 8

(श्री जगदीप धनखड़)

महीने निकल गये, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। मैंने कहा, आदेश तो स्पष्ट है धन की कोई कमी नहीं है, फ्रोम पिलर टू पोस्ट क्यों भाग रहे हैं। तो मैंने एक पत्र लिखा, उस पर वहां के मैनेजिंग डायरेक्टर ने ब्लैक एण्ड व्हाइट में मुझे एक पत्र लिखा–श्री धनखड़ साहब, आपका पत्र मिला, पूरे प्रान्त में हम कहीं भी इस प्रकार का काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से ऋण गारण्टी नहीं मिली है। लिखा हुआ साफ है, अनुसूचित जनजाति के लोगों को राजस्थान के किसी भी जिले में, मतलब वह मेरे को कहना चाहते थे कि हम आपके साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम तो यूनिफार्मली यह कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने कहीं भी ऋण गारंटी नहीं दे रखी है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय जब मैंने आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया, आपने कुछ निर्देश दिये। अच्छा होता. पहले आपके ध्यान में यह बात आ जाती।

मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गरीब लोगों को परेशानी में न डालें। जहां धन की बहुतायत है, राज्य सरकार को मात्र ऋण गारंटी देनी होती है और वह ऋण गारंटी भी अगर साल भर तक नहीं दी जा सके, तो मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं सुचारू रूप से आपका प्रशासन कार्यशील नहीं है।

(14.50)

(श्री शांतिलाल चपलोत, उपाध्यक्ष, पदासीन।)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि इस प्रकार की बात होती कि इन दो ही मामलों के अन्दर ट्राइबल डवलपमेंट को नेग्लेक्ट किया गया होता तो वह चलो चलता था, देर आये, दुरुस्त आये, आप कुछ न कुछ सुधार कर देंगे पर यह मामला, मान्यवर, और भी आगे है। केन्द्र सरकार ने कहा कि ट्राइबल डवलपमेंट में एक्साइज के बारे में कुछ निश्चित नीति बनायी जाए, क्योंकि वहां यदि शराब की बिक्री ज्यादा होती है तो परिवारों की शांति खतम हो जाती है और अर्थ-व्यवस्था के ऊपर कुठाराघात होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने कुछ जिलों को, कुछ प्रान्तों को, कुछ विशेष जिलों को उन प्रान्तों में इस मामले में दोषी पाया और राजस्थान इस मामले में अग्रणी रहा है। भारत सरकार की एक रिपोर्ट में, जिसमें अपने यहां से भी प्रतिनिधित्व मैं समझता हूं अवश्य हुआ होगा, कहा गया है–"The Ministry has written to the State Governments which are not following this Ministry's guidelines to implement these in the interests of tribals. These States are...." और राजस्थान का नाम भी इस कैटेगरी में है।.. (व्यवधान)....मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जल्दी ही यह समस्या खत्म हो जाएगी, अध्यक्ष महोदय भी बन जायेंगे।

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 3 बातों की ओर इशारा किया है जहां सरकार ने ट्राइबल डवलपमेंट के मामले को जान बूझकर नेग्लेक्ट किया है। मान्यवर, जहां ट्राइबल डवलपमेंट सब-प्लान की स्कीम केन्द्र सरकार ने चालू की उसमें भी

126

(श्री जगदीप धनखड़)

राजस्थान में जो कुछ किया है वह ट्राइबल डवलपमेंट के इंट्रेस्ट के विपरीत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1991 के सेंसस के आधार पर राजस्थान में 12.44 पर्सेंट ट्राइबल पापूलेशन है। पूरे देश का एवरेज ट्राइबल पापूलेशन का 8.08 पर्सेंट है। ट्राइबल सब-प्लान जो बनता है उसमें पूरे देश में 8.08 का एवरेज है 8 87। जहां भी पूरे देश के अन्दर बजट अलोकेशंस हैं, वहां यह ध्यान रखा गया है, ओवर-आल एवरेज उस पर्सेंटेज से ज्यादा है, जैसा मैंने पूर्व में कहा, पूरे देश में ट्राइबल पापूलेशन 8.08 प्रतिशत है। तो जो ट्राइबल सब-प्लान हैं उसका आउट-ले 8.87 प्रतिशत है पर, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपने 1994-95 में इस 12.44 प्रतिशत जनता के लिये मात्र 7.64 प्रतिशत ही ट्राइबल सब-प्लान में दे रखा है। इसके दो स्पष्ट संकेत हैं। एक तो आपने आनुपातिक दृष्टि में यहां जो ट्राइबल पापूलेशन है उसका ध्यान नहीं रखा, दूसरा इस सरकार ने राष्ट्र के अन्दर जो एवरेज है उसका भी ध्यान नहीं रखा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि सरकार राष्ट्र की विचारा-धारा में चलती तो 12.44 पर्सेंट ट्राइबल पापूलेशन के लिये सब-प्लान में अलोकेशन कम से कम इस प्रतिशत से तो ज्यादा ही होता। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्राइबल पापूलेशन के बेसिक इंट्रेस्ट को नेग्लेक्ट करके इस सरकार ने जो कोताही बरती है, मैं समझता हूं इस बात की सख्त आवश्यकता है कि जो भी दोषी अधिकारी हैं, जो राजस्थान को केन्द्र से करोड़ों रुपयों का धन गरीब जनता के विकास के लिये मिला है, उसके उपयोग में बाधक रहे हैं राज्य सरकार की ऋण गारंटी न मिलने की वजह से गरीब जगह-जगह जा रहे हैं उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, निश्चित अवधि में उनको दण्डित किया जाए और भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना गरीब जनता के साथ न हो इसका ध्यान रखा जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए मेरे संशोधन में यह था किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के विकास के लिये प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस का गत 5 वर्षों से लगातार पूरा उपयोग नहीं किये जाने तथा उक्त वर्ग के व्यक्तियों की समस्याओं को हल करने में राज्य सरकार के असफल रहने का उल्लेख नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भी अर्थ-शास्त्र के अन्दर रुचि रखते हैं, पूरे देश में एक एक्सप्रेशन है, "बीमारु"-बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन चार प्रान्तों को लेकर प्लानिंग वाले कहते हैं, "बीमारु" है। राजस्थान का इसमें अच्छा खासा स्थान है और वर्तमान सरकार की कार्य प्रणाली के ऊपर, मैं समझता हूं, एक बहुत ही एडवर्स रिफ्लेक्शन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामाजिक क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इसके आंकड़े और संकेतों को यदि हम नजरन्दाज कर देंगे तो समाज में अव्यवस्था फैल जायेगी। भारत सरकार ने जो आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की है उसमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और उल्लेख इसलिये किया गया है कि वर्तमान

(श्री जगदीप धनखड़)

सरकार गरीब जनता के इन सामाजिक मापदण्डों का उत्थान करने में उदासीन है। मैं इस आर्थिक समीक्षा के पेज 207 के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं– मानव विकास के संकेतकों में व्यापक अन्तरराज्यीय असमानताएं हैं उदाहरणार्थ, केरल में जन्म पर सम्भावित जीवन अवधि करीब 70 वर्ष है। यहां लिखा हुआ है, 69.5 वर्ष और पुरुषों में यह दिखाया है 93.6 पर्सेंट फिर आगे लिखा है—मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में जहां जीवन अवधि में सुधार लाने के ठोस प्रयास किये जाने अपेक्षित हैं। वर्तमान सरकार ने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस ओर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी रिपोर्ट में विशेष तौर से लिखा गया है कि राज्यों में अकुशल खेतिहर मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में क्या वार्षिक वृद्धि है। जो भी अकुशल खेतिहर मजदूर हैं, जो समाज के गरीब तबके के आदमी हैं, उनके विकास की ओर सरकार को ध्यान निश्चित रूप से देना पड़ेगा, मात्र घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। माननीय सभापति महोदय, इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि 1993–94 के दौरान कर्नाटक और महाराष्ट्र में जहां वास्तविक मजदूरी में तेजी से वृद्धि हुई है, वहीं राजस्थान का नाम उन प्रान्तों की लिस्ट में है जिनमें गिरावट आयी है। जहां भी खास तौर से मापदण्ड देखने पड़ते हैं, राजस्थान गिरावट के अन्दर अग्रणी है और 1993–94 में यह गिरावट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 7.6 पर्सेंट है। तो ऐसी स्थिति में भी आप देखेंगे कि गरीब तबके के आदमी के कल्याण के लिये सरकार राज्यपाल के अभिभाषण में सिर्फ लिप-सर्विस जिसको कहते हैं, वह करती है, ठोस कदम उठाने में पूर्ण रूप से विफल रही है।

(15.00)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्लानिंग कमीशन के बारे में विशेष चर्चा की गयी है। प्लानिंग कमीशन द्वारा जो भी आंकड़े दिये गये हैं, उनकी ओर सरकार ध्यान नहीं देना चाहती है। एक बात कहती है, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन ने हमको सर्टिफिकेट दे दिया। वह सर्टिफिकेट अखबारों के माध्यम से प्रकाशित हो गया। इससे परदा नहीं पड़ेगा। परिवार कल्याण के लिये प्लानिंग कमीशन ने पूरा जोर दिया और उसमें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का जो परफारमेंस रहा है, मैं समझता हूं, भयंकर चिन्ता का विषय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार ने राज्य के साथ इस प्रकार का, अब मैं क्या कहूं, घोटाला ही कह सकता हूं, क्योंकि राज्य की जनता को आवश्यकता है, माननीय मुख्य मंत्रीजी, धन विकास के लिये संस्थाओं से मिल सकता है और बैंकों से मिल सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भी क्रेडिट और डिपाजिट रेश्यो है, मान लो राजस्थान में शिड्यूल्ड नेशनलाइज्ड बैंक्स में, कॉमर्शियल बैंक्स में एक हजार करोड़ रुपये इकट्ठे हो गये और क्रेडिट भी एक हजार करोड़ रुपये का हो गया तो वह वन इज टू वन हो गया। यहां स्थिति अत्यन्त भयानक है और मार्च,

(श्री जगदीप धनखड़)

1993 में राजस्थान में टोटल डिपाजिट शिड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स में था सात हजार दो सौ छप्पन करोड़ रुपये और क्रेडिट राजस्थान की जनता को मिला चार हजार चार करोड़। यह प्रतिशत था 55.17। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें में भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिये थी, परन्तु मार्च, 1994 में स्थिति अत्यन्त भयानक हो गयी। इसमें करीब 6% से ज्यादा की गिरावट आयी। आठ हजार छह सौ तीस करोड़ रुपये जहां टोटल डिपाजिट इन शिड्यूल्य कॉमर्शियल बैंक्स में हुआ, चार हजार दो सौ सैंतालीस करोड़ रुपये मात्र राजस्थान की जनता को क्रेडिट मिल पायी और यह प्रतिशत आ गयी 49.21 और यह स्थिति तब है जबकि इसमें लगातार गिरावट आ रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान में प्लानिंग कमीशन के डाकूमेंट्स का हवाला दे रहा हूं। हमारे जो एक्स्टर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स हैं उनमें सरकार की स्थिति राज्य के हितों के साथ खिलवाड़ करने का संकेत देती है। 1994–95-में अलोकेशन हुआ एक्स्टर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स का 278 करोड़ और यूटिलाइजेशन हुआ 77 करोड़। यूटिलाइजेशन प्रतिशत हुआ मात्र 28 प्रतिशत और 1993–94 में जहां 140 करोड़ रुपये का अलोकेशन हुआ, यूटिलाइजेशन 66 करोड़ हुआ। तब था 47%। तो इस एक साल में यूटिलाइजेशन में जो गिरावट आयी है वह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 47% से 28%।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौनसे कारण हैं जिनके कारण एक्स्टर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स में जो अलोकेशन है उसका पूरा उपयोग राज्य सरकार नहीं कर पा रही है। इस प्रकार का उपयोग न करना राज्य के हितों के साथ स्पष्ट रूप से खिलवाड़ है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के मामले में और इरिगेशन के मामले में, मंत्री महोदय नहीं हैं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री जगदीप धनखड़ : मान्यवर, मैं राजनीति से हटकर शुद्ध उन बातों की ओर संकेत कर रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : काफी माननीय सदस्यों को अपने विचार रखने हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : जिनका सहारा माननीय मुख्य मंत्रीजी दिन–रात लेते हैं कि मेरे को तो प्लानिंग कमीशन ने यह कह दिया, फाइनेंस कमीशन ने यह कह दिया।

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर के मामले में 1990–91 से लेकर अब तक, आज तक माननीय मुख्य मंत्रीजी की सरकार ने जितना भी आउट-ले था, उतना कभी खर्च नहीं किया उससे कम ही किया। कृषि के मामले में जितना भी आउट-ले आज तक हुआ है, माननीय मुख्य मंत्रीजी, उसको पूरा आप खर्च नहीं कर

(श्री जगदीप धनखड़)

पाये। 1990–91 में 82 6 करोड़ हुआ था आप 79.5 करोड़ खर्च कर पाये, 1991–92 में 98.3 करोड़ हुआ तो आप 95.2 करोड़ कर पाये और वर्तमान में 166.1 करोड़ हुआ तो आप खर्च कर पाये 91.2। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही हालत इरिगेशन की है। अन्य डिपार्टमेंट्स की यह हालत नहीं है। मेरा कहने का मतलब कृषि और इरिगेशन को इतना नेग्लेक्टेड क्यों रखा गया है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हम कब सेंस ऑफ अकांउंटेबिलिटी को डवलप करेंगे? क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी का एक्सिलेंट फिस्कल मैनेजमेंट यही है कि राज्य की गरीब जनता को करोड़ों का लाभ इसलिए नहीं हो पाया कि कहीं कोई धणी-धोरी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे भयानक स्थिति टैंथ फाइनेंस कमीशन की है। टैंथ फाइनेंस कमीशन में राजस्थान सरकार ने राज्य की पैरवी नहीं की। यदि राज्य की पैरवी करते तो कम से कम उतने स्तर का तो डिवोल्यूशन ऑफ फण्ड्स मेंटेन करते जो नाइंथ फाइनेंस कमीशन में था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, I am making reference to the Report of Tenth Finance Commission. इसमें पेज 51 पर एक टेबल है–नोन-प्लान रेवेन्यू ग्रांट्स, 1995–2000। इसके अनुसार 1995से लेकर 2000 तक पूरे देश में 7582 करोड़ 68 लाख रुपये मिलेंगे। इन पांच वर्षों में 7582 करोड़ और 68 लाख रुपये मिलेंगे और राजस्थान राज्य का हिस्सा मात्र 33 करोड़ है, आधा प्रतिशत भी नहीं है। राजस्थान अकेला प्रान्त है जिसको इतना मिला है। छोटे-छोटे प्रान्तों को भी इससे ज्यादा मिला है। मैं कहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ भी अड़चनें हों, कुछ भी पेचीदगियां हों, यदि फाइनेंस कमीशन ने एक स्पेशल मद के अन्दर 7582 करोड़, 68 लाख का प्रोविजन रखा है और उसमें राजस्थान आधे प्रतिशत में सिकुड़ कर रह गया है। राजस्थान को 33 करोड़ रुपये मिलेंगे और चार साल तक तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कितने राज्यों को नहीं मिलेगा ?

श्री जगदीप धनखड़ : ऐसा है, जो मैजर स्टेट्स हैं, आन्ध्र प्रदेश को मिलेंगे 686 करोड़ से ज्यादा, अरुणाचल प्रदेश को 307 करोड़ से ज्यादा, आसाम को 712 करोड़ से ज्यादा, हिमाचल प्रदेश को 77 करोड़, जम्मू और कश्मीर को 700 करोड़, मणिपुर को मिलेंगे, मिज़ोरम को मिलेंगे, नागालैंड को मिलेंगे, उड़ीसा को मिलेंगे, सिक्किम को मिलेंगे, उत्तर प्रदेश को मिलेंगे। अब आप बिहार में होना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में होना चाहते हैं, किसके साथ होना चाहते हैं? यदि आप बिहार से अपने आपको साथ में मानते हैं तो 333 करोड़ रुपये हैं, 333 करोड़ रुपये और यदि आप उत्तर प्रदेश के साथ होना चाहते हैं तो 982 करोड़ रुपये।

(श्री जगदीप धनखड़)

माननीय मुख्य मंत्री जी, आप इसकी आलोचना मत मानिये, मैं आपको यह कह रहा हूं कि यदि टेंथ फाइनेंस कमीशन ने 7000 करोड़ से ज्यादा का कोई प्रोविजन रखा है, राज्य को मात्र 33 करोड़ ही क्यों मिले और 33 करोड़ मिले तो पीछे आपको कौनसे 20 करोड़ मिले थे। पीछे भी 500 करोड़ से ज्यादा मिले थे। अच्छा, राजस्थान अकेला प्रान्त है जिसके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : महाराष्ट्र है, गुजरात है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है....

एक माननीय सदस्य : महाराष्ट्र से मुकाबला कर रहे हो।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपकी वाक्-शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकारी तंत्र में, ब्यूरोक्रेसी में और रूलिंग पार्टी में चाहता हूं कि इस बात का गम्भीर चिन्तन किया जाए। अच्छा राजस्थान ही क्यों ? राजस्थान वह प्रान्त है, मुख्य मंत्रीजी कहते हैं, इतना एरिया है, टेन पाइन्ट कुछ हमारा एक हजार से ज्यादा इंटरनेशनल बोर्डर है, हम तो फाइनेंस कमीशन के सामने लड़ाई लड़ रहे थे कि कुछ ऐसे पैरामीटर्स को डवलप किया जाए कि राजस्थान को विकास के लिए ज्यादा पैसा मिले। माननीय मुख्य मंत्रीजी यह बड़ा सराहनीय कदम था। आपने जो बात कही, वह गले उतरती थी। राजस्थान की जियोग्राफिकल लोकेशन वास्तव में बड़ी अजीब है। राजस्थान का इंटरनेशनल फ्रंटीयर है। हमें वास्तव में ज्यादा मिलना चाहिये था। आप अपने अधिकारियों से पूछिये, जो पहले 6 प्रतिशत से ज्यादा मिल रहा था, अब 5 प्रतिशत से मात्र .02 आ गिरा। गिरावट आयी है, माननीय मुख्य मंत्रीजी, 15 प्रतिशत से ज्यादा। यदि अगर आप पहले वाले प्रतिशत के ऊपर हमारा डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स को रख देते तो राज्यों की गरीब जनता के साथ न्याय होता और हमें हजारों करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मिलता, जो इसलिए नहीं मिल पाया कि आप कहते तो रहे कि मैं टेंथ फाइनेंस कमीशन के साथ लड़ाई लड़कर इस प्रकार की व्यवस्था करूंगा कि राज्य के लिए विशेष स्थिति हो और पोजिशन यह हुई कि आपने राज्य की स्थिति को जीरो कर दिया। We are at the bottom उस ग्रांट के अन्दर जो मैंने बताया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 73 कांस्टीट्यूशन और 74 कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट के बाद लोकल बोडीज के लिए भी ग्रांट्स मिली है और वह लोकल बोडीज के ग्रांट्स में भी राजस्थान अपना स्थान नहीं रख पाया। माननीय उपाध्यक्षजी, जहां पूरा ग्रांट 4380 करोड़ से ज्यादा है, राजस्थान को पंचायत इंस्टीट्यूशंस के लिए मात्र 212 करोड़ रुपये मिलेंगे और जहां हजार करोड़ है, वहां मात्र 43.18 करोड़ मिलेंगे म्यूनिसिपैलिटीज के लिए। कहने का मेरा अर्थ यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज के दिन आवश्यकता है कि राजनीति का खेल, चाहे किसी भी स्तर का खेला जाए, उसमें चाहे जनता वाह-वाही करती रहे, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक

(श्री जगदीप धनखड़)

दृष्टि से यदि राज्य का विकास नहीं हुआ तो आने वाले समय में राजस्थान की जनता आप और हमको किसी प्रकार से माफ नहीं कर पाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, ऐसी एक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट, जो उनकी सरकार ने बनायी है 1994–95 के अन्दर। इसके पहले पेज को जब मैंने देखा तो मैं चिन्तित हो गया, मैंने कहा अब आगे कहां-कहां देखें। इसके पेज–एक पर लिखा है, विद्युत् उत्पादन, फिर फिगर्स दिये गये है, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95 और 1994-95 के बीच में लिखा है, प्रतिशत वृद्धि। हम सोचते हैं कि जब राज्यपाल महोदय ने पहला अभिभाषण दिया, दूसरा अभिभाषण दिया; आप विदेशी यात्राएं कर रहे हैं, 4200 मेगावाट पॉवर जनरेशन की बात करते हैं, लम्बी-चौड़ी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, हमें लगता भी है कि आपके राजनीतिक व्यक्तित्व को देखते हुए यह शायद सम्भव भी हो जाए पर जब आपने खुद अपना लेखा-जोखा लिया, तो 1993-94 के मुकाबले विद्युत्-उत्पादन में आपके हिसाब से 0.38 प्रतिशत की कमी आयी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर बात इसलिए है कि पहले के दो राज्यपाल के अभिभाषणों में भी इस बात की ओर सरकार ने स्पष्ट ध्यान दिया है। गरीब किसान पूरी तरह से चिन्तित है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए मैंने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने संशोधन में यह कहा—किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्य के किसानों को सदन में की गयी घोषणा के अनुरूप बिजली उपलब्ध करवाने में सरकार के असफल रहने का उल्लेख नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी में पेज 30 के ऊपर कुछ आंकड़े दिये हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय, थोड़ा संक्षिप्त करें।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिलकुल संक्षिप्त में कह रहा हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह दोनों भाषण दे रहे हैं, राज्यपाल महोदय और बजट भाषण दोनों को साथ दे रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : बजट के ऊपर जब मैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, बोलूंगा तो इसमें यहां कही हुई एक भी बात का उल्लेख नहीं करूंगा। वहां तो आपकी मुट्ठी बिलकुल खुल गयी है, हम तो उस अवसर का इन्तजार कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेज 30 पर आर्थिक समीक्षा, वर्तमान सरकार की, जिसमें राज्यपाल महोदय से अभिभाषण पढ़वाया है, उसमें लिखा है – शुद्ध उत्पादन 1992–93 में था, यह मिलियन यूनिट्स में हैं 7961, 1993-94 में 7,888 और 1994-95 में माननीय मुख्य मंत्रीजी 6913, उत्पादन में आप कमी कर रहे हो और आप हमें कह रहे हैं, मतलब जो एक कहावत है ना कि नाक में नथ लगाने की बात करते हो और आप तो हमारा नाक काट रहे हो। कहां 4200 मेगावाट की

(श्री जगदीप धनखड़)

बात कर रहे हैं आप और कहां आपके आंकड़े इस प्रकार के हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें एटामिक पॉवर प्लांट आता है कि नहीं ?

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपको तो साफ तौर से पता है कि दो साल में आपने करीब 10 मेगावाट पॉवर जनरेट किया है। आपके आंकड़े कहते हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही तो बात कह रहा हूं, एटामिक पॉवर प्लांट की बात आती है कि नहीं ?

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान सरकार के सामने थी पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव में पूरे देश में राजस्थान ने एक नाम अर्जित किया है। भारत का संविधान संशोधित होने के बावजूद, भारत के संविधान में एक स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद कि चुनाव है वह चुनाव आयोग करायेगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी, राजनीतिक फायदे के लिए कार्यपालिका से चुनाव सम्पन्न करवाये। माननीय मुख्य मंत्रीजी, जब संविधान का संशोधन हुआ था, सलेक्ट कमेटी में यह मामला गया था। उसके बावजूद इस प्रकार की स्थिति होना, पूरा देश अब आपकी ओर देखेगा। बिहार वाले भी आपकी ओर देखेंगे कि चुनाव आयोग से चुनाव क्यों नहीं करवाये। यह सदन के चिन्तन का मामला है, जब भारत के संविधान में यह स्पष्ट प्रावधान है, तो चुनाव आयोग ने क्यों कह दिया कि मैं नियमों की बात करूंगा। जब भारत का संविधान आप और हमारे सबके सिर पर है और इस सदन ने जो कानून बनाया, उस कानून में भी इस प्रकार का प्रावधान नहीं था। आपने सेक्रेटेरिएट में बैठकर कलाकारी से कुछ ऐसे नियम बनाये कि कार्यपालिका को इस काम में लगा दिया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेहरबानी करके इस बात का चिन्तन करें।

एक माननीय सदस्य : हरियाणा भिजवा....

श्री जगदीप धनखड़ : बहुत अच्छी बात है, माननीय मुख्य मंत्रीजी भजनलाल जी के अनुयायी हो गये, फिर तो कहने की बात ही नहीं है।

श्री नाथूसिंह : महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, वहां क्या है ?

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मुख्य मंत्रीजी, हमारी आपसे उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं।

श्री शीशराम ओला : यह तो बताइये कि आपकी तैयारी है क्या ? जिन राज्यों का आपने नाम बताया, क्या पंचायत राज मंत्री इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान में करने की तैयारी कर रहे हैं ?

श्री नाथूसिंह : उससे भी अच्छी, उससे भी बढ़िया।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस

(श्री जगदीप धनखड़)

सदन के नेता से कहना चाहूंगा कि चुनाव कराये जैसे कराये, अब जैसी परिकल्पना भारत के संविधान में की गयी है, उन संस्थाओं को आप अधिकार दीजिए। संविधान की अनुसूची 11 में इस प्रकार का प्रावधान है, आप कम से कम इस बात में तो कंजूसी मत बरतिये। इसमें आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां एक ओर आर्थिक फ्रंट के ऊपर राजस्थान के हितों पर कुठाराघात सरकार ने किया है, उदासीनता के कारण, अकर्मण्यता के कारण, वहीं यमुना जल बंटवारे के बारे में बहुत वाह-वाही लूटी, बड़ा सराहनीय काम हुआ।

श्री हरिसिंह (महुआ) : गड़बड़ी की।

श्री जगदीप धनखड़ : यहां गड़बड़ी इतनी ज्यादा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता से जानना चाहूंगा, इन्होंने सर्वोच न्यायालय में जो मुकदमा कर रखा है, नवम्बर, 1994 में जब दिल्ली में अन्य राज्यों के मुख्य मंत्री और प्रतिनिधि पहुंच गये, राजस्थान का मुख्य मंत्री वहां नहीं पहुंचा, राजस्थान का कोई मंत्री नहीं पहुंचा, राजस्थान का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा, राजस्थान का किसी ने प्रतिनिधित्व नहीं किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त गम्भीर बात है कि नवम्बर, 1994 में जिस बैठक को लेकर एक मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में उठाया जा रहा है, वहां राजस्थान के हित की अनदेखी क्यों की? मैं इस बात को मुद्दा नहीं बनाना चाहता कि माननीय मुख्य मंत्रीजी क्यों नहीं गये, परन्तु माननीय मुख्य मंत्रीजी पूरी जांच-पड़ताल करवाइये। यदि सिस्टम फेल हो जायेगा, राजस्थान की पब्लिक सफर करेगी। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखा है, किन्तु खेद है कि अभिभाषण में यमुना जल बंटवारे के संबंध में, नवम्बर, 1994 में दिल्ली में हुई एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बैठक में राज्य सरकार द्वारा मंत्री एवं अधिकारी स्तर पर अनुपस्थित रह कर राज्य के हितों के प्रति उदासीनता बरतने के सम्बन्ध में प्रकाश नहीं डाला गया।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा भी कर दिया, ठीक किया। राज्य के हितों की सुरक्षा तो करनी ही है। आपने तो सर्वोच्च न्यायालय में गेट पर भी मुकदमा किया था। सदन को बताइये क्या हुआ? आज आप कम से कम जहां राज्य की जनता की पैरवी करनी है वहां पैरवी करवाइये। आप राज्य की जनता की पैरवी उस जगह मत कराइये जहां वर्षों लग जाएंगे और जहां आपका मामला स्वाभाविक रूप से कमजोर है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में पूंजीनिवेश का मामला भी एक चिन्ता का विषय है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विदेशी यात्राएं कीं, मैं मानता हूं कि बिना विदेशी यात्राओं के विकास नहीं हो सकता। मैं कोई टिप्पणी और आलोचना इसकी नहीं करता, यह जरूरी है मुझे व्यक्तिगत ज्ञान है। आप के बाद मैं भी अमरीका गया था। लोगों में उत्साह था, लोग इस

(श्री जगदीप धनखड़)

बात से काफी इम्प्रेस थे कि मुख्य मंत्रीजी आये हैं हम करोड़ों रुपया लगा देंगे। वे यहां पर आये, 16 दिसम्बर को कुछ ज्वेलर्स मुख्य मंत्रीजी से मिले। मुख्य मंत्रीजी ने कहा, एक काम करो, कह दो वह जमीन दे दूं। सही काम किया, मैं इस बात पर किसी प्रकार का आब्जेक्शन नहीं करता, Chief Executive of the Government has to act पर, मान्यवर, आपने वहां भी कुछ नहीं किया। आपने जो चर्चा उनसे की, उसके बारे में कभी विस्तार से मैं सदन में बाद में बात करूंगा। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने इस प्रकार के पूंजीनिवेश का एक रास्ता खोला था अचानक उसमें कुछ भी, ठोस कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों के विकास के लिए जहां विदेशी सहायता राजस्थान को मिली है वह लैप्स हुई है। चतुर्वेदीजी हैं नहीं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राज्य के मुख्य सचिव और पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर को कंट्राडिक्ट किया कि आप क्यों कहते हो राज्य की सड़कें खराब हैं हरियाणा और गुजरात से, मैं गुजरात जाकर आया हूं, वहां की सड़कें बहुत खराब हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप गुजरात जाकर आये हैं और गुजरात की सड़कें खराब हैं, सही है पर आप राजस्थान की सड़कों पर रहते ही कब हैं ? आप तो राजस्थान के अन्दर इतने साधन सम्पन्न हैं, हेलिकाप्टर और हवाई जहाज हैं पर कम से कम आपके मुख्य सचिव को और पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर को तो सड़कों का पूरा ज्ञान है और जब उन्होंने कह दिया कि सड़कें खराब हैं, तो उस बात को मान लेना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस बात की पूरी जांच कराइये कि राज्य विकास में विदेशी धन, ग्रांट जो मिल रही थी, "ग्रांट", लोन तो चलो यूज नहीं करो राज्य की जनता को नुकसान ही होता है पर ग्रांट लैप्स हो जाना एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। सदन के नेताजी, माननीय मंत्रीजी की खिचाई कीजिए और पूछिये करोड़ों रुपये के बारे में वरना आप झुन्झुनू जिले में हेलिकाप्टर से नहीं जाते, वह ग्रांट अगर काम में आती तो सड़क से भी जा सकते थे। वह उस सड़क की ग्रांट लैप्स हुई है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, अन्त में मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने एक प्रश्न पूछा था, राजस्थान लॉ कमीशन में कितना खर्चा हुआ ? जानकारी आयी राजस्थान लॉ कमीशन पर करीब 50 लाख, 49 लाख के करीब खर्चा हुआ। और हुआ क्या ? कुछ नहीं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो राजस्थान लॉ कमीशन के चेयरमैन हैं, he is an intelligent judge, he is an experienced judge, पर उनकी रिपोर्ट पर अगर आप काम ही नहीं करोगे, if those reports will be gathering dust in your secretariat, तो फिर यह 50 लाख का खर्चा किस बात का ? किसी पर तो आप उत्तरदायित्व फिक्स कीजिए।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, अन्त में मैं आप से एक बात और कहना चाहूंगा। पांच

(श्री जगदीप धनखड़)

साल पहले टिबरेवाल कमीशन बनाया गया, क्योंकि राजस्थान में, जयपुर में दंगे हुए, जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उस कमीशन ने चार साल तक लगातार बैठकें कर के अपनी रिपोर्ट दे दी। मुख्य मंत्रीजी, सदन से पर्दा रखिये पर इतना मत रखिये कि मात्र संविधान की आवश्यकता पूरी करने के लिए आप सदन की बैठक बुलाएं। यह कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है, टिबरेवाल कमीशन ने क्या सिफारिशें कीं, किसको क्लीन चिट दे दी, आप का सरकारी तंत्र दोषी था कि नहीं था, यह दंगे थे कि नहीं थे? अखबारों में अटकलबाजियां लगायी जा रही हैं, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं अखबारों को, उपाध्यक्ष महोदय, सदन को डिस-रिगार्ड माननीय सदन के नेता को नहीं करना चाहिए, क्योंकि सदन में रह कर इन्होंने यह राजनीतिक ख्याति वर्षों तक प्राप्त की है।

अब तो माननीय भाभड़ाजी आपकी दाहिनी तरफ हैं, यह मेरी अंतिम बात है, भाभड़ाजी ने अध्यक्ष की हैसियत से, माननीय सदन के नेताजी, जो पेयजल समिति की रिपोर्ट दी है, that is also gathering dust. दोबारा संकट हमारे सामने आ रहा है। इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है कि इस रिपोर्ट से कौनसे आपने ऐसे कंक्रीट एक्शन प्लान बनाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्यटन के विकास की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी, थोड़े उदार बनिये, अजमेर के अन्दर हवाई पट्टी में सिर्फ आप अकेले बाधक हैं। उस समय केन्द्र सरकार ने जो एक प्रस्ताव किया था कि आप भूमि दे दो हम बना देंगे, वह बन जाती। उड़ीसा में इस प्रकार की बात हो गई, श्री बीजू पटनायक जी ने तब भूमि दे दी। आपने नहीं दी। मेरा आपसे अनुरोध है कि अजमेर राष्ट्रीय स्तर का, विश्व स्तर का एक शहर है, सभी धर्मों का वहां संगम है। आप उदार हो कर कम से कम वहां जमीन उपलब्ध कराने की एक बहुत ही एडवांस स्टेज पर कार्यवाही करें।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पी. डब्ल्यू. डी. मंत्री नहीं हैं, मैंने काफी प्रयास किया है कि किशनगढ़ में रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिज हो। मैंने बड़ा प्रयास किया है, 18-20 घंटे तक वह फाटक बंद रहता है। एक तरफ औद्योगिक विकास है, दूसरी तरफ रेजिडेंशियल लोकेलिटी है, गेज कनवर्जन हो रहा है, न तो माननीय जिलाधीश ने कोई रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रेषित की, ना माननीय मंत्रीजी को भी कहा। विधान सभा में एक प्रश्न भी पूछा तो कह दिया कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है, करने की आवश्यकता ही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन के नेता से अनुरोध करूंगा कि अजमेर और किशनगढ़ वाले बिन्दु पर भी ध्यान आकर्षित कर सम्बन्धित अधिकारियों को या अपने मंत्रियों को निर्देश दें।

मान्यवर, इन सब स्थितियों में मैं अपने आपको पूर्ण रूप से असहाय मान रहा हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में शामिल होने के लिए मैं न तो मानस बना पा रहा हूं बुद्धि

(श्री जगदीप धनखड़)

का और न दिल का । मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी अगली साल तक कुछ ऐसा करेंगे यदि वह वहां रहे तो । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा जी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय ने यहां जो कृपा कर अभिभाषण दिया, उसके लिए माननीय श्री कालीचरण जी सराफ, सदस्य के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना धन्यवाद शामिल करती हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात बोलने से पहले मुझसे पूर्व माननीय सदस्य ने, वक्ता ने जो राजस्थान सरकार के सम्बन्ध में चर्चा की है, उनका चार बिन्दुओं में जवाब देना चाहूंगी । राजस्थान की प्रगति के सम्बन्ध में जो प्रणव मुखर्जी ने प्रशंसा की है, भूरि-भूरि प्रशंसा की है, वह योजना के सम्बन्ध में की है, उन्होंने योजना की उपलब्धियों के सम्बन्ध में की है, उन्होंने उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में की है और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के सम्बन्ध में की है, और उनके वित्तीय प्रबन्ध के बारे में जो प्रशंसा की है, माननीय सदस्य, जरा उसको पढ़ लें और फिर अपने भाषण में संशोधन कर लें ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से प्रत्यक्ष लक्षित होता है कि राज्य सरकार ने आम आदमी को केन्द्र-बिन्दु बना कर अपने आर्थिक ससाधन जुटाकर आगामी वर्ष में, इस वर्ष में काम किये जाने के लिए अपने सारे कार्यों को, उठाये गये कदमों को युक्ति संगत बना कर के आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए कार्य किया है । राज्यपाल महोदय ने यहां पर जो भाषण दिया, उसमें आप देखेंगे, अनेकों बिन्दुओं को उन्होंने उजागर किया है कि आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए राज्य सरकार विशाल कार्यक्रम लेकर आयी है ।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हमारा बीता वर्ष उपलब्धियों का वर्ष रहा है । इस वर्ष में वर्षों से अपेक्षित चुनाव कराये गये और सहभागिता का लक्ष्य लेकर यहां पर जो प्रतिनिधित्व मिला है, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है । महिलाओं को, अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के लोगों को और पिछड़े वर्ग के लोगों को जो प्रतिनिधित्व मिला है यह राजस्थान में पहली बार इस प्रकार का कदम उठाया गया है, मैं इस बारे में सरकार की प्रशंसा करना चाहूंगी कि इस प्रकार की उसने यहां प्रतिनिधित्व की योजना बनायी । इतना ही नहीं पंचायतों में और नगरपालिका, नगर परिषद् और नगर निगमों में भी इसी प्रकार का प्रतिनिधित्व आयोजित किया गया, जिस प्रकार से पहले कभी नहीं था । मैं तो एक बात की और भी प्रशंसा करना चाहूंगी कि चौबीस वर्षों से जयपुर के नगर परिषद् के जो चुनाव नहीं हुए थे उसे नगर निगम में परिवर्तित कर, उसके चुनाव कराये । मैं सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूं ।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि गत वर्ष में इस अभिभाषण में उल्लिखित जो नीतियां बनायी गयी हैं, वे भी अपने आप में एक मानदण्ड रखती हैं। उद्योग नीति बनी, खनिज नीति बनी, सडक नीति बनी। इस प्रकार से प्रबन्ध किया गया कि कहीं भी कोई पिछडापन न रहे। कांग्रेस सरकार के समय में, मैं पिछले पांच सत्रों से देखती आयी हूं जिनमें सीधा-सीधा दो बार कांग्रेस का राज्य रहा, जहां चाहा सड़क बना दी जहां चाहा नहीं बनायी और अनेक बार तो कागजों में बना दी, सड़क बनी नहीं और उनके पेमेंट कर दिये गये। अब इस नीति से, जो हमारी सरकार ने यहां बनायी है, उस से सारा मार्ग सुगम रहेगा और जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं, निश्चित रूप से उनकी पूर्ति होगी।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि पर्यटन नीति पर विचार कर लिया गया है, वह भी बहुत ही शीघ्र आने वाली है। तो पर्यटन और पर्यावरण, इन दोनों के सम्बंध में मार्गदर्शन, दिशा मार्ग अगर निश्चित कर ली जाएगी तो इन क्षेत्रों में भी राज्य को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

पिछली बार हमारा बजट शिक्षा को समर्पित रहा था। लेकिन मेरा सुझाव है कि हम साक्षरता को लेकर बात करेंगे, शिक्षा में अन्य जगहों पर पुस्तकें और स्कूल खोलकर बात करेंगे। हमें अनिवार्य शिक्षा के लिये संकल्प लेना चाहिए जिससे राजस्थान हिन्दुस्तान के मानचित्र पर उभरकर सबसे ऊपर आ जाए और अनिवार्य शिक्षा यदि लागू कर दी गई तो हमारे पिछड़ेपन का जो द्योतक स्वरूप है, वह छवि निखरकर के उत्तम स्थिति सामने आएगी।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी, गत वर्ष को देखा जाए तो शांति का वर्ष रहा है। लेकिन फिर भी कुछ घुसपैठिये घुसे हैं, कुछ तस्कर लोगों ने भी यहां पर अपने पंजे जमाने की कोशिश की है, कुछ आंतकवादी भी आये हैं। इन सब पर आपने अपनी जिस तरह से पकड़ रखी है उसको और कड़ी करें और सीमा पर यदि दीवार बना दी जाए तो यह घुसपैठ और यह क्राइम जितने भी होते हैं, यह बंद होंगे और राज्य राज्य को और शांति मिलेगी।

मैं राज्य की पुलिस और गृह विभाग की निश्चित रूप से प्रशंसा करना चाहूंगी कि उसने सक्षमता से जिन परिस्थितियों में, जितने हमारे पास संसाधन थे, उनसे राज्य को सुरक्षित और शांतिमय रखा है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगी कि आवश्यक संसाधन जुटाकर उस सारी पकड़ को और मजबूत करें, यह जरूरी है।

मान्यवर, उद्योगों और कृषि के लिये और राज्य के विकास लिये बिजली का होना निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है। विद्युत की आपूर्ति अभी पूरी तरह से नहीं कर पायी जा रही है। जिस प्रकार से दिशा-दर्शन हुआ है कि छोटे-छोटे मेगावाट से बिजली उत्पन्न करके आठ क्षेत्रों में अलग से संसाधन जुटाकर के बिजली की आपूर्ति की जाएगी। मैं यह कहना चाहूंगी यह तो की ही जाए लेकिन थोड़े-थोड़े मेगावाट, पन-बिजली योजनाओं जो भी प्रोत्साहन

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

दिया जाए जिससे कि कृषि और उद्योगों में गति रहे और राज्य की योजनाओं को भी पूरा लाभ मिल सके। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इस क्षेत्र में बहुत जरूरी है, जो बिजली की चोरी बराबर हो रही है उसको रोका जाए और लाइन लोसेज पर काबू पाया जा सके। इस प्रकार से सरकार प्रबन्ध करे कि फिर बिजली की चोरी न हो तो जितनी हमारी बिजली है, उसका सदुपयोग हो पाएगा और वित्तीय स्थिति भी समर्थ रह पाएगी।

मैं निवेदन करना चाहूंगी, राज्य में अरावली पर्वत-श्रृंखला काफी दूर तक गयी है और लगातार बरसात के दिनों में भूमि का कटाव बराबर जारी है। पूर्व में ग्यारह जिलों में भू-संरक्षण का कार्यक्रम लागू किया गया था। इस बार भू-संरक्षण और जल संग्रहण के सम्बन्ध में कुछ विनिश्चय किये गये हैं, इनको और बढ़ाकर सारे राज्य में यदि ध्यान दिया जाएगा तो हमें जो पानी की कमी होती है, राज्य में पानी की कमी का फिर अभाव होगा। इन संसाधनों से यदि गांव के छोटे तालाबों, जोहड़ और बंधे, उनके कार्यों का प्रबन्धन कर लिया गया, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी।

कृषि उपज मंडियों के माध्यम से इस बार जो सड़कों पर खर्च किये जाने का, सम्पर्क सड़कों पर और छोटी सड़कों पर और कृषि उपज लायी जाने वाली सड़कों पर जो प्रबन्ध किया गया है, यह बहुत ही उत्तम किया गया है। मैं इसकी प्रशंसा करती हूं।

मैं निवेदन करना चाहूंगी बेरोजगारी की स्थिति पर सरकार ने रोजगार बढ़ाकर के देने की योजना बनायी है। मैं इसमें अपनी बात जोड़ते हुए सरकार की प्रशंसा करते हुए यह कहना चाहूंगी कि जिन लोगों की आयु सीमा बढ़ गयी है और उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, ऐसे सब युवक-युवतियों को विशेष छूट देकर रोजगार उपलब्ध कराया जाए, जिनसे उनकी युवा शक्ति भी राज्य के विकास में अपना योगदान कर सके। पहले कभी नहीं था लेकिन जिस प्रकार राज्य सरकार ने जो विधवा और परित्यक्ता महिलाएं हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में सुनियोजित करके रोजगार देने की जो अपनी योजना बनायी है और बढ़ायी है उसके लिये मैं प्रशसा करना चाहती हूं।

जहां शिक्षा के क्षेत्र में हमने प्रगति की, इस बार चिकित्सा क्षेत्र को आगे बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार की योजना का दिशा-निर्देश यहां मिला है, तो एक बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन इस क्षेत्र के साथ-साथ यदि आयुर्वेद में भी गति और आए तो अच्छा होगा। पिछले साल, तीन वर्षों से शायद, जो प्रवेश-परीक्षा है, वह प्रवेश-परीक्षा नहीं ली जाकर के, छात्रों की संख्या में जो कमी आयी है, यह एक खेद का विषय है। जब प्रवेश ही नहीं तो आगे वैद्य कैसे आएंगे, और जो हम औषधालय खोलेंगे उनमें किस प्रकार आपूर्ति कर पाएंगे, इस सब का चिन्तन राज्य सरकार को करना चाहिए। मैं और भी आंकड़ों के सम्बन्ध में बोलना चाहती थी लेकिन मैं चाहूंगी कि जब बजट पर मैं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बोलूं तो उस सारे सम्बन्ध में... (व्यवधान) बातचीत करूं...

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लेकिन इसके साथ गये बार हम लोगों ने यह विचार किया था, उसका यहां पर कहीं चिन्ह नहीं मिला कि आज की सूची में राजस्थानी भाषा को प्रवेश दिलाने के लिये राज्य सरकार अपने प्रस्ताव रखेगी और आगे बढ़ाएगी। वह नहीं लिया गया है, मुझे इस सम्बन्ध में बड़ा खेद है। मुझे जितनी जानकारी मिली है राष्ट्र भाषा हिन्दी है, उसके सम्बन्ध में एक दिक्कत राज भाषा विभाग की पैदा की हुई है। राज भाषा विभाग के पास अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने के लिये राज्य के अनेकों विभागाधिकारी जाते हैं, उनको आसानी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र मिल जाने पर टंकण-यंत्र अंग्रेजी के खरीद कर, जो उन अंग्रेजी के टंकण-यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है, मैं समझती हूं इस दिशा में हमें विरत होना चाहिये और राष्ट्र भाषा के उपयोग के लिये जो हमारे नियम बने हैं, कानून बने हैं उसी आधार पर जो हमारी संस्कृति और जो हमारा सब कुछ विकास आधारित है....

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उस पर चिन्तन करना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि प्रबन्धित मंदिरों के बारे में भी राज्य सरकार ने एक निर्णय लिया है कि मंदिरों का जीर्णोद्वार किया जाए, उनका विकास किया जाए। जिसमें बारह मंदिरों के सम्बन्ध में, यहां पर उल्लेख किया गया है कि इस वर्ष की योजना में लिये जाएंगे। यदि मठ मन्दिरों की सुरक्षा के लिये एक समिति बनाकर धर्माचार्यों को इसमें साथ रखकर कुछ जन-प्रतिनिधियों को उसमें साथ रखकर यदि प्रबन्धन कराया जा सके तो जो मन्दिर के नीचे की भूमि है उसका गलत ढंग से विक्रय नहीं हो पाएगा और उस पर प्रतिबन्ध भी रहेगा, नियंत्रण भी रहेगा। तो इस प्रकार राज्य सरकार अपने सारे कार्यों को और सुनियोजित करके चले।

एक बात मैं और कहना चाहूंगी थोड़ा विस्मृत रह गयी, जो बीसलपुर योजना जयपुर तक के लिए लायी जा रही है उसके बारे में राज्य सरकार की प्रशंसा करती हुई धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करती हुई मेरी बात समाप्त करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी। माननीय सदस्य, थोड़ा संक्षिप्त करें और पांइटेडली कुछ बात कहेंगे तो ठीक होगा। ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य डिबेट में भाग ले सकें, इसका प्रयास हो थोड़ा।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में यहां पर चर्चा हो रही है। अभिभाषण का गम्भीरता से चिन्तन किया जाए तो इसमें अच्छाइयां भी हैं, कमियां भी हैं और इसके साथ-साथ इसमें रचनात्मक और सृजनात्मक कई ऐसे बिन्दु हैं जिनके बारे में भी गम्भीरता से विचार करने की, मैं समझता हूं आवश्यकता है। कभी चाणक्य नीति

(श्री रतनलाल ताम्बी)

से, कभी मनुस्मृति से, कभी ऋग्वेद से आदर्श प्रेरक तथा समीचीन वाक्य उद्धत करके इन भाषणों में कहीं न कहीं चर्चा की जाती है। मैं समझता हूं कि हमारा आचरण और हमारा क्रियान्वयन उसी के आधार पर हो तो उसकी ज्यादा उपादेयता हो सकती है। जैसे इस वर्ष बहुत अच्छे ढंग से यह कहा गया, महामहिम राज्यपाल महोदय से कहलवाया गया जो इस अभि-भाषण के पृष्ठ 33 पर 93 बिन्दु पर है "आप सबका लक्ष्य एक ही है। एक ही सभा में आप बैठे हैं। अतः आपका मन और चिन्तन भी एकसा ही होना चाहिए। एक सम्पत्ति के साथ आपकी मंत्रणाएं आएं, यही मेरी प्रार्थना है, इसी एक स्वर से मैं आप सबका एक साथ आह्वान करता हूं।" बहुत अच्छी बात है, पर प्रश्न यह है कि इसके अनुरूप हम इस बात का चिन्तन करें कि प्रशासन आचरण करता है या नहीं करता है, क्रियान्वयन इस प्रकार होता है या नहीं होता है। यह चिन्तन बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं इसी दृष्टि से, इसी परिप्रेक्ष्य में इस सारे अभिभाषण पर चर्चा सुखद होनी चाहिये, रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ होनी चाहिए और उसमें जो कमियों के बिन्दु हैं उनको उजागर किया जाना चाहिये। साथ ही इसमें अच्छे सुझाव भी हों इस दृष्टि से नीर, क्षीर, विवेक की बात सामने आती है, वह होना चाहिए। मैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले इस सरकार के उस महत्वपूर्ण प्रसंग की चर्चा करना चाहता हूं जिससे हमारे महामहिम स्वस्थ राज्यपाल महोदय के मुंह से हमारे राजस्थान की अस्वस्थ अर्थव्यवस्था के बारे में जहां चिन्ता व्यक्त करने की आवश्यकता थी उस सारे प्रश्न को इस मामले में नहीं देखा गया खास तौर से, बल्कि यह कहा गया है राजस्व बजट आर्थिक प्रबन्ध, अभिभाषण के पैरा 20 में कहीं यह प्रसंग आ गया, कुशल वित्तीय प्रबन्ध, करों की बेहतर वसूली, मितव्ययता का सेहरा बांध रहे हैं। मगर इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक क्या कहता है। वित्तीय प्रबन्ध को गम्भीर मानकर तत्काल आर्थिक स्थिति सुधारने की सलाह देता है तो यह विरोधाभास क्यों है? एक ओर वित्तीय कुशलता की बात है। मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कहना चाहता पर मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है वह चिन्ताजनक है और चिन्ताजनक इसलिए भी कहना चाहता हूं कि हमारे 1995-96 के बजट में उन्होंने राजस्व घाटा, बजट की चर्चा मैं उस दृष्टि से अभी नहीं करना चाहता था और न करूंगा पर मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि 1992-93 में राजस्व घाटा हमारा 102 करोड़ 50 लाख का था। जब अच्छा कुशल प्रबन्ध है, तो फिर 1993-94 में 317 करोड़ 20 लाख हो गया। 1994-95 में 482 करोड़ 80 लाख हो गया जो 1995-96 में शायद 550 करोड़ के करीब और जैसा अभी यह स्वीकार कराये हैं उससे लगता है कि 800 करोड़ 93 लाख हो जाएगा। देश में बजट घाटा कुल मिलाकर 8 हजार, 365 करोड़ रुपया है। इसमें सात प्रतिशत राजस्थान का हिस्सा है। इसी तरह से जब हम देखें आगे जाकर 1992-93 में 5 करोड़ 60 लाख था, वहां 1993-94 में 128 करोड़ 70 लाख हो गया, 1994-95 में 206 करोड़ 31 लाख हो गया, तो राज्य की

(श्री रतनलाल ताम्बी)

यह स्थिति गम्भीर चिन्ता का विषय है। इसलिए राजस्थान पर आज जो कर्जा है वह है 13 हजार 738 करोड़ रुपया। आज की हालत यह है प्रति व्यक्ति राजस्थान पर 3139 रुपया का कर्जा आता है, तो यह हमारी स्वस्थ आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है इसका दिग्दर्शन इससे हमको मिलता है। अखिल भारतीय औसत जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें राजस्थान में 1992-93 में और गत वर्ष आय में, राजस्थान की जहां 1897 रुपये आय थी वहां इस बार 1700 रुपये से भी कम प्रति व्यक्ति की आय होना, यह हमारे स्वस्थ या कुशल वित्तीय प्रबन्ध को चुनौती है। राजस्व आय की भी यही स्थिति है। राजस्व आय 728 करोड़ रुपया माना गया है और इसके बाद व्यय का 1135 करोड़ रुपया है। बजट पर कहीं अलग चर्चा में मैं हिस्सा लेने की कोशिश करूंगा। पर मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा वित्तीय प्रबन्ध बहुत गम्भीर है, हालत बहुत खराब है।

इसके लिये एक उदाहरण मैं मेरे निकट के बीसलपुर प्रोजेक्ट का देना चाहूंगा इन दिनों काफी चर्चा समाचार पत्रों में निरन्तर आ रही है, एक करोड़ 80 लाख रुपये का भुगतान, अनियमितता राज्य सरकार के अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच करने से सामने आयी और 97 लाख 65 हजार रुपया अनियमित प्रविष्टियां राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा करके यह पैसा गलत भुगतान कर दिया। तो मैं समझता हूं हमारे हालात इस प्रकार के हैं, घाटा हमारा है उससे ज्यादा घाटा तो हमारी व्यवस्था ठीक न होने से लगातार बढ़ जाता है। मैं समझता हूं कुशल व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो इसको देखने की आवश्यकता है और यह हम नहीं देखेंगे, तो राजस्थान के हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जाएंगे।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं। अभी हमारे प्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री महोदय जयपुर में बिराजते हैं, राजधानी में, और कुछ दिनों पहले अखबार में यह आंकड़े आये कि राजस्थान की नगरपालिकाओं के चुंगी के ठेके दिये जा रहे हैं। उन चुंगी के ठेकों के जो लोगों ने अपने प्रस्ताव दिये हैं उन प्रस्तावों को हम देखें, तो राजस्थान में करीब चार सौ करोड़ रुपया, वर्तमान आय से अधिक लोगों ने प्रस्ताव दिये। तो क्या वह प्रस्ताव सेवा करने के लिये दिये थे क्या? वह प्रस्ताव, कहां गड़बड़ है राजस्थान में? एक ओर आपने यह कहा है घोषणा-पत्र में कि हम चुंगी समाप्त कर रहे हैं, हम बिक्री कर समाप्त कर रहे हैं। वह समाप्त तो कोई हो नहीं सकता पर ऐसी व्यवस्था हमारी है कि करोड़ों रुपया जेबों में जा रहा है। वह राजस्थान विकास में आगे नहीं जा सकता। इस सारी व्यवस्था में सुधार का कहीं संकेत नहीं आता है।

यही नहीं आज जयपुर नगर विकास प्राधिकरण, जिसको सफेद हाथी कहा जा सकता है इतने घोटाले घपलों का एक केन्द्र बना हुआ है। मैं समझता हूं कि क्या यह मंत्री महोदय के ध्यान में नहीं है? करोड़ों रुपये का नाजायज भुगतान कम्पेनसेशन के

(श्री रतनलाल ताम्बी)

नाम पर, प्लाटों के नाम पर वहां हो रहा है। थोड़े दिनों पहले एक विमला देवी का मामला सामने आया, जमीन का। भुगतान का पता नहीं, जमीन का पता नहीं कहीं। कार्यवाही करके एक मिसल बनी और लगभग काफी लाख रुपया उसको भुगतान कर दिया। तो इस तरह के भुगतान जयपुर में करीब-करीब दो करोड़ रुपये के हैं। जे. डी. ए. में आप जांच करवा लें और जांच की जब कार्यवाही चली तो पत्रावली ही गायब हो गयी। मुख्य मंत्री महोदय ने इसमें हस्तक्षेप किया कार्यवाही के लिये, वह पत्रावली ही गायब हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय मदन मोहन जी। माननीय सदस्य, बिराजें आप।

श्री रतनलाल ताम्बी : कैसे बिराजूं, साहब ? थोड़ा तो और बोलने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपने ही तो कहा....

श्री रतनलाल ताम्बी : उदाहरण दिया है मैंने तो मेरा किसी पर आक्षेप नहीं है। मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूं। पर इस तरह लाखों करोड़ों रुपया अधिकारी इस तरह गलत ढंग से, मंत्री महोदय को जानकारी पूरी न हो, या हो तो उसको पूरे ढंग से न समझ पाने के कारण यह सब गड़बड़ियां राजस्थान में हो रही हैं। यह तो मैंने कोई उदाहरण दिया, इस तरह के मेरे पास कई मामले हैं कि राजस्थान में अपव्यय के हिसाब से मितव्ययता की बात की जाती है। वहां बहुत गलत काम हो रहे हैं। एक काम बनता है दूसरी बार टूट जाता है, उसकी क्वालिटी गुणात्मक दृष्टि से खराब है। आज इन सब बातों को देखने की आवश्यकता है। मैं, निवेदन करना चाहता हूं रिजर्व बैंक की जो अभी हाल ही में रिपोर्ट आयी है उसमें वित्तीय प्रबन्ध को गम्भीर माना है। गवर्नमेंट आफ इंडिया के आडिटर जनरल ने राजस्थान के बारे में गंभीर हालत बताते हुए कुछ संकेत दिये हैं। इस लिहाज से मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं, बल्कि मैं यह कहना चाहता हूं वित्तीय कुशलता की दृष्टि से इसको देखा जाए और इस परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की प्रगति में इन सब बातों को ठीक की जा सकती है, वह की जाने की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री मदनमोहनजी। माननीय, बिराजें।

श्री मदनमोहन (खंडेला) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय सदस्य, श्री कालीचरण जी सराफ ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हुआ अपना धन्यवाद उसमें शामिल करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने इस बार नगर पालिकाओं और पचायत चुनावों में आरक्षण की नीति अपनाकर जो आरक्षण प्रदान किया और, उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के जो चुनाव जीतकर मैदान में आये और उन्होंने अपनी सहभागिता दर्ज करायी, उसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन मैं

(श्री मदनमोहन)

पूछना चाहता हूं कि शिक्षण संस्थाओं में भी क्या राज्य सरकार उनको आरक्षण देना चाहती है ? जो वर्षों से रिक्त पद पड़े हुए हैं, जो बहुत लम्बे समय से पड़े हुये हैं, क्या सरकार उन्हें भरने का विचार रखती है ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार और राजस्थान पुलिस को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान में राजेन्द्र मिर्धा का जो अपहरण हुआ और उनकी सकुशल रिहाई हुई, उसके लिए वह धन्यवाद की पात्र है लेकिन जहां लॉ एण्ड आर्डर की बात की जाती है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी बैठे हुए हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब राजस्थान के अन्दर करीब दो वर्ष से लगातार यह आतंकवादी जयपुर में अपनी शरणस्थली बनाये हुए थे, जयपुर में जब यह रह रहे थे और जब इनको यह सब पूरा पता था कि पाकिस्तान की आई. एस. आई., खुफिया एजेंसी यहां पर सक्रिय है और विदेशों से इतने आई. एस. आई. जो सक्रिय हैं योजनाबद्ध तरीके से यहां पर विस्फोट करना चाहती है, यहां आतंकवाद फैलाना चाहती है, राजस्थान की पुलिस उस समय सोती रही। उस समय कुछ भी नहीं किया और यदि यह अपहरण का केस न हुआ होता तो उस समय स्थिति क्या होती ? यह बम्बई बम काण्ड से भी शायद भयंकर होती इसलिए मैं माननीय गृह मंत्रीजी से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपने पुलिस प्रशासन में ठीक प्रकार से व्यवस्था सुधारें। मैं तो यहां तक भी कहना चाहता हूं कि इस वर्ष का जो बजट स्वास्थ्य को समर्पित किया गया वह इस राजस्थान की पुलिस को समर्पित किया जाना चाहिये था। राजस्थान में स्वास्थ्य की वजह से आज तक कोई भी अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का खिलाड़ी नहीं पहुंचा और न स्वास्थ्य की वजह से इस राजस्थान के विकास में कोई योगदान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो लिम्बाराम इस वर्ष तीरन्दाजी में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा, क्या राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग की देन थी ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योगों की जहां तक बात की जाती है राजस्थान को उद्योगों की शरण-स्थली बनाया जा रहा है लेकिन पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा जाता। राजस्थान के अन्दर आज उद्योगों का सबसे बड़ा क्षेत्र भिवाड़ी अलवर जिला है। वहां पर राजस्थान के सबसे बेहतर उद्योग लगाये जा रहे हैं लेकिन वहां पर पर्यावरण का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। वहां पर अभी-अभी हाल ही में एक सारेखुर्द गांव में शराब की फैक्ट्री डाली जा रही है क्या उससे प्रदूषण नहीं होगा ? या सर्वोच्च न्यायालय में जो नौ हजार इकाइयां बन्द करके उनको राजस्थान में स्थापित करने के लिए जो आदेश दिये हैं और उनको अगस्त माह तक यहां पर स्थापित करना है तो क्या उनसे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा ? राजस्थान के अन्दर अभी 90 के दशक में, भीलवाड़ा के अन्दर लाइम स्टोन का जो पत्थर निकलता है और उससे जो प्रदूषण फैलता है, क्या उसके लिए कोई व्यवस्था की ? यह पहले देहरादून में निकलता था। देहरादून से जब निकलता

(श्री मदनमोहन)

था तो वहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि इनको यहां से बन्द करके राजस्थान में स्थापित कर दिया जाए और अभी कुछ समय पहले गुड़गांव के पास नवलगढ़ गांव हैं, वहां पर क्रेशर की मशीनें लगी हुई हैं। उन क्रेशर की मशीनों को वहां पर बन्द केवल इसलिए किया गया कि यहां पर प्रदूषण फैलता है। उनको भी राजस्थान में धकेल दिया गया। नौ हजार इकाइयां थीं जिनको भी राजस्थान में धकेल दिया गया लेकिन जापान से सहायता मिली 143 करोड़ की, अब पर्यावरण की रक्षा की जाए। पर्यावरण की रक्षा के लिये जब 143 करोड़ की वहां से सहायता मिली, उस 143 करोड़ की लागत से जो खाद बीज वहां पर वायुयान से बिखेरे जाएंगे उनकी कोई गारंटी नहीं कि यह उगेंगे या नहीं उगेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में भेड़, बकरी और जानवर नहीं बसते, यहां भी इंसान रहते हैं। जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय जब चाहे अपना यह फैसला सुना देता है कि इसको पूरे राजस्थान में स्थापित कर दिया जाए लेकिन राजस्थान की जनता कभी भी इस प्रकार के आदेशों की गुलाम बनना नहीं चाहती। मैं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान को यदि पर्यावरण से बचाना है तो राजस्थान के उद्योगों का समन्वित एवं उचित विकास किया जाए। इनको इस प्रकार के क्षेत्रों में लगाया जाए जहां पर ग्रीन बैल्ट को नुकसान नहीं हो। हिन्दुस्तान के तेल का करीब 42 प्रतिशत उत्पादन अलवर जिला करता है और उसको पूरे को उद्योगों से ढक दिया गया। एन सी. आर. की योजना के तहत भी आता है लेकिन क्या वह पूरा का पूरा उद्योगों को ही समर्पित कर दिया गया है ? मैं, आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जो ग्रीन बैल्ट है उसकी कृपया क्षति होने से बचायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले राजस्थान में सड़क नीति बनी, खनिज नीति बनी और औद्योगिक नीति बनी। क्या खनिज नीति में यह भी प्रावधान किया गया कि उनके निर्यात के लिए भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के काफी इसमें आंकड़े दिये गये हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इसके अन्दर कितने आई. ए. एस. और आई. पी एस. अधिकारी हैं ? इसमें केवल पटवारी होंगे, बाबू होंगे, जे. ईएन. होगा, ए ईएन. होगा। मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता था कि राजस्थान में भ्रष्टाचार में लिप्त कितने आई. ए. एस. और आई. पी. एस. को पकड़ा गया ? आज तक भी इन आई. ए. एस. और आई. पी एस. अधिकारियों की आपको जांच कराने की जरूरत नहीं होगी इनकी तस्वीर इनके मकानों में देख लीजिए। भ्रष्टाचार का साफ नमूना आपको उसमें दिखेगा। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हू यदि आपने सफेद घोड़ों को मार दिया तो इन पटवारी, बाबू, ए. ईएन., जे. ईएन को मारने की जरुरत नहीं होगी। बिजली के ऊपर

(श्री मदनमोहन)

विधान सभा में काफी दिनों से चर्चा हो रही है....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षिप्त करने का प्रयास करें।

श्री मदनमोहन : इस विधान सभा में काफी लम्बे समय से चर्चा होती रही है लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं। जो इकाइयां बन्द की गयी हैं उनको कभी भी सुचारू रूप से, केवल सदन में आश्वासन दिया जाता है कि उनको अतिशीघ्र शुरू करा दिया जाएगा लेकिन आज तक उनको शुरू कराने में सरकार निष्काम रही है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन चौधरी।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन प्रस्ताव पर अत्यन्त संक्षेप में अपने विचार रखूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहेंगे तो सबका नम्बर भी आ जाएगा।

श्री भीमसेन चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश हमारे देश के भूभाग का दसवां हिस्सा है और यहां पर बहुत बड़ा थार का रेगिस्तान है। रेगिस्तान के कारण और यहां पर आये साल अकाल पड़ने के कारण हमारा प्रदेश बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है। अकाल संभाव्य क्षेत्र है हमारा इलाका। अकाल सम्भाव्य क्षेत्रों के लिए महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में दीर्घकालीन योजना के सम्बन्ध में किसी तरह का जिक्र नहीं किया। मैं, मुख्य मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि यमुना वाटर के लिये हमारे प्रदेश ने और भारत सरकार ने मिलकर यमुना फ्लो वाटर का जो फैसला किया है वह अत्यन्त सराहनीय है। इसी तरह से गंगा फ्लड वाटर के बारे में राजस्थान सरकार 1972 से इस बारे में अपना हिस्सा क्लेम करने के बारे में कह रही है और गंगा फ्लड वाटर डिस्प्यूट के बारे में भी अगर जल्दी फैसला हो जाए तो हमारे राजस्थान के शुष्क प्रदेश के लोगों को लाभ मिल सकता है। मैं समझता हूं कि हमारी इन्दिरा गांधी नहर जो हमारे रेगिस्तान का बहुत बड़ा कायाकल्प करने जा रही है इस योजना से हमारे अकाल सम्भाव्य क्षेत्र के लोगों को लाभ दिया जा सके, इसके अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विशेष संगठन द्वारा हमारे जो अकाल सम्भाव्य इलाके हैं लूणकरणसर के, बीकानेर का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है उसके लिये मैंने 131 धारा के अन्तर्गत अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, मैंने सुझाव दिये थे इससे उसका विस्तार किया जाए और वहां पानी पहुंचाया जाए। मैं समझता हूं कि थोड़ा पानी भी अगर पहुंच जाए तो उस इलाके के लोग जो अकाल से पीड़ित होते हैं, उनको राहत मिल सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा पिछला वर्ष राजस्थान की शिक्षा के लिए समर्पित था।

(16.00)

लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि

(श्री भीमसेन चौधरी)

स्कूलें खोलने के बारे में पंचायत राज विभाग ने अत्यन्त पक्षपात से कार्य किया। मैंने शिक्षा मंत्री जी से मेरे क्षेत्र का एक क्वश्चन पूछा था उसके जवाब में उन्होंने कहा कि लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र जो सीमांत क्षेत्र है उसमें करीब 82 ऐसी चक आबादियां हैं जिनकी जनसंख्या 250 से लेकर 1500 की होते हुए भी वहां एक स्कूल भी सरकार ने मंजूर नहीं की। इसी तरह से जो स्कूलें मंजूर थीं उनमें भी करीब 30 स्कूलें 2 साल से बन्द पड़ी हैं, वहां पर कोई अध्यापक की व्यवस्था नहीं है।

इसी तरह से गांवों में पीने का पानी, गांवों में डिग्गियों का जो रख-रखाव है वह भी ठीक ढंग से नहीं है। वहां के किसानों को गन्दा पानी पीने को मिलता है, पेयजल के लिये स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं होता है। बजट प्रावधान होते हुए भी इसकी क्रियान्विति में बड़ा अन्तर है। कहने में और करने में प्रशासन का बड़ा अन्तर है।

दूसरा, उपनिवेशन विभाग में खातेदारी किसानों को देने में हमारे किसानों को एडी–चोटी का पसीना बहाना पड़ता है। जब तक पटवारी को रिश्वत नहीं दें, उसकी पांच हजार से दस हजार रुपये की रिश्वत है। जब तक उसको इंतकाल के लिये इतना पैसा नहीं दिया जाएगा तब तक किसान चाहे घूमता रहे, उसका नामांतरण नहीं खोला जाएगा। इसी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें सुधार करने की जरूरत है। इसी तरह से हमारे यहां पर सी. ए. डी. विभाग है उसमें भी पिछले वर्ष में जो हमारे खालों का वाटर कोर्सेज बनाने का टार्गेट था उसके विपरीत बहुत ही कम टार्गेट रहा है। मैं समझता हूं कि जो नहरों में पानी है उस पानी का उपयोग वाटर कोर्सेज पूरे नहीं बनाये जाने से नहरों के पानी का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है।

मैंने पिछली बार विधान सभा में निवेदन किया था कि हमारे के. जी. डी., के. वाई. डी., बी. डी तीन डिस्ट्रीब्यूटरीज मेरे इलाके में हैं उनके अन्तिम क्षेत्र के काश्तकार 18 से लेकर 43 चक के हैं उनको कोई पानी नहीं मिल रहा है। मैंने इस बारे में विधान सभा में पिटीशन भी पेश की थी। मुख्य अभियन्ता ने मेरे द्वारा उठाये गये प्रश्न में साफ तौर से यह लिखा है कि 18 के. जी. डी. से 43 के. जी. डी. तक पानी नहर में नहीं पहुंचता यह बात सही है। इतना होने के बावजूद भी सरकार ने नहरों की सफाई के लिये अन्तिम छोर के काश्तकारों के लिए पानी की ठीक ढंग से व्यवस्था की जा सके, इस बारे में कोई व्यवस्था नहीं की।

इसी तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जो वाटर कोर्सेज बने हुए हैं पूगल क्षेत्र में या खाजूवाला क्षेत्र में जहां टीले हैं धोरे हैं वहां भी वाटर कोर्सेज ऐसे समय बनाये गये थे जहां काश्तकार आबाद नहीं हुए थे। पटवारी और उस वक्त के नहरी अधिकारियों ने मिल कर वाटर कोर्सेज जैसे बनाये वैसे बना दिये। लेकिन आज काश्तकारों को उन वाटर कोर्सेज के माध्यम से पूरा पानी नहीं पहुंच रहा है। वाटर

(श्री भीमसेन चौधरी)

कोर्सेज बूरे हुये हैं उनमें मिट्टी भरी हुई है और काश्तकार उनसे बहुत परेशान है। तो मैं समझता हूं इस बारे में सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

राज्य सरकार ने पिछली बार पास एक्ट संशोधन पास किया था इसके बावजूद पास बुक की कार्यवाही अभी तक क्रियांवित नहीं की गयी है। यह किसानों के लिये अत्यधिक लाभदायक होते हुए भी सरकार ने कोई इम्पलीमेंटेशन की तरफ अपना ध्यान नहीं दिया। मैं समझता हूं कि सरकार को इस बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके अलावा हमारे महाजन फील्ड के विस्थापित हैं। उन विस्थापितों को ऐसी वन भूमि जिसमें किसी तरह के विकास कार्य नहीं हुए थे, वन विभाग के और उपनिवेशन विभाग के दोनों विभागों के सहयोग से जो क्षेत्र ऐसे थे और जहां सिंचाई थी और जहां पर किसी भी तरह का वन विभाग ने कार्य नहीं किया था, ऐसे इलाके को 1987 में उनको अलाट किया। इसके बावजूद भी उन किसानों के नाम वह जमीन रेकार्ड में दर्ज नहीं की जिसके कारण से किसानों के सामने परेशानी हो रही है। इस बारे में 1987 से कार्यवाही चल रही है लेकिन राज्य स्तर पर इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया। मैं समझता हूं यह अत्यधिक गम्भीर बात है जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हर पंचायत, ग्राम पंचायत में सहकारी समिति का होना अत्यन्त आवश्यक है। हमारे लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में 5–5 पंचायतों के बीच एक ग्राम सहकारी समिति है जिससे किसानों को पूरा लाभ नहीं पहुंचता। उस तरफ भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।

इसी तरह से 465 आर. डी. पर 10 ऐसे दुकानदार थे जो गरीब लोग थे, ओ. बी. सी. के अल्पसंख्यक लोग थे उनके आग लगने से नुकसान हो गया था। उनको किसी भी तरह की प्रशासन ने कोई राहत नहीं दी। इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार का ध्यान उक्त तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल वर्मा।

श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री कालीचरणजी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उसमें अपने आपको मैं शामिल करता हूं, उसका समर्थन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1994-95 राज्य सरकार के लिये एक महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्ष रहा है। जैसा कि नगरपालिकाओं एवं पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं, अनुसूचित जाति, जन–जाति, पिछड़े वर्ग को राजनैतिक और सामाजिक दृष्टि से समानता के उद्देश्य से आरक्षण की व्यवस्था की, नगरीय और ग्रामीण प्रशासन में उनकी सहभागिता को स्थापित किया जिसके लिये भी मैं राज्य सरकार को बहुत-

(148)

(श्री बाबूलाल वर्मा)

बहुत बधाई देना चाहता हूं एवं प्रशंसा करता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभिभाषण में स्पष्ट है कि वर्तमान में देश में पंजाब के आतंकवादी अपनी गतिविधियां कर रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी आई. एस. आई. तरीके से हथियार राजस्थान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा है उसके माध्यम से हमारे यहां पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी प्रतिकूल स्थिति में भी राज्य सरकार एवं राजस्थान पुलिस ने जिस सजगता से, जिस कुशलता से इसको रोकने में महत्वपूर्ण कदम उठाया है निश्चित रूप से राज्य सरकार इसके लिये बधाई की पात्र है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सीमा से जो तस्करी हो रही थी उसमें लगभग 152 करोड़ रुपये के हेरोइन, चरस जैसे पदार्थों की पकड़ राजस्थान पुलिस ने की इसके लिये मैं निश्चित रूप से राजस्थान पुलिस को भी बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बेरोजगारी निश्चित रूप से एक समस्या रही है। बेरोजगारी के प्रश्न पर कई बार चर्चा भी हुई। इस समस्या को दूर करने के लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाया, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिये मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिये जो कम विनियोजन में उपाय किये जा सकते थे वह प्रयास राजस्थान में राज्य सरकार ने किये। एक-दो महत्वपूर्ण बातें मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।....

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा संक्षिप्त करें, कोई पाइंटेड बात कहें, तो ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री बाबूलाल वर्मा : राजस्थान प्रदेश में कुटीर और हस्तकला उद्योग को बढ़ावा दिया। यही एक महत्वपूर्ण उद्योग है जिसके माध्यम में हम कम से कम इंवेस्ट करके अधिक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकते हैं। पर्यटन उद्योग को भी हमारी राज्य सरकार ने बढ़ावा दिया है। पर्यटन उद्योग का जिस तरह विकास हुआ है उसमें मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम बेरोजगारी को दूर करने में सफल हुए हैं। राज्य सरकार ने बेरोजगारी को कम किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थानीय ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिए जो व्यवस्था राज्य सरकार ने की, मैं आज आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मेरे इस विधान सभा क्षेत्र में रोजगार के जो साधन राज्य सरकार ने उपलब्ध कराये हैं स्थानीय ग्रामीणों को पिछले एक साल के दौरान, लगभग तीन हजार लोगों को उसने रोजगार साधन उपलब्ध कराये। इसके लिये मैं राज्य सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि स्थानीय ग्रामीणों को जहां कि रोजगार के कोई साधन उप-

(श्री बाबूलाल वर्मा)

लब्ध नहीं थे लेकिन फिर भी उसने रोजगार की पूरी व्यवस्था की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति के विकास के लिये भी दृढ़ संकल्प रही है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति निगम द्वारा जिन गांवों में 50% से ज्यादा आबादी अनुसूचित जाति के लोगों की है, उन गांवों का विकास करने के लिये, उन गांवों में महत्वपूर्ण आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये राज्य सरकार द्वारा जो सम्बल योजनाएं चलायी जा रही हैं उनमें अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं वहां पेयजल, सड़क की समस्या, बिजली की समस्या इन सभी बातों को दूर किया जा रहा है। इसमें लगभग राज्य सरकार द्वारा 24 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गयी है। यह इस बात का प्रतीक है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति विकास के लिये लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिये मैं राज्य सरकार को अपनी ओर से बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हू।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पेयजल की समस्या भी राजस्थान प्रदेश में गम्भीर बनी हुई है लेकिन पिछले वर्ष में पेयजल की गम्भीर समस्या को दूर करने के लिये....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य 2 मिनट में पूरी बात करें।

श्री बाबूलाल वर्मा : जो महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गयीं उसके लिये भी राज्य सरकार की निश्चित रूप से प्रशंसा करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में सड़कों की समस्या तो रही है लेकिन राजस्थान प्रदेश में जो भौगोलिक स्थिति है उसमें राज्य सरकार ने सड़क नीति बनायी है। सड़क नीति इस रूप में बनायी कि पूरे प्रदेश में सड़कों का एक समान रूप से विकास हो, मतलब बिना किसी भेदभाव के जहां सड़क बनाना आवश्यक हो, वहां सड़क बनाने की जो योजना बनायी उसके लिये मैं राज्य सरकार को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसी सड़क नीति बनाने वाला राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगिक नीति की भी राज्य सरकार ने इस वर्ष घोषणा की है। औद्योगिक नीति के अन्दर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि औद्योगिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण राज्य सरकार ने अपने नियमों के तहत किया है। औद्योगिक इकाइयों को जो भूखण्डों का आवंटन होता था, उन प्रक्रियाओं का सरलीकरण हुआ है एवं राज्य में उपलब्ध संसाधन हैं, उन्हीं पर आधारित अपने उद्योग स्थापित किये जाएं, ऐसी जो औद्योगिक नीति बनायी, इसके लिये भी राज्य सरकार निश्चित रूप से बधाई की पात्र है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बिराजिये।

श्री बाबूलाल वर्मा : अन्त में, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, जो माननीय महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कही है कि चालू वर्ष में 2450 करोड़ रुपये की जो बजट व्यवस्था थी वह पिछले वर्ष से लगभग 44% ज्यादा थी। इस बार के बजट में माननीय राज्य-

(श्री बाबूलाल वर्मा)

पाल महोदय के अभिभाषण में जैसा बताया है कि 3200 करोड़ रुपये के बजट का प्रोविजन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट उपलब्ध होना और बजट का पूरा उपयोग अपने हिसाब से होना यह निर्भर करना है कि राज्य सरकार का वित्तीय प्रबन्धन कैसा है। एक अच्छा वित्तीय प्रबन्धन होने के नाते ही इतनी बड़ी राशि के बजट का पूरा उपयोग किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री बाबूलाल वर्मा : एक मिनट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि मेरे डग विधान सभा क्षेत्र,....

श्री उपाध्यक्ष : आप वहीं से चालू कर दें, जल्दी करिये।

श्री बाबूलाल वर्मा : लगभग 50–60 किलोमीटर मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा हुआ है। यह बात स्पष्ट है कि बिजली की समस्या बहुत गम्भीर है, विकट है लेकिन आस-पास के 60–70 किलोमीटर के पूरे बेल्ट में मध्य प्रदेश में बिजली है। मैं आपके माध्यम से यह राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी मात्र 50% ही विद्युतीकरण हुआ है और ऐसी विषम परिस्थिति में कम से कम ऐसी योजना बनायी जाए जिससे कि विकास हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शैलेन्द्र जोशी, सात मिनट ही, सात मिनट से आठवां मिनट नहीं होगा, आपकी पार्टी को अलॉट समय पूरा होने जा रहा है।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टाइम की ऐसी बाइंडिग अग्रिम तौर पर लगाना मैं नहीं समझता बहुत ज्यादा अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसलिए कह रहा हूं कि पार्टी के हिसाब से जो टाइम है उसी के हिसाब से ज्यादा समय हो गया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में गरीब किसान के लिये ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसके कारण उनको उनके अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित किया जाए। गरीब किसान के लिये यह अभिभाषण निरर्थक है, बेमानी है और ऐसा लगता है कि गरीब किसानों का पूरा शोषण किया गया है। न तो बिजली की पूरी व्यवस्था की गयी है और न ही पेयजल के बारे में एक शब्द लिखा गया है। बल्कि हैण्ड पम्प जो कि एकमात्र पेयजल का साधन है उसके बारे में कोई भी व्यवस्था नहीं की गयी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के तीन अभिभाषण यहां पढ़े हैं। पहला अभिभाषण पीले रंग का है जो कि किसान के पीलिया होने का सूचक है जो कि पीत, पत्रिका के रूप में लिखा गया। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब किसानों के लिये कुछ भी नहीं किया। उसकी आंखों में रोष आया, आक्रोश आया

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

जिसका सूचक राज्यपाल महोदय का यह गुलाबी अभिभाषण है, और उसके बाद भी इस अभिभाषण में उस गरीब किसान के लिये जिसको कि एकमात्र बिजली चाहिए, उसकी बिजली के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी बल्कि बिजली के लिये भार लाद दिया गया। ऐसी स्थिति में राजस्थान का किसान सिवाय आकाश की तरफ देखकर के भगवान से याचना करने का हामी हो गया जिसका सूचक यह आसमानी रंग का राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार घोटालों की सरकार है मात्र घोटालों की है घोटालों का विधिवत रूप से एक के बाद एक वर्णन कर रहा हू। पहला, सरकारी विज्ञापनों में डेढ़ करोड़ रुपये का घोटाला हुआ, जन-सम्पर्क निदेशालय में, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा सरकारी विज्ञापनों में जो घोटाला किया गया उसकी राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की गयी, इस घोटाले को दबाया जा रहा है और उसमें बहुत कुछ इस तरह के अधिकारी और कुछेक जो विज्ञापन से लाभांवित हुए हैं वह भी व्यक्ति हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा घोटाला माननीय मंत्री महोदय सुनिये, कचरा घोटाला, इस सरकार ने कचरे तक में भी घोटाला किया। गये 15-20 साल से जो ट्रीटमेंट प्लांट है, जिससे कम्पोस्ट खाद बनती है मानसरोवर में, उसका कचरा टोंक में बेच दिया गया, रसीद ली नहीं गयी परभारे बेच दिया गया, डायरेक्ट बेच दिया गया, और एक करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला कर दिया गया, जांच जारी है, सरकार कुछ नहीं कर रही है क्यों ? क्योंकि संवेदनशील सरकार है। तीसरा घोटाला, डामर घोटाला। उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के बच्चे-बच्चे को मालूम है कि एक करोड़ रुपये से भी ज्यादा लागत का डामर का घोटाला हुआ है जिसके बारे में कोई भी संवेदनशीलता नहीं है बल्कि संवेदनहीनता बरतीं हुई है। डामर के घोटाले का जब मालूम पड़ा तो यह तथ्य सामने आये कि मथुरा से जो डामर के ड्रम चलते थे वह बगैर किसी रसीद के उचन्त खाते के गंतव्य स्थानों पर नहीं पहुंचते थे और इस बारे में आधे दर्जन से भी ज्यादा प्रथम सूचना रिपोर्ट राजस्थान के विभिन्न थानों में हुई लेकिन इस संवेदनशील सरकार ने, इस ठेके की सरकार ने कुछ भी नहीं किया और आज भी डामर घोटाला प्रकरण ज्यों का त्यों बना हुआ है। हालांकि कुछेक लोगों को गिरफ्तार किया गया है लेकिन अधिकारियों को जानबूझ करके बचाया जा रहा है, क्यों ? क्योंकि लाभांश का अंश किसको मिलता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लाभांश का अंश निश्चित तौर पर उनको मिलता है जो इस प्रकरण पर पर्दा रखना चाहते हैं, इसके अतिरिक्त....

एक माननीय सदस्य : राज्य को भी खा गये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : खाद को खा गये, कचरे को खा गये....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझको रोकेंगे नहीं, घोटाले

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

की शृंखला तो पूरी बता के ही रहूंगा। इसके बाद चीनी की एक हजार बोरियां बीच में ही लापता हो गयीं और गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचीं तो चीनी की 1000 बोरियों का घोटाला। यह सरकार बताये इन घोटालों पर क्या किया, क्या करने जा रही है? इसके अतिरिक्त जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा फिटकरी जो पानी के क्लेरीफिकेशन के लिये काम आती है उसको सीधे बाजार में बेच दिया गया उदयपुर के अंदर, और उस घोटाले का आज तक कोई नाम नहीं। क्या यह सरकार संवेदनशील सरकार है? कतई नहीं। यह ठेके की सरकार है। मैं वो सूची दे रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिससे यह सरकार कर्मचारियों से काम नहीं कराना चाहती, उनका मनोबल तोड़ दिया। यह तो ठेके की सरकार है। अब ये ठेके पर, आपने जो भी दिये हैं, पहला ठेका नगरपालिकाओं में चुंगी का ठेका।.... दूसरा ठेका सवाई मानसिंह हास्पिटल में सफाई कर्मचारियों के लिये सफाई का ठेका, तीसरा नगर निगम में कचरा उठाने का ठेका, चौथा सचिवालय में टाइप का ठेका, टाइपिस्ट्स हैं लेकिन ठेका, पांचवां, जयपुर नगर निगम में सोडियम लाइटें कितनी हैं, ट्यूबलाइट कितनी हैं और बल्ब कितने जलते हैं, इनकी गिनती करने का ठेका। इस संवेदनशील सरकार के द्वारा ठेका। इन सब चीजों का दिया गया है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अब तो महत्वपूर्ण निर्णय लेने का भी ठेका होने वाला है। माननीय मंत्री महोदय, इससे प्रशासनिक सुधार कैसे होंगे? आज कर्मचारी निकम्मे हो गये हैं, आज कर्मचारी जानते हैं कि यह सरकार ठेके की है। यह ठेके की सरकार किसलिए है? ठेके की सरकार में हाइएस्ट बिडर को ठेका मिलता है और हाइएस्ट बिडर को कौन देता है, वह विभाग के उच्च पदाधिकारी लोग जो कि लाभांश सत्ता तक पहुंचाते हैं। ऐसी स्थिति में इस ठेके की सरकार ने कर्मचारियों को निकम्मा कर दिया है, उनको पंगु कर दिया है। उनको वापस गतिशील बनाने के लिये, उनमें से अकर्मण्यता निकालने के लिये उसके पास कोई भी प्रशासनिक सुधार करने के लिये योजना नहीं है।

इसके अलावा यह सरकार बेचने वालों की सरकार है। गयी साल पुराने मोटर गैराज को 14 करोड़ रुपये में बेचा। यदि माननीय मंत्री महोदय आप उसे एक-एक, छोटी-छोटी दुकानें बनाकर बेचते तो 140 करोड़ में यही मोटर गैराज बिकता। लेकिन आपने हाइएस्ट बिडर के लिये, दो चार ऐसे अरबपति और करोड़पति जो कि पूल बनाकर खरीद सकते हैं, उनको दे दिया और उनको हाइएस्ट बिडर लगा दिया। आज छोटा आदमी जो एक-एक दुकान लेता है, आपको कई-कई लाखों में फायदा होता, वह व्यवस्था आपने नहीं अपनायी और यह सरकार नहीं मानी। अब भी बेचना जारी है....

श्री उपाध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल जेल को बेचने का ठेका।

श्री उपाध्यक्ष : आपका समय पूरा हो रहा है, सभी बैठ हुए हैं यहां पर।

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान सरकार एक के बाद एक प्रापर्टी बेच देगी तो हम नहीं बेचने देंगे। यह हमारी धरोहर है, यह हमारी सम्पत्ति है। कैसे बेचने देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : विराजने का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरी बात तो आपको सुननी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका 7-8 मिनट से समय ज्यादा नहीं है। आपकी पार्टी के हिसाब से जो समय विभाजित हुआ उससे ज्यादा समय मिल गया और मैं चाहता हूं कि दो-तीन सदस्य और बोल लें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इस सरकार के खिलाफ यदि कहने के लिये, सुनाने के लिये आप मौका नहीं देते हैं तो मैं बैठता हूं। आपकी मर्यादा का पालन करता हूं लेकिन मुझे शर्म आ रही है।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि गत वर्ष जितने विकास के कार्य हुए....

श्री उपाध्यक्ष : आप पाइंटेडली कहें और 7 मिनट में अपनी बात कहें।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : ....वह अपने आप में एक मिसाल है। मेरे क्षेत्र में भी काफी विकास के कार्य हुए हैं। 6 करोड़ रुपये के विकास के कार्य गत वर्ष हुए हैं। झोट का नाका, छीजेक परियोजना जिसमें 1 करोड़ 54 लाख के कार्य हुए। करीब 70 स्कूलों की बाउण्ड्री बनायी। कहीं स्वास्थ्य केन्द्र बनाये। इस प्रकार जब एक ही विधान सभा क्षेत्र में इतने विकास हुए हैं तो निश्चित रूप से पूरे राजस्थान में काफी विकास के कार्य हुए होंगे।

माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार ने कुछ नीतियां बनायी हैं जिनमें औद्योगिक नीति, सड़क नीति और खनिज नीति है। इन नीतियों के द्वारा विकास के दिशा निर्देश तय किये हैं और यह नीतियां भविष्य में भी आने वाले शासकों को एक दिशा निर्देश के रूप में काम करेंगी। जैसे आज चाणक्य नीति पूरा दिशा निर्देश देती है कि शासन कैसा होना चाहिये, शासन को क्या करना चाहिये उसी प्रकार से आज जो भैरोंसिंहजी शेखावत ने नीतियां बनायी हैं भविष्य में आने वाले शासकों के लिये, यहां के ही नहीं बल्कि राज्य और देश के शासकों को अपना शासन चलाने के लिये वह दिशा निर्देश देंगी।

मैं खनिज नीति के बारे में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो खनिज नीति बनायी है उसमें माइनिंग लीज होल्डर्स को काफी सुविधाएं दी गयीं हैं, परन्तु सेंडस्टोन के क्षेत्र में काफी असंतुलन रह गया है। उनकी जो समस्याएं थीं उनका निराकरण खनिज नीति में नहीं हो पाया, या जो नीति बनायी हैं उसमें नहीं हो पाया। जैसे हमारे यहां काफी समस्याएं हैं फ्लेट रेट की समस्या है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अनआथोराइज्ड खनन होता है और उसकी काफी चर्चा इस सदन

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

में भी होती है। अवैध खनन के भी अपने कुछ कारण हैं। जहां लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, परन्तु कुछ सरकार की नीतियों की वजह से भी अवैध खनन होता है। लोग कार्य करना चाहते हैं, रेंट रायल्टी देना चाहते हैं परन्तु सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि जिनके कारण वह मजबूर हैं। उनके रेंट, रायल्टी देते हुए भी प्लाटों का आबंटन नहीं होता है। तो इस कारण से भी अवैध खनन होता है। मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे यहां फ्लेट रेट की समस्या है। पूर्व में सरकार ने काफी लोगों को आउट आफ बाउण्ड्री कई गुना क्षेत्र दिया है, परन्तु उसके बाद 16.12.81 को जो पालिसी लागू हुई उसको 82 में बन्द कर दिया। 1983 तक वह पालिसी चली और 1987 तक उसमें देते रहे। तो जिनकी पहुंच थी और जो लोग ले सकते थे उन्होंने तो आउट आफ बाउण्ड्री ले लिया लेकिन काफी लोग जिनकी पहुंच नहीं थी इससे वंचित रह गये और उससे असमानता रह गयी। कई लोगों को कई गुना क्षेत्र मिल गया और कई लोगों को कुछ नहीं मिला जिसके कारण जिनको नहीं मिला आज वह वैध खननकर्ता होते हुए भी अवैध खननकर्ता की परिभाषा में आ गये हैं। अत: मेरा निवेदन है कि खनिज नीति के ऊपर पुन: विचार करें और जो सेण्डस्टोन के बारे में कमियां रह गयी हैं, माननीय मंत्री महोदय बहुत उदार हैं, पारदर्शी हैं और यह पारदर्शी सरकार है तो जो कमियां रह गयी हैं उसके लिए पूरी उदारता बरतते हुए पूरी सहानुभूति रखते हुए उन कमियों को दूर करेंगे, ऐसी आशा है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ए० ए० खान।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा): माननीय उपाध्यक्ष जी, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की बात कही है। उस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि मण्डल कमीशन ने नान-हिन्दू ओ. बी. सी. को, यह रिपोर्ट के पेज 156 में एक क्राईटेरिया तय किया था जिसमें सोशली और एजूकेशनली बैकवर्ड हैं उन मुस्लिम ओ. बी. सी. को इन्क्यूड किया जाय जिनका कि काउण्टर पार्ट ओ.बी.सी. और हिन्दू ओ.बी.सी. है। इसी बेसिस पर राज्य सरकार ने 27-8-93 को 140 वर्गों की एक लिस्ट जारी की थी जिनमें उन्होंने डायर, धोबी और गद्दी मुस्लिम को शामिल किया था। मगर अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि जो 6 अगस्त 1994 को लिस्ट जारी हुई उसमें यह तीनों वर्ग नहीं। राजस्थान में काफी तादाद में मेव, कुरैशी, राई और मनिहार हैं, इनको यू.पी., पंजाब और हरियाणा ने ओ.बी.सी. में माना है मगर राजस्थान ने उनको अभी तक पिछड़ा वर्ग नहीं माना है।

एक और जरूरी बात की तरफ ध्यान मैं दिलाना चाहता हूं कि जिला अधिकारियों ने ओ.बी.सी. के सर्टिफिकेट देने में बहुत आनाकानी की थी और बहुत रिप्रेजेंटेशन के बाद सरकार ने एक क्लेरीफिकेशन 8 नवम्बर, 94 को निकाला मगर वह इतना देरी से निकाला कि म्यूनिसिपैलिटी, नगरपालिका और पंचायत चुनावों में उन वर्गों को फायदा नहीं मिल सका जिनको कि मिलना चाहिये था। अब मुझे यह निवेदन

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

करना है आपके माध्यम से कि जो मण्डल कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने क्राइटेरिया तय किया है ओ बी.सी. का उसके आधार पर मुस्लिम वर्ग में जो ओ बी सी. हैं उनकी जल्दी से जल्दी सूची निकाली जाए ताकि उनको जो फायदा मिलना चाहिये वह मिले। एक चीज और सुनने में आयी है कि राजस्थान का जो ओ.बी.सी. कमीशन है उनके पास कुछ फाइनेंशल कंसट्रेंट्स हैं और उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है जिसकी वजह से जो रिप्रेजेंटेशन दिये गये हैं उनका सर्वे करवाना और उसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी तैयार करवाने में कमीशन को परेशानी हो रही है। आपके माध्यम से मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि राज्य सरकार जल्दी से जल्दी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करे ताकि वह अपनी रिपोर्ट जल्दी पेश कर सके।

दूसरा पाइंट, मैं इंडस्ट्रियल डवलपमेंट की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे तिजारा विधान सभा क्षेत्र में भिवाड़ी का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल क्षेत्र है वहां काफी सोश्योलाजिकल प्राब्लम्स हैं इंडस्ट्रिलायजेशन की वजह से। समय-समय पर मैंने अपने सुझाव राज्य सरकार को पेश किये हैं और सबसे पहले मैंने यह सुझाव दिया है कि बजाय इसके कि रीको और हाउसिंग बोर्ड जो प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड एक्वायर कर रहे हैं उसके बजाय जो सिवाय चक और गवर्नमेंट की बंजर जमीन है उनको डवलप करके इंडस्ट्रीज के लिये दिया जाए। गवर्नमेंट जो फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर करती है पुश्तैनी किसानों को वहां से डिस्प्लेस कर रही है और कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि उनको जो कम्पनसेशन मिलता है वह रजिस्टर्ड वैल्यू के हिसाब से मिलता है जो कि मार्केट वैल्यू से बहुत कम है और वह भी इंस्टालमेंट्स में और कई सालों में जाकर मिलता है। इसकी वजह से न तो वह किसान दूसरी जमीन ले पाता है और न ही उस पैसे का कुछ उपयोग होता है, क्योंकि पैसा छोटे-छोटे इंस्टालमेंट्स में आता है तो वह खर्च हो जाता है। उस इलाके में इंडस्ट्रियल डवलपमेंट करने का एक यह भी मकसद था कि वहां लोगों को इकानामिक बेनिफिट मिले, लोगों को नौकरियां मिलें। यह देखने में आ रहा है कि यह भी नहीं हो रहा है। क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर से बहुत चीप लेबर लाते हैं उनको बहुत कम वेजेज देते हैं और उनको टेम्प्रेरी रखा जाता है इस वजह से न तो उन लोगों को फायदा मिल रहा है न लोकल लोगों को फायदा मिल रहा है।

मैं आपके माध्यम से यह दरख्वास्त करूंगा कि कोई ऐसा कानून बनाया जाए जिसके तहत, खास तौर से जिन लोगों की जमीन ली गयी है, कम से कम उन लोगों को तो उन फैक्ट्रियों में नौकरियां मिलें और इसके साथ वहां जो ला-एण्ड-आर्डर और क्राइम का प्राब्लम हो रहा है, क्योंकि पुलिस के पास न तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और न उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि बाहर से सैंकड़ों हजारों की तादाद में जो लोग आ रहे हैं, उनका किसी किस्म का रिकार्ड रखा जाए, उनके बारे में मालूमात रखी जाए। उसकी वजह से क्राइम होता है तो

(156)

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

वहां अक्सर यह देखा है कि पुलिस क्राइम साल्व नहीं कर पाती है।

आखिर में बिजली के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों आपने यहां जो मैम्बर्स का आक्रोश देखा, उसमें मैं भी शामिल हूं क्योंकि जब हम इलाके में जाते हैं और वहां पर बिजली का हाल देखते हैं, तो बहुत अफसोस होता है। हमारे लोग हमारा घेराव करते हैं। मैंने देखा है कि पिछले साल के गवर्नर एड्रेस में और इस साल भी आश्वासन तो बहुत दिये गये हैं मगर कोई उम्मीद नहीं लगती कि आगे आने वाले टाइम में बिजली का कोई समाधान हो पाएगा। इसकी वजह से जगह-जगह बहुत एजीटेशंस होंगे, आन्दोलन होंगे जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। मेरे यहां दो साल पहले भी एक बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ था। मेरे तिजारा विधान सभा क्षेत्र में कोटकासिम इलाके में बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ था और बहुत सीरियस था। उसकी सीरियसनेस, जो है उसमें हजारों की तादाद में औरतों ने भाग लिया था, उससे पता चलती है। कई हफ्तों वह एजीटेशन चला और बहुत मुश्किल से वायदों के साथ वहां लोगों ने वह एजीटेशन खतम किया। मुझे कहते हुए यह अफसोस होता है कि न तो वह बिजली देने के वायदे पूरे किये और न जो झूठे केसेज बने थे वह राज्य सरकार ने वापस लेने के वायदे पूरे किये।

इसके साथ ही यह जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर जी भगोरा।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य कालीचरण जी सराफ ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके साथ ही अन्य माननीय सदस्यों ने धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में जो बात कही है, उनके साथ मेरी बात को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि इस अभिभाषण में जनजाति उप योजना क्षेत्र के उन हजारों बेरोजगार युवकों को नौकरियों में आरक्षण की वजह से, पिछली सरकार ने मात्र 12 प्रतिशत आरक्षण दिया था, इस सरकार ने उस 12 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर के 43 प्रतिशत किया है उसके लिए मैं सरकार का साधुवाद अर्पित करता हूं। साथ ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमारे राजस्थान राज्य में 50 नयी पंचायत समितियों में आश्वासित रोजगार योजना प्रारम्भ की है। जिससे हजारों-हजार गरीब और मजदूरों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। इसी तरह से राजस्थान के 80 प्रतिशत लोग जो मजदूरी करके अपना जीवन-यापन करते हैं उनके लिये 22 रुपये से बढ़ाकर 32 रुपये मजदूरी की राशि की है, उसके लिए भी राज्य सरकार को धन्यवाद अर्पित करता हूं। इसी तरह से इस धन्यवाद प्रस्ताव में पिछड़े क्षेत्र के लिये, विशेषकर आदिवासी क्षेत्र के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता मद में माननीय धनखड़ साहब ने जो बात कही है उसी बात को

(श्री महावीर भगोरा)

आगे बढ़ाते हुए मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि जिन-जिन विभागों में राज्य मद में इस प्रावधान के तहत 12 प्रतिशत राशि का उपभोग नहीं किया है, सम्बन्धित विभागों के मंत्रिगण से मेरा भी आग्रह है कि कम से कम 12 प्रतिशत राशि का जो राज्य मद में प्रावधान है उसका उपभोग करें। मेरी विधान सभा क्षेत्र में दो पंचायत समितियां हैं कोटड़ा और गोगुन्दा, उसमें बिजली की दृष्टि से बिलकुल विकास नहीं हो रहा है और 1991 में कोटड़ा तहसील के लिये बिजली का सब ग्रिड स्टेशन सैंक्शन हुआ लेकिन वन विभाग के नियम के कारण उस क्षेत्र में स्थापित नहीं हो पा रहा है। वन विभाग और बिजली विभाग के मंत्रिगण से मेरा आग्रह है कि आप इन नियमों में शिथिलता बरतते हुए जो कोटड़ा तहसील के लिये राज्य सरकार ने प्रावधान किये हैं, बिजली के विस्तार में आप सहयोग करेंगे। इतनी ही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुनदास जी मदान (अनुपस्थित)। श्री ओमप्रकाश जी। संक्षिप्त में पाइटेडली अपनी बात कहें तो ठीक रहेगा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : (बूंदी) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर माननीय कालीचरण सराफ द्वारा रखे धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में निवेदन करता हुआ मुख्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा कि राज्य की वार्षिक योजना में आशातीत वृद्धि हुई और 1995-96 की योजना 3200 करोड़ रुपये की होगी। मैं मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिये भी धन्यवाद दूंगा कि बूंदी जिले का चयन आश्वासित योजना में किया है, राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में बूंदी जिले को भी लिया है, उससे बूंदी जिले का विकास होगा। इसके साथ ही मैं मुख्य मंत्रीजी को कुछ सुझाव दूंगा कि जिस प्रकार से हिन्दुस्तान की पंचवर्षीय योजना बनती है और प्रत्येक प्रदेश की पंचवर्षीय योजना बनती है, उसी प्रकार यदि प्रत्येक जिले की पंचवर्षीय योजना बने, किस जिले में किस-किस बात की आवश्यकता होगी, वहां पर किस प्रकार से विकास हो सकता है, तो निश्चित रूप से हर जिले को उसका लाभ मिलेगा। मैं समझता हूं जितने भी माननीय सदस्य यहां बिराजमान हैं वह इस बात को चाहेंगे कि प्रत्येक जिले की पंचवर्षीय योजना बने, उससे जिले का अच्छा विकास हो सकेगा। आज सम्पूर्ण राजस्थान के प्रत्येक जिले में भौगोलिक स्थिति के कारण विभिन्न विषमताओं की स्थिति बनी हुई है और इन योजनाओं से वहां का विकास होगा। राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण में राज्य सरकार ने सर्वाधिक प्राथमिकता सिंचाई के अधूरे कार्य को दी है। अधूरे कार्य का मतलब मैं समझता हूं कि जिनका सर्वे हो चुका हो, जो केवल वन विभाग या किसी कारण से अटकी पड़ी हों, उनको भी शायद इसमें लिया जायेगा, मैं इसके लिये मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा और इसी में बूंदी जिले की गैंडला परियोजना जो आज 17-18 वर्ष से अटकी पड़ी हुई है और वन विभाग की जमीन के कारण, वन विभाग की

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

जमीन उसमें आती थी लेकिन पिछले वर्ष 1994 में वह जमीन वन विभाग के बजाय राजस्व भूमि दे दी गयी और राजस्व विभाग ने वन विभाग की जमीन को वहां से हटा दिया। अब गेंडला बांध है इसमें 43 गांव आते हैं और 9189 हैक्टेयर कृषि भूमि इससे सिंचित हो सकेगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो अधूरे कार्यों की बात की गयी है, इसमें लताड़िया बांध को अवश्य लिया जाए।

इसी प्रकार राज्य की औद्योगिक नीति 1978 में बनी थी, उसके बाद 1990 में बनायी और अभी फिर इस वर्ष कुछ संशोधन किया है। इस औद्योगिक नीति के अन्तर्गत जो भूमि का रूपान्तरण है उसमें बड़ी परेशानी आती है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जैसे मेरा बूंदी जिला है, बूंदी जिले में ग्रीन बैल्ट के नाम से कुछ भूमि ऐसी रुकी हुई है जिससे उद्योगपति या उद्यमी जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उन्हें बड़ी परेशानी आती है, उसका भी सरलीकरण किया जाए। मैं समझता हूं कि राजस्थान के कई जिलों में ऐसी समस्याएं आती होंगी जहां पर ग्रीन बैल्ट के कारण उद्यमी उद्योग नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको भी इसमें लिया जाए ताकि उद्यमी उद्योग लगा सकेंगे।

इसी प्रकार यातायात और पानी की पर्याप्त आवश्यकता उद्यमी को होती है। आज बूंदी जिले के अन्दर उद्योग लगाने वाला कोई आए, सरकार कहती है उद्योग लगाओ। उद्योग लगायें कहां पर ? जमीन नहीं है। जमीन जब तक उद्योग के लिये नहीं होगी, उस जमीन के अन्दर पर्याप्त रूप से पानी नहीं होगा, वहां जाने और आने की व्यवस्था नहीं होगी, यातायात की व्यवस्था नहीं होगी तब तक कोई भी उद्यमी वहां नहीं आएगा। आज बूंदी जिले के अन्दर खास तौर से इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि वहां उद्यमी आ सकें। बूंदी जिले में सीमेंट का पत्थर है, सीमेंट का पत्थर पर्याप्त मात्रा में है, मैंने पहले भी निवेदन किया था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को एक बात याद दिलाना चाहूंगा, जिस समय श्री मोरारजी भाई देसाई देश के प्रधान मंत्री थे और कोटा में जब वह आये थे माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत उस समय मुख्य मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि आप कोटा से चित्तौड़ रेल दे दो मैं सीमेंट 100 साल तक दूंगा, यह कोटा और बूंदी, बूंदी और चित्तौड़ के बीच में जो लाइम स्टोन है, जहां सीमेंट के पर्याप्त मात्रा में भण्डार भरे पड़े हैं इनसे दूंगा। उस समय भी ये मुख्य मंत्री थे और जब यह बात उन्होंने कही थी, निश्चित रूप से सर्वे के आधार पर कही गयी थी, परन्तु आज वहां पर कोई सीमेंट उद्योग नहीं लगाया गया। इसलिए मैं चाहूंगा कि बूंदी में सीमेंट उद्योग लगाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा और निवेदन करूंगा। खनिज नीति के बारे निवेदन करूंगा। खनिज मंत्री महोदय ने एक राज्य स्तरीय सलाहकार परिषद् गठित कर दी।

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खनिज मंत्रीजी. से निवेदन करना चाहूंगा कि खनिज जहां पर है वहां के व्यक्ति को ही सलाहकार परिषद् में लिया जाए, केवल नाम के लिए किसी व्यक्ति को नहीं लें। आज बूंदी जिले के अन्दर तीन एक्स. ईएन. ऑफिस हैं लेकिन बूंदी का एक भी व्यक्ति इस सलाहकार परिषद् में नहीं है और जब इस सलाहकार परिषद् में नहीं है तो वहां का सुझाव कौन देगा। आज 20 हजार वर्ग मीटर, 20 हजार वर्ग मीटर की एक लीज होती है। बूंदी में 20 हजार वर्ग मीटर जमीन नहीं है और इनके अधिकारी इनको बेवकूफ बनाते हैं। अधिकारी बताते हैं ऐसी योजनाएं बनायी जाएं, बूंदी धौलपुर नहीं है, बूंदी के अन्दर 20 हजार वर्ग मीटर का एक भी टुकड़ा नहीं है। वहां पर जब तक छोटी लीज नहीं बनेगी, 100 बाई 60 की लीज बनाना आवश्यक है। अगर यह नहीं बनेगी तो अवैध खनन कार्य होगा इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बूंदी के अन्दर इस नीति में परिवर्तन करें और वहां पर बूंदी जिले के अनुसार ही नीति बनायी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें। माननीय श्री रामनारायण जी चौधरी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात मुझे समाप्त करने दो। मैं दो मिनट लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट की ही बात है। झगड़ा तो दो मिनट से ही पड़ता है। शीघ्रता से कहें, इतनी भूमिका नहीं बनायें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यातायात के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, अभी सड़क नीति बनी है और सड़क नीति के सैकण्ड पैरे में यह दर्शाया गया है कि सड़क विकास के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु व्यूह रचना और इसी के साथ में सामान्य व अन्य पैरों में दर्शाया गया है, सड़कों के सारे भीड़-भाड़ को रोकने के लिये बस स्टैण्ड, माल वाहन केन्द्र, यातायात अवरोधक बिंदुओं को शहरी क्षेत्र से दूर सड़क से हटाकर बनाया जाएगा। बूंदी जिला मुख्यालय है इसलिए यातायात मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि वे बूंदी में नया बस स्टैण्ड बनाने के लिये अलग से व्यवस्था करें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय श्री भरत सिंह जी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, बूंदी जिला पर्यटन की दृष्टि से....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें आप। अब पर्यटन नीति बहुत बड़ी है, बाद में मंत्रीजी से डिस्कस करना। बिराजो आप।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, समाप्त कर रहा हूं। बूंदी जिले में पर्यटन की दृष्टि से कोई बड़े होटल नहीं हैं। इसलिए उनको भी प्रोत्साहन दिया जाए। वन विभाग के कारण बड़ी परेशानी आ रही है वहां होटल नहीं लग पा रहे हैं इसलिए उनको भी दूर किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां उच्च शिक्षा

160

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

मंत्री महोदय विराजमान हैं, बूंदी के अन्दर....

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, माननीय सदस्य।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : लड़कियों के महाविद्यालय के लिये, मैं निवदन करना चाहूंगा कि वहां एक महिला महाविद्यालय इसी वर्ष जुलाई से प्रारम्भ करने के लिये महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा करें। मैं यही निवेदन करके समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय भरतसिंह जी।

श्री भरतसिंह (खानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो चतुर्थ अभिभाषण पेश किया है चतुराई के साथ वह अत्यंत असंतोषजनक एवं निराशापूर्ण अभिभाषण है जिससे 77 प्रतिशत आबादी, जो गांवों में रहती है उनके सामने निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। अभिभाषण में करीब 94 बिंदुओं पर ध्यान दिलाया गया है और उन बिंदुओं को छोड़ दिया गया है जिनसे राजस्थान की सबसे जटिल समस्या है, उन समस्याओं, जिनके बारे में पहले चर्चा मुख्य मंत्रीजी ने की है और यह कहा है कि अगर हमने परिवार सीमित नहीं रखा, राजस्थान की जनसंख्या पर अंकुश नहीं रखा तो जितने भी हमारे विकास कार्य हैं, सब पर पानी फिर जाएगा और उन्होंने एक बिल पास किया है, उन्होंने संशोधन किया, कानून बनाया कि साहब पंचायत चुनाव और नगरपालिकाओं के चुनाव के अन्दर वे उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। उन्होंने तीन दिन की विधायकों की गोष्ठी सदन के अन्दर। उन्होंने प्रोपेगेंडा किया हिन्दुस्तान भर के अन्दर और उस कार्यक्रम को जिसको वे बढ़ावा देना चाहते थे उस पर इतना वार किया कि चाहे 100 बार बोलेंगे, इस कार्यक्रम को ठेस पहुंचेगी। उसके बाद पंचायत के चुनाव करवाये, उस पंचायत के चुनाव जिसके बारे में अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। 4 साल तक सम्पूर्ण पंचायत व्यवस्था को खतम करने के बाद पंचायत चुनाव कराये। मैं एक किसान की हैसियत से बोलता हूं अगर आप उपजाऊ खेत को 4 साल तक छोड़ देंगे तो उसके अन्दर झाड़ और बोल्यां उग जाएगा और काश्तकार खेती करने जाएगा तो वह खेती नहीं कर सकेगा। आज आपने पंचायतों के अन्दर जो चुनाव की व्यवस्था की है वह इस प्रकार की व्यवस्था है पंचायतों के अन्दर कि सरपंच और जन-प्रतिनिधियों को समेटने के अन्दर बड़ी कठिनाई आएगी। पंचायतों के अन्दर आपने सैक्रेटरी के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। चुनाव जिस प्रकार से आपने करवाये हैं वह ठीक उसी प्रकार से करवाये हैं जिस प्रकार से शकुनि ने जो पासे पटके थे उस प्रकार के पासे सरकार ने पटके हैं, इस कोशिश में कि हमारी सरकार में हमारा राज आ जाए। इसके अन्दर सरपंचों की हत्याएं हुई हैं, अपहरण हुए हैं, 350 मुकदमें दर्ज हुए हैं और सरकार कहती है कि संवदेनशील

(श्री भरतसिंह)

तरीके से चुनाव हुए हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जिस सरपंच की हत्या हुई है उस क्षेत्र का एक मंत्री सरकार में बैठा हुआ है। जो हत्या हुई वह राजनैतिक कारणों से हुई और एक दिन उसके घर बैठने सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं गया, 5–5 मंत्री हैं सरकार के....(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुआ) : कौन मंत्री हैं ? ...(व्यवधान)....

श्री भरतसिंह : और किसी प्रकार की सहायता राशि नहीं दी गयी सरकार से, इस प्रकार की घटनाओं पर घटनाएं घटना और उन पर चिंतन नहीं करना यह अत्यन्त निराशाजनक बात है। सरकार ने अपनी उपलब्धियां– सड़क नीति बनायी, सड़क मंत्री यहां मौजूद हैं। मैं इस बात को कहता हूं कि "चिराग तले अन्धेरा होता है" पर यहां घोर अन्धेरा है जिस सम्भाग से ये आते हैं ये सड़क नीति बनाकर इस बात का दावा करते हैं कि हमने इस प्रकार की नीति बनायी है। जिससे सड़कों का विकास होगा यह इतनी निराशाजनक नीति है, क्योंकि जहां पर ये कहते हैं कि सड़क विकास की धमनियां हैं, शायद वह इस आधार पर कहते हैं कि ये स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं और धमनी जब रुक जाती है तब आदमी के प्राण निकल जाते हैं। इसी प्रकार से जिस सड़क पर पुल नहीं होती है उस सड़क पर बरसात में यातायात बन्द हो जाता है। आप उस जिले से आते हैं और उस शहर के रहने वाले हैं, आप कीचड़ में उतर कर नाव में नहीं बैठे, आपकी औरतें रपट कर नीचे नदी में तो नहीं गयीं। यहां पर 98 पर्सेंट ब्रिजेज ऐसी हैं जो स्टेट टाइम के पहले की बनी हुई हैं, बरसात के अन्दर पूरे रास्ते बन्द हो जाते हैं और उन पुलियाओं के लिये इस शताब्दी के अन्दर कोई व्यवस्था नहीं है कि वह पुलियाएं बन जाएंगी। इस प्रकार की नीति उस सम्भाग के मंत्री जो कोटा सम्भाग से आते हैं, जहां रियासत के जमाने की 40 पुलियाएं हैं और वह पुलियाएं पूरा रास्ता, यहां तक नेशनल हाईवे नम्बर 12, इतनी अपमानजनक बात कि नेशनल हाईवे नम्बर 12 जो जबलपुर तक जाता है और उस पर रास्ता बन्द हो जाए और यह कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार पैसा नहीं देती है। केन्द्रीय सरकार ने बनास के ऊपर नेशनल हाईवे के ऊपर तो पैसा दे दिया जहां से कि उस पुल से दूसरी पुल दिखती है, यह आपके सोच की कमी है कि आपने नहीं बताया केन्द्रीय सरकार को कि कौनसी पुल प्राथमिकता से पहले लेनी चाहिये। झालावाड़ जिले के मंत्री यहां बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षिप्त करें।

श्री भरतसिंह : पुल बना देंगे तो मैं धन्यवाद इन्हीं को दूंगा। सही कह रहा हूं कि इलाके का भला हो जाएगा, मैं कोई बोलने के लिये नहीं बोल रहा हूं। मैं तो वही बातें कह रहा हूं जो राजस्थान के भले की हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, बोलें आप। मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर संक्षिप्त करें। फरमायें आप।

श्री भरतसिंह : हमारी धमनियां बन्द हो रही हैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि उन क्षेत्रों में जहां पर राजस्थान की पुलियाएं थीं, वहां पुलियाएं बनायें।

दूसरी चीज, पर्यटन नीति बनाने की बात करते हैं, पर्यटन के विकास की बात करते हैं। राजस्थान में पर्यटन का जबर्दस्त स्कोप है, परन्तु जहां पर पर्यटन महत्व की 20 सड़कें हैं, 20 करोड़ की योजना है, पर्यटन के विकास की दृष्टि से पर्यटन महत्व की सड़कों को जोड़ने की, उनको भी अभी प्राथमिकता से नहीं लिया गया है और उन पर भी इस शताब्दी के अन्त में, उन पर्यटन की दृष्टि से महत्व की सड़कों पर विचार करेंगे। यह पर्यटन को बढ़ावा देने वाली बात है, जहां पर राजस्थान के असेस्ट्स हैं उसको तो आपने पीछे छोड़ दिया, धार्मिक स्थल के महत्व की सड़कें हैं उनको भी शताब्दी के एण्ड में लेंगे।

यह बजट स्वास्थ्य को समर्पित है। मैं तो कहना चाहता हूं कि आप जड़ी-बूंटी की भी खेती कर लें उस पर आपका लाभ बना लेना। इस बीमार सरकार की जड़ी-बूंटी की खेती करने की बात भी की है। आपका स्वास्थ्य अगर जड़ी-बूंटी से ठीक हो जाए तो मुझे खुशी है कि आप जड़ी-बूटी की खेती करिए। स्वास्थ्य का बजट देने से क्या आप स्वास्थ्य ठीक कर लेंगे ? पिछले साल का बजट शिक्षा को समर्पित था, आपके रिजल्ट्स तो देखो, इस अभिभाषण को कोई नहीं पढ़ता।....(व्यवधान) आप सुनिए तो सही, मेरी बात को सुनिए। 5-6 बातों से गांव का आदमी प्रभावित होता है। आपके गांव के हैण्ड पम्प में पानी आता है या नहीं, आपके गांव की चक्की पर आटा टाइम पर पिसता है या नहीं, गांव वालों की क्या स्थिति है, हैण्ड पम्प की क्या स्थिति है, स्कूल में टीचर आता है या नहीं आता ? आपने पिछले साल बजट शिक्षा को समर्पित कर दिया पर टीचर्स जा नहीं रहे हैं वहां पर और उन लोगों को, जिनसे यह व्यवस्था सुधरेगी, उसको ठीक करने का सरकार में दम नहीं है। पटवारी के सम्बन्ध में नीति बना लेंगे कि इस जिले से, इस तहसील से राजस्थान के दूसरे कोने में स्थानान्तरण कर देंगे मगर ऐसा निर्णय सरकार कर नहीं सकती, क्योंकि सरकार जो कहती है उसको करने में सक्षम नहीं है। आज आप प्राइमरी और मिडल स्कूल के टीचर्स को पंचायत समिति में दे दीजिये, व्यवस्था पंचायत समिति वाले कर लेंगे, आप जनता को ताकत देना चाहते हैं। पर एक दिन भी आप ऐसा निर्णय नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि कर्मचारी खिलाफ हो गये तो वोट लेने में प्लानिंग को फेल कर देंगे। इस प्रकार की अव्यवस्था की बात और इस दिशा के सम्बन्ध में कोई बात कही होती तो आंकड़े देने से ही यह काम चल जाए तो पहले भी आपने आंकड़े दिये हैं और इस अस्वस्थ सरकार ने अपने स्वास्थ्य का बजट दे दिया तो ठीक है, मेरे ख्याल से इस सरकार का स्वास्थ्य ही ठीक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल जी मीणा। संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य श्री कालीचरण सराफ ने जो अभिभाषण के समर्थन में प्रस्ताव रखा है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। मैं समर्थन इसलिए करना चाहता हूं कि....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी तीन मिनट बाकी हैं आप अपनी बात पूरी कह सकते हैं।

श्री कन्हैयालाल मीणा : अभी प्रदेश में जो चहुंमुखी विकास भारतीय जनता पार्टी के शासन में माननीय श्री शेखावत साहब के कुशल नेतृत्व में....(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी माननीय सदस्य का भाषण 5 बजे तक समाप्त नहीं हो, तो परम्परा यह रही है कि 5-10 मिनट का उनके भाषण समाप्त होने के तक या....

श्री उपाध्यक्ष : यह हो जाएगा....

श्री खेतसिंह राठौड़ : कल हो जाएगा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कल नहीं होगा। आपको अधिकार है कि....

श्री उपाध्यक्ष : विराजें आप।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदस्य के भाषण समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया। माननीय सदस्य बोलें आप। जल्दी से जल्दी समाप्त करें।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री कन्हैया लाल मीणा : माननीय श्री शेखावत साहब के नेतृत्व में प्रदेश का चहुंमुखी विकास बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात के, अनुसूचित जाति और जन जाति आदि सब का हुआ है इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। माननीय शेखावत साहब ने अनुसूचित जाति/जन-जाति का व्यक्ति जो दूरदराज गांवों में बसा था, जिसको पहले वोट बैंक मानते थे, कांग्रेस सरकार यह मानती थी, खाली वोट लेने के अलावा उन्हें कोई पूछने नहीं जाता था लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने पंचायतों के अन्दर पंचो, सरपंचों, प्रधानों, जिला प्रमुख, महापौर, उप महापौर, नगरपालिकाओं के अध्यक्ष और पार्षदों आदि में उनको आसीन किया, बोलने का अधिकार दिया, अपनी बात कहने का अधिकार दिया, उसके लिये मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, साथ ही माननीय शेखावत साहब और गृह मंत्रीजी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आज तक किसी व्यक्ति

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

का अपहरण हुआ चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो या अन्य कोई राज्य सरकारें हों तो अपहृत व्यक्ति को छुड़वाने के एवज में किसी उग्रवादी को छोड़ना पड़ा है और जब तक उग्रवादी को नहीं छोड़ा तब तक अपहृत व्यक्ति को छुड़वाया नहीं जा सका लेकिन श्री राजेन्द्र मिर्धा को बिना कोई नुकसान पहुंचायें उग्रवादियों के चंगुल से छुड़वाया।

(17.00)

ईरानियों को लालसोट में अरेस्ट करके जिस प्रकार की सजगता का परिचय दिया, उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं।

साथ ही मैं विद्युत मंत्रीजी और माननीय शेखावत साहब को भी बधाई देना चाहूंगा कि आज विद्युत के मामले में, ऊर्जा के मामले में उन्होंने वह सोचा कि किसानों की जड़-मूल समस्या कैसे नष्ट हो सकती है। बिजली की समस्या किसानों की जड़-मूल समस्या है, उसके लिये 3200 मेगावाट बिजली के जो अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर टेंडर मांगे गये हैं, उसके लिये भी यह सरकार बधाई की पात्र हैं। मैं माननीय विद्युत मंत्रीजी को इसके लिये भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि किसानों को जिस प्रकार का टार्गेट दिया जाता है, गयी बार 3500 या 3800 के टार्गेट विद्युत कनेक्शन का दिया गया और उसके अलावा भी उन्होंने अलग से भी "तुरन्त योजना" और "नर्सरी योजना", जिन गांवों का विद्युतीकरण का 50 साल बाद देश आजाद होने के बाद भी नहीं किया गया। आज वहां का काश्तकार लाखों रुपया खर्च करके कुआं बनवाता है और कुआं बनवाने के बाद में भी, आज पैसा फूंककर तमाशा देखने वाली बात है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अलग से स्कीम, टार्गेट के अलावा अगर कोई काश्तकार नर्सरी योजना में कनेक्शन लेना चाहता है तो उसका एक लाख रुपये का कुआं, काश्तकार का 10 साल या 12 साल में कनेक्शन का नम्बर नहीं आता है लेकिन नर्सरी योजना के तहत यदि उनका नम्बर पहले आ जाता है और पैसे वाली पार्टियां लेकर और उनका गांव विद्युतीकृत होता है, तो गरीबों का नम्बर भी जल्दी आता है, उसके लिये भी मैं उनको बधाई देना चाहूंगा।

इस प्रकार की जो नीतियां, चाहे वह खनिज नीति हो, चाहे वह सड़क नीति हो, बिना किसी भेदभाव के नीतियां बनी हैं। इसके साथ मैं माननीय खनिज मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि खनिज नीति में जिस प्रकार की नीतियां निर्धारित की हैं, हजारों ऐसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी मजदूर, जो शुरू से खनन का काम करते आ रहे हैं और जो भूमिहीन हैं, उन हजारों मजदूरों के लिये, एक पहाड़ को एक व्यक्ति को 10-10 किलोमीटर तक आप अलाट कर देते हैं, उनको उसको लीज पर दे दिया जाता है लेकिन वे हजारों मजदूर, जिनको पुलिस के जरिये या और किसी जरिये हटाकर बेरोजगार कर दिया जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उन हजारों मजदूरों को, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी यही काम करते रहे हैं, उनका पुश्तैनी धंधा यही है, उनको चाहे आप 50-50 मीटर का, चाहे आप 100-100 मीटर का एक टुकड़ा, जो

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

चेजा का पत्थर निकालते हैं, ऐसे उन मजदूरों के नाम पर अलाट किया जाय तो हम सरकार का अहसान नहीं भूलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री कन्हैयालाल मीणा : साथ ही अकाल राहत के तहत जिस प्रकार का कार्यक्रम बिना किसी भेदभाव के और अकाल के कामों में आज तक होता यह रहा है कि खाली मिट्टी पड़ी है और पहले वाली पड़ी मिट्टी पर दुबारा डालकर पैसा उठाया गया है। तालाब बना है या नहीं बना है लेकिन डब्ल्यू. बी. एम. की सड़कों का निर्माण किया गया, उसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। बिराजिये।

श्री कन्हैयालाल मीणा : साथ ही माननीय भैरोंसिंह शेखावत साहब के कुशल नेतृत्व में, वित्तीय प्रबन्ध के कारण, जो देश के 25 राज्यों के ऊपर जितना कर्जा है उसका 6.3 प्रतिशत कर्जा राजस्थान सरकार पर था, वह कर्जा माननीय शेखावत साहब के कुशल नेतृत्व में 5.13 प्रतिशत रह गया है, इसके लिये भी वे बधाई पात्र है।

पिछले चार सालों में केन्द्रीय सरकार में एक लाख करोड़ का कर्जा लिया गया, वह कर्जा भी ज्यादातर मात्र ब्याज में जा रहा है। यह अकुशलता का परिचय है उसके लिये केन्द्र सरकार दोषी है। साथ ही मैं....

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 5 अप्रेल, 1995 के 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 17.05 बजे, दिनांक 5 अप्रेल, 1995 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

देवस्थान की कृषि भूमि पर अतिक्रमण

200. श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सोनियाना तहसील गंगरार (चित्तौड़गढ़) के पास देवनारायण के नाम देवस्थान की कृषि भूमि है ? यदि हां, तो श्री किशन पुत्र श्री घीसा गूजर ने देवस्थान के खाते की कृषि योग्य कितनी भूमि पर अपना कब्जा कर मकान व बाड़ा बना रखा है ?

(2) सरकार अतिक्रमी के उक्त कब्जे को कब तक बेदखल करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम सोनीयाना तहसील गंगरार (चित्तौड़) को जमाबन्दी सम्वत् 2050–2053 के खाता संख्या 890 के अनुसार "श्री देवजी नारायण स्थान देह" के नाम कुल किता 7 रकबा 1.71 हैक्टेयर कृषि भूमि खातेदारी हक दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

देवस्थान के खाते को 1.71 हैक्टेयर कृषि भूमि श्री किशन पिता मु. घीसा गूजर बहैसियत पुजारी कब्जे काश्त में है। इस भूमि पर कोई मकान व बाड़ा बना हुआ नहीं है।

(2) उपर्युक्त वर्णित अनुसार भूमि श्री किशन पिता मु. घीसा गूजर का पुजारी की हैसियत से पुश्तैनी कब्जे काश्त होने से अतिक्रमण की स्थिति नहीं बनने के फलस्वरूप बेदखल करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

पंचायत समिति क्षेत्र सहाड़ा रायपुर (भीलवाड़ा) में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत निर्मित आवास

201. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करें :—

(1) क्या भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा-रायपुर पंचायत समिति क्षेत्र में भी इन्दिरा आवास योजना कार्यरत है ? यदि हां, तो इसमें कुल कितने आवास कहां-कहां निर्मित किये जा रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त निर्मित सभी आवास गृहों का सदुपयोग हो रहा है ? यदि हां, तो कहां-कहां व कब से ? इन पर कुल कितना व्ययभार आया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन्दिरा आवास योजना को अधिक उपयोगी तथा व्यावहारिक बनाने के लिए कोई योजना विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(167)

उत्तर

(1) जी हां, भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा एवं रायपुर पंचायत समिति क्षेत्र में भी इंदिरा आवास योजना कार्यरत है। वर्ष 1986–87 से 1994–95 तक पंचायत समिति, सहाड़ा में 251 आवास पूर्ण किये गये है तथा 64 आवास निमर्णाधीन हैं। पंचायत समिति रायपुर में 224 आवास पूर्ण किये गये एवं 60 आवास निर्माणाधीन है जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर प्रस्तुत है।

(2) पंचायत समिति सहाड़ा एवं रायपुर में 475 आवास पूर्ण हुए तथा 124 आवास निर्माणाधीन हैं। इन 475 पूर्ण आवासों में से 343 आवास गृहों में लाभार्थी आवास में रह रहे हैं अतः लाभार्थियों द्वारा आवास में रहने का ग्रामवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर प्रस्तुत है। इन निर्मित आवासों पर कुल रु. 49.56 लाख का व्यय भार है जिसका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है—

क्र.सं.	पंचायत समिति	वर्ष	व्यय (लाखों में)
1.	सहाड़ा	1986–87	0.60
		1987–88	4.15
		1988–89	0.87
		1991–92	1.18
		1992–93	3.04
		1993–94 } 1994–95 }	14.88
			24.72

क्र.सं.	पंचायत समिति	वर्ष	व्यय (लाखों में)
	रायपुर	1986–87	2.79
		1987–88	3.67
		1988–89	1.03
		1990–91	1.90
		1991–92	2.25
		1992–93	3.04
		1993–94 } 1994–95 }	10.16
		योग :	24.84

(3) इंदिरा आवास योजना में जहां कालोनी में मकान बनाए गए थे वहां ग्राम से दूर होने के कारण लाभार्थी आवास में निवास नहीं करते थे। अतः इसे अधिक उपयोगी बनाने के लिए वर्ष 1990–91 में इसमें संशोधन किया गया कि लाभार्थी ग्राम में जहां निवास कर रहा है वहीं वह मकान निर्माण करें तथा मकान की डिजाइन भी उसकी आवश्यकता के अनुसार बनावें।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

अजमेर व पुष्कर क्षेत्र के पर्यटन स्थलों का विकास

202. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पर्यटन विभाग द्वारा अजमेर व पुष्कर क्षेत्रों के

(श्री विष्णु मोदी)

पर्यटन स्थलों एवं पर्यटन की सम्भावनाओं के विकास के लिए विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार कराया गया है ?

(2) विकास योजनाओं का प्रारूप किसने तैयार किया है तथा इस प्रारूप के अनुसार अजमेर व पुष्कर के किन-किन पर्यटन स्थलों का विकास किया जाना है और प्रत्येक पर्यटन स्थल पर कितनी राशि व्यय किये जाने की योजना है ?

(3) उक्त प्रारूप के अनुसार अजमेर व पुष्कर के पर्यटन स्थलों का विकास कब तक कर लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) प्रारूप मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है। विस्तृत सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन के पश्चात् निम्न स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से विकास करने हेतु चयन किया गया है :—

(1) अढ़ाई दिन का झोपड़ा
(2) तारागढ़ किला
(3) आनासागर व बारादरी

टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, नई दिल्ली द्वारा वित्तीय प्रस्ताव तैयार किये गये हैं, जिन पर अभी विभाग द्वारा निर्णय लिया जाना शेष है।

(3) प्रारूप के अनुसार अजमेर व पुष्कर के पर्यटन स्थलों का विकास विभाग की भविष्य की योजना, प्राथमिकता तथा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को मद्देनजर रखते हुये सम्पन्न किया जाएगा।

कृषि उपज मण्डियों हेतु सड़कों के संतुलित विकास की योजना

203. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खानपुर कृषि उपज मण्डी जिला झालावाड़ तथा सांगोद कृषि उपज मण्डी जिला कोटा में कुल कितने गांव हैं ? इन मण्डियों के कितने गांवों में कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़क निर्माण कार्य करवाया गया है ?

(2) कोटा की लाडपुरा मण्डी में कुल कितने गांव हैं तथा कितने गांवों को अब तक कृषि उपज मण्डी द्वारा सड़कों से जोड़ा गया है ? कुल कितनी लम्बाई में सड़क निर्माण कार्य अब तक इस मण्डी में हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) कृषि उपज मण्डी खानपुर-सांगोद तथा लाडपुरा की गत वर्ष तथा इस वर्ष की कुल आय क्या है ? आय में यदि बहुत अधिक अन्तर है तो इसके क्या कारण हैं ?

(4) क्या कृषि विपणन बोर्ड में कमजोर मंडियों तथा सम्पन्न मंडियों में सड़कों के सन्तुलित विकास की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मंडी समिति, खानपुर जिला झालावाड़ में 205 गांव तथा सांगोद जिला कोटा में 214 गांव हैं। इन मंडी समितियों द्वारा किसी भी गांव में सड़क निर्माणकार्य नहीं कराया गया।

(2) लाडपुरा नाम की कोई कृषि

(कृषि राज्य मन्त्री)

उपज मंडी नहीं है। लाड़पुरा तहसील कृषि उपज मंडी समिति, कोटा के क्षेत्र में आती है। जिनमें 146 गांव हैं। मंडी समिति कोटा द्वारा 197.91 कि. मी. की लम्बाई में सड़क निर्माण कराया गया है। गांवों एवं सम्पर्क सड़कों की सूचना परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) कृषि उपज मंडी समिति, खानुपुर, सांगोद एवं कोटा की गत वर्ष तथा इस वर्ष की आय का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। वर्ष 94-95 की कुल आय में माह मार्च 95 में होने वाली सम्भावित आय को सम्मिलित किये जाने पर आय लगभग बराबर होने की सम्भावना है। जहां तक कोटा, सांगोद एवं खानपुर की मंडियों की वार्षिक आय में विषमता का प्रश्न है इसका कारण कोटा राजस्थान की एक प्रमुख मंडी है, तथा आस-पास के क्षेत्र का कृषि उत्पाद भी विक्रय हेतु यहां आता है।

(4) कमजोर मंडियों के क्षेत्र में सड़क निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत योजना परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

कारखाना एवं वायलर्स विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के मानदण्ड

204. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभिन्न अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत कारखाना एवं वायलर्स विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के लिए मानदण्ड निर्धारित है ? यदि हां, तो वर्ष 1987 से 1993 की अवधि में किस-किस अधिकारी ने कितने-कितने प्रतिशत मानदण्डों की पूर्ति की है ? वर्षवार अधिकारी के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या निर्धारित नार्म्स पूर्ण नहीं करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन में प्रतिकूल प्रविष्टि भी अंकित नहीं की गयी एवं योग्यता के आधार पर उनकी पदोन्नति की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, विभिन्न अधिनियमों एवं इनके अन्तर्गत बने नियमों में निरीक्षण के मानदंड निधारित नहीं हैं। परन्तु विभागीय मैनुअल में प्रशासनिक आदेशों से विभिन्न अधिकारियों के लिये नार्म्स निर्धारित किये गये हैं। अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों की वर्षवार सूचना परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) जी नहीं, कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन गोपनीय दस्तावेज हैं जो कार्मिक विभाग द्वारा संधारित किये जाते हैं। पदोन्नतियां विभागीय पदोन्नति समितियों की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार की जाती हैं।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राज्य के राजकीय उपक्रम

205. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिन्डौली) : क्या मुख्य (राजकीय उपक्रम) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार की किन-किन राजकीय उपक्रमों में कितनी-कितनी हिस्सा राशि है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार निरन्तर घाटे में चलने वाले उपक्रमों को बन्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौन से उपक्रमों को ?

(3) क्या सरकार इन उपक्रमों में लगी शेयर राशि को बेचने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किन-किन उपक्रमों की और किस-किस रूप में ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की जिन राजकीय उपक्रमों में अंश पूंजी लगी हुई है उसका विवरण (दिनांक 1.4.94 तक) परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां, निरन्तर घाटे में चल रहे उपक्रमों के सम्बन्ध में उनके प्रबन्धन एवं सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों द्वारा सम्बन्धित उपक्रम के घाटे की स्थिति, सार्वजनिक हित में उनकी उपादेयता, पुनर्जीवन की सम्भावना, कर्मचारियों के हित एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के परीक्षण के उपरान्त ही गुणावगुण के आधार पर उचित निर्णय लिया जाता है।

इस संदर्भ में अब तक निरन्तर घाटे में चलने वाले उपक्रमों यथा राजस्थान लघु उद्योग निगम लि. की लाडनूं व चूरू इकाइयों, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. की ग्लास फैक्ट्री, धौलपुर एवं राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लि. को बन्द करने का निर्णय लिया है।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट "म"

राजकीय उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंश पूंजी का विवरण
(दिनांक 1-4-94 की स्थिति)

(लाख रु. में)

क्र.सं.-	राजकीय उपक्रम का नाम	अंश पूंजी की राशि
1.	राजस्थान राज्य विद्युत मंडल	61309·00
2.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लि०	12053.25
3.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	8112·50
4.	राजस्थाम राज्य खान एवं खनिज लि०	6171·60
5.	राजस्थान वित्त निगम	5415·70
6.	राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ लि०	5249·09
7.	राजस्थान भूमि विकास निगम	2051·45
8.	राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लि०	1453·00
9.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि०	1383·84
10.	श्री गंगानगर कॉटन कॉम्पलेक्स लि०, श्री गंगानगर	1220·07
11.	श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स लि०, केशोरायपाटन	655·88
12.	राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ लि०	532·16
13.	राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि० गुलाबपुरा	530·26
14.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लि०	491·39
15.	गंगापुर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि०, गंगापुर	489·22
16.	गंगानगर सहकारी स्पिनिंग मिल्स लि० हनुमानगढ़	415·77
17.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लि०	412·95
18.	राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि०	360·33
19.	राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि०	319·35
20.	राजस्थान जनजाति विकास सहकारी संघ लि०	310·99
21.	राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि०	289·81
22.	राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लि०	287·74

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राजकीय उपक्रम का नाम	अंश पूँजी की राशि
23.	राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम	282·63
24.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लि०	233·00
25.	राजस्थान राज्य पुल निर्माण निगम लि०	220 00
26.	राजस्थान राज्य सहकारी भेड़ एवं ऊन विपणन संघ लि०	204·48
27.	राजस्थान स्टेट टेनरीज लि०	194·16
28.	राजस्थान जल विकास निगम लि०	127·00
29.	राजस्थान राज्य बीज निगम लि०	109·00
30.	राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लि०	108.60
31.	राजस्थान राज्य होटल निगम लि०	106·75
32.	श्री गंगानगर सहकारी आयल सीड प्रोसेसिंग मिल्स लि० गजसिंहपुर	71·25
33.	राजस्थान राजकीय लवण श्रोत, डीडवाना	57·36
34.	राजस्थान राजकीय लवण श्रोत, पचपदरा	27·77
35.	राजस्थान राज्य वन विकास निगम लि०	19·00
36.	राजस्थान स्टेट कैमिकल वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फाईड फैक्ट्री)	15·83
37.	राजस्थान स्टेट कैमिकल वर्क्स, डीडवाना (सोडियम सल्फेट वर्क्स)	9·58
38.	राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड	0·00
39.	राजस्थान स्टेट टंगस्टन डवलपमेंट कार्पोरेशन लि०	0·00
40.	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स लि०	0·00
41.	राजस्थान आवासन मंडल	0·00
42.	राजस्थान सहकारी डेयरी फैडरेशन लि०	0·00
	योग	111301·66

— उक्त अंश पूँजी का विवरण सम्बन्धित उपक्रम के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना, वार्षिक लेखे एवं वित्त (पी. आई.) विभाग द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर तैयार किया गया है।

— राजस्थान राज्य सहकारी जनजाति विकास निगम लि० उदयपुर के सम्बन्ध में प्रदत्त अंश पूँजी की सूचना वर्ष 92–93 तक की है।

राजस्थान शिक्षा सेवा के पद

206. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शिक्षा विभाग में राजस्थान शिक्षा सेवा के अधीन कौन-कौन से पद सम्मिलित हैं ?

(2) क्या यह सही है कि स्कूली व्याख्याता (प्रथम श्रेणी) का पद राजस्थान शिक्षा सेवा में सम्मिलित किया गया है और इसका वेतनमान 2000–3200 का है ?

(3) क्या यह भी सही है कि व्याख्याता (उद्योग शिक्षक) प्रथम श्रेणी को भी राजस्थान शिक्षा सेवा में सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो व्याख्याता (उद्योग शिक्षक) प्रथम श्रेणी का वेतनमान क्या है ?

(4) व्याख्याता (उद्योग शिक्षक) के पद का वेतनमान 2000–3200 को मान्य करने में विभाग को क्या कठिनाई है और इस विसंगति को कब तक दूर कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा में राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के अन्तर्गत निम्नलिखित पद राजस्थान शिक्षा सेवा में सम्मिलित हैं:—

1. व्याख्याता एवं समकक्ष
2. प्रधानाध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) एवं समकक्ष
3. उप प्रधानाचार्य एवं समकक्ष
4. प्रधानाचार्य एवं समकक्ष
5. जिला शिक्षा अधिकारी एवं समकक्ष
6. उप निदेशक एवं समकक्ष
7. संयुक्त निदेशक
8. अपर निदेशक

(2) जी, हां। इस पद का वेतनमान (15) 2000–3500 है।

(3) जी, हां। उद्योग व्याख्याता टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का वेतनमान (15)·2000–3500 कर दिया गया है एवं उद्योग अनुदेशक (प्रथम श्रेणी) के वेतनमान से संबंधी प्रकरण विचाराधीन है।

(4) टी. टी. कॉलेज के उद्योग अनुदेशकों के अलावा अन्य उद्योग अनुदेशक (प्रथम श्रेणी) का वेतनमान क्रमोन्नत कर 2000–3500 किये जाने के मामले पर विचार किया जा रहा है।

सूखा सम्भाव्य क्षेत्र खण्डार में कृषि विद्युत कनेक्शन

207. श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खण्डार एक सूखा सम्भाव्य क्षेत्र है ? यदि हां, तो इस क्षेत्र को हरा भरा करने के लिए सरकार द्वारा इस क्षेत्र के किसानों को कृषि कनेक्शन देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(2) क्या सरकार ने सूखा सम्भाव्य क्षेत्र के विकास के लिए कृषि विद्युत

(श्री हरिनारायण बैरवा)

कनेक्शन देने की कोई नीति भी निर्धारित की हुई है ?

उत्तर

(1) जी हां, पंचायत समिति, खण्डार केन्द्र सरकार के डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत सूखा सम्भाव्य क्षेत्र माना गया है। इस क्षेत्र के किसानों को भी कृषि कनेक्शन अन्य क्षेत्रों की भांति राज्य सरकार द्वारा आवंटित लक्ष्यों को लम्बित आवेदन-पत्रों के अनुपात में पंचायत समिति-वार/ग्रामवार बांटकर प्रत्येक वर्ष निर्धारित नीति के अनुसार दिये जाते हैं।

(2) जी नहीं, वर्तमान में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र के विकास हेतु कृषि कनेक्शन देने की कोई अलग नीति निधारित नहीं है।

सराड़ा विधान सभा क्षेत्र के राजस्व प्रकरणों में अनियमितता

208. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सराड़ा विधान सभा क्षेत्र में पिछले सेटलमेंट के समय भारी अनियमितता हुई थी ?

(2) कितने ऐसे काश्तकार हैं जिनके पुराने कब्जे तथा पुराने खाते की जमीन जो सेटलमेंट के समय बिला नाम घोषित कर दी गयी और अब उनसे पुनः पेनल्टी वसूल की जा रही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि यह मामला विधान सभा के विगत सत्र में भी उठाया गया था ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इन सभी मामलों की सूची बना कर तहसीलदार स्तर के अधिकारी को सुओ-मोटो अधिकार देकर जांच कराने एवं समस्या का समाधान कराने की मंशा रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। विस्तृत सूचना भाग-3 के उत्तर में दी गयी है।

(2) ऐसे 80 काश्तकार हैं, जिनके पुराने कब्जे तथा पुराने खाते की जमीन जो सेटलमेन्ट के समय बिला नाम घोषित कर दी गयी और उनसे पुन: पेनल्टी वसूल की जा रही है। सूची संलग्न है।

(3) जी हां, गत विधान सभा सत्र में माननीय सदस्य श्री रघुवीरसिंह मीणा ने नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये इस मामले को उठाया था। इसकी जांच करवाये जाने पर यह पाया गया कि ये वे मामले है जिनके अन्तर्गत कृषकों को भूमि तो आबंटित हुई थी, लेकिन मौके पर कब्जा नहीं था। इसके अलावा ऐसे भी मामले थे, जिनमें भूमि का आबटन किसी अन्य खसरा नम्बर का तथा मौके पर काश्त दूसरे नम्बर पर कर ली गयी थी। ऐसे मामलों की सूची तैयार कर जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा भू-प्रबन्ध विभाग को भिजवाई गयी, किन्तु दिनांक 6.7.89 से भू-प्रबन्ध कार्यवाही बन्द होने की अधिसूचना जारी होने के कारण कोई

(राजस्व मंत्री)

कार्यवाही भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा नहीं की जा सकी तहसीलदार सराड़ा को निर्देशित किया गया कि सूचियों की जांच कराकर अपने स्तर पर कार्यवाही करे। तत्पश्चात् तहसीलदार, सराड़ा द्वारा 1649 काश्तकारों को पटवारियान के माध्यम से इस आशय की सूचना भिजवाई गयी की वह इन सूचियों को शुद्धिकरण के लिये सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करावें। इसके अन्तर्गत 1649 काश्तकारों में से 14 काश्तकारों के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर में इन्द्राज दुरुस्ती के वाद प्रस्तुत किये गये। शेष 1635 काश्तकारों ने सक्षम न्यायालय में इन्द्राज दुरुस्ती के कोई वाद दायर नहीं कराये गये हैं। वाद दायर होने के पश्चात् ही सक्षम न्यायालय द्वारा निस्तारण किये जा सकेंगे।

(4) प्रभावित काश्तकारों के इन्द्राज दुरुस्ती के वाद दायर/निस्तारण के लिए शिविर (लोक अदालत) अभियान के तौर पर पंचायत मुख्यालय पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है, ताकि आदिवासियों की समस्याओं का समाधान हो सके।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

सहकारी संघों का आडिट

209. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राजस्थान तिलम संघ, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, राजस्थान सहकारी स्पिनिंग फैडरेशन तथा राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ का सहकारी कानून के मुताबिक ऑडिट प्रतिवर्ष होता है ? यदि हां, तो किस संघ का आडिट किस वर्ष तक का हुआ है और किस वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट संस्थान में पहुंच चुकी है ?

(2) क्या उक्त संघों में किसी संघ का ऑडिट बकाया है ? यदि हां, तो किस-किस संघ का और किस वर्ष का ?

(3) क्या बकाया ऑडिट के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार सहकारी विभाग ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चारों संघों की आडिट की स्थिति निम्न प्रकार है:–

1- तिलम संघ
आडिट वर्ष 1991-92 तक का हो चुका है। रिपोर्ट 1991-92 तक की जारी हो चुकी है।

2- क्रय विक्रय संघ
वर्ष 1989-90 तक का आडिट हो चुका है तथा रिपोर्ट वर्ष 1989-90 तक की जारी की जा चुकी है।

3- स्पिन फैड
वर्ष 1993-94 तक का आडिट हो चुका है तथा रिपोर्ट भी जारी की जा चुकी है।

4- दुग्ध उत्पादक संघ
वर्ष 1990-91 तक का आडिट किया जा चुका है तथा वर्ष 1990-91 की रिपोर्ट जारी की जा चुकी है।

(176)

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी हां। तीन संघों का आडिट बकाया चल रहा है बकाया की स्थिति इस प्रकार है—

1- तिलम संघ	वर्ष 1992-93 व 1993-94
2- क्रय विक्रय संघ	वर्ष 1990-91 से 1993-94
3- दुग्ध उत्पादक संघ	वर्ष 1991-92 से 1993-94

(3) जी हां। बकाया आडिट शीघ्र निपटाने के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है—

1- क्रय विक्रय संघ

तिलम संघ के गठन के पश्चात राजफैड द्वारा दायित्वों एवं सम्पत्तियों के हस्तान्तरण की तिथि के सम्बन्ध में विवाद उठाये जाने के कारण लेखों का आडिट नहीं हो सका। संघ द्वारा 1.4.90 से 31.12.90 तक के तिलम इकाइयों से सम्बन्धित लेखे आडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किये। दिनांक 7.2.1995 को पंच फैसला हो गया है तथा बकाया आडिट कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएगा।

2- तिलम संघ

तिलम संघ का आडिट वर्ष 1991-92 तक पूर्ण हो गया है। वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 का आडिट कराने हेतु चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट की नियुक्ति क्रमशः दिनांक 23.2.94 एवं 17.6.94 को की गई थी तथा आडिट रिपोर्ट 30.4.95 तक अपेक्षित है।

3- दुग्ध उत्पादक संघ वर्ष 91-92 से 93-94 के अन्तिम लेखे उपलब्ध कराने हेतु ताकीद की जा रही है। संघ की धारा 68 के अन्तर्गत नोटिस भी दिया गया है।

मेवात विकास बोर्ड का गठन व स्वीकृत राशि

210. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मेवात विकास बोर्ड का गठन कब हुआ ? गठन के पश्चात कितनी राशि इस बोर्ड के लिये दी गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस योजना के तहत कौनसी पंचायत समितियां आती हैं और इसकी मीटिंग कब और कहां होती हैं ? इस योजना के अन्तर्गत किस-किस पंचायत समिति को कितनी-कितनी राशि किस-किस वर्ष में दी गयी ?

उत्तर

(1) मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड का गठन 20 फरवरी, 1987 को किया गया। गठन के पश्चात इस योजनान्तर्गत वर्षवार दी गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। परिशिष्ट 'अ'

(2) इस योजना के अन्तर्गत अलवर जिले की सात पंचायत समितियां (गोविन्दगढ़, मुख्यालय लक्ष्मणगढ़, रामगढ़,

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

तिजारा, किशनगढ़ बास, मुण्डावर व उमरेन) तथा भरतपुर जिले की तीन पंचायत समितियां (नगर, डीग एवं कामा) आती हैं।

मेवात क्षेत्रीय विकास बोर्ड की बैठक बोर्ड अध्यक्ष (मुख्य मंत्री महोदय) की सहमति से उनकी सुविधानुसार जयपुर या मेवात क्षेत्र में किसी भी स्थान पर रखी जाती है। योजना के संचालन हेतु इस विभाग से राशि जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को आबंटित की जाती है। पंचायत समिति को कोई राशि आबंटित नहीं की जाती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन देने के नियम

211. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) 1 जनवरी, 1994 से 28 फरवरी, 1995 तक विभाग द्वारा किन-किन समाचार पत्रों व पत्रिकाओं को कितनी-कितनी राशि का विज्ञापन दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य के बाहर के पत्र–पत्रिकाओं को विज्ञापन दिया गया? यदि हां, तो उक्त अवधि में किस-किस को कितना-कितना विज्ञापन दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि विज्ञापन देने के मामले में कोई घोटाला प्रकाश में आया था? यदि हां, तो क्या और उसमें क्या कार्यवाही की गयी?

(4) क्या विज्ञापन देने के लिये सरकार द्वारा कोई नियम बनाये गये हैं अथवा कोई आदेश प्रसारित किये गये हैं? यदि हां, तो नियमों व आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) एक जनवरी, 1994 से 28 फरवरी, 1995 तक विभाग द्वारा समाचार पत्र-पत्रिकाओं को जितनी राशि के विज्ञापन दिये गये हैं, का विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां, विवरण परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(3) जी हां, राज्य अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज शिकायत के आधार पर कुछ समाचार पत्रों को विज्ञापन देने में हुई कुछ अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रकरण पर राज्य अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अनुसंधान किया गया एवं अनुसंधान में प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित हो जाने के बाद सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां, विज्ञापन राजकीय विज्ञापन नियम, 1962 के तहत दिये जाते हैं, प्रति परिशिष्ट "ग" पर उपलब्ध है।

(विवरण एवं प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

(178)

कृषि उपज मण्डी रामगंज मण्डी (कोटा) में पदस्थापित स्टाफ

212 श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मंडी) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी, रामगंज मण्डी (कोटा) राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मण्डी होने के उपरांत भी सरकार को इससे बहुत कम आय प्राप्त होती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मण्डी में पूर्व में जाली बिल बुकें एवं जाली पर्चियां पकड़ी गई थीं ?

(3) यदि हां, तो क्या इस काण्ड में लिप्त कर्मचारियों को यहां से हटा दिया गया था ? क्या अब पुनः उन्हीं कर्मचारियों का पदस्थापन कर दिया गया है ? यदि हां तो क्यों व इन्हें हटाने व पुनः पदस्थापन आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) यह सही नहीं है कि उक्त मण्डी समिति में पूर्व में जाली बिल बुकें पकड़ी गई थी । अपितु वर्ष 1993–94 में जाली विक्रय पर्चियां पकड़ी गयी थीं ।

(3) किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण अथवा पुनः पदस्थापन फर्जी विक्रय पर्ची की शिकायत के आधार पर नहीं किया गया है । प्रकरण की जांच प्रक्रियाधीन है । यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी ।

पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

213. श्री अमरचन्द मिढ्ढा (सूरतगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र की अनूपगढ़ पचायत समिति एवं सूरतगढ़ पंचायत समिति के प्रत्येक पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है ?

(2) जिन पंचायत मुख्यालयों पर उच्च प्राथमिक विद्यालय खोल दिये गये हैं और जिनमें नहीं खोले गये, उन पंचायत मुख्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो कितने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगा दिये गये हैं ? कितने विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगाये जाने बाकी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 95–96 में ऐसी ग्राम पचायतों में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है, जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

(2) पंचायत मुख्यालयों पर उच्च

(शिक्षा मन्त्री)

प्राथमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध है और जहां पर नहीं है, की स्थिति निम्नानुसार है-

पंचायत समिति	पंचायत मुख्यालयों की सं.		
	जहां उ.प्रा. स्तर की शिक्षा है	जहां उ.प्रा. स्तर की शिक्षा नहीं	योग
सूरतगढ़	20	12	32
अनूपगढ़	43	45	88

सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

इसके अतिरिक्त 22 गांवों में उच्च प्राथमिक विद्यालय और हैं जो ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं है।

(3) सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 39 उ. प्रा विद्यालय में च. श्रे. क. के पद स्वीकृत हैं तथा 37 में पद रिक्त हैं तथा शेष 2 में कार्यरत हैं। सूची सदन की पटल पर रख दी गयी है।

राज्य सरकार द्वारा गत कुछ वर्षों से वेतन श्रृंखला 1 से 6 की भर्ती पर प्रतिबन्ध होने से पद भरे नहीं जा सके हैं।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जोधपुर शहरी क्षेत्र में वृक्षारोपण

214. श्रीमती सूर्यकांता व्यास (जोधपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जोधपुर शहर में पर्यावरण संरक्षण के लिए वन विभाग द्वारा क्या कार्य करवाये गये हैं ?

(2) क्या शहरी क्षेत्र में विभाग द्वारा वृक्षारोपण किये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त वृक्षों के संरक्षण की क्या व्यवस्था की गयी है ?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए विशिष्ट योजनाओं जैसे पर्यावरण वानिकी, कायलाना जल ग्रहण परियोजना आदि के अन्तर्गत माचिया, भूतेश्वर एवं चांदण माकर वन खण्डों में वृक्षारोपण, भू-संरक्षण आदि कार्य करवाये जा रहे हैं।

(2) शहरी क्षेत्र में उपरोक्तानुसार कार्य करवाए गए हैं। इनमें से भूतेश्वर वन खण्ड में लगाये गये वृक्षों का संरक्षण स्वयं सेवी संस्थान द्वारा तथा कायलाना परियोजनान्तर्गत कराये कार्यों का संरक्षण इसी परियोजना के अन्तर्गत करवाया जा रहा है।

तहसील मुख्यालय बौंली में सहायक जिलाधीश एवं दण्डनायक न्यायालय

215. श्री हीरालाल (बामनवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सहायक जिलाधीश एवं दण्डनायक न्यायालय, सवाई माधोपुर में तहसील बौंली के कितने मामले विचाराधीन है ?

(श्री हीरालाल)

(2) क्या सरकार जनता की सुविधा को देखते हुए तहसील मुख्यालय बौंली में सहायक जिलाधीश एवं दण्डनायक न्यायालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सहायक कलक्टर एवं दण्डनायक, सवाई माधोपुर के न्यायालय में तहसील बौंली के 620 राजस्व दावे एवं 284 विभिन्न राजस्व आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

(2) जी नहीं।

राज्य तिलम संघ का आय-व्यय

216. श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) राज्य तिलम संघ की स्थापना से अब तक लाभ और हानि का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(2) राज्य के कितने किसानों की पूंजी तिलम संघ में लगी है एवं अब तक इन किसानों को अपना हिस्सा पूंजी के सम्बन्ध में कितना लाभांश दिया जा चुका हैं ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या तिलम संघ ने अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति और गतिविधियों से किसानों व राष्ट्रीय सहकारिता निगम को अवगत करवाया है ? यदि हां, तो कब ?

(4) तिलम संघ के प्रारम्भ से अब तक संचालक मण्डल में रहे किसान प्रतिनिधियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार तिमल संघ के संयंत्रों में करोड़ों रुपयों की राशि की सार्थकता के सम्बन्ध में कोई जांच का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(6) क्या यह सही है कि तिलम संघ ने एक समीक्षा रिपोर्ट में यह माना है कि संघ के राज्य में लगे आठों प्लाण्ट 500 टन की प्रतिदिन उत्पादन क्षमता से कम होने के कारण मुनाफा देने की स्थिति में नहीं हैं ? यदि हां, तो समीक्षा रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

उत्तर

(1) राज्य तिलम संघ की स्थापना से जनवरी, 95 तक की वर्षवार शुद्ध हानि इस प्रकार है–

वर्ष 90–91	109.50 लाख रु.
वर्ष 91–92	530.18 ,, ,,
वर्ष 92–93	1679.77 ,, ,,
वर्ष 93–94	1097.81 ,, ,,
वर्ष 94–95	1439.20 ,, ,,

जनवरी, 95 तक (अनुमानित)

(2) राज्य के किसानों की तिलम संघ

(सहकारिता मन्त्री)

में सीधे से कोई पूंजी विनियोजित नहीं है अत: किसानों को लाभांश देने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(3) जी हां। तिलम संघ की गतिविधियों की जानकारी प्रत्येक सीजन में पंचायत समिति स्तर पर आयोजित होने वाली परामर्शदात्री समितियों की बैठक में किसान प्रतिनिधियों को दी जाती है। प्रत्येक त्रैमास के अन्त में एक रिपोर्ट राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को भी भेजी जाती है।

(4) तिलम संघ के गठन से लेकर आज तक तिलहन उत्पादक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि जो संचालक मण्डल के सदस्य के रूप में मनोनीत रहे हैं, की सूची इस प्रकार है–

1. श्री गुरजंट सिंह
2. श्री जूट सिंह
3. श्री नाथूलाल नागर
4. श्री ओमप्रकाश
5. श्री बनवारीलाल
6. श्री चनणाराम
7. श्री रामसहाय मीणा
8. श्री उम्मेदसिंह शेखावत

(5) जी हां। तिलम संघ के प्रत्येक प्लांट का सक्षमता एवं तकनीकी अध्ययन करवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(6) जी नहीं।

पंचायत समिति कठूमर व कोटकासिम (अलवर) का मेवात विकास बोर्ड में विलय

217. श्री मदन मोहन (खैरथल) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पंचायत समिति कठूमर व कोटकासिम (अलवर) में मेव जाति का क्या प्रतिशत है ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत कोटकासिम (अलवर) मेव जाति बहुल क्षेत्र है ? क्या सरकार उक्त पंचायत समिति को मेवात विकास बोर्ड में शामिल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जनगणना निदेशालय द्वारा प्रकाशित आंकड़ों में मेव जाति की जनसंख्या नहीं दर्शायी गयी है। अत: कठूमर व कोटकासिम पंचायत समिति में मेव जाति का सही प्रतिशत बताया जाना सम्भव नहीं है। लेकिन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा वर्ष 1992 में करवाये गये तदर्थ सर्वे के अनुसार कठूमर में 2.4. प्रतिशत व कोटकासिम में 4.4. प्रतिशत मेव बतलाये गये हैं।

(2) जी नहीं। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पंचायत समिति कोटकासिम मेव बहुल क्षेत्र में नहीं आती क्योंकि मेव बाहुल्य उसी पंचायत समिति को माना गया है जिसमें पंचायत समिति के कम से कम

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

10 प्रतिशत ग्राम मेव बाहुल्य हों और उनमें 50 प्रतिशत से अधिक मेव निवास करते हों, जबकि कोटकासिम पंचायत समिति में 116 ग्रामों में से मात्र 5 ग्राम मेव बाहुल्य हैं। प्रकरण विचाराधीन है।

अजबगढ़ (अलवर) में हैरिटेज होटल निर्माण का विज्ञापन

218. श्री रमाकांत (थानागाजी) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम अजबगढ़ (अलवर) में एक नया होटल हैरिटेज के नाम से बनाया जा रहा है जिसका हाल ही में सभी बड़े दैनिक पत्रों में विज्ञापन छपा है ?

(2) क्या इस प्रकार का विज्ञापन खास तौर से विदेशी पर्यटकों के लिए धोखे की श्रेणी में नहीं आता है ? यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ग्राम अजबगढ़, जिला अलवर में मैसर्स हैरिटेज रिसोर्टस नई दिल्ली को पर्यटन रिसोर्टस बनाने की अनुमति दी गयी है। विज्ञापन दिये जाने की जानकारी पर्यटन विभाग को नहीं है।

(2) जी नहीं। इसका प्रश्न ही नहीं है।

मण्डी यार्ड हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

219. श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कृषि उपज मण्डी समिति (महुआ) रोड मण्डावर के मण्डी यार्ड बनाये जाने के लिए मन्दिर माफी श्री निर्गुण जी महाराज की भूमि अवाप्त की गई थीं ? यदि हां, तो कितनी भूमि अवाप्त की गयी थी ?

(2) क्या यह सही है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी ने बतौर मुआवजा कुछ राशि तय की थी ? यदि हां, तो प्रति बीघा कितनी राशि का मुआवजा तय किया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी ने मुआवजा राशि का भुगतान किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं करके श्री निर्गुण जी महाराज के उत्तराधिकारी को देना तय किया था ? क्या यह भी सही है कि उत्तराधिकार सम्बन्धी विवाद अभी दीवानी न्यायालयों में विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार बिना उत्तराधिकारी तय हुए किस व्यक्ति को भुगतान करने जा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि मुआवजे की की राशि किसी ट्रस्ट को दी जा रही है ? यदि हां, तो तथाकथित ट्रस्ट में कौन-कौन ट्रस्टी हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। वस्तुस्थिति यह है कि कृषि उपज मण्डी समिति, मण्डावर के मण्डी यार्ड निर्माण के लिये महन्त नारायण दास चेला प्रहलाद दास जाति स्वामी साकिन मण्डावर तहसील महुआ के खाते की खसरा नं. 608 की 33 बीघा 11 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई थी। कालान्तर में यह भूमि सम्भागीय आयुक्त, कोटा के आदेश अन्तर्गत एल. आर. 101/87 निर्णय दिनांक 10 3.88 की अनुपालना में नामान्तरण खोला जाकर ठाकुर जी निर्गुणजी महाराज कार्यवाहक ट्रस्टी सन्यासी प्रभू दास चेला नारायण दास के खाते में दिनांक 11.4.88 को दर्ज की गई।

(2) जी हां। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि का प्रति बीघा मुआवजा निर्धारित किया वह परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा मुआवजे का भुगतान निर्गुण महाराज के उत्तराधिकारी को देना तय नहीं किया था अपितु यह निर्देश दिये थे कि भू-स्वामी नारायण दास के उत्तराधिकारी का मामला विवादास्पद बना हुआ है अतः राशि बैंक में जमा करा दी जावे एवं भूमि धारियों (प्रेमदास व बृजभूषण) में से जो भी मृतक नारायण दास के उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र सक्षम न्यायालय से प्राप्त कर प्रस्तुत करे, उसको मुआवजा राशि का भुगतान किया जावे।

यह सही है कि कतिपय विवाद दिवानी न्यायालयों में चल रहे हैं, परन्तु इनमें कृषि उपज मण्डी समिति अथवा राज्य सरकार पक्षकार नहीं है।

दिनांक 11.4.88 को खोले गये नामान्तरकरण द्वारा तहसीलदार महुआ तथा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 5 (15) देव/92 दिनांक 3.2.93 को दृष्टिगत रखते हुए भूमि के मुआवजे का भुगतान मन्दिर श्री निर्गुणजी महाराज न्यास मण्डावर को किया जाना तय किया गया है।

(4) जी हां। मुआवजे की राशि श्री निर्गुण ट्रस्ट के नाम से बैंक ड्राफ्ट बना कर जिला कलक्टर, दौसा के माध्यम से ट्रस्ट को दी जा रही है। श्री निर्गुण महाराज न्यास के एक मात्र ट्रस्टी प्रेमदास चेला नारायण दास है।

परिशिष्ट 'अ'

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि का निम्नानुसार मुआवजा निर्धारित किया था:--

किस्म भूमि	क्षेत्रफल	दर प्रति बीघा	मुआवजा राशि
चाही भूमि	14 बीघा 7 बिस्वा	2680/--	34458.00
बारानी	18 बीघा 7 बिस्वा	2270/--	41655.00
बंजर	17 बिस्वा	1940/--	1569.00
		योग :	81682 00
नौ पेड़ों की कीमत 500 रु. प्रति पेड़			4500.00
30 प्रतिशत सोलेसियम			25855.00
1978 से भूमि की बाजार दर राशि पर 12 प्रतिशत ब्याज की राशि			107820.00
		महायोग :	219857.00

ग्राम खड़लेई, तहसील (सागवाड़ा) में आश्रम स्कूल भवन

220. श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खड़लेई तहसील सागवाड़ा में आश्रम स्कूल का भवन एवं ग्राम पूंचिया बड़ा तहसील सागवाड़ा में कन्या छात्रावास के अभाव में शिक्षार्थियों को आवासीय असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ?

(2) क्या ग्रामीण भूमि देने को तैयार हैं ? यदि हां, तो क्या ऐसी स्थिति में सरकार भवन निर्माण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम खड़लेई तहसील सागवाड़ा में आश्रम स्कूल राजकीय भवन में अवस्थित है एवं छात्र इसी भवन में निवास करते हैं। ग्राम पूंचिया बड़ा तहसील सागवाड़ा में कन्या छात्रावास किराये के भवन में चल रहा है आवास की असुविधा नहीं है।

(2) ग्राम खड़लेई तहसील सागवाड़ा

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

में आश्रम स्कूल विभागीय भवन में ही अवस्थित है। ग्राम पूंचिया बड़ा तहसील सागवाड़ा में कन्या छात्रावास हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही चल रही है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर कन्या छात्रावास का भवन निर्माण कराया जाना संभव हो सकेगा।

देशी शराब से हुई मौतें

221. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार जनता को सस्ती दर पर देशी शराब उपलब्ध कराने के लिए देशी शराब का मूल्य निर्धारित कर नियंत्रण रखने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) देशी शराब की एक बोतल की लागत कीमत क्या है ?

(3) क्या यह सही है कि देशी शराब के ठेकेदार मनमर्जी की कीमत पर शराब बेचते हैं जिस फलस्वरूप शराब पीने वाले लोग अवैध शराब पीते हैं ? यदि हां, तो राजस्थान में पिछले तीन वर्षों में अवैध शराब पीने के कारण कितनी मौतें हुईं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान में देशी मदिरा के समूह बनाये जाकर एकाकी विशेषाधिकार पर ठेके की पद्धति अपनाई हुई है। इस एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली के अन्तर्गत देशी मदिरा का विक्रय मूल्य निर्धारित किये जाने का प्रावधान नहीं है, अतः विक्रय मूल्य निर्धारित करने का विचार नहीं है।

(2) विभाग द्वारा अनुज्ञाधारी से देशी शराब की एक बोतल का निर्गम मूल्य किस्मवाइज निम्नानुसार प्राप्त किया जाता है :—

क्र. सं.	किस्म मदिरा	निर्गम मूल्य
		1-4-95
		रु. पै.
1.	केसर कस्तूरी 5 यू. पी.	22.50
2.	गुलाब 50 यू. पी.	4.69
3.	सादा 50 यू. पी.	4.69
4.	साठीया 60 यू. पी.	3.75

परन्तु, अनुज्ञाधारी के लिए देशी मदिरा की बोतल की लागत उसके द्वारा देय एकाकी विशेषाधिकार राशि पर निर्भर करती है।

(3) यह सही नहीं है कि अनुज्ञाधारी द्वारा निर्धारित विक्रय मूल्य के फलस्वरूप ही लोग अवैध शराब पीते हैं।

विभाग को उपलब्ध सूचना के अनुसार अवैध शराब पीने के कारण राजस्थान में पिछले तीन वर्षों में हुई मौतों का विवरण इस प्रकार है :—

(आबकारी मंत्री)

वर्ष	मौतों की संख्या	स्थान
1992–93	3	उदयपुर-1, अलवर-2
1993–94	31	फतहपुर जिला सीकर
1994–95	7	पालरा गांव अजमेर

इटावा-खातौली (कोटा) के विद्यालयों में व्याख्याताओं के पद

222. श्री रामगोपाल (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय इटावा, खातौली, जिला कोटा में व्याख्याताओं के कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं ?

(2) क्या सरकार इन पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) व्याख्याताओं के रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है :—

1. राज. सीनियर माध्यमिक विद्यालय, इटावा — 3 पद ना. शा. 7/94, वाणिज्य 1/94, हिन्दी 1992
2. राज. सीनियर माध्यमिक विद्यालय, खातौली — 1 पद हिन्दी 1/94

(2) जी, हां। विभागीय चयन समिति एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पद भरे जाने संभव होंगे।

मकराना व कुचामन सिटी के ग्रामों का विद्युतीकरण

223. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मकराना पंचायत समिति व कुचामन सिटी के कितने ग्रामों को 1 जनवरी, 1993 से 1 जनवरी, 1995 तक विद्युतीकृत किया गया ? कितने वंचित रहे ? ग्रामवार व नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के ग्रामों को वित्तीय वर्ष 1995-96 में विद्युतीकृत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) मकराना पंचायत समिति में 1 जनवरी, 1993 से 1 जनवरी, 1995 तक एक गांव चकरानी को दिनांक 3.12.93 को विद्युतीकृत घोषित किया गया है। अब कोई गांव विद्युतीकरण हेतु शेष नहीं है ? कुचामन सिटी नावां पंचायत समिति में भी सभी राजस्व ग्रामों को वर्ष 1991 में विद्युततीकृत घोषित कर दिया गया था तथा अब कोई गांव अविद्युतीकृत नहीं है।

(2) मकराना एवं कुचामन (नावां) पंचायत समिति के वर्ष 1981 की जनगणना में दर्शित गांवों में से कोई भी गांव

(ऊर्जा मंत्री)

विद्युतीकृत घोषित करना शेष नहीं है। अतः वर्ष 1995-96 में उक्त क्षेत्रों के ग्रामों का विद्युतीकृत करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

आमेर (जयपुर) की भूमि पर अतिक्रमण

224. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आमेर कस्बे के खसरा नम्बर 4139, 620, 4118, 4175, 4564, 6366, 1908 एवं 1916 पर विविध लोगों का कब्जा है ? यदि हां, तो उस पर अतिक्रमण हटाने की अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अतिक्रमण कराने में राजस्व अधिकारियों का हाथ है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। विभिन्न अतिक्रमियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। ख. नं. 1908 वर्तमान में सिवाय चक नहीं है। बल्कि वर्ष 1986 में दावा डिक्री होने के कारण इसकी खातेदारी प्रभू पुत्र तेजा माली के नाम हो चुकी है।

(2) जी नहीं, यह सही नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(3) जी हां, यद्यपि समय-समय पर अतिक्रमण हटाने बावत कार्यवाही की जाती रही है। फिर भी अब राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (6) के तहत सख्त कार्यवाही किये जाने के लिये निर्देश दिये जा रहे हैं।

(राजस्व मंत्री)

कस्बा आमेर में अतिक्रमियान की सूची

क्र. सं.	अतिक्रमी का नाम	ख. नं.	अतिक्रमण संवत	तक	विशेष विवरण
1.	छोटे खां पुत्र महमद खां मुसलमान आमेर	620	2027	2051	प्रतिवर्ष बेदखली व शास्ति
2.	प्रभु, लच्छू, नानगा पि. तेजा माली सा. आमेर	2016	2032	2051	,, ,,
3.	शंकर पुत्र बुद्धाराम माली सा. आमेर	4118	2026	2051	राजस्व मण्डल, अजमेर में स्थगन आदेश प्राप्त
4.	भैरू पुत्र चौथू माली सा. आमेर	4139	2025	2051	प्रतिवर्ष बेदखली व शास्ति सं. 2051 से सिविल कारावास
5.	बिरदा पुत्र भासी माली सा. आमेर	,,	2027	2051	प्रतिवर्ष बेदखली व शास्ति
6.	इफ्तार अली पुत्र सरदार अली	,,	2030	2051	,, ,,
7.	सेडू पुत्र गंगली	,,	2031	2051	,, ,,
8.	अमरचन्द पुत्र चान्दुलाल	4564	2028	2051	,, ,,
9.	कालू पुत्र नारायण मीना	,,	2035	2051	,, ,,
10.	जीवन पुत्र कालू माली	,,	2029	2051	,, ,,
11.	भीवा पुत्र नानगा मीणा	,,	6366	2041	,, ,,
12.	सत्यनारायण पुत्र श्याम सुन्दर व रणजीत पुत्र सूरजमल खण्डेलवाल (मूंदड़ा)	4175	2044	2051	,, ,, स. 2051 में सिविल कारावास की सजा

ह०
तहसीलदार, आमेर
जिला जयपुर

बांसवाड़ा जिले की स्वीकृत लिफ्ट सिंचाई योजनाएं

225. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले में सत्र 1992-93 व 1993-94 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा कितनी लिफ्ट सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितनी योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं जिन पर सिंचाई कार्य प्रारम्भ हो चुका है ? कितनी अपूर्ण हैं ? जो अपूर्ण हैं उनको कब तक पूर्ण कराने का सरकार विचार रखती है ?

(3) माही के बैंक वाटर के उपयोग हेतु कितनी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की हिरन नदी पर तथा अनास नदी (जिनमें बारह महीने पानी रहता है) पर कितनी लिफ्ट सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की गई हैं ? उनमें से कितनी पूर्ण हो चुकी हैं, कितनी अपूर्ण हैं तथा कितनी प्रस्तावित हैं ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में सत्र 1992-93 में 17 एवं वर्ष 1993-94 में 18 कुल 35 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाएं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बांसवाड़ा द्वारा स्वीकृत कराई गई। सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में स्वीकृत कुल 35 योजनाओं में से 29 पूर्ण की जा चुकी हैं तथा सिंचाई कार्य प्रारम्भ हो चुका है। 5 योजनाएं अपूर्ण हैं। 5 अपूर्ण योजनाओं में से 2 अपूर्ण योजनाएं एक माह में पूर्ण करा दी जाएंगी, 2 अपूर्ण योजना पर अतिरिक्त राशि की मांग की गई है, राशि स्वीकृति के पश्चात कार्य पूर्ण करावा दिया जावेगा, एक योजना कृषकों द्वारा 10 प्रतिशत हिस्सा राशि जमा नहीं कराने के कारण अपूर्ण है तथा एक योजना पाटी निरस्त कर दी गई है।

(3) माही बैंक वाटर के उपयोग हेतु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बांसवाड़ा द्वारा 11 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाएं स्वीकृत कराई गई हैं। सूची परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(4) कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की हिरन नदी पर तथा अनास नदी पर 15 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाएं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बांसवाड़ा द्वारा वर्ष 87-88 से 94-95 तक स्वीकृत कराई गई हैं तथा इनमें से 8 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 6 योजनाए अपूर्ण हैं तथा एक योजना पाटी निरस्त की गई है तथा 11 योजनाएं प्रस्तावित हैं। सूची परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सिंचित क्षेत्र के काश्तकारों को फव्वारा पद्धति सिंचाई सुविधा

226. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार लिफ्ट नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र के काश्तकारों को फव्वारा पद्धति में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु प्राथमिकता से अनुदान प्रदान करने की कार्यवाही करेगी ताकि लूणकरणसर, कोलायत, गंगानगर एवं चूरू के अकाल प्रभावित क्षेत्रों के काश्तकारों को अपनी हालत सुधारने में मदद मिल सके ?

उत्तर

इस वर्ष (1994-95) से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में फव्वारा पद्धति (डिग्गियों व पम्प सैट सहित) हेतु अनुदान उपलब्ध कराने की योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजना का लाभ समस्त इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के काश्तकार उठा सकते हैं चाहे वह लिफ्ट नहरों अथवा फ्लो नहरों के सिंचित क्षेत्र में हो।

जनजाति समुदाय की जनसंख्या

227. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में जनजाति समुदाय की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है ? उनमें से जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है ? इनका पंचायत समितिवार प्रतिशत क्या है ?

(2) जनजाति उपभोक्ता क्षेत्र में पंचायत समितिवार शिक्षा का प्रतिशत क्या है ? विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

उत्तर

(1) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य में जनजाति समुदाय की जनसंख्या का प्रतिशत 12.44 है। 43.86 प्रतिशत जनजाति के व्यक्ति जनजाति उपयोजना क्षेत्र में रहते हैं। उपयोजना क्षेत्र में शामिल पंचायत समितियों में जनजाति व्यक्तियों का प्रतिशत परिशिष्ट "अ" अनुसार है।

(2) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में पंचायत समितिवार शिक्षा (साक्षरता) का प्रतिशत परिशिष्ट "ब" अनुसार है।

परिशिष्ट "अ"

जनजाति जनसंख्या का पंचायत समितिवार प्रतिशत (1991)

क्र.सं.	जिला	पंचायत समिति	कुल जन संख्या	जनजाति जनसंख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	उदयपुर	सलूम्बर	161630	86602	55·58
	(ग्रामीण क्षेत्र)	खैरवाड़ा	206494	155125	75-12
		धरियावद	164836	126520	76·12
		सराड़ा	185497	105116	56·66
		कोटड़ा	130449	116263	89·12
		झाड़ोल	147044	104744	71·23
		गिर्वा ब्लाक	118563	82410	69·50
	(शहरी क्षेत्र)	सलूम्बर	13981	250	1·78
				योग —	68·85
2.	बांसवाड़ा	तलवाड़ा	167896	123663	73·65
	(ग्रामीण क्षेत्र)	गढ़ी	197876	106143	53·64
		घाटोल	175991	136522	77·57
		आनन्दपुरी	84905	78827	92·84
		सज्जनगढ़	103172	91733	88·91
		पीपलखूंट	110617	103360	93·43
		कुशलगढ़	101900	96428	64·63
		बागीडोरा	137270	105402	76·78
	(शहरी क्षेत्र)	बांसवाड़ा	66632	5653	8·48
		कुशलगढ़	9341	1319	14·12
				योग —	73·47

1	2	3	4	5	6
3.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	133212	110702	83·10
	(ग्रामीण क्षेत्र)	बिछीवाड़ा	180805	150269	83·11
		आसपुर	146507	71056	48 50
		सागवाड़ा	160585	86746	54·01
		सीमलवाड़ा	195519	128349	75 87
	(शहरी क्षेत्र)	डूंगरपुर	35681	3454	9·68
		सागवाड़ा	22240	5229	23 51
				योग—	65·84
4.	चित्तौड़गढ़	प्रतापगढ़	159206	84615	53·14
	(ग्रामीण क्षेत्र)	अरनोद	91408	58949	64·48
	(शहरी क्षेत्र)	प्रतापगढ़	29443	1528	5·18
				योग—	51·80
5.	सिरोही	आबूरोड (ब्लाक)	80611	54734	67·89

परिशिष्ट 'ब"

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में पंचायत समितिवार साक्षरता का प्रतिशत (1991)

(7 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या के आधार पर)

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति	प्रतिशत
1.	उदयपुर	सलूम्बर	22·10
		खैरवाड़ा	30·66
	(ग्रामीण क्षेत्र)	धरियावद	12·67
		सराड़ा	24·65
		कोटड़ा	8·68
		झाड़ोल	19·80
		गिर्वा (ब्लाक)	22·63
	(शहरी क्षेत्र)	सलूम्बर	73·74
		योग—	21·53

1	2	3		4
2.	बांसवाड़ा	तलवाड़ा		23·15
	(ग्रामीण क्षेत्र)	गढी		34·04
		घाटोल		21·47
		आनन्दपुरी		21·16
		सज्जनगढ़		17·44
		पीपलखूंट		11·10
		कुशलगढ़		12·55
		बागीडोरा		23·92
	(शहरी क्षेत्र)	बांसवाड़ा		78·70
		कुशलगढ		72·35
			योग—	25·99
3.	डूंगरपुर	डूंगरपुर		26·53
	(ग्रामीण क्षेत्र)	बिछीवाड़ा		25·05
		आसपुर		27·26
		सीमलवाड़ा		24·82
		सागवाड़ा		32·98
	(शहरी क्षेत्र)	डूंगरपुर		80·73
		सागवाड़ा		65·85
			योग—	30.55
4.	चित्तौड़गढ	प्रतापगढ़		27·24
	(ग्रामीण क्षेत्र)	अरनोद		27·31
	(शहरी क्षेत्र)	प्रतापगढ़		73·80
			योग—	32·50
5.	सिरोही	आबूरोड (ब्लाक)		19·34

(१९४)

परिशिष्ट-2

अतारांकित प्रश्न संख्या 305 की सूची

पाली जिले में संचालित संस्कृत संस्थाओं का विवरण

प्रवेशिका विद्यालय :

1. राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, बासनी

उच्च प्राथमिक विद्यालय :

1. राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, गुढ़ापदमसिंह जोजावर
2. राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय ठाकुरवास (राणावास)
3. राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय दयालपुरा

प्राथमिक विद्यालय :

1. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय बीसलपुर
2. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय बकमपुरा नई आबादी पूरानगर
3. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय वासनी
4. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय सेहवाज
5. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय बेराड़लिया
6. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय माणका
7. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय बाणेराव
8. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय भगवानपुरा रेलवे स्टेशन
9. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खेड़ा
10. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय पुरोहितों की ढाणी निम्बाज
11. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय सीगला रामपुरा
12. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय राम की ढाणी नगडी नगर
13. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय निमाज
14. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय सुभाषनगर सोडावास
15. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय रोहट
16. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय सादड़ी
17. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय फूलनारायण आश्रम सोजत
18. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय चौधरी माता की ढाणी (वर्ष 1994–95 में नवीन)
19. राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय अनन्त वासनी (वर्ष 1994–95 में नवीन)

परिशिष्ट-3

अतारांकित प्रश्न संख्या 310 की सूची

(अ) डग विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में स्थित माध्यमिक विद्यालयों के नाम :—

1. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, उन्हेल
2. ,, ,, ,, कुण्डला
3. ,, ,, ,, दूधालिया
4. ,, ,, ,, करावन
5. ,, ,, ,, मावर
6. ,, ,, ,, मोगरा
7. ,, ,, ,, मुराडिया जोगा
8. ,, ,, ,, मिश्रोली

(ब) डग विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में स्थित उ० प्रा० विद्यालयों के नाम :—

1. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सिलेहगढ़
2. ,, ,, ,, ,, डग
3. ,, ,, ,, ,, गंगधार
4. ,, ,, ,, ,, तलावली
5. ,, ,, ,, ,, बाड़ा
6. ,, ,, ,, ,, रोझाना
7. ,, ,, ,, ,, तिसाई
8. ,, ,, ,, ,, रामपुरा
9. ,, ,, ,, ,, डोंडा
10. ,, ,, ,, ,, पचारिया
11. ,, ,, ,, ,, हरनावदा
12. ,, ,, ,, ,, गुराडिया झाला
13. ,, ,, ,, ,, पाड़लिया
14. ,, ,, ,, ,, मुढ़ा
15. ,, ,, ,, ,, दयासरा
16. ,, ,, ,, ,, सरोद
17. ,, ,, ,, ,, पीपलिया खुर्द
18. ,, ,, ,, ,, नारायण खेड़ा
19. ,, ,, ,, ,, चोहमला ग्राम कोल्वी उर्फ मण्डी राजे ग्राम पंचायत में है।
20. ,, ,, ,, ,, नन्दपुर ग्राम पंचायत लुहारिया
21. ,, ,, ,, ,, बनी ग्राम पंचायत सिंहपुर

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 315 का विवरण

श्रेणीवार वृक्षों का विवरण

क्रमांक	क्षेत्र/जिले	प्रयोजन	भूमि/उपयोगी पौधे सिंचित भूमि	 असिंचित भूमि
2	2	3	4	5
1.	पूर्वी-मैदानी जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टौंक, सवाई-माधोपुर	चारा	सु-बबूल, बबूल, शह-तूत, अरडू, खेजड़ी, शीशम	बकाइन, बेर, सेजना, पीपल, गूलर, इजराइली बबूल
		लकड़ी	सूलियाबबूल, सफेदा, विलायती खेजड़ी (खारवाली मिट्टी में)	
		फल	आम, जामुन, अमरूद, नींबू, पपीता, अनार, अंजीर, संतरा,	बेर, गूंदी, आंवला, इमली इत्यादि
		कुटीर उद्योग	नीम, करंज, बांस अरडू, खिरनी, मूंज	रतनजोत
2.	दक्षिणी पहाड़ी सिरोही उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़	लकड़ी	सागवान, शीशम, सफेदा, बांस, सु-बबूल	खेर, बबूल बंगाली, बबूल, रोंझ, चुरैल, खिरनी, (नंगी पहाड़ी पर) विलायती खेजड़ी
		चारा	शहतूत, सु-बबूल, बबूल	बकाइन, गूलर, पीपल, बेर
		फल	आम, जामुन, अनार, नींबू, पपीता, अंजीर	महुआ, चिरांजी, गूंगा, आंवला, इमली, करोंदा, सीताफल, बेर

1	2	3	4	5
		कुटीर उद्योग	नीम, करंज, रतन जोत, अर्जुन, खिरनी, शहतूत, गूगल, राम-बांस, ढाक, अरडू, चुरैल	
3	मरूस्थलीय बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझनूं, सीकर जालौर, गंगानगर, जोधपुर	लकड़ी	शीशम, सिरस, सु-बबूल, सफेदा, नीम, रोहिड़ा	देशी खेजड़ी, विलायती खेजड़ी, इजरायली बबूल
		चारा	बबूल, सु-बबूल,	देशी खेजड़ी
		फल	अनार, अमरूद, नींबू	बेर, गूंदी, जंगल जलेबी, करोंदा
		कुटीर उद्योग	पिंड खजुर	नीम, रोहिड़ा मूंज

परिशिष्ट- ख'

राजकीय विभागों एवं संस्थाओं की सूची जिन्हें सामान्यतया पौधे वितरित किए जाते हैं

1. पुलिस विभाग
2. शिक्षण संस्थाएं
3. सेना
4. सिंचाई विभाग
5. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
6. पंचायती राज विभाग
7. रेलवे विभाग
8. आयुर्वेद विभाग
9. स्वास्थ्य विभाग
10. पशु चिकित्सा विभाग
11. सार्वजनिक निर्माण विभाग
12. राजस्थान राज्य विद्युत मंडल
13. राजस्थान आवासन मंडल
14. अन्य राजकीय उपक्रम
15. अन्य स्वयं सेवी व गैर सरकारी संस्थाएं

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 325 की सूची

उन गांवों की सूची जिनका विद्युतीकरण होने के बाद भी कनेक्शन नहीं दिये गये हैं।

क्र. सं. गांव का नाम	कोड नं.	विद्युतीकरण दिनांक	विशेष विवरण
1–रतनपुरा	8.10.88	30.1.93	न्यायालय में विवाद होने के कारण कनेक्शन नहीं दिया गया। विवाद समाप्त हो गया है। कनेक्शन देने की प्रक्रिया जारी है।
2–अखैपुरा	8.10.199	25.2.93	उपरोक्त
3–नांगल करणा	8.10.104	28.10.94	न्यायालय में विचाराधीन है।
4–धोली	8.10.122	25.2.95	प्रार्थना पत्र मार्च, 95 में जमा किये गये हैं। कनेक्शन की प्रक्रिया जारी है।
5–रलावता	8.10.36	,,	,,
6–ब्रह्मपुरी	8.10.96	,,	,,
7–चक माधोपुर	8.10.86	,,	ग्रामवासियों में विवाद के कारण कनेक्शन नहीं दिया गया था। अब कनेक्शन देने की प्रक्रिया जारी है।
8–झांपदा कलां	8.14.255	6.4.94	कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

199

परिशिष्ट "ब"

1990 से फरवरी, 95 तक विद्युतीकृत किये गये उन गांवों की सूची जिनमें कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं ।

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.	विद्युतीकरण की तारीख
1	चपड़िया	8.10.126	28.3.91
2.	अचलपुरा	47	30.3.91
3.	खिजूरिया तिवाड़ियान	93	28.2.91
4.	बोरई	147	30.5.91
5.	पिपलाबाई	40	20.6.91
6.	बिशनसिंहपुरा	37	30.1.92
7.	मोरन्डी	116	फरवरी, 92
8.	सांवलियावाला	105	मार्च, 92
9.	चतरपुरा	102	जनवरी, 92
10.	चकतुंगा	194	फरवरी, 92
11.	रूपपुरा	115	15.6.92
12.	माध्यावाला	203	30 1.93
13.	अखैपुरा	204	30.1.93
14.	बिहारीपुरा	189	25.2.93
15.	टिड्डीवाला	209	27.4.93
16.	डेडपुरा उर्फ श्यामपुरा	89	27.4.93
17.	कंवरपुरा	123	27.4.93
18.	रामसिंहपुरा	114	30.1.94
19.	चीमापुरा	8.14.234	28.2.91
20.	रामचन्द्रपुरा	237	31.5.91
21.	रामनगर	248	"
22.	विमलपुरा	253	"
23.	डोबलाकलां	246	"
24	मदनमोहनपुरा	252	"
25.	नरोतमपुरा	233	28.2.91
26.	बाल मुकन्दपुरा	261	"
27.	अजबरामपुरा	260	"
28.	ठीकरिया मीणान	272	16.12.93

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 326 की सूची

भरतपुर तहसील में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भरतपुर खण्ड द्वारा बनायी गयी सम्पर्क सड़कों की सूची

क्र. सं.	सड़क का नाम	निर्माण वर्ष
1.	स. स. बांसी से गवगाना	1982-83
2.	स. स. सेवर से चितोकरी	1982-83
3.	स. स. मथुरा रोड़ से हथैनी	1975-76
4.	स. स. फतेहपुर सीकरी रोड़ से नगला बरताई, सुनारी	1981-82
5.	स. स. महुआ से घोर	1982-83
6.	स. स. मथुरा रोड़ से तुहिया	1990-91
7.	स. स. मथुरा रोड़ से जघीना	1990-91
8.	स. स. मथुरा रोड़ से तमरौली	1990-91
9.	स. स. मथुरा रोड़ से मौरोली कला	1990-91
10	स. स. डीग रोड़ से गंडवा	1992-93
11.	स. स. रामनगर दोमोरा से खरेड़ा	1991-92
12.	स. स. रूपवास रोड़ से धनागढ़	1990-91
13.	स. स. बछामदी से नगला हींस	1990-91
14.	स. स. फतेहपुरसीकरी रोड़ से धसौला	1990-91
15.	स. स. फतेहपुर सीकरी रोड़ से नगला खौरी	1990-91
16.	स. स. पीपला से महचौली	1992-93
17.	स. स. नगला परसराम से सूती, फुलवारा	1990-91
18.	स. स. सेवर उच्चैन रोड़ से बंजी	1992-93
19.	स. स. सेवर बंध से श्योराना	1992-93
20.	स. स. हीरादास बस स्टेण्ड से गोलपुरा	1992-93
21.	स. स. मथुरा रोड़ से लुधवाड़ा	1982-83

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 327 का विवरण

पंचायत समिति	कार्य का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	(माह फरवरी, 95 तक) कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
रायपुर जैतारण	(1) बंटीवास जल ग्रहण क्षेत्र	मरू विकास योजना	93–94	37.42	9.28	अपूर्ण
	(2) दागना जलग्रहण क्षेत्र		93–94	11.04	2.97	,,
	(3) आसरलाई ,, ,,	,, ,,	93–94	24.57	7.67	,,
	(4) राज एनीकट	अकाल राहत	93–94	5.00	4.00	पूर्ण
	(5) अमरपुर जलग्रहण क्षेत्र	मरू विकास कार्यक्रम	94–95	53.95	2.92	अपूर्ण
सोजत	(6) बासनी रायला जलग्रहण क्षेत्र	मरू विकास कार्यक्रम	93–94	40.70	8.64	,,
	(7) हीरावास	,, ,,	93–94	21.23	5.50	,,
	(8) हाफत खडीन.	अकाल राहत	93–94	1.50	1.40	पूर्ण
	(9) माटी की ढाणी बाढ़ बचाव कार्य	,, ,,	93–94	0.40	0.30	पूर्ण

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 333 का विवरण

क्र. सं. नाम ग्रामीण श्रम निरीक्षक	वर्तमान पदस्थापन (पंचायत समितियां)
1. श्री कुलदीप सिंह राठौड़	चित्तौड़गढ़
2. श्री विजय प्रकाश शर्मा	आमेर
3. श्री आर. पी. माथुर	कोटपूतली
4. श्री मांगीलाल शर्मा	चाकसू
5. श्री पूरणसिंह अरोड़ा	सांगानेर
6. श्री लाखाराम	आबूरोड़
7. श्री हेतुदान देथा	जालोर
8. श्री रविशंकर दोदानी	बस्सी
9. श्री मदनसिंह भाटी	शिवगंज व बाली
10. श्री मन मोहन व्यास	बारां
11. श्री श्रीचन्द जैन	किशनगढ़ एवं अराई
12. श्री हनुमान सहाय शर्मा	गढ़ी
13. श्री प्रमोदकुमार गुप्ता	गंगापुर सिटी
14. श्री देवकी नन्दन शर्मा	हिण्डौन
15. श्री अमरसिंह खींची	बून्दी
16. श्री चांदमल बोहरा	भीलवाड़ा
17. श्री सम्पतराज लौहार	सिरोही व पिण्डवाड़ा
18. श्री भंवरलाल सिरोठा	जहाजपुर एवं माण्डलगढ़
19. श्री भूपेन्द्र दत्ता	माण्डल व हुरड़ा
20. श्री रघुवीरसिंह भोमरिया	सूरतगढ़
21. श्री गोपाललाल मीणा	जमुआरामगढ़
22. श्री प्रेमलाल बाहेती (निलम्बाधीन)	मुख्यावास अजमेर
23. श्री पी. एल. छीपा	उदयपुर
24. श्री भंवरलाल पटेल	गिरवा व मावली
25. श्री नन्दलाल मैनारिया	सलूम्बर
26. श्री सज्जाद अहमद	निम्बाहेड़ा
27. श्री गोविन्दराम गहलोत	जवाजा
28. श्री कैलाश चन्द ओझा	प्रतापगढ़
29. श्री मगनलाल झाड़ेला	सागवाड़ा
30. श्री मदनलाल त्रिपाठी	बेगूं (चित्तौड़गढ़)

परिशिष्ट "ख"

क्र. सं.	नाम श्रम निरीक्षक	स्थान	कार्य क्षेत्र
1.	के. के. व्यास	श्रम विभाग, अजमेर	पंचम सर्किल
2.	श्री एल. एन. जोशी	—,,—	तृतीय सर्किल
3.	श्री सुनील सक्सैना	—,,—	द्वितीय सर्किल
4.	श्री एम. एल. अग्रवाल	—,,—	प्रथम सर्किल
5.	श्रीमती सुषमा शर्मा	—,,—	चतुर्थ सर्किल
6.	श्री राजेन्द्र शर्मा	श्रम विभाग, किशनगढ़	उपखण्ड किशनगढ़
7.	श्री सुधीर ब्रोका	श्रम विभाग, ब्यावर	ब्यावर व विजयनगर
8.	श्री एस. पी. सिंह तंवर	सिंचाई विभाग, अजमेर	
9.	श्री विश्वेश्वर दयाल,	सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर।	

204

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 339 का विवरण

जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत वर्षवार पंचायतों को आवंटित राशि का विवरण

क्र. सं.	नाम व पंचायत	92–93	93–94	94–95	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आमीवाड़ा	252555/-	291222/-	230141/-	773918/-
2.	अटाटिया	82510/-	120101/-	94912/-	297523/-
3.	बदराना	124020/.	191231/-	151122/-	466373/-
4.	बाघपुरा	113885/-	175851/-	138968/-	428704/-
5.	बिछीवाड़ा	165804/-	154038/-	121731/-	441573/-
6.	बिरोठी	113562/-	175361/-	138581/-	427504/-
7.	डैया	367010/-	331814/-	261219/-	961043/-
8.	देवास	221214/-	220623/-	174350/-	616187/.
9	गेजबी	141966/-	219570/-	173519/-	535054/-
10.	गोराणा	168543/-	184323/-	145664/-	493535/-
11.	जेकड़ा	128361/-	198285/-	156696/-	483342/-
12.	झाडोल	125304/-	193407/-	152843/-	471554/-
13.	कंथारिया	149740/-	231252/-	182749/-	563741/-
14.	खाखड़	145500/-	135757/-	107288/-	388541/-
15.	कोल्यारी	160841/-	152413/-	120447/-	433701/-
16.	मगवास	131353/-	202872/-	160321/-	494546/-
17.	माकड़ादेव	208170/-	230204/-	181989/-	620363/-
18	नि. सिगरी	340915/-	345784/-	273259/-	959958/-
19	ओगणा	96827/-	149494/-	118139/-	364460/-
20.	ओडा	72979/-	112643/-	89018/-	274640/-
21.	पानरवा	210789/-	325575/-	257289/-	793653/-
22.	पिपलबारा	252254/-	252631/-	199644/-	704529/-
23.	फलासिया	149371/-	230657/-	182279/-	562307/-
24	सु. का खैरवाड़ा	138957/-	150968/-	119305/-	409230/-
25.	थोबावाड़ा	146966/-	134220/-	106069/-	387255/-
26.	मादड़ी	342258/-	308901/-	244112/-	895271/-
					14248505/-

ह०

अति. कलक्टर (विकास)

जि. ग्राम. वि. अ., उदयपुर

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) के अन्तर्गत पंचायत समिति कोटड़ा की ग्राम पंचायतों को वर्ष 92-93, 93-94, 94-95 में स्वीकृत राशि का विवरण

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र फलासिया उदयपुर के अन्तर्गत पंचायत समिति, कोटड़ा की ग्रा. पं. का विवरण	स्वीकृत राशि		
		92-93	93-94	94-95
1.	कोटड़ा	1,96,661	2,47,500	1,74,652
2.	ढेडमारियां	2,17,401	2,78,281	2,10,036
3.	वडली	1,78,787	2,42,226	2,64,200
4.	नयावास	2,44,593	2,74,852	2,07,326
5.	खजुरीयां	1,85,911	2,24,383	1,67,442
6.	महाड़ी	3,35,564	3,82,500	2,10,133
7.	गुरा	2,76,764	2,97,506	2,25,228
8.	मामेर	2,58,003	2,88,830	2,18,372
9.	महाद	2,34,337	2,37,077	1,77,474
10.	जोगीवड	1,68,848	1,98,013	1,46,603
11.	जुडा	1,80,568	2,00,667	1,48,709

ह०

विकास अधिकारी

पंचायत समिति, कोटड़ा

जिला-उदयपुर (राज.)